खण्ड–484, अंक–9
सोमवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(18 मार्च, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 484 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-109
5वें सोमवार के लिए स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109-110
श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा अपने दारुलशफा, लखनऊ स्थित आवास की दीवार बनवाने तथा अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की मांग	110
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	110-111
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मऊबासक से बिलरिया मार्ग पर छोटे पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
गोरखपुर में नौसड़ के शहरी फीडर से नजदीक के गांवों में शहरी विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
नगर निगम झांसी में सम्मिलित किये गये 15 गांवों को विद्युतीकरण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत गांगी नदी पर बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के कई शहरों में 24 घण्टे आपूर्ति के नाम पर विद्युत दरें निर्धारित किये जाने से जनपद गाजियाबाद में असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैंट में श्याम नगर चौराहे से बाईपास तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी में क्षतिग्रस्त माधवपुर से बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
महोबा विधान सभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर में दिनांक 14 मार्च, 2013 को एफ0सी0आई0 के निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
क्रान्तिकारी राणा बेनी माधो व वीर बीरा पासी की स्मृति में प्रेरणा स्थल का निर्माण कराये जाने व जनपद रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
जनपद मेरठ के सुभारती मेडिकल कालेज एवं अन्य स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा पैरा मेडिकल छात्रों से अवैध धन की वसूली करने पर कठोर कार्यवाही करते हुए पर्याप्त सीटों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
प्रशिक्षित बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के क्षतिग्रस्त मार्गों को शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	117
जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र की बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 की पानी के टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	118
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	118-119
नियम-301 की भांति नियम-51 में एक सप्ताह में केवल एक सूचना लेने एवं ग्राह्यता की संख्या-10 से बढ़ाकर 20 किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119-120
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2009 (पटल पर रखा गया)	120
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (पटल पर रखा गया)	120
दिनांक 26 फरवरी, 2013 को आगरा में सैंया स्थित श्रेयस बैंक के सहायक मैनेजर एवं कैशियर की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	120-122
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	122-135
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) तथा अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	135-174

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	174
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	174-178
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	178-209
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	209-215
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	215-216
जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में अवमुक्त धनराशि से विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	216
जनपद कौशाम्बी के क्षेत्र चायल के अन्तर्गत विकास खण्ड मूरतगंज में इमामगंज से हर्रायपुर वाया नर्वरपट्टी होते हुए बदनपुर घाट तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	216-217
जनपद गोरखपुर के क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों एवं पेयजल की पाइप लाइनों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)...	217
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में घाघरा नदी से हो रही भू-कटान की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	217
होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड को तत्काल भंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	218
जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम्, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	218-219

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के ग्राम बरेटी में विद्युत व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	219-220
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत बिजली आपूर्ति किये जाने एवं नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	220
उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों को पंचम वेतन का एरियर भुगतान तथा छठे वेतनमान के अन्तर्गत ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	221-224
नत्थियां	225-238

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-321

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
34. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
35. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
36. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
37. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
38. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
39. आशीष यादव, श्री — बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
42. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
46. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
47. उदयराज, श्री — उन्नाव
48. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
50. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
51. उमाशंकर, श्री — बलिया
52. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
53. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं

54. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
56. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
57. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
58. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
59. काली चरन सुमन, श्री आगरा
60. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
61. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
62. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
63. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
64. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
65. कैलाश, श्री गाजीपुर
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
72. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
73. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
74. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
80. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
81. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
82. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जफर आलम, श्री अलीगढ़
87. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
88. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
91. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
92. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
93. तसलीम, श्री बिजनौर
94. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
95. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
96. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
97. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
98. दलजीत सिंह, श्री बांदा
99. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
100. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
101. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
102. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
103. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
106. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
107. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
108. धर्मराज, श्री बाराबंकी
109. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
110. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
111. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
112. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
113. नारद राय, श्री बलिया
114. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
115. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
116. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
117. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
118. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
119. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर

120. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
121. पीतमराम, श्री पीलीभीत
122. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
123. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
124. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
125. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
126. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
127. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
128. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
129. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
130. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
131. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
132. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
133. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
134. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
135. फेरन लाल, श्री ललितपुर
136. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
137. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
138. बदलू खां, श्री उन्नाव
139. बाबू खां, श्री हरदोई
140. बाबूलाल, श्री गोण्डा
141. बावन सिंह, श्री गोण्डा
142. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
143. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
144. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
145. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
146. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
147. बैजनाथ, श्री मऊ
148. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
149. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
150. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनबोध, श्री देवरिया
159. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
160. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
161. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
162. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
163. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
164. महावीर सिंह कुं0 हरदोई
165. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
166. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
167. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
168. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
169. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
170. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
171. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
172. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
173. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
174. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
175. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
176. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
177. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
178. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
179. मा0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
180. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
181. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
182. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर

183. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
184. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
185. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
186. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
187. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
188. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
189. योगेश प्रताप सिंह ''योगेश भइया', श्री गोण्डा
190. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
191. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
192. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रणजीत सुमन, श्री एटा
195. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
196. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
197. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
198. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
199. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
200. रवि शर्मा, श्री झांसी
201. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
202. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
203. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
204. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
205. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
206. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
207. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
208. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
209. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
210. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
211. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
212. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
213. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
214. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
215. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
216. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
217. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
218. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
219. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
220. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
221. राम करन आर्य, श्री बस्ती
222. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
223. राम गोविन्द, श्री बलिया
224. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
225. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
226. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
227. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
228. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
229. राम मगन, श्री बाराबंकी
230. राममूर्ती वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
231. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
232. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
233. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
234. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
235. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
238. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
239. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
240. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
241. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
243. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
244. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर

245. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
246. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
247. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
248. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
249. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
250. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
251. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
252. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
253. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
254. विजय सिंह, श्री रामपुर
255. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
256. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
257. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
258. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
259. वीरपाल राठी, श्री बागपत
260. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
261. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
262. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
263. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
264. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
265. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
266. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
267. शाकिर अली, श्री देवरिया
268. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
269. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
270. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
271. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
272. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
273. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
274. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
275. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
276. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
277. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
278. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
279. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
280. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
281. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
282. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
283. संजय कपूर, श्री रामपुर
284. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
285. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
286. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
287. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
288. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
289. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
290. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
291. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
292. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
293. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
294. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
295. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
296. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
297. सियाराम सागर, डा0 बरेली
298. सीमा, श्रीमती जौनपुर
299. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
300. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
301. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
302. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
303. सुधाकर, श्री मऊ
304. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
305. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी

306.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	315.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
307.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर	316.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
308.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	317.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
309.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	318.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
310.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	319.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
311.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	320.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
312.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	321.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
313.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर			
314.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर			

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पुलिस बल के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

*01-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्तमान में अपराधियों, आतंकवादियों एवं माओवादियों के उच्च तकनीकी संसाधन एवं प्रशिक्षण से युक्त हो जाने की दशा में प्रदेश पुलिस बल के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, आतंक निरोधी दस्ता, एंटी नारकोटिक्स, सीमापार अपराध, आर्थिक अपराध, इंटरनेट/साइबर क्राइम तथा संगठित अपराध नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश के पुलिस बल को आधारभूत प्रशिक्षण में इंटरनेट का प्रशिक्षण/इंटरनेट से होने वाले अपराधों/साइबर अपराध/इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, आतंकवाद निवारण, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु विधि को लागू करना, संगठित अपराधों की रोकथाम का गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अल्पावधि के विशेष प्रशिक्षण कोर्स जैसे एंटी नारकोटिक्स/आर्थिक अपराध/संगठित अपराध कोर्स चलाये जाते हैं, जिनमें विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर गुणात्मक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनीष असीजा उपस्थित नहीं हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर इस प्रश्न में रुचि हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बाद में ले लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, करीब-करीब एक ऐसा ही प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या-7 पर था, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। यह आतंकवाद और माओवादी गतिविधियां सोनभद्र से लेकर नेपाल तक का जो क्षेत्र है, यह अधिक प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, इन गतिविधियों के लिये और प्रश्न संख्या-7 में जो जवाब दिया गया, उसमें बताया गया कि साहबर केन्द्र लखनऊ और आगरा में स्थापित किये गये हैं तो एक प्रश्न तो यह है कि क्या पूर्वांचल में सोनभद्र से लेकर नेपाल तक के बीच की जो माओवादी गतिविधियां हैं, उसकी दृष्टि से कोई केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में या उसके आस-पास जहां सरकार उचित समझे, स्थापित करने पर विचार करेगी। नं0-2 एक छोटा सा सवाल है,

हालांकि समाचार-पत्रों को हम संज्ञान में नहीं लेते हैं। लेकिन दो-चार दिन पूर्व कानून-व्यवस्था के बारे में कुछ प्रकाशित हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी के हवाले से सरकार किसी विशेष क्राइम इन्वेस्टीगेशन टीम की स्थापना कर रही है, क्या उसकी स्थापना के समय साबर अपराधों के लिये एक अलग इकाई के निर्माण के संदर्भ में सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर, नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं और बड़े शहरों में उसको जी0पी0एस0 सिस्टम के द्वारा शुरू कर रहे हैं। मेरा इस सिलसिले में गृह विभाग को पुलिस विभाग को एक सुझाव था और इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात की है कि हम यह भी देखें कि अगर उन बड़े शहरों में अपराध की संख्या कम है और कुछ शहरों में अपराध की संख्या ज्यादा है तो उनको भी इसमें जोड़ दिया जाय, ऐसा विचार है और ऐसी कोशिश रहेगी। आपने जो गोरखपुर के सम्बन्ध में कहा है, उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लखीमपुर जनपद की सीमा नेपाल से मिली हुयी है और वहां पर इस समय माओवादी गतिविधियां बहुत तेज हुयी हैं। जिसका हवाला अभी तत्काल में घटित हुई तीन घटनाओं से मिलता है। एक गुलरिया बार्डर पर सीमेन्ट की बोरी में हथियार पकड़े गये। दूसरी घटना अभी पूरनपुर में हुई सीमेन्ट के एक ट्रक में चंदन की लकड़ी और कुछ आपत्तिजनक चीजें पकड़ी गईं। सीतापुर में एक घटना हुई वह भी उसी बार्डर से निकला हुआ सामान था मुझे याद है कि सन् 1989 में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए बार्डर पर कोतवाली की स्थापना की गई थी। जिसमें लखीमपुर जनपद में भी चंदनचौकी, गौरीफण्टा और तिकुनियां। तीन कोतवालियों की स्थापना की गई थीं लेकिन वहां पर जो पुलिस है और एस0एस0बी0 की टुकड़ियां हैं वह इनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं उसका एक कारण यह भी है कि इन थानों में जहां रख-रखाव की व्यवस्था ठीक नहीं है वहां स्टाफ की भी बहुत ज्यादा कमी है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि बार्डर की कोतवालियां जो इन्हीं कामों के लिए विशेषकर बनवाई गई थीं कि माओवादी गतिविधियां रोकी जायं वहां पर स्टाफ और ऐसे वाहनों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आफिशियली तो कोई तीन साल से माओवादी गतिविधि की सूचना नहीं है रूटीन क्राइम्स हैं यह देखना पड़ेगा कि कौन लोग उसमें अपराधी थे कहां से वह हथियार आए बाकी आपका जो अगला सुझाव है उस पर विचार करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या-3 पर हमने रुचि दर्शायी थी।

प्रदेश में खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

*02-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विदेशों में विशेष कर खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा नौकरी के नाम पर ठगी करने के

मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश में विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सक्रिय गिरोहों द्वारा नौकरी के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में प्रदेश में 06 प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

जनपद मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0-364/2012 धारा-420/506 भा0द0वि0 दिनांक घटना 15-5-2012, दिनांक सूचना 4-7-2012 वादी श्री विपिन पुत्र जयवीर सिंह, निवासी ग्राम बिरालसी, थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के द्वारा प्रतिवादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी भुस्थला, थाना झासा, जनपद कुरुक्षेत्र, हरियाणा के विरुद्ध विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया, जिसमें आरोप-पत्र सं0-152 दिनांक 27-9-2012 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। जनपद स्तर पर इस सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के निवासियों को सतर्क करने एवं बीजा की सही जानकारी करने के लिये निर्देशित किया गया है।

जनपद गाजियाबाद में दिनांक 08-08-2012 को श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बद्री प्रसाद, निवासी संस्कारवारा तोड़ा भीम करौली, जनपद सवाई माधोपुर, राजस्थान द्वारा लिंक रोड पर मु0अ0सं0-296/12 धारा-420 भा0द0वि0 बनाम अमित कुमार मलिक, ओशन इण्टरप्राइजेज तीसरी मंजिल देविका टावर चन्द्र नगर थाना क्षेत्र लिंक रोड, जनपद गाजियाबाद पंजीकृत कराया गया, जिसमें आरोपित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी एवं पप्पू पैरवा से कनाडा भेजे जाने के नाम से फर्जी तरीके से 02 लाख बारह हजार रुपये धोखाधड़ी करके ले लिये गये व पासपोर्ट जमा करा लिया गया। पंजीकृत अभियोग विवेचनाधीन है।

जनपद रामपुर में श्री नाजिर हुसैन पुत्र विलाय हुसैन, निवासी रसूलपुर, कस्बा व थाना स्वार, जनपद रामपुर के साथ 1-गुरुविन्दर गिल पुत्र हरवंश सिंह गिल निवासी पिपरगैना थाना बिलसण्डा जनपद-पीलीभीत, 2-तन्नू शर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी बदायूं दोनों का हाल पता ग्रीन पार्क थाना बारादरी जनपद बरेली द्वारा धोखा धड़ी करके फर्जी कागजात वर्क परमिट एवं जॉब आफर केटरटिगो शिपिंग दिखाकर रु0 4,10,000/-हड़प करने के बाद 30 दिन के ई-वीजा पर सिंगापुर भेजने के सम्बन्ध में थाना बारादरी बरेली से उनके विरुद्ध मु0अ0सं0-1893/12 धारा-420/467/468/471 भा0द0वि0 एवं मु0अ0सं0-1894/12 से 1912/12 तक धारा-34 पी0 ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया है। अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद आजमगढ़ में मु0अ0सं0-506/12 धारा-419/420/406 भा0द0वि0 बनाम 1-मूलचन्द्र मौर्य पुत्र राजपाल मौर्य निवासी ग्राम नौहरा, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (गिर0-04-01-2013), 2-रामचन्द्र मौर्य पुत्र बढ़ई ग्राम मोहियापार थाना अहरौला, आजमगढ़ (फरार) विवेचना प्रचलित है।

जनपद लखनऊ में थाना हजरतगंज 03, थाना कैसरबाग 01, थाना अमीनाबाद 01, थाना नाका पर 02 कुल मिलाकर 07 अभियोग पंजीकृत हुए हैं तथा इनमें से 05 अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा दो अभियोग विवेचनाधीन हैं। जनपद लखनऊ

में इस तरह के अपराधों की रोकथाम हेतु नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

जनपद सीतापुर में वादी मोहम्मद आमीन पुत्र आशिक अली निवासी सिपाह, थाना खैराबाद, जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 5-12-2010 को समय 17.30 बजे रिजवान पुत्र रशीद निवासी बिठौली थाना मानपुर व रशीद पुत्र अजमुद्दीन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना मानपुर सीतापुर पर मु0अ0सं0-1308/10 धारा-420/504/506 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री मोहनलाल द्वारा सम्पादित की गई। विवेचना के दौरान नामित रिजवान को दिनांक 8-12-2010 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं नामित अभियुक्त रशीद की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचना से अभियुक्त रिजवान पर जुर्म धारा-420/504/506 भा0द0वि0 प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अभिसूचना इकाई को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों की सक्रियता की जानकारी संज्ञान में आने पर समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिये यह ऐसा जवाब है जो सदन की प्रापर्टी होना चाहिए और हो सकता है कि दूसरे सदस्य भी इस पर बात करें हलांकि बहुत लम्बा जवाब है इसमें कोई दो राय नहीं।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा प्रश्नोत्तर पढ़ने के मध्य)

अब इसके बारे में अगर हम बतायेंगे कि कौन साहब इस रैकेट को चलाते हैं तो सदन शायद यकीन ही नहीं करेगा। नहीं, नहीं बता सकता क्योंकि सुबूत नहीं है कोई हमारे पास इसके।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अधिष्ठाता जी, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विदेशों में विशेषकर खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले प्रकाश मे आने की बात कही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत दृष्टान्तपूर्वक जवाब सदन में पढ़ा, सदन को अवगत कराया, उससे मैं सहमत हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मात्र इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी वारदातों को रोकने के लिये कड़े दंड लागू करने का प्रावधान करेगी, यह बहुत गंभीर विषय है और लाखों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, लोग गुमराह करके विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं और लाखों रुपया उनसे वसूला जा रहा है, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है संसदीय कार्य मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि क्या कड़ा दण्ड लागू करने का प्राविधान सरकार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत गम्भीर बात है और इसकी सारी वजह बेरोजगारी है। जो लोग बाहर जाते हैं वतन छोड़कर, अपना घर अपना परिवार छोड़कर वह जाहिर है कि बहुत मजबूर होते हैं। उनकी मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं और इस तरह के काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल सफेद कालर वाले हैं उनके संरक्षण में इस तरह के गैंग चल रहे हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे अपने रामपुर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है पकड़ा भी गया लेकिन जो असल उसका मुजरिम है उसके बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका है और वह बहुत बड़े परिवार से है वह राजनैतिक व्यक्ति भी है वह ताकतवर भी है उसका बड़ा लम्बा इतिहास भी है तो ऐसे लोगों तक हाथ पहुंचे इसकी कोशिश की जा रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो घटनाएं भारतवर्ष में संज्ञान में आ गईं जिन पर एफ0आई0आर0 लिख दिया गया उनकी जांच तो हो गई अक्सर यह सुनने में आता है बहुत से लोग यहां से विदेश ले जाए जाते हैं और जो सेवा शर्तें उन्हें बताई जाती हैं वहां पहुंचने के बाद वह सेवा शर्तें बदल जाती हैं उनके पासपोर्ट उनसे ले लिए जाते हैं और बहुधा यह भी सुनने में आता है कि उनका अपना जीवन एक गुलाम जैसा जीवन हो जाता है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वह सब कोई शौक से नहीं जाना चाहता है कोई न कोई मजबूरी से ही जाता है उसकी मजबूरी का वहां शोषण होता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि जो नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हैं उनका रिकार्ड मेन्टेन किया जाय उनसे कोई कांटेक्ट बनाए रखा जाय उनसे रूबरू किसी पत्र या सिस्टम के माध्यम से हुआ जाय जिससे हम उनकी पीड़ा को उन परिस्थितियों में जहां वह कह नहीं पाते हैं हम तक उनकी बातें पहुंच सकें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह दो प्रश्न हैं इसमें एक तो जिस मोड पर जिस काम के लिए उन्हें ले जाते हैं वह काम उनसे नहीं कराया जाता है इस तरह से अलग-अलग देशों की अलग-अलग शिकायतें हैं मिसाल के तौर पर स्टेट्स जो लोग जाते हैं वहां इस तरह की शिकायतें कम हैं। पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग बुलाते हैं जिन टर्म कंडीशन्स पर जाते हैं आम तौर पर यह माना जाता है कि वह टर्म कंडीशन लागू होती हैं। फिर वहां पर फर्जी लोग कम जा पाते हैं इस वजह से कि उनकी अपनी भी जो चेकिंग है वह बहुत सख्त है उसमें इस तरह के लोगों की पकड़, जाने से पहले ही हो जाती है। ऐसे देशों से वीजा भी आसानी से निकलवाया नहीं जा सकता ज्यादातर यह शिकायत खाड़ी के देशों में है गल्फ कंट्रीज में है। जहां लोग जाते हैं और पढ़े-लिखे लोग जाते हैं इंजीनियर लोग जाते हैं उनसे सीमेंट के बोरे उठवाए जाते हैं। अब क्योंकि पता तो देते नहीं हैं जाने का, छुपे चोरी जाते हैं तो कोई रिकार्ड नहीं होता है उसका और सजा के बारे में हम तय नहीं कर सकते वह हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हां जहां इस तरह की शिकायत मिलती है पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा इसी तरह का आश्वासन दिया था और अब भी कि कहीं भी इस तरह की शिकायत हो तो कोई रियायत का सवाल ही नहीं उठता किसी तरह की और नजर रखने की जरूरत है।

श्री हुकुम सिंह-

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई रिकार्ड नहीं होता और सबसे परेशानी का कारण भी यही है कि रिकार्ड नहीं होता कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन यह तो माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि जो जाते हैं उनके पास पासपोर्ट भी होता है वीजा भी बनता है क्या यह संभव है कि जिस थाना क्षेत्र से वह जाते हैं उस थाना क्षेत्र में पासपोर्ट होल्डर्स के रिकार्ड हैं वीजा के भी लगभग रिकार्ड होते ही हैं उनकी एक सूची बन जाए सूची बनने के बाद यह आसान हो जाएगा आपके लिए जानकारी करना भी और जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है क्योंकि अगर सूची हो जाएगी जानकारी हो जाएगी तो जो ले जाने वाले लोग हैं वह हजारों की तादात में नहीं हैं वह कम तादात में हैं और कम तादात में हैं तो पिछले पांच साल में, दस साल में, एक साल में, दो साल में जो लोग इस काम में लिप्त रहे हैं उनको भी सूचीबद्ध होना चाहिए सूचीबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से इस पर प्रतिबन्ध लगेगा। मेरा अनुरोध है और यह प्रश्न भी मेरा है कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो लोग पिछले कुछ समय से इस अपराध में लिप्त हैं और बेगुनाह गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, मान्यवर, वह लोग मकान जमीन बेच करके जाते हैं। ये लोग उनसे पैसा ठग लेते हैं और उनका कुछ होता नहीं है, उसके बाद वहां उनके साथ जो व्यवहार होता है उसके बारे में माननीय अग्रवाल साहब ने बताया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि उनका शोषण न हो, क्या ऐसे लोगों को आप सूचीबद्ध करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जहां तक नियमों का ताल्लुक है तो भारत सरकार का श्रम विभाग इसमें काफी मदद करता है और सुझाव भी देता रहता है। अक्सर हम टेलीविजन पर भी विज्ञापन देखते रहते हैं मान्यवर, उसमें रोका जाता है ऐसे लोगों को कि वह इस तरह से न जाएं जो नियम हैं उनके अनुसार ही जाएं। लेकिन जरूरतमंद यह नहीं देखता, यदि जरूरतमंद को समझाइये तो वह आपको अपना दुश्मन समझता है। वह छुपकर जाते हैं लेकिन इस पर मैं मशवरा करूंगा, हालांकि किसका पासपोर्ट है इसकी लिस्ट तो आमतौर पर रहनी चाहिए और मैं समझता हूं कि रहती होगी। लेकिन अगर लिस्ट रखने से कोई फर्क पड़ता है तो इसे करने में कोई दुश्वारी तो है नहीं। लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी यह जो जाने वाले लोग हैं, यह तो छिपकर जाते हैं किसी को नहीं बताते और इन्तहां तो यह है कि यह लोग अपने घर वालों को नहीं बताते। कब चला गया, जाने के बाद पत्नी को मालूम होता है कि चला गया क्योंकि वह जाने नहीं देना चाहती, वह कहती है कि नहीं सूखी रोटी खा लेंगे, मत जा। तो घर वालों तक को नहीं पता होता, जाने के बाद जब वहां अहकामा और पासपोर्ट वगैरह सब ले लेते हैं तो फिर घर से रोते हुए फोन आते हैं और वह लोग वापस आसानी से नहीं करते हैं। तो मान्यवर, जो भी इसमें मानवीय आधार हो सकता है, कानून जितनी मदद कर सकता है उसकी तो हम कोशिश करते ही हैं लेकिन मानवीय आधार पर जो भी मदद हो सकती है उसमें कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खासकर कुशीनगर जनपद में और तमकुहीराज में काफी संख्या में लोग ट्रेवेल्स के नाम पर एजेंसी बना रखे हैं और उनके खिलाफ कई शिकायतें थाने में दी जा चुकी हैं और

सर्किल ऑफीसर एवं कप्तान साहब को भी दी जा चुकी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रमुख सचिव जी से मिल करके तीन-चार ट्रैवेल्स के बारे में जानकारियां दीं और करीब तीस लोग जो गौरी जगदीश में, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं जिनको फर्जी वीजा दे करके विदेश जाने के झांसे में डालकर कई लाख रुपए उनसे ले लिये गये और अब तक उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। खास करके हमारे तमकुही क्षेत्र में इस तरह की भरमार है जगह-जगह, चाराहे-चौराहे पर ट्रैवेल्स की दुकानें लोग खोल रखे हैं वह लोगों को फर्जी वीजा देते हैं और उनके लोग यहीं लखनऊ में फर्जी आफिस भी खोल रखे हैं और आयेदिन उनके साथ इस तरह की फोर्जरी करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी सूचना मैंने प्रमुख सचिव, गृह विभाग को दी है सूचीबद्ध करके, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न उनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस तरह के फर्जी ट्रैवेल्स जो चलाते हैं क्या उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने अब तक जो हमारे यहां तरयां थाने में बीस लोगों ने दिया है उसमें खास करके जो अधिकारी हैं वह कहते हैं कि कोर्ट से 156(3) में ले आइये तब मैं मुकदमा करूंगा नहीं तो मैं ऐसे मुकदमा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा और जो लोग इस तरह का मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 156(3) में तो कोई साहब जा सकते हैं और 156(3) तो आपका एक ऐसा अधिकार है जिसे आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन इस सिलेसिले में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम की परिधि में जो आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमें दर्ज होते हैं। लेकिन जिनके बारे में आपने सूचना दी है वह रिकार्ड में आ गये हैं, इन्हें अलग से दिखवा लिया जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी एक प्रकरण सदन के संज्ञान में आया है। कोई नई बात नहीं है बहुत से लोग इस प्रकार के धन्धे में लगे हुए हैं और वह लोगों के साथ, समाज के साथ इस प्रकार का घृणित कार्य भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं सफेदपोश, जो व्हाइट कॉलर वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, पद वाले हैं, पैसे वाले हैं और वह अपने पैसे की भूख मिटाने के चक्कर में इस प्रकार के कार्य में लिप्त हैं। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि ऐसे लोग या तो एक व्यक्ति हों या एक से अधिक व्यक्ति हों, सरकार के संज्ञान में है कि ये कौन से लोग हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जब ऐसे लोगों को चिन्हित कर चुकी है तो ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए और उनको कठोर दण्ड देने के लिए क्या कोई प्रभावी कार्रवाई करने पर विचार करेगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन सरकार देना चाहेगी ?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे ? वैसे तो जवाब आपका आ गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत सी चीजें बगैर सबूत की होती हैं लेकिन होती हैं। कोशिश में हैं सबूत मिल जायेंगे।

प्रदेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की प्रस्तावित योजनाएं

*03-श्री सतीश महाना-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित हैं ? क्या उक्त योजनाओं का लाभ नगरीय क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में निम्न 05 नई योजनाएं संचालित की गयी हैं :-

(1) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा योजना।

(2) शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में ''आसरा योजना'' में आवासों का निर्माण।

(3) शहरी क्षेत्र की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में ''सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना''।

(4) लघु व्यापार केन्द्र (एम0बी0सी0) की स्थापना।

(5) प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

जी हां।

(1) उक्त नई योजनाओं से सम्बन्धित दिशा-निर्देश माह जनवरी, 2013 में निर्गत किये जा चुके हैं उक्त नई योजनाओं में रिक्शा योजना का ट्रायल कार्य का शुभारम्भ किया जा चुका है। विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त मोटरराइज्ड रिक्शा का परीक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शीघ्र ही मेहनतकश निजी स्वामित्व के पंजीकृत रिक्शा चालकों को उनकी रिक्शा लेकर मोटराइज्ड रिक्शा उपलब्ध कराकर मालिकाना हक दिया जायेगा।

(2) आसरा आवासीय योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीबों को निःशुल्क आवास मुहैय्या कराये जाने की योजना प्रारम्भ हो गयी है। प्रदेश के सभी जनपदों से आवासीय योजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उन पर धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) अल्पसंख्यक एवं मलिन बस्तियों में ''सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण तथा उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों से आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। जिस पर धनराशि स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत अत्यन्त कमजोर तबके के लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने तथा लघु केन्द्र (माइक्रो बिजनेस सेन्टर) की स्थापना रोजगार मुहैय्या कराने के उद्देश्य से की जा रही है ताकि स्थानीय दस्तकारों को रोजगार के साथ उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आम जनता को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के दस जनपदों में लघु व्यापार केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) प्रदेश स्तर पर नगरीय क्षेत्रों में सेवायोजित कार्मिकों की क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए स्थल एवं भूमि का चयन कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

(माननीय अधिष्ठाता द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने और मा0 सदस्य श्री सतीश महाना के अनुपस्थित होने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, इस प्रश्न में मेरी रुचि है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

अभी समय है इसलिए तारांकित प्रश्न संख्या-3 को ले लेते हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा उत्तर पढ़े जाने के दौरान)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी अगर आपकी अनुमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पढ़ा मानते हुए सवाल खड़ा करना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक अच्छा जवाब है। मैंने पहले भी प्रश्न का जवाब इसीलिये पढ़ा था जिससे सदन के सदस्यों को कम से कम सरकार के जवाब की सूचना हो जाय।

इसमें जो उत्तर में सी0सी0 रोड लिखा हुआ है तो अब सी0सी0 रोड खत्म कर दिया गया है। केवल इंटरलॉकिंग कर रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं लेकिन इनकी जो कार्यदायी संस्था है वह डूडा है। डूडा एक ऐसी संस्था है जिस पर यदि माननीय मंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो निचले धरातल पर कोई लोकतांत्रिक न तो नियंत्रण है न परीक्षण है। वैसे भी जो संविधान का 74वां संशोधन हुआ है उसमें नगरीय गरीबी उन्मूलन मूलतः नगर निगम के क्षेत्र की आवश्यक कार्यवाही से जुड़े हैं, संशोधित किया गया है और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है। मान्यवर, मेरे सिर्फ दो छोटे से प्रश्न हैं, पहला यह कि क्या सरकार डूडा की गतिविधियों को नगर निगम के अन्तर्गत लाने पर विचार करेगी

जैसी कि संवैधानिक व्यवस्था है और मान्यवर, दूसरा यह कि जब तक यह संभव नहीं होता है कि वह नगर निगम के संचालन में आ सके तो तब तक के लिए सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के विधायक को इन गतिविधियों की सूचना दी जाए ताकि उन्हें मालूम तो हो कि उनके क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य कराये जा रहे हैं ? कम से कम वह सुनिश्चित कर सकें कि जिन कार्यों को माननीय मंत्री जी यहां से सेक्शन करके भेजते हैं जमीनी धरातल पर वह सही तरीके से लागू हो सकें, इसके लिए उन्हें भी इसकी सूचना दी जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो पहली समस्या डाक्टर साहब ने रखी है उसके बारे में मेरा कहना है कि बहुत अच्छी फौज हो और जनरल अच्छा न हो तो लड़ना भी संभव नहीं है, जीतना भी मुश्किल है लेकिन अगर जनरल में थोड़ी सी खूबी हो तो फौज लड़ सकती है। कोशिश इस बात की पिछली सरकार में भी की गई और इस बार भी कर रहे हैं कि सूडा और डूडा दोनों से काम लिया जा सके और कम से कम हमारे स्तर तक कमीशन न आ सके, गुणवत्ता चेक हो और अच्छा काम हो। बेहतर काम भी हुआ है, मैं यह नहीं कहता बिल्कुल बेहतर काम हुआ लेकिन बेहतर काम हुआ और पहली बार हमने सी0सी0 रोड के कंस्ट्रक्शन को खत्म करके इंटरलॉकिंग शुरू की। यह भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जब इंटरलॉकिंग के लिए आदेश हुए तो लगभग एक साल तक हमारे सरकारी अमले ने और ठेकेदारों ने काम करने से इन्कार कर दिया। वजह यह है कि सी0सी0 रोड में जैसा कि मैंने कहा है कि सड़क का लेबिल बहुत ऊंचा हो जाता है, नीचे रोड़ी कूटी जाए, बेस बने, उसके बाद चार इंच या छः इंच सी0सी0 डाली जाए और वह साल छः महीने में और कभी-कभी तो एक तरफ से सड़क बनती जाती है और सड़क मुकम्मल नहीं हो पाती कि पीछे से सड़क उखड़ जाती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंटरलाकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था ताकि अगर इंटरलॉकिंग खराब हो तो उसे उखाड़कर दूसरी इंटरलॉकिंग लगाई जा सके। सड़कें ऊंची हो गईं और गरीबों की जो मलिन बस्तियां थीं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह 10 फिट पर जाकर अपनी छत डाल लेते। अब जब दो फिट सड़क ऊंची हो गई और 8 फिट पर उसकी छतें हैं तो उसका सहन दो फिट नीचे हो गया और बारिश का सारा पानी गरीब के घर में चला गया। लिहाजा जब इंटरलॉकिंग की शुरूआत करनी चाही तो सभी के लिए बचत के दरवाजे छोटे हो गये थे तो बहुत उसका विरोध हुआ और तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। उसमें यही आराम रहता है कि जहां इंटरलॉकिंग खराब हो जाए, टूट जाए, बैठ जाए तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है और उसका लेबिल ऊंचा नहीं होगा। यह जो अब मसलन पिछले दिनों मान्यवर, गत सरकार में डूडा से, सूडा से शौचालय बनाये गये, 40 प्रतिशत शौचालय बने और 60 प्रतिशत शौचालय नहीं बने और एक बड़ी नामवर संस्था है, बड़ा भला सा उसका नाम है जो शौचालय बनाती है और रखवाली करती है उसका नाम है ''शुलभ''। जो हाथ आ गये उन्हें जेल भी भेजा, अब उसमें छोटे लोग तो पकड़ में आ गये। छोटे लोग तो पकड़ में आ गये लेकिन जो डायरेक्टर साहब थे जो पूरा ही हजम कर गये थे, वह अभी तक पकड़ में नहीं आये हैं, उनका वारण्ट भी है और उनकी रिपोर्ट भी है। वह जेल नहीं गये हैं ठीक उस तरह, जिस तरह गाजियाबाद में नगर आयुक्त साहब ने 22-23 जायदादों को रिटायरमेण्ट के आखिरी दिन लीज पर दे दिया। कल सारा दिन

एक टेलीविजन चैनल पर हम पर लानत-मलामत होती रही, हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता लीज पर जमीन दी गयी थी अपट्रान ने उस जमीन को बेच दिया। हम इससे अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों से पूछा है, हमारे नगर आयुक्त को क्यों नहीं मालूम हुआ ? टेलीविजन चैनल सारे रिकार्ड हमारी फाइलों से निकालकर ले गया, फोटो कापीज ले गया। चैनल को मालूम है, हमारे अधिकारी को क्यों नहीं मालूम है ? अधिकारी का नाम टेलीविजन पर नहीं आया, हमारा नाम आया। तो सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सख्ती कर रहे हैं लेकिन बार-बार यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि किसका कारनामा है तो जितने शौचालय बने उसमें 60 प्रतिशत बने ही नहीं और सारा पैसा निकाल लिया गया। गुनाहगारों को हम उतनी सजा भी नहीं दे सके। मजबूरी यह है कि फिर उसी सुलभ वालों को आगे भी काम देना है। अब क्या करें चौकीदारी चोर से ही करानी पड़ रही है। कुछ ऐसी तकनीकी मजबूरियां हैं जिनके तहत सरकार उन लोगों से काम लेने के लिए मजबूर हो जाती है जो दागी हैं। तलाश ऐसे लोगों की जारी है आगे भी रहेगी। आखिरी बात आपकी कि डूडा से किये जाने वाले कामों की सूचना माननीय विधायकों को होनी चाहिए, बहुत वाजिब बात है इसकी कोशिश करेंगे कि ऐसा हो सके।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, जमीन बच सकती है अपट्रान की लीज डीड अभी नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप समझ रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है और मैं इसे आसानी से होने दूंगा ?

प्रदेश में बच्चों के खिलाफ हिंसा में कमी लाने के विरुद्ध कार्यवाही

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011 में विगत वर्ष की अपेक्षा बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा 16.6 प्रतिशत दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका संज्ञान लेने व हिंसा में कमी लाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2010 में 2327 एवं वर्ष 2011 में 5496 अपराध पंजीकृत किये गये हैं।

बच्चों से सम्बन्धित अपराधों में रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय में महिला सहायता प्रकोष्ठ मुख्यालय स्थापित किया गया है। प्रदेश के जनपदों को 05 जोन में विभक्त कर इनका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थानों की स्थापना की गयी। प्रदेश के थानों पर गठित स्पेशल पुलिस यूनिट के नामित जुवेनाइल आफिसर जो उप निरीक्षक स्तर के हैं, की नियुक्ति की गयी, जिनके द्वारा बाल यौन हिंसा की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इन अपराधों में पूर्णतः नियंत्रण के उद्देश्य से प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। जो वर्तमान में क्रियाशील हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश सरकार

द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1090 की शुरूआत की गयी है। बच्चों के साथ घटित अपराधों से सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में अभियुक्तों को दण्डित किये जाने हेतु सक्रिय पैरवी की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर प्रदेश के समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है मेरे विषय में पता नहीं वह आफ दि रिकार्ड या ऑन दि रिकार्ड है। लेकिन मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी मुराद सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा है और वह जनता की कृपा से पूरी होती चली आ रही है। अब जहां तक प्रश्न का सवाल है। मैंने जो प्रश्न किया था और उसका जो उत्तर आया उससे स्पष्ट है कि यह जो बच्चों के खिलाफ हिंसा है उसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। 2010 में 2327 अपराध पंजीकृत किये गये थे, वह 2011 में 5496 हो गये, दोगुनी से अधिक। अभी वर्तमान सरकार आयी तो मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा भी नहीं है, अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा और अगर नहीं बतायेंगे तो भी अच्छा है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो बाल हिंसा है इसमें किस-किस प्रकार की हिंसायें हैं जो बाल हिंसा में मानी जाती है और यह जो आपने ब्रेकअप दिया है, अगर इसकी कोई सूची हो कि किस प्रकार की हिंसायें इसके अंतर्गत दर्ज की गयी हैं तो अच्छा रहेगा और आपने जो अपने शासन में एक उपलब्धि बताई हेल्प लाइन 1090 की शुरूआत की गई है यानि आपने भी माना कि पिछली सरकारों के जो प्रयास रहे वह अपर्याप्त रहे और उससे हिंसा में कमी नहीं आ रही है। तो आप यह बतायेंगे एक तो मैंने अनुपूरक किया छोटा सा कि इसका आप ब्रेकअप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा यह कि बाल हिंसा के अर्न्तगत किस-किस प्रकार के अपराध आते हैं। दूसरा यह जो सारा प्रयास प्रभावी है इसके चलते भी बाल हिंसा में कोई कमी नहीं आ रही है तो क्या आप यह मानते हैं कि सारा प्रभावी कार्यवाही प्रकियाधीन रहने के बावजूद भी कमी न आने से क्या यह हेल्प लाइन 1090 इसमें कोई कमी ला पायेगी ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह एक कोशिश है, देखिये यही तरीके हैं, आप कोई सुझाव दें और वह सुझाव अमल में आयें, उससे कोई फर्क पड़े उससे भी लाभ लेंगे। हेल्प लाइन इसीलिये है कि बहुत से ऐसे अपराध बच्चों के मारपीट के, दूसरे किस्म के जिनके बारे में यहां नहीं कहा जा सकता। जो उम्र से छोटे बच्चे हैं उनसे वह काम लिया जाना जिस काम को करने को कानून या बाल श्रम हमारा प्रतिबन्धित करता है, वह काम लिया जाना, टार्चरिंग करना, ह्यूमिलिएट करना, उनको बन्द रखना, उन्हें मिलने न देना परिवार से। बहुत से इस तरह के अपराध हैं और उनकी रोकथाम के लिये कानून है। हमारी तरफ से भी कोशिश है और हेल्प लाइन इसीलिये है। अब अपराधों की संख्या बताने से कोई अपराध घट नहीं जाता लेकिन मेरे पास उसकी पूरी 2010 का आंकड़ा है, हत्या का 346 और 2011 में 326, शिशु हत्या 2010 में 31 और 2011 में 13 यह कोई मानक नहीं है हमारी नजर में कि कल अपराध ज्यादा हुए, आज कुछ कम हो गये। लेकिन यह अपराध जारी हैं, इन पर रोक होनी चाहिए।

बड़ी अजीब सी बात है यह मान्यवर, अभी खुद हमारे यहां एक अजीब वाकया हुआ। खबर छपी अखबार में कि दो नाबालिगों का अपहरण हो गया। एक गाड़ी आई उसमें पांच लोग थे, पांच थे तीन थे यह ठीक से याद नहीं और दो लोगों को जिसमें एक 9 से 11 साल की बच्ची और एक 15 से 16 साल का लड़का। बच्ची दलित वर्ग की थी और लड़का सवर्ण वर्ग का। इनका अपहरण हो गया। मैंने बहुत सख्ती की कि मुझे एकदम मालूमात होना चाहिए कि कैसे अपहरण हो गया और वह भी हमारे यहां। मालूम हुआ कि अपहरण नहीं हुआ दिल्ली के एक होटल में दोनों हैं । बच्ची को घर वाले बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते थे लिहाजा उसने कहीं सहारा तलाश किया और उसे सहारा मिला और दोनों चले गये अपने दोस्तों से दो ढाई लाख रुपया भी ले गये। 31 हजार या 21 हजार का नया मोबाइल भी खरीदा। तो इस तरफ काफी तरक्की हो गई है और मुझसे जो लेडी एडिशनल एस0पी0 ने कहा वह यह कहा कि मैं आपको उस बच्ची की गुफ्तगू आपको बता नहीं सकता कि उस बच्ची ने मुझसे क्या-क्या कहा। सवाल यह खड़ा हो गया मजिस्ट्रेट के सामने कि इस बच्ची को दिया कहां जाय। मां-बाप को, जो कानून कहता है। उसका कहना था कि मां-बाप को आप देंगे तो न जाने मैं क्या कर लूंगी। तो कभी-कभी समस्या खड़ी हो जाती है। लड़के को तो चलिये जेल भेज दिया लेकिन 9 साल, 10 साल, 11 साल की बच्ची को कहां भेजा जाय और वह किसी तरह तैयार नहीं थी मां-बाप के पास जाने के लिये, यह हालात भी हैं, इसके बारे में भी चौधरी साहब से सुझाव चाहेंगे कि इसका क्या हल करें। तो जहां कानून की कमजोरी हो सकती है। यह कानून पूरी तरह से लागू न हो रहा हो उसमें तो हम तत्परता कर रहे हैं कि कानून लागू हो, सख्ती से लागू हो, जहां कमी हो रही है, उसमें और कड़ाई हो, लेकिन जहां समाज कमजोर हो रहा है, जहां सामाजिक मान्यतायें कमजोर हो रही हैं जहां मां-बाप की अनदेखी हो रही है औलादों की तरफ से या मां-बाप खुद बच्चों के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, वहां क्या करेंगे ? मां-बाप को भी समझाया है, बहुत समझाया है। डराया भी है, कि अब बच्ची को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन आप जहां बहुत इन्वाल्व हों वहां तो कर सकते हैं लेकिन एक ऐसा बड़ा प्रदेश जहां इस तरह की वारदातें हो रही हैं उसे रोकने के लिए एक माहौल बनना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। जहां कमी रह रही है वहां आपके सुझाव लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न संख्या-5 बाद में ले लेंगे।

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के लम्बित मुकदमें तथा पश्चिम उ0 प्र0 में बेंच स्थापना की मांग

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में कुल कितने मुकदमें (अपील रिट सहित) अक्टूबर, 2012 तक लम्बित हैं ? क्या सरकार इनके निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पश्चिमी उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

2,63,697 (दो लाख तिरसठ हजार छः सौ सत्तान्नबे)

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा भारत के प्रधान मंत्री जी से दिनांक 7-11-1994 एवं दिनांक 5-9-1995 को यह अनुरोध किया गया है कि वह जिस स्थान पर उपयुक्त समझें मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के विषय में निर्णय लेकर राज्य सरकार को अवगत करायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में पहली लाइन है 2 लाख 63 हजार 697, मान्यवर, इतनी रिट, अपील मा0 उच्च न्यायालय में पेंडिंग हैं। क्या इसके शीघ्र निस्तारण के लिये कोई व्यवस्था यहां से की जा रही है या इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा, नम्बर एक सवाल और मान्यवर, नम्बर दो यह कि इस सरकार के घोषणा-पत्र में सस्ता न्याय दिलाने की बात थी। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि वर्तमान में रूहेलखण्ड का न्यायिक क्षेत्राधिकार इलाहाबाद, उच्च न्यायालय है। लखनऊ से होकर लोग, वादकारी जाते हैं जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी ज्यादा होता है तो क्या मा0 मंत्री जी, इस बात का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेन्च न जाये तब तक रूहेलखण्ड का न्यायिक क्षेत्राधिकार इलाहाबाद की बजाय लखनऊ कर दिया जाये। मान्यवर, आपके माध्यम से ये मेरे दो छोटे-छोटे सवाल हैं। मैं जानता हूं कि इस सरकार को यह पावर नहीं है लेकिन अगर सरकार मांग करती है, दबाव बनाती है, प्रस्ताव भेजती है तो यह विषय कहीं न कहीं शुरू होता है। मान्यवर, हम पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं। 1980 में मिसेज गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थीं और तब हम लोग उनसे मिले थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेन्च बना दी जाये और मान्यवर, आज 33 बरस हो गये। यह बेन्च का मसला वहीं का वहीं लटका है। मान्यवर, यह न्यायिक उससे जुड़ा हुआ है और जब तक हमको जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। मान्यवर, तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति के सुधार की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए जल्दी न्याय और सस्ता न्याय मान्यवर, इस सरकार की प्राथमिकता भी है और मान्यवर, मैं उसी के अनुरूप यह सवाल कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने 7 नवम्बर, 1994 को एक चिट्ठी लिखी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और बड़ी तबसीली चिट्ठी है वह। उसके बाद 5 सितम्बर, 1995 को तत्कालीन मोहतरमा मायावती साहिबा ने चिट्ठी लिखी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो यही अधिकार है उत्तर प्रदेश सरकार का। इतना ही अधिकार है और यहां से रेजोल्यूशन पहले हो चुके हैं, सबकी मांग है। हम भी चाहते हैं, हम भी बहुत दूर रहते हैं। हमारे पश्चिम के वे सारे जिले बहुत परेशानी के शिकार हैं। सत्यता आप भी जानते हैं और मैं भी, राजनैतिक कारणों के अलावा भी कुछ कारण हैं। राजनैतिक कारण तो हैं ही, कि कहां बने ? कहां न बने, ये विवाद है।

कौन पार्टी लेगी, कौन सरकार लेगी उसके अलावा भी इलाहाबाद का इतना ज्यादा कब्जा है, उस कब्जे को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है और खुद उनके ही लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, जिलों में, तो इसमें जब तक भारत सरकार ही कोई मजबूत निर्णय न लें, कोई मजबूत फैसला न लें और उन्हें ही इस बात का अहसास न हो कि पश्चिम के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, या इधर आगरा इत्यादि बहुत दूर के जिले पड़ते हैं मान्यवर, और कहते हैं कि सस्ता न्याय मिले लेकिन जब परेशानहाल लोग जा नहीं पाते तो सस्ता तो सस्ता, सस्तापन भी नहीं हो पाता है। यह गंभीर समस्या है, मुख्य मंत्री जी द्वारा आप चाहेंगे तो पुनः एक चिट्ठी जा सकती है और उनसे मांग की जा सकती है।

(डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, डा0 साहब अब जवाब तो पूरा आ गया है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान एक बहुत छोटा प्रांत है, उसमें जयपुर और जोधपुर दो खण्डपीठ हैं। महाराष्ट्र में तीन खण्डपीठ हैं। मद्रास में चेन्नई और मदुरई दो खण्डपीठ हैं। अब इनकी जनसंख्या देख ली जाए और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख ली जाए, बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग यह विषय सदन में लाते रहे हैं, मा0 मंत्री जी ने पश्चिम की बात तो सदन में ला दी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पूर्व में कहीं भी महसूस करती है कि इलाहाबाद के अलावा वहां भी एक खण्डपीठ बननी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो केन्द्र से संबंधित है।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, जवाब दिलवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है, जब मैं जिले बता रहा था, तब मुझे महराजपुर, गोरखपुर, झांसी यह सब भी जेहन में आया था, लेकिन इस तरह की मांग, मेरे ख्याल से इतनी मजबूती से, आप पहली बार उठा रहे हैं, ज्यादातर यही होता रहा है कि पश्चिम के जिले वालों को बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन यह बिल्कुल सही है, कि वे जिले भी शायद उससे भी ज्यादा दूर हैं और तकलीफदेह इसलिए है, क्योंकि पश्चिम से ट्रेन मिल जाती है, लेकिन इधर तो ट्रेन का सफर भी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

(श्री प्रमोद तिवारी जी के खड़े होने पर) आप के यहां तो है ही आप क्या सवाल करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत सकारात्मक रुख रहा सरकार का, इसके लिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 1994 में मा0 मुलायम सिंह ने पत्र लिखा, वह तबसील से लिखा, मोहतरमा मायावती जी ने जब 1995 में लिखा, वह तबसील से था या नहीं यह पता नहीं, क्योंकि पहले वाला तबसील से बताया, दूसरे वाले का जिक्र आपने नहीं किया, सिर्फ यह कहा कि लिखा। मान्यवर, इसमें अगर सरकार गंभीर हो, उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीर हो, तो खण्डपीठ की स्थापना हो सकती है, विवेक आपका है कि पश्चिम में आप कहां करवाना चाहेंगे, लेकिन जो दिक्कत वहां की है, पत्र लिखना एक औपचारिकता है। प्रधानमंत्री को पत्र तो आपने आरक्षण के मामले में भी लिखे, इन्होंने भी लिखे। इस

मामले में आप दोनों एक मत है, पत्र लिखने के मामले में, लेकिन स्थापना करने में जितनी गंभीरता प्रदेश सरकार को दिखानी चाहिए थी, उतनी गंभीरता दिखायी नहीं गई। क्या मा0 मुख्य मंत्री जी दोबारा इस बात से सहमत होते हैं कि जो सहमति आपने दर्शायी है कि कठिनाई है, आवश्यकता है, दूसरे राज्यों में भी स्थापना हो खण्डपीठ की। इस बात की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आप उन्हें एक प्रस्ताव भेजेंगे केन्द्र सरकार को भी और मा0 उच्च न्यायालय को भी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना कर दी जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता सदन का मत उनकी चिट्ठी दो बार जा चुकी हैं। नेता सदन, जाहिर है कि पूरे सदन के नेता हैं उनकी चिट्ठी फिर जा सकती है। लेकिन यह पूरा अख्तियार भारत सरकार का है कि वह खण्ड-पीठ बनायें। पहले यह निर्णय हो कि खण्ड पीठ बनाने के लिए केन्द्र तैयार हैं। अगर वह तैयार हैं तो कहां स्थापित होनी है। वह राज्य सरकार पर क्यों छोड़ें ? राज्य सरकार इसमें कहां आती है। यह बता देंगे कि भारत सरकार उस खण्ड पीठ को बनाना चाहती है, तो वहां बन जायेगी। केवल राज्य सरकार के गले में घण्टी डाल दी जाय, इस बात की तो यह उपयुक्त नहीं होगा। यह हमारे अधिकार में नहीं है। किसी जगह का सुझाव है तो वह बतायेंगे। अगर हम सुझाव देंगे तो हो सकता है वह उससे इत्तिफाक न करें, फिर दूसरा सुझाव दें, उससे भी वह इत्तिफाक न करें। तो 2014 तक आप जानते हैं कि परेशानी है ही।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप देखें कि 2,63,000 से ज्यादा मामलें लम्बित हैं। अब यह दायित्व सरकार का है कि जो रिक्तियां हैं उसको भरवाने के लिए अनुरोध करें। मान्यवर, अभी भारत के प्रधान न्यायाधीश जी का बयान अखबारों में छपा है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की संख्या 80 से कुछ ज्यादा है, जबकि रिक्तियां 160 जजों की हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि नियुक्ति करने का अधिकार न राज्य सरकार को है और न केन्द्र सरकार को है वह एक कोलेजियम बन गया है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार हो गया है। मान्यवर, एक तफ्सील भरा पत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीया मायावती जी ने भेजा था। वैसा ही एक पत्र माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे सम्मानित मुख्य मंत्री जी हैं वह भेज दें ताकि जो रिक्तियां पड़ी हुई हैं न्यायाधीश के पद रिक्त है, उनकी नियुक्ति शीघ्र हो जाय, और जिससे कि यथासम्भव शीघ्र उन लम्बित मुकदमों की सुनवाई पर तारीख लिख जाय। यह मेरा मासूम सा प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस सादगी पर कौन न मर जाय या खुदा, लड़ते हैं पर हाथ में तलवार भी नहीं है। मान्यवर, इसे देखकर कि अगर नियमों में पत्र इस तरह का भेजा जा सकता हो, अगर कोई अवमानना न हो, तो इस पर विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग का गठन हुआ था उसने रिपोर्ट दी है। मान्यवर, उस रिपोर्ट का अनुपालन हो यह पत्र तो केन्द्र सरकार को लिखा जा सकता है यहां से। क्या सरकार इस सन्दर्भ में पत्र वहां भेजने को तैयार है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, जो पत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्य-मंत्रित्व काल में लिखा था उसमें यही था कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाय, यह मांग की थी उन्होंने।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खुली भी हैं देश में उन्होंने यह राय दी थी कि इस प्रदेश में आगरा में इसकी एक खण्डपीठ खोली जानी चाहिए। मान्यवर, प्रदेश में जगह को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरे देश में उस पर कार्यवाही हो चुकी है केवल आगरा में नहीं हुई है। मान्यवर, देश की स्वतंत्रता से पहले आगरा में उच्च न्यायालय स्थापित था। तो आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में क्या राज्य सरकार जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति के आधार पर केन्द्र सरकार को लिखेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो दिल्ली की सरकार का मामला है।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, कोई विवाद नहीं है, दो ताजमहल हो जायेंगे आगरा में। आपके यहां हाईकोर्ट था और हमारे यहां भी हाईकोर्ट था, यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त है कि हम गुलामों के यहां भी हाईकोर्ट था और हमारे यहां एक जज अंगूठा टेक थे। यह गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। रियासत रामपुर की अपनी हाईकोर्ट थी और हमारा एक जज बिल्कुल जाहिल था जो अंगूठा लगाता था फैसले पर तो ऐसी हाईकोर्ट तो नहीं चाहेंगे आप ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर रुचि दिखाई गयी हैं ।

(डा0 धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर)

अब जवाब आ गया। जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है और आप सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रहे हैं। इन्होंने बनाने के लिए पहले उत्तर दे दिया कि उसी परिपेक्ष्य में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जा चुकी है तो अब बार-बार सवाल का क्या औचित्य है ?

श्री धर्म पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत सरकार को यह पत्र लिखेगी कि जो भी खर्च उस पर आयेगा जो भी जगह स्थान तय कर दे भारत सरकार वहां पर तुरन्त न्यायालय खोलने पर विचार करेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

छोड़िये, यह सवाल नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर रुचि जाहिर की थी।

प्रदेश के महानगरों में रिक्शा चालकों हेतु स्टैण्ड अथवा शेड बनवाये जाने की मांग

*06-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के नगरों, महानगरों में रिक्शा चालकों हेतु रिक्शा स्टैण्ड अथवा रिक्शा चालक शेड बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नागर निकाय स्वायत्तशासी संस्था होती है तथा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार निकाय द्वारा स्वयं कार्यवाही की जाती है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह गरीबों से जुड़ा प्रश्न है अभी जब बजट आया था तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि रिक्शाचालकों की समस्या को सर्वप्रथम लोक सभा में लोहिया जी ने उठाया था उन्होंने यह महसूस भी किया था कि रिक्शा चलाने के लिए जो लोग नगरों महानगरों में आते हैं उनके रहने के लिए, क्योंकि उनका कोई जान-पहचान का, कोई परिचित नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने उत्तर दिया है कि-जी नहीं, यह ऐसे नहीं हो सकता है, इस पर पुनर्विचार कर लें मैं दो अनुपूरक आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि नगर निकाय द्वारा यदि शासन को प्रस्ताव भेजा जाए कि जमीन उपलब्ध है और उन रिक्शा चालकों के रहने के लिए, स्नानागार शौचालय युक्त, सेट बनाने की व्यवस्था नगर निकाय कर सकता है तो क्या सरकार उस पर धनराशि की व्यवस्था करेगी ? दूसरा अनुपूरक मेरा है, कि अभी सरकार ने बैटरीचालित रिक्शा बांटे हैं और ऐसे रिक्शों को रखने के लिए, बरसात आदि मौसम में रिक्शा रखने के लिए कोई व्यवस्था की है। क्योंकि रिक्शाचालक सड़कों के किनारे खानाबदोशों की तरह पड़े रहते हैं तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बैटरी चालित जो रिक्शा बांटे जा रहे हैं ऐसे रिक्शों को बरसात आदि से बचाने हेतु रिक्शा चालकों को कोई सुरक्षित जगह रिक्शा खड़े करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान एलाट किए जायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न है जवाब बहुत मुख्तसर गया है, इसमें कोई बहुत कड़ा नियम नहीं है। अगर नगर निकाय चाहे अपने यहां रेजोलूशन करें और रिवाल्विंग फंड भी एक होता है उसमें बनाना चाहें तो कोई पाबन्दी नहीं है। दूसरा डूडा द्वारा स्टैन्ड बनाए जाते हैं सुझाव अच्छा है इस पर विचार कर लेते हैं और विधायक निधि से भी बनाए जाते हैं उसमें भी अगर हम आगे बढ़ें और एक-एक, दो-दो रिक्शा स्टैन्ड बनाएं तो अच्छी खासी समस्या हल हो सकती है। हम तो कहते हैं कि हमारा शहर आकर देखें मॉडल है, आप देखें कितने रिक्शा स्टैन्ड हमने विधायक निधि से बनवाए हैं और वह रिक्शा स्टैन्ड ही हैं वहां रिक्शा ही खड़े होते हैं। कितने सुन्दर हैं, कितने साफ सुथरे हैं। अगली बात जो हमारे जहन में नहीं था। बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सवाल भी है कि जिन लोगों को हम रिक्शे देंगे, जाहिर है, वह खोलियों में, फुटपाथ कि किनारे या सकरे मुहल्लों में जहां

गलियां इतनी तंग हैं कि आदमी बस गुजर सकता है, वहां वह आखिर इतने कीमती रिक्शें कहां खड़े करेंगे, इस पर हम विचार करेंगे, कोई व्यवस्था इसकी करेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने रिक्श स्टैंड की बात कही है। मैंने जो सवाल किया है, उसमें रिक्शा स्टैंड के साथ-साथ शेड से हमारा तात्पर्य है, मान्यवर, हम लोग शहरों में निकलते हैं, वह सड़क के किनारे कहीं ईंट रखकर खाना पका रहे हैं, हम लोग जब लखनऊ में पढ़ाई करते थे, कई बार वह लोग आते थे कि नल खोल दीजिए, पानी लेना है तो मेरा शेड से तात्पर्य है कि उनको रात में रहने के लिए शेड बनाने की बात कही है। मैं उस बारे में भी चाहूंगा कि आप प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, रिक्शा स्टैंड से मतलब यह नहीं होता कि बगैर छत का कोई स्टैंड हो। चाहे एसबेस्टस शीट हो, टिन की चादर हो, फाइबर हो, आर0सी0सी0 की छत हो तो रिक्शा स्टैंड का बगैर छत के कोई मतलब ही नहीं है, बारिश है, गर्मी है, जाड़ा है लेकिन हम इस तरह के रिक्शा स्टैंड के पक्ष में हैं जहां सिर्फ रिक्शा खड़ी हो, इसलिए कि रिक्शा वाले को वहां से सवारी लेकर चले जाना है। इसलिए नहीं कि रिक्शा खड़ी करके उनमें सो जायें। यह भी तजुर्बा है कि जब आरामदेय रिक्शा स्टैंड बने और हमने रिक्शा स्टैंड में प्लेटफार्म शेड तीन तरफ बनवा दिए तो उन पर सो गए। तो रिक्शा स्टैंड सोने की जगह नहीं है, वह घर नहीं है, रिक्शों के खड़ा करने का स्टैंड है, जाड़ा है, बरसात है, वहां रिक्शा खड़ी हो ताकि मुसाफिरों को अगर रिक्शा चाहिए तो उन्हें उस स्टैंड से रिक्शा मिल सके तो ऐसी व्यवस्था है और जो कमी होगी उसे और देखेंगे।

प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने की योजना

*07-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून-व्यवस्था) के पर्यवेक्षण में एक साइबर क्राइम सेल की स्थापना कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश में की गई है।

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं विवेचनात्मक कार्य हेतु 02 साइबर क्राइम इकाइयां क्रमशः जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज में तथा जनपद आगरा के थाना रकाबगंज में स्थापित की गई हैं।

उक्त के अतिरिक्त साइबर अपराधों की रोकथाम तथा अन्य उपयोगी जानकारी हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम में विवेचना में समय की बाध्यता है, यदि ज्यादा समय विवेचना में लगेगा तो उसके जो सबूत होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। सरकार द्वारा जवाब आया है कि पूरे प्रदेश में केवल दो जगह, एक लखनऊ में और दूसरा आगरा में साइबर सेल सरकार ने खोली है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और साइबर क्राइम की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मण्डल स्तर पर साइबर सेल की स्थापना करेगी ?

(इस समय 11 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो जगह तो हैं और इस पर विचार कर लेंगे। हम तो चाहते हैं कि आपसे, माननीय सदस्य से शेयर करना चाहूंगा कि कभी-कभी साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं, उसमें ऐसी-ऐसी चीजें मिलती हैं कि अगर लोग समझदारी से काम न लें, बर्दाश्त से काम न लें तो जल कर रह जायेगा। जब मैं प्रश्नों पर अधिकारियों से बातचीत कर रहा था तो मैंने एक ऐसा ही कागज दिखाया जिसे यदि आप अकेले देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा और आप अपनी आंखें बन्द कर लेंगे। बहुत गंभीर मामला है, हम तो ज्यादा जानते नहीं हैं, मोबाइल भी हमें नहीं चलाना आता, नेट वगैरह भी नहीं जानते, जानना चाहिए हमें इण्टरनेट के बारे में, लेकिन मालूम यह हुआ है कि ऐसे साइबर क्राइम जो विदेशों से हो रहे हैं। उनको कण्ट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक हम उस क्राइम को पकड़ते हैं उस वक्त तक तो सब कुछ हो चुकता है। कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो मेरे पास है, धार्मिक अपमान वाली चीज अगर होती है और किसी ने देखा, उसका प्रिन्ट आउट निकाल लिया, इतना मौका कहां है, वह जैसे ही लेकर घर से बाहर निकला तो हो गया सब काम खत्म। अब आप कहां, जब तक आप उनसे सम्पर्क करेंगे, तब तक तो आपकी कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उसमें दरअसल परेशानी आ रही है, जो साइबर क्राइम विदेशों से होते हैं। उसी पर हम कई बार कह चुके हैं कि बहुत आगे चली गई है साइबर टेक्निक, तो कोई ऐसा रास्ता निकालिये कि अगर वहां से कोई क्राइम हो रहा हो तो कहीं न कहीं उसकी सूचना हमारे हेड क्वार्टर को मिल जाए, कोई बीप शुरू हो जाए, कोई एलार्म शुरू हो जाए। तो ऐसा कहा है, अब कितना हो सकता है, अब हम चूंकि टेक्नोलाजिकली हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक आइडिया दे सकते हैं, इस पर काफी बहस हुई है। पूरी कोशिश है और हमारे इतने संसाधन हों कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका इन्तजाम कर सकें और मण्डलों पर हो सके इस पर विचार करेंगे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम के बारे में मा0 मंत्री जी ने बताया कि जो विदेशों से जो साइबर क्राइम हो रहे है, वह नहीं पकड़े जा पा रहे हैं। मा0 मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि विदेशों की तो आप बात छोड़िये, जो यहां हो रहे हैं, हजरतगंज पुलिस वही नहीं पकड़ पा रही है। रायबरेली में फर्जी तीन-चार फेसबुक हमारी लोगों ने बना दिया और इसी सरकार के खिलाफ गलत कमेन्ट डाल दिया। मैंने एफ0आई0आर0 किया और तीन-चार महीना बीत गये, हजरतगंज पुलिस ने उसकी जांच किया और यहां तक नहीं पता लगा पाई कि यह चल कहां से रहा है। तो आप विदेशों की बात

छोड़िये, लखनऊ की बगल रायबरेली से जो हो रहा है, जो लखनऊ में हो रहा है, यहां की पुलिस उसी साइबर क्राइम को नहीं पकड़ पा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत बुरी बात है, खासतौर से इसे दिखवायेंगे, बहुत आपत्तिजनक है और बहुत अफसोस की बात है, अगर ऐसी सूचना आपके द्वारा दी गई है और उसमें कुछ नहीं हुआ है, इसे खासतौर से दिखवायेंगे।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, हमारी फेसबुक को तो खत्म कर दिया, लेकिन यह अन्त तक नहीं पता कर पाये कि वह कौन हैं, कोई पोलिटिकल लोग रहे होंगे क्योंकि उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी के खिलाफ हमारी तरफ से कमेन्ट, मा0 शिवपाल भाई के खिलाफ कमेन्ट, मा0 मुलायम सिंह जी के खिलाफ कमेन्ट थे, तो तीन-चार महीने लगे, उस फर्जी फेसबुक को पकड़ने में। जबकि मैं लैपटाप खोल ही नहीं पाता था, उसके बाद फिर मैंने लैपटाप सीखा है, अब मैं चला लेता हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, दो साइबर सेल हैं उत्तर प्रदेश में । मान्यवर, अभी होता क्या है, माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रदेश में क्या व्यवस्था है, कोई किसी भी थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम होगा, जब वह पीड़ित आदमी थाना जायेगा, तो वहां के थानेदार को साइबर क्राइम के बारे में ए,बी,सी,डी, पता नहीं होती, तो वह उस पीड़ित व्यक्ति को साइबर सेल भेजता है। साइबर सेल उसके बारे में जानकारी कर के उसे फिर वापस थाने भेजती है। मेरा सुझाव है और सरकार से प्रश्न भी है कि क्या सरकार ने जो साइबर सेल खोली हैं, मा0 अध्यक्ष जी, अगर इन्हें पुलिस के अधिकार दे दिये जाय, अगर इन साइबर सेलों को थाने में परिवर्तित कर दिया जाय, तो पीड़ित आदमी को काफी न्याय मिले ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस सुझाव पर विचार कर लेंगे और जो भी यथासम्भव होगा, वह करेंगे। हम भी बेहतरी चाहते हैं, कोई इसमें पक्ष-विपक्ष का या जिद का मामला नहीं है, आप भी चाहते हैं कि यह अपराध रुकें और साइबर अपराध तो बहुत ही खतरनाक अपराध है और इसमें जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई, सिर्फ कारोबार करने आये और पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इस तरह साइबर का भी कब्जा होता जा रहा है, हमारी पूरी अर्थ-व्यवस्था पर और हमारे अखलाकी रिश्तों पर, हमारे इन्सानी रिश्तों पर, धार्मिक रिश्तों पर कुठाराघात हो रहा है और बराबर वह यह चाहते हैं कि यहां पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव अनस्टेबिलिटी रहे।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी कुछ वर्षों पहले सभी थानों को ऑनलाइन करने के लिए कम्प्यूटर स्थापित किये थे और उनके रख-रखाव के लिए भी कक्ष बनाये गये थे। अभी हमने कुछ दिन पहले भी यह प्रश्न उठाया था कि सारे थानों के तो नहीं लेकिन लगभग 90 प्रतिशत थानों के कप्यूटर खराब हो चुके हैं और जो उनके रख-रखाव के लिये कक्ष बनाये गये थे। वो भी गोदाम और स्टोर बना दिये गये हैं और उधर हमको साइबर क्राइम

से भी लड़ना है। ऐसी परिस्थितियों में जो पहले हमारा पैसा खर्च हो चुका है और जो हमारे कम्प्यूटर के रूम बने हैं तो क्या हम कम से कम उनको व्यवस्थित करके थानों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सरकारी सूचना तो ये है कि 2000 से ज्यादा कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जा रही है। आपका सवाल दूसरा है और ये सूचना हमारी भी है। जाहिर है हम भी उसी माहौल में रहते हैं जिसमें आप रहते हैं। जो आप देखते हैं वो हम भी देखते हैं। है ये स्थिति है कि कुछ कबाड़खाना हो गये हैं और शुरू-शुरू में तो शौक पूरा किया, बाद में वो शौक मुसीबत बन गया तो इसे दिखवाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-08, श्री सुनील कुमार सिंह, नहीं हैं। प्रश्न संख्या-05, मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-01 और 03 पर भी हम लोगों ने रुचि जाहिर की थी, उसको ले लीजिये फिर 05 पर आइये।

श्री अध्यक्ष-

किस में रुचि जाहिर की थी।

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल-

प्रश्न संख्या-01 और 05।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-05 में तो अभी हैं। आपकी रुचि वाला विद्यमान है, उनका हो जाने दीजिये।

जनपदों में नक्सली गतिविधियों में लिप्त लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना

*08-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों में नक्सली गतिविधियों में लिप्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़े जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

नक्सल प्रभावित जनपदों के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के कल्याण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग की कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस कैम्पों का आयोजन कर जन सामान्य का कुशल चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाओं आदि का वितरण छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने हेतु पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य सामग्रियों एवं आवागमन हेतु साइकिलों का वितरण किया जाता है। खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर खेलकूद सामग्रियों का वितरण युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाकर सिलाई मशीन

नोट :-प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त मा0 सदस्य की रुचि पर प्रश्न संख्या-3 लिया गया, तदुपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

आदि का संचालन कराया जाता है। वयस्क लड़कों को ड्राइविंग लाइसेन्स प्रदान कर एवं उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने की कार्यवाही की जाती है। जन जागरूकता अभियान चलाकर सामान्य जन को जागरूक करने की कार्यवाही करायी जाती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु शासन द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों यथा सड़कों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा कर विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं गति को बनाये रखने हेतु कार्यवाही सम्पादित करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*09-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की आयु सीमा के अनुसार रिटायरमेन्ट की आयु बढ़ाये जाने की मांग

*10-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या रिटायरमेन्ट की आयु सीमा बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 60 वर्ष निर्धारित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी दसवां सवाल ले लीजिए, पहले इसे ले लेते हैं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगी कि चूंकि सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है और उनकी रिटायरमेन्ट की सीमा बढ़ाये जाने पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई विचार नहीं किया जा रहा है, प्रश्न नहीं उठता है। मैं कहना चाहती हूं कि यदि अधिकारियों की, कर्मचारियों की अधिवर्षता नहीं बढ़ायी जाती है तो उनकी क्वालीफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो पायेगी तो अधिवर्षता का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पायेगा जिस प्रकार न्यायाधीशों और शिक्षकों की अधिवर्षता आयु केन्द्र और राज्य सरकार ने पहले से ही उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए 60 और 65 वर्ष कर दी है उसी प्रकार से राज्य के भी अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 2 वर्ष या जैसा भी सरकार उचित समझे बढ़ा सकती है। इससे हमारे जो भी सेवानिवृत्त हो रहे होंगे

अधिकारी या कर्मचारी उनकी क्वालीफाइंग सर्विस भी पूरी हो पायेगी और उनको ग्रेच्युटी का या जो भी उन्हें अन्य सुविधाएं मिलती हैं उसका लाभ मिल पायेगा और यदि सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो यह लाभ नहीं मिल पायेगा इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे यह मैं कहना चाहती हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी तो वही कहना चाहेंगे जो कहा है क्योंकि यही जवाब भी है और यही बाध्यता भी है। बहुत से कारण होते हैं जब उम्र बढ़ाई जाती है सामाजिक दबाव होते हैं, आर्थिक दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं और वह दबाव इसलिए होते हैं कि उस चीज को होना चाहिए। सरकारें जहां-जहां सही समझती हैं वहां उसको मानती हैं और जहां सही नहीं समझती हैं वहां नहीं मानती हैं। मान्यवर, उम्र बढ़ा देने से रिटायरमेन्ट की जो ऐसे नौजवान बेरोजगार जिनको आगे सर्विसेज में लिया जा सकता है उनका अधिकार मारा जाता है। उनका हक मारा जाता है लेकिन एक तकनीकी समस्या है बहुत कम वक्त उनको सर्विस का मिलेगा और कभी ऐसा होता है कि 40 का 41 और ज्वाइन करते करते 42 हो गया तो और भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं इस पर काफी विचार हुआ है लेकिन अभी सरकार इसी निष्कर्ष पर है कि 60 साल से ज्यादा न बढ़ाया जाय।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हैं हमारे बहुत से डाक्टर्स आज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जिससे डाक्टर्स की कमीं पड़ गयी है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे न्यायाधीशों या शिक्षकों के संदर्भ में यह किया गया है चिकित्सा भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नये डाक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऐसी अवस्था में जो हमारे पुराने डाक्टर्स हैं उनके रिटायरमेन्ट की सीमा को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यह एक स्पेशल केस है चिकित्सीय सुविधाएं जो हैं वह चाहिये होती हैं और अगर नये डाक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर जिस मुद्दे की आपने चर्चा की कि नये लोगों के रोजगार की पासिबिलिटीज मारी जाती है वह वाला केस खड़ा नहीं होता है, अगर हमारे नये डाक्टर्स ज्वायन नहीं कर रहे हैं तो क्या पुराने लोगों की रिटायरमेंट सीमा पर क्या सरकार इसको एक विशेष केस मानते हुये, इस पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नये डाक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पुराने डाक्टर्स की आयु सीमा बढ़ा दी जाये, यह एक नियम बन जायेगा और उसका नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। पुराने डाक्टर्स कितने होंगे और अगर इसको हम पद्धति मान लें और यह मान लें कि नये डाक्टर्स ज्वायन नहीं करेंगे, तो इससे तो समाज में बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी। नये-नये मेडिकल कालेजेज खुलें, डाक्टर्स तैयार किये जायें और हर डाक्टर की तैयारी पर एक बड़ा धन सरकार का खर्च हो, यह धन सरकार का नहीं होता है वरन् हमारा आपका होता है। हम अपनी गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से डाक्टर तैयार करते हैं और वह डाक्टर अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरते हैं तो यह एक सामाजिक सवाल भी है तो कोशिश इसकी होना चाहिये कि वह लोग ज्वाइन करें, अगर कोई ऐसा एट्रेक्शन पैदा किया जा सकता हो जिससे उनकी ज्वायनिंग संभव हो तो उसकी कोशिश करना चाहिये न कि इस आयु को बढ़ा दिया जाये। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-1 पर माननीय सदस्य ने रुचि जाहिर की थी, माननीय मंत्री जी इसका उत्तर पढ़ दें।

अतारांकित प्रश्न

01-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[दिनांक 12-03-2013 को अता0प्र0सं0-78 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद की कब्रिस्तान को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

02--श्री सुरेश बंसल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के कैलामहा में पी0ए0सी0 चौक से ईदगाह होती हुई कब्रिस्तान को जाने वाली सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

उक्त सड़क के निर्माण हेतु आगणन अंकन रु0 54.00 लाख का तैयार किया गया है। कार्य अवस्थापना विकास निधि वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के खुले हुए मेनहोलों को ढके जाने के निर्देश

03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में खुले हुए मेनहोलों के कारण दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए खुले मेनहोलों को बन्द किये जाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विगत छः माह में कोई घटना संज्ञान में नहीं आयी है।

नगर निगम द्वारा आगरा शहर का सर्वे कराकर सभी मेनहोलों को ढका गया था। मेनहोल के खुले होने की सूचना जहां मिलती है वहां तत्काल मेनहोल ढक्कन लगवाया जाता है। मेनहोल ढक्कन लगवाने हेतु रु0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। सम्बन्धित समस्त स्टाफ को नगर निगम द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जहां कोई मेनहोल खुला पाया जाये उसे तत्काल ढका जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री अनीसुर्रहमान-

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

आगरा नगर में नगला पदी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की योजना

05-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर में नगला पदी की आन्तरिक सड़कें विगत दो वर्षों से जीर्ण-शीर्ण एवं गड्ढायुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जर्जर सड़कों की मरम्मत/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आगरा नगर की नगला पदी की आन्तरिक सड़कें उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर की पाइप लाइन डालने हेतु खोदी/काटी गई थी जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। खोदी/काटी गयी सड़क की मरम्मत कराने का कार्य जल निगम की योजना में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के लायर्स कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य

06-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आगरा नगर में लायर्स कालोनी की जर्जर हो चुकी आन्तरिक सड़कों की मरम्मत/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लायर्स कालोनी की आन्तरिक सड़कें कहीं-कहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर पैच वर्क के माध्यम से मरम्मत का कार्य समय-समय पर कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आलमगंज पानी की टंकी की सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने का कार्य

07-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आलमगंज पानी की टंकी के सामने मेन सड़क पर ढाबा बनाकर अतिक्रमण कर 40 फिट चौड़े मार्ग को मात्र 20 फिट कर दिया गया है जिससे आये दिन जाम लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

समय-समय पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाता है। वर्तमान में उक्त सड़क पर कोई अतिक्रमण नहीं है। नगर निगम द्वारा उक्त सड़क का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विवरण पेंशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग

08-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधवा पेंशन की अनुदान राशि को वर्तमान में बढ़ती हुई मंहगाई के आलोक में बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के अन्तर्गत रु0 300/- प्रतिमाह की धनराशि दी जा रही है। इसमें रु0 200/- भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में तथा रु0 100/- राज्यांश के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अधीन रु0 200/- की धनराशि को बढ़ा कर रु0 300/- की गई है। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पेंशन की राशि बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मटियारी गांव को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग को बनवाये जाने की मांग

09-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कंचनपुर मटियारी में बाबा हास्पिटल के पश्चिम छोटी नहर की पुलिया से पहले नहर पटरी मार्ग से मटियारी गांव को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग बीच में न होकर दाहिनी तरफ प्लाटों से सटा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को बीचो-बीच में बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त कालोनी अनधिकृत रूप से विकसित कालोनी है। कालोनी में नगर निगम द्वारा पूर्व में सड़क निर्माण सोसाइटी द्वारा निर्मित सड़क के ऊपर किया गया है। वर्तमान में नगर निगम की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी में एक ट्यूबवेल स्थापित करने की मांग

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में आवंटियों की संख्या एवं जल की खपत बढ़ने के कारण पानी की

सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फेज-1 के भवन संख्या-ई0डब्लू0एस0-1/270 के सामने स्थित एकता पार्क में दुर्गा जी के मन्दिर के पास एक ट्यूबवेल स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, लखनऊ के जोन-3 में स्थित जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-एच के फेज-1 में दो नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिनसे सीधे क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। इसके साथ ही सहारा रोड पर स्थापित 2000 किलो लीटर अवर जलाशय से भी जलापूर्ति की जाती है। वर्णित क्षेत्र में सामान्य जलापूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के नगर पालिकाओं/नगरपालिका परिषदों के संविदा सफाई कर्मियों को विनियमित किये जाने की मांग

12-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मियों को विनियमित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में संविदा सफाई कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की कोई नीति निर्धारित नहीं है और न ही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ विवेकानन्द चिकित्सालय से डंडहिया मार्केट तथा अतिक्रमण हटाकर सड़क के चौड़ीकरण की मांग

13-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित विवेकानन्द चिकित्सालय, निराला नगर से गुलाचीन मन्दिर, अलीगंज को डंडहिया मार्केट होते हुए जाने वाले मार्ग पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर क्या सरकार मानक के अनुसार मार्ग का चौड़ीकरण/निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद में जीन्स रंगाई के अवैध कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

14-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद् की सीमा में जीन्स की रंगाई के अवैध रूप से चलाये जा रहे कारखानों का रसायनयुक्त पानी

पीने से जानवरों की मौत होने के साथ-साथ आवासीय कालोनी के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैध कारखानों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं

यद्यपि जीन्स के रंगाई के अवैध कारखाने चलाये जाने का कोई भी प्रकरण नगर पालिका परिषद् के संज्ञान में नहीं है, तथापि पुनः सर्वे करने पर यदि जीन्स के रंगाई के अवैध कारखाने पाये जाते हैं तो उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद् लोनी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

15-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के नगरपालिका परिषद् लोनी में मकानों/दुकानों/ प्रतिष्ठानों/नर्सिंग होमों/लघु उद्योगों/कुटीर उद्योगों का टैक्स असेसमेन्ट कराते हुए टैक्स की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या नगर पालिका परिषद् लोनी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क, सीवर, पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के राहुल पार्क के पास पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने की मांग

16-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में राहुल पार्क के आस-पास असामाजिक तत्वों के जमावड़ा से महिलाओं तथा लड़कियों का निकलना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार राहुल गार्डेन के आस-पास कोई थाना/चौकी की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र लोनी में राहुल पार्क के आस-पास महिलाओं का निकलना दूभर होने की स्थिति नहीं है। राहुल पार्क के आस-पास बन्द फाटक के पास प्रतिदिन 24 घन्टे पुलिस पिकेट रहती है तथा 01 पुलिस पेट्रोल कार नं0-18 राहुल गार्डेन क्षेत्र में गश्त/भ्रमणशील रहती है। साथ ही राहुल पार्क थाना लोनी की चौकी बार्डर के क्षेत्र के अन्दर मात्र 01 कि0मी0 की दूरी पर है। उक्त स्थान पर

पुलिस की प्रभावी गश्त एवं मौजूदगी रहने के कारण थाना/चौकी स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कतिपय अन्तर्गत मलिन बस्ती के विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

17-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में वर्ष 2008 से अगस्त, 2012 तक डूडा द्वारा पर्यावरण सुधार तथा विकास हेतु किन-किन मलिन बस्तियों की सूची भेजी है तथा उनमें से कौन सी स्वीकृत हुईं ? क्या स्वीकृत सूची की मलिन बस्ती के विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा जनपद सोनभद्र में वर्ष 2008 से अगस्त, 2012 तक मात्र दो मलिन बस्तियों यथा-नगर पंचायत घोरावल की मलिन बस्ती वार्ड संख्या-01, 02 व 03 एवं नगर पंचायत चुर्क-घुरमा वार्ड संख्या-10 में एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुधार तथा विकास हेतु सूची भेजी गई थी तथा उक्त दोनों मलिन बस्तियों की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था।

उक्त मलिन बस्तियों का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। खनन पर रोक लगने के कारण निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के फलस्वरूप शेष 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका, जिन्हें अब पूर्ण कराया जा रहा है।

उपर्युकतानुसार।

जनपद आगरा के चौराहा मदिया कटरा के कच्ची गली को पक्का निर्माण कराने की मांग

18-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में मदिया कटरा में डा0 दास के बगल से तोता ताल के लिए जाने वाली कच्ची गली के चौराहा मदिया कटरा पर जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कच्ची गली का पक्का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मदिया कटरा में डा0 दास के बगल से तोता ताल के लिए जाने वाली गली के कारण जाम नहीं लगता है। उक्त गली में इण्टरलॉकिंग फर्श एवं नाली मरम्मत हेतु आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य कराया जाना वित्तीय स्थिति पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के नगला पदी के भुसकीटाल के दुर्गानगर की पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

19-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में नगला पदी के भुसकीटाल के पास दुर्गानगर की पुलिया टूट जाने से नाले का कचरा रुकने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

नगला पदी के भुसकीटाल के पास दुर्गानगर की पुलिया के निर्माण हेतु आगणन रु0 0.90 लाख तैयार किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में रोड के किनारे अतिक्रमण कर मीट की बिक्री प्रतिबन्धित करने की मांग

20-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सब्जी मण्डी, लोहा मण्डी के बाहर मेन रोड पर अतिक्रमण करके मुर्गे काटकर बेचने से मार्ग पर दुर्गन्ध के कारण राहगीर परेशान रहते हैं और मीट के टुकड़ों के लालच में कुत्तों के एकत्रित रहने के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें एवं कुत्तों के काटने की भी दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमण को हटाकर अवैध रूप से की जा रही मीट की बिक्री को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा शहर में सब्जी मण्डी, लोहा मण्डी के बार मेन रोड पर कुत्तों के काटने से कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। आवारा कुत्तों की नगर निगम द्वारा ए0बी0सी0 (एनीमल बर्थ कन्ट्रोल) करायी जा रही है एवं अवैध रूप से की जा रही मीट की बिक्री को रोकने के लिये नगर निगम द्वारा अवैध मीट विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात की तहसील सिकन्दरा में अधिवक्ता भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

21-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की तहसील सिकन्दरा के प्रांगण में अधिवक्ता भवन का निर्माण मुलायम सिंह यादव जी के पिछले करीब तीन साल के शासनकाल में प्रारम्भ हुआ था जो अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

माह जून, 2013 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के थाना औद्योगिक क्षेत्र में मृतक अंजली यादव के मृत्यु की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के आदेश

22-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना औद्योगिक क्षेत्र इलाहाबाद में दर्ज मु0 810 सं0-144/2012 धारा-302, 201, 120 वी0आई0पी0सी0 के क्रम में मृतका अंजली यादव जिसकी छात्रावास में मृत्यु हो गयी थी, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रकरण घटना से सम्बन्धित मु0अ0सं0-144/2012 धारा 302/201/120 बी आई0पी0सी0 थाना औद्योगिक क्षेत्र, इलाहाबाद की विवेचना सीबीसीआईडी से कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-27सीआईडी/6-पु0-11-2012-684एम/2012, दिनांक 26-10-2012 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 को निर्देशित किया गया है।

23-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विधवा पेंशन हेतु बजट बढ़ाये जाने की मांग

24-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बजट के अभाव के कारण विधवायें पेंशन का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विधवा पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए बजट बढ़ाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से संचालित एन0एस0ए0पी0 (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना) तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से संचालित पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना पूरे प्रदेश में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र तथा अर्ह विधवाओं को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सामान्य रूप से प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार बजट की व्यवस्था की जाती है। आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि भी की जाती है। वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण इस योजना के लाभार्थियों को प्रायः कठिनाई नहीं होती है। उसका समाधान किया जाता रहता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के गांव सिकन्दरा की सड़कों की गन्दगी को हटवाये जाने के आदेश

25-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के मध्य स्थित सिकन्दरपुर गांव के चारों तरफ की सड़कों पर जानवरों का गोबर भरा पानी बहने से गन्दगी एवं बदबू के कारण क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलने का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

दिनांक 08-03-2013 को प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर सर्वश्री बबलू पुत्र कल्लू, राम विलास, सियाराम व रामपाल पशुपालकों द्वारा दूध डेरी का संचालन किया जा रहा है तथा गोबर आदि गंदगी फैलाई जा रही है। उक्त पशुपालकों के विरुद्ध मौके पर नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गई तथा उपरोक्त स्थल से दूध डेरी तत्काल हटाये जाने हेतु नोटिस भेजी गई। क्षेत्र में फैली गन्दगी की सफाई वर्तमान में करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

27-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर निगम के जानकीपुरम् द्वितीय वार्ड नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् आवंटित धनराशि एवं विकास कार्यों का विवरण

28-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के जानकीपुरम् द्वितीय वार्ड 28 अप्रैल, 2008 को नगर निगम को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तानान्तरित किया गया था ? यदि हां, तो हस्तानान्तरणोपरान्त उक्त वार्ड के सेक्टर-एफ, जी तथा एच के फेज-1, 2, 3 एवं 4 में विकास कार्य हेतु कितना-कितना धन नगर निगम द्वारा आवंटित किया गया एवं कौन-कौन से विकास कार्य कहां-कहां कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् द्वितीय वार्ड स्थित सेक्टर-एफ, आई एवं जी का हस्तान्तरण नगर निगम, लखनऊ को वर्ष 2008 में किया गया था, सेक्टर-एच का हस्तान्तरण नहीं किया गया है। हस्तान्तरण के समय सेक्टर एफ एवं आई हेतु रु0 256.49 लाख एवं सेक्टर-जी हेतु धनांक रु0 338.29 लाख नगर निगम को अवमुक्त किया गया था।

सेक्टर-एफ में रु0 246.68 लाख एवं सेक्टर-जी में रु0 338.29 लाख की धनराशि नगर निगम द्वारा विकास कार्यों को कराये जाने हेतु आवंटित की गई, जिसके सापेक्ष प्रश्नगत सेक्टरों में सड़कों/नाली सुधार कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30-श्री सन्त प्रसाद-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के कुम्भ मेला निधि से दीर्घकालीन निर्माण सम्बन्धी प्राप्ति-पत्र पर कार्यवाही

31-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ मेला, 2013 इलाहाबाद निधि से दीर्घकालीन निर्माण के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी मण्डलायुक्त, इलाहाबाद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-8-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं और उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में 10 बिन्दुओं का उल्लेख है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न कार्य कराये जाने की मांग की गई है :-

(1) आई0ई0आर0टी0 (प्रयाग स्टेशन उ0रे0 के उ0रे0 के उत्तर) क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज (आर0ओ0बी0) का निर्माण।

(2) प्राचीन शिवकुटी महादेव मन्दिर से दक्षिण प्राचीन नागवासुकी मन्दिर तक एक बांध का निर्माण।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग 96 फाफामऊ तेलियरगंज में राष्ट्रीय नदी पर एक पुल का निर्माण।

(4) गंगा नदी के उपरोक्त स्थान पर स्थित कर्जन पुल को रेलवे से लेकर ऊपर पैदल एवं हल्के वाहन हेतु यातायात का प्रबन्ध करना। इसी पुल के सहारे सीवर के एस0टी0पी0 द्वारा साफ किये पानी को गंगा नदी में डालकर नदी के पार ले जाकर खेती में प्रयोग करना।

(5) कर्जन पुल के खम्भों में बैराज बनाकर गंगा नदी का पानी घाटों के किनारे लाने का प्रबन्ध करना।

(6) लाउदर रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर स्वीकृत आर0ओ0बी0 के लिये उ0प्र0 सरकार को अपना हिस्सा देना।

(7) टी0बी0 अस्पताल तेलियरगंज से पूरब गोविन्दपुर सड़क पर स्थित यू0आर0बी0 (अन्डर रेलवे ब्रिज) को चौड़ा कर सुगत यातायात की व्यवस्था करना तथा पुल के नीचे की सड़क का सी0सी0 निर्माण।

(8) बढ़ती यातायात व्यवस्था हेतु तीन आर0यू0बी0 को चौड़ा करना।

(9) खुशरूबाग फ्लाई ओवर के समानान्तर एक नये फ्लाई ओवर का निर्माण।

(10) पुरानी जी0टी0 रोड दारागंज पर स्थित आर0यू0बी0 को चौड़ी करके दारागंज एवं संगम क्षेत्र में आने जाने वाले यातायात को सुगम बनाना तथा पुल के नीचे की सड़क के दोनों ओर 200-200 मीटर सी0सी0 सड़क का निर्माण।

उपर्युक्त सभी कार्य पृथक-पृथक पूर्वोत्तर रेलवे, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 सेतु निर्माण निगम, सिंचाई विभाग (बाढ़ कार्य प्रखण्ड) तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई से सम्बन्धित है तथा दीर्घकालीन प्रकृति के हैं। ऐसी स्थिति में कुम्भ मेला, 2013 की तैयारियों के लिये कुछ महीनों का समय उपलब्ध होने के कारण इनको क्रियान्वित करना सम्भव नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील मुख्यालय के अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

32-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में तहसील मुख्यालय भानपुर, रुधौली में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र दिनांक 31-08-12 पर अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नांकित है :--

1-शासन के पत्र संख्या 146सी0एम0/छ:पु-8-12-801(13)/2012, दिनांक 24-01-13 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

2-फायर मुख्यालय के पत्र संख्या एफएस-1306-2012, दिनांक 06-02-13 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्रेषित किया गया।

3-पुलिस अधीक्षक, बस्ती के पत्र संख्या क्यू-09/2013, दिनांक 23-02-13 द्वारा अवगत कराया गया है कि रूधौली में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध/आवंटित/कब्जा पत्र, खसरा-खतौनी की नकल प्राप्त हो गयी है। साइट सेलेक्शन कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है।

4-तहसील मुख्यालय भानपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने विषयक जिला मजिस्ट्रेट के पत्र पर कार्यवाही

33-श्री सन्त प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर का पत्र सं0-1198, दिनांक 05-12-2012 नगर मजिस्ट्रेट को जो नगर परिषद् क्षेत्र सीतापुर की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें हटाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहममद आजम खां-

जी नहीं। अपितु जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के आदेश दिनांक 04-12-2012 के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सीतापुर को अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिये गये थे।

नगर पालिका परिषद्, सीतापुर में मोहल्ला आर्यनगर, मो0 आलमनगर एवं रोडवेज बस स्टेशन के अस्थाई एवं स्थाई अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं। शेष तीन मोहल्लों में स्थलों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सीवर लाइन हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य

34-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद आगरा में जल निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा नगर में यमुना कार्य योजना फेज-II, आगरा नगर के नादर्न एवं वेस्टर्न जोन की ब्रांच एवं लेटरल सीवर योजना तथा राज्य सेक्टर की योजनाओं के अन्तर्गत बिछायी गयी सीवर लाइनों हेतु काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना पूर्व में की जा चुकी है। वर्तमान में जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत निर्माणाधीन आगरा सीवरेज परियोजना, फेज-1, पार्ट-1 (सेन्ट्रल एवं ताजगंज जोन) के अन्तर्गत कुल 142.50 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। माह फरवरी, 2013 तक कुल 119.86 कि0मी0 सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है जिसके सापेक्ष 113.75 कि0मी0 सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा चुका है। अवशेष सीवर लाइन बिछाने तथा सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

35-श्री सन्त प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सरकार नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। वर्तमान में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15-03-2012 के क्रम में नगर विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 20-03-2012 द्वारा नगर निकायों में भर्तियों को प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका फिरोजाबाद में शामिल ग्राम सभाओं में हेतु विशेष कार्य योजना

36-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका फिरोजाबाद में दिनांक 20-10-2008 को शामिल हुयी 13 ग्राम सभाओं में सड़क, बिजली एवं पानी का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2228/09-02-08-24-सी0एम0/07 दिनांक 20-10-2008 के द्वारा 13 ग्राम सभाओं को नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में सम्मिलित किये जाने से उक्त निकाय की बढ़ी हुई आबादी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान दिलाये जाने हेतु प्रकरण चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और आयोग को वांछित सूचनायें/विवरण भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक जनपद में जुबेनाइल जस्टिस कोर्ट की स्थापना

37-श्री मनीष असीजा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जुबेनाइल जस्टिस कोर्ट की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूणा कुमारी कोरी-

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) के अन्तर्गत जुबेनाइल जस्टिस कोर्ट की स्थापना का कोई प्राविधान नहीं है, परन्तु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में किशोरों के वादों को निपटाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है, जो क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

38-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में संजय प्लेस मार्केट, आवासीय कालोनी व राजा मण्डी रेलवे स्टेशन के बगल से न्यू राजा मण्डी कालोनी की सड़क, राजा मण्डी रेलवे फाटक तक की सड़क जर्जर व गड्ढायुक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत मय फुटपाथ के करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, आंशिक रूप से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार पैच वर्क कराया जाता है।

संजय प्लेस मार्केट, आवासीय कालोनी की सड़क के निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया जा रहा है तथा राजामण्डी रेलवे स्टेशन के बगल से न्यू राजामण्डी कालोनी की सड़क, राजामण्डी रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण का आगणन तैयार किया गया है।

उपरोक्त सड़क निर्माण के कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के नगला गंगाराम एवं कैलाशपुरी कालोनी की आन्तरिक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु आगणन

39-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में पुलिस चौकी नेहरूनगर कालोनी के पीछे की सड़क, पुलछिंगा मोदी के पास नगला गंगाराम एवं कैलाशपुरी कालोनी, हलवाई बगीचे के सामने की आन्तरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

आगरा में पुलिस चौकी नेहरूनगर कालोनी के पीछे की सड़क के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है।

पुलछिंगा मोदी के पास नगला गंगाराम एवं कैलाशपुरी कालोनी हलवाई बगीचे के सामने की कुछ आन्तरिक सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं जिनके निर्माण हेतु आगणन तैयार किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के शिवहरे कालोनी के कतिपय मार्गों की मरम्मत की मांग

40-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के शिवहरे कालोनी, कैलाश मन्दिर रोड सिकन्दरा तक, 7/39/7 राजेश अग्निहोत्री के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक जवाहर नगर खजदारी तक एवं शाहगंज, मल्ल का चबतूरा से जनकपुरी कालोनी तक की सड़क व नाली पिछले 02 वर्षों से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने से जलभराव व गन्दगी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त क्षेत्र की सड़क व नाली की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

आगरा के शिवहरे कालोनी, कैलाश मन्दिर रोड सिकन्दरा तक, 7/39/7 राजेश अग्निहोत्री के घर से राजेन्द्र सिंह के घर तक जवाहर नगर खजदारी में नाली व सड़क निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया जा रहा है।

शाहगंज, मल्ल का चबूतरा से जनकपुरी कालोनी में नाली व सड़क निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार किया गया है।

उपरोक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा करने की जांच की मांग

41-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी बैठक के सदस्य यदि जनप्रतिनधि (सांसद/विधायक) हैं तो उस बैठक की अध्यक्षता कोई जिला अधिकारी अथवा कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद शाहजहांपुर में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ घोषित कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिनांक 03-09-2012 को हुई बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में शासन के आदेश दिनांक 20-04-2010 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। उक्त समिति भारत सरकार द्वारा संचालित मल्टी सेक्टोरल योजना के अन्तर्गत जनपद द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना के अनुमोदन हेतु अधिकृत है। दिनांक 03-09-2012 को जनपद शाहजहांपुर में मल्टी सेक्टोरल योजना के प्रस्तावों के अनुमोदन/क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीरनगर में भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन विभाग को परियोजनाओं हेतु धन का विवरण

42-डा0 मो0 अयूब-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर में भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष 2011-12 से जनवरी, 2013 तक विकास कार्यों हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा किन-किन परियोजनाओं पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास विभाग मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जनपद सन्त कबीर नगर में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को वित्तीय वर्ष 2011-12 से जनवरी, 2013 तक विकास कार्यों हेतु रु0 472.70 लाख की धनराशि दी गयी।

समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम पर रु0 283.00 लाख तथा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम पर रु0 33.66 लाख खर्च किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

43-डा0 मो0 अयूब-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर में लगभग 8-10 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित मार्ग मरम्मत न होने के कारण क्षतिग्रस्त एवं गड्ढों में तब्दील हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी हां।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को आयोजनागत मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अपितु यह विभाग एक राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में अन्य विभागों/संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों को 'डिपाजिट वर्क' के रूप में सम्पादित कराता है। चूंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जनपद-सन्त कबीर नगर के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति/धनराशि प्राप्त नहीं है, इसलिए उक्त मार्गो की मरम्मत का कार्य इस विभाग के द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में सेना की तरह सी0एस0डी0-कैण्टीन की व्यवस्था का कथित प्रकरण

44-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में सेना की तरह सी0एस0डी0 कैन्टीन की व्यवस्था है ? क्या सरकार यू0पी0 पुलिस को भी उत्तराखण्ड पुलिस की तरह प्रदेश में सी0एस0डी0 कैन्टीन खुलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड पुलिस में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण हेतु सी0एस0डी0 कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बिहार पुलिस की भांति यू0पी0 पुलिस को वर्दी भत्ता दिये जाने की मांग

45-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिहार पुलिस में कर्मचारियों की 2600 रु0 प्रति वर्ष वर्दी भत्ता की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई को देखते हुये यू0पी0 पुलिस को भी बिहार पुलिस की तरह 2600 रु0 वर्दी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्राप्त सूचनानुसार बिहार पुलिस में आरक्षी एवं हवलदार (हेड कान्सटेबुल) को प्रतिवर्ष रु0 4000/- की धनराशि वर्दी भत्ता के रूप में देय है।

उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कर्मियों (निरीक्षक/उपनिरीक्षक) को शासनादेश संख्या-2826/छः-पु-1-11-151/09, दिनांक 20-10-2011 द्वारा भर्ती के समय रु0 6000/- एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु0 6000/- वर्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस के समस्त मुख्य आरक्षी/समतुल्य पद एवं आरक्षी/समतुल्य पद को भर्ती के समय रु0 4,800/- एवं प्रतिवर्ष रु0 1,800/- वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में न्यायालय के खुलने के समय का निर्धारण

46-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई व जून में जनपद इटावा, औरैया, कन्नौज, जालौन आदि में न्यायालय सुबह 7 बजे से खुलते हैं एवं क्या जनपद रमाबाईनगर में न्यायालय 10 बजे खुलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद रमाबाईनगर का टेम्प्रेचर उक्त जनपदों के अनुसार होने के कारण रमाबाई नगर के न्यायालय मई, जून में 7 बजे से चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद इटावा, औरैया, कन्नौज, जालौन न्यायालय में माह मई एवं जून (दिनांक 01-05-2012 से दिनांक 30-06-2012) में न्यायिक कार्यालय के खुलने का समय सुबह 6.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक तथा न्यायिक कार्य का समय सुबह 6.30 से मध्यान्ह 12.00 तक निर्धारित है। जनपद रमाबाईनगर में न्यायालय 10 बजे से खुलते हैं।

इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गंगा नदी के किनारे बसे कतिपय जनपदों में प्लास्टिक एवं पालीथीन के प्रयोग एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध हेतु सरकार द्वारा जारी शासनादेश/अधिसूचना का अनुपालन

47-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीवन-दायिनी गंगा नदी के मध्य धारा 2.0 किमी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक एवं पालीथीन के प्रयोग एवं विक्रय को प्रतिबन्धित किया गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर आदि जगहों पर इसका अनुपालन पर्यावरण विभाग के शासनादेश दिनांक 21-10-2010 तथा नगर विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 02-02-2011 के तहत कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में जिला विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ओबरा में कार्यों हेतु धनराशि व्यय करने की मांग

48-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में जिला विकास योजनान्तर्गत मार्च, 2010 से अब तक शहरी जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु कुल कितने रुपये व्यय हुये तथा विधान सभा क्षेत्र ओबरा में उक्त कार्यों हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार उसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद सोनभद्र में जिला योजनान्तर्गत मार्च, 2010 से फरवरी, 2013 तक कुल धनराशि रु0 166.00 लाख व्यय हुई है, जिनमें रु0 22.912 लाख की धनराशि विधान सभा ओबरा में व्यय हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

जिला योजना (नगरीय पेयजल)-सामान्य व एससीएसपी के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में व्यय की स्थिति

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	कुल व्यय की गयी धनराशि	ओबरा विधान सभा क्षेत्र में व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4	5
1	2010-11	हैण्डपम्प पेयजल	56.07	15.922
2	2011-12	(1) हैण्डपम्प पेयजल	27.41	6.89
		(2) पाइप पेयजल (ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)	29.13	-
3	2012-13	(1) हैण्डपम्प पेयजल	0.00	0.00
		(2) पाइप पेयजल (ट्रीटमेन्ट प्लान्ट)	53.39	-
		योग-	**166.00**	**22.912**

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री सुनील कुमार सिंह-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के जलकल विभाग नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित कराये जाने की मांग

50-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता, जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा में वर्ष 2004 से अब तक किस आधार पर तैनात हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

श्री महेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता दिनांक 21-07-2004 से जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा में जनहित में कार्यरत है।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में, नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद आगरा के अनेकों स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़क एवं खड़न्जा व गली का निर्माण कराये जाने की मांग

51-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 के0 पुरम् गैलाना रोड, जनपद आगरा के सेक्टर-4 ए, सतनाम नगर में पद्म महौर से राजू लवानियां के मकान तक, मोहर सिंह के मकान से तारा चन्द के मकान तक एवं डा0 ज्वाला प्रसाद वर्मा की गली में सड़क, खड़न्जा व नाली पिछले पांच वर्षों से क्षतिग्रस्त होने से जलभराव व गन्दगी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सेक्टर-4 ए, सतनाम नगर में पद्म महौर से राजू लवानियां के मकान तक, मोहर सिंह के मकान से तारा चन्द के मकान तक एवं डा0 ज्वाला प्रसाद वर्मा की गली में जल भराव की समस्या नहीं है, नालियां ठीक स्थिति में बनी हुई हैं।

आर0 के0 पुरम् कालोनी, गैलाना रोड प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा विकसित की गयी है। उक्त कालोनी का हस्तान्तरण नगर निगम को नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उसके अनुरक्षण का दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजर का है।

सेक्टर-4 ए, सतनाम नगर में पद्म महौर से राजू लवानियां के मकान तक, मोहर सिंह के मकान से तारा चन्द के मकान तक एवं0 डा0 ज्वाला प्रसाद वर्मा की गली में नालियां ठीक स्थिति में बनी हुई हैं तथा इण्टरलाकिंग फर्श के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है, जो धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ककरैण में पं0 बाल किशन की चक्की से कमला नगर तक क्षतिग्रस्त गली व सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

52-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ककरैण में पंडित बालकिशन की चक्की से हरीशंकर और मीरा रानी के घर तक, सत्य प्रकाश सक्सेना के घर से देवी सिंह के मकान तक, माहौर नगर, बिचपुरी रोड, बोदला आगरा तथा शान्तिनगर (मूड का बाग) कमला नगर की सड़क व नाली पिछले 02 वर्षों से क्षतिग्रस्त होने से जलभराव व गन्दगी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क व नाली की मरम्मत/निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आगरा के ककरैंठा में पंडित बाल किशन की चक्की से हरीशंकर और मीरा रानी के घर तक नाली व फर्श के निर्माण कार्य हेतु रु0 12.15 लाख का तथा सत्य प्रकाश सक्सेना के घर से देवी सिंह के मकान तक, माहौर नगर, बिचपुरी रोड, बोदला आगरा में नाली व फर्श के निर्माण हेतु रु0 13.55 लाख का आगणन तैयार किया गया है।

कमला नगर, शान्ती नगर (भूड़ का बाग) अविकसित क्षेत्र है जिसकी अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। नगर निगम द्वारा सड़क एवं नाली के दो कार्य जिनकी लागत रु0 12.80 लाख है, कराये जा रहे हैं तथा पुलिया निर्माण का कार्य रु0 0.36 लाख का प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र के शेष सड़क व नाली के कार्य तथा ककरैंठा, माहौर नगर, बिचपुरी रोड के उपरोक्त संदर्भित कार्य वित्तीय स्थिति पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में अपराधित समस्त घटनाओं का विवरण एवं रोकथाम के उपाय

53-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, लूट व महिला उत्पीड़न की कितनी-कितनी घटनायें दर्ज हैं ? क्या सरकार द्वारा अपराधों को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र में माह मार्च, 2012 से अगस्त, 2012 तक हत्या-15, डकैती-शून्य, चोरी-18, बलात्कार-07, दहेज हत्या-09, अपहरण-14, लूट-02, महिला उत्पीड़न-11 घटनायें दर्ज हुई हैं।

जी हां।

धारा-41/109 के अन्तर्गत जा0फौ0-158, धारा-110 के अन्तर्गत जाफौ0-168, गुण्डा-53, एनडीपीएस-58, शस्त्र अधि0-33, आबकारी अधि0-112, गैंगेस्टर एक्ट-23 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उ0प्र0 पुलिस के सामान्य कर्मियों की भांति अतिविशिष्ट व्यक्तियों से सम्बद्ध गनर एवं शेडो के वेतन भत्ते बढ़ाये जाने की मांग

54-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, विधान सभा एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध गनर एवं शैडो के वेतन एवं भत्ते उ0प्र0 पुलिस के सामान्य कार्मिकों की भांति पुनरीक्षित किये गये हैं ? क्या उ0 प्र0 पुलिस के सामान्य ड्यूटी कार्मिकों का दैनिक भत्ता दि0 01-04-2011 से पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो विधायकों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध स्कॉर्ट के गनर/शैडो को यह भत्ता बढ़ाये जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश पुलिस को सामान्य कर्मियों की भांति सदस्य विधान सभा एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ सम्बद्ध गनर एवं शैडो के वेतन एवं भत्तों को पुनरीक्षित किया गया है।

शासनादेश संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011 दिनांक 31-3-11 द्वारा प्रदेश के सभी राज्य कर्मियों के दैनिक यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है। इसका उत्तर प्रदेश पुलिस के सामन्य ड्यूटी कर्मियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उक्त शासनादेश के अनुसार दैनिक यात्रा भत्ते में वृद्धि की गयी है जिसका लाभ विधायकों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध एस्कोर्ट के गनर/शैडो को भी प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर में चौ0 चरन सिंह की प्रतिमा के आस-पास से अतिक्रमण हटाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

55-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में श्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के आस-पास से अतिक्रमण हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 250/रालोद/वि0म0/2012, दिनांक 05-12-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त अतिक्रमण हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बाबा हरदेव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, रालोद, उ0प्र0 का पत्र दिनांक 15-9-2012 व श्री सुरेश गुप्ता चेयरमैन, रालोद, कानपुर नगर का पत्र दिनांक 29-9-2012 प्राप्त हुआ था जिसमें कानपुर स्थित ऐतिहासिक स्थल, घण्टाघर चौराहे पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के चारों तरफ होने वाले अतिक्रमण का स्थाई समाधान करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत स्थल पर अस्थाई अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा समय समय पर हटाया गया है एवं मलबे को उठवाकर सफाई भी करा दी गई है।

इसके अतिरिक्त स्थल के समीप स्थित पुलिस सहायता केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मियों को उक्त स्थल को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु आदेशित करने के लिये पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर से भी नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के पत्र दिनांक 18-10-12 द्वारा अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बुलाकी अड्डा चौराहे की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

56-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित राजाजीपुरम् क्षेत्र में बुलाकी अड्डा चौराहा से कोठारी बन्धु पार्क को जाने वाली तथा अलितरंग मैरिज हाल के सामने से मीना बेकरी को जाने वाली सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में न्यायालय के स्थायी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव

57-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के तहसील मुख्यालय बीसलपुर में सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के स्थायी भवन के निर्माण हेतु जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर, राजस्व गांव खमरिया नवदिया के अन्तर्गत को-आपरेटिव शुगर केन मार्केटिंग सोसाइटी बीसलपुर के नाम अंकित भूमि संख्या 635, 640 एवं 641 सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, पीलीभीत की सहमति से तथा नगरपालिका परिषद् बीसलपुर में निहित भूमि संख्या 636, 637, 638, 639 एवं 642 को प्रस्तावित कर न्याय विभाग को समर्पित किये जाने के लिये जिलाधिकारी, पीलीभीत का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सहमति प्राप्त होने पर अग्रतर नियमानुसार कार्यवाही क्रमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या एवं थानों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नये थानों की स्थापना किये जाने की मांग

58-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या एवं अपराधों के हिसाब से वर्तमान में स्थापित थानों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराध नियंत्रण हेतु एवं बेहतर क्षेत्र निरीक्षण के लिये वर्तमान थानों का कार्यक्षेत्र छोटा करने एवं नये थानों की स्थापना हेतु किसी कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

(प्रदेश में बढ़ी हुई आबादी के आधार पर मानक के अनुसार अतिरिक्त थानों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैंट में सीवर लाइन का लोड बढ़ाये जाने की मांग

59-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कैंट विधान सभा क्षेत्र में शहरी आबादी बढ़ने तथा बहुमंजिली बिल्डिंग बनने के कारण सीवर लाइन पर लोड बढ़ने से लाइन ओवर फ्लो कर रही है या बर्स्ट होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी नगर की सीवरेज व्यवस्था लगभग 96 वर्ष पुरानी है एवं शहर का केवल 30-35 प्रतिशत क्षेत्र ही सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है। वाराणसी नगर की सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रांस वरूणा सीवरेज परियोजना (अनुमोदित लागत रु0 309.12 करोड़/पुनरीक्षित लागत रु0 407.31 करोड़) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 42 किमी0 सीवर लाइन, दो पम्पिंग स्टेशन एवं 120 एमएलडी क्षमता के शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत रु0 496.90 करोड़ की योजना स्वीकृत है, जिसके 28.9 किमी ट्रंक सीवर लाइन, 140 एमएलडी क्षमता का शोधन संयंत्र एवं तीन सीवरेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत ट्रंक सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

वाराणसी शहर के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में गंगा एक्शन प्लान फेज-2 (जायका सहायतित) के अन्तर्गत ट्रंक सीवर की योजना स्वीकृत है, जिस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्रांच सीवर की योजना विश्व बैंक की डिजायन क्राइटेरिया के नये मानक के अनुसार सिटी सैनिटेशन प्लान स्वीकृत होने के पश्चात् बना कर प्रेषित किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट में सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

60-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कैन्ट विधान सभा में सीवर लाइन न होने के कारण घर-घर का मल-मूत्र नाले के द्वारा गंगा नदी में गिर रहा है ? यदि हां, तो उसको रोकने हेतु सीवर लाइन बिछाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी शहर में सीवर लाइन के रीहैबिलीटेशन की रु0 5187.60 लाख की एक योजना तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिस पर कार्य चल रहा है। उक्त योजना में कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के आंशिक भाग में भी सीवर लाइन बिछाने की योजना सम्मिलित है। नाले का पानी गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए इन्टरशेप्सन एण्ड डायवर्जन की योजना गंगा एक्शन प्लान फेज-II (जायका सहायतित) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिस पर कार्य चल रहा है। कैण्ट विधान सभा क्षेत्र सहित वाराणसी नगर के सिस वरूणा क्षेत्र में ब्रांच सीवर की तीन परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत रु0 622.97 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को विश्व बैंक की डिजाइन क्राइटेरिया के अनुसार बनाने की अपेक्षा की गई है, जिसे सिटी सैनिटेशन प्लान स्वीकृत होने के उपरान्त बना कर प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कैंट के विकास प्राधिकरण की कालोनी में नई सीवर लाइन बिछाये जाने की मांग

61-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी कैंट विधान सभा की विकास प्राधिकरण कालोनी बड़ी गैबी में 70 के दशक में बिछाई गयी भूमिगत सीवर लाइन गलत बिछाई जाने के कारण हमेशा ओवर फ्लो व जल भराव से युक्त रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां नई सीवर लाइन बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वाराणसी नगर की सीवरेज व्यवस्था लगभग 95 वर्ष पुरानी है एवं शहर का मात्र 30-35 प्रतिशत क्षेत्र ही सीवरेज व्यवस्था से आच्छादित है। वाराणसी शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन कार्यक्रम (जे0एन0एन0यू0आर0एम0)/नेशनल गंगा रिबर बेसिन एथारिटी (एन0जी0आर0बी0ए0) के साथ ही साथ अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के नरिया से अस्सी नाले तक 600 मि0मी0 व्यास की तथा बड़ी गैबी से सिगरा चौराहे तक 600 मि0मी0 से 1000 मिमी0 व्यास की सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में देह व्यापार को रोकने हेतु उद्धार अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

62-श्री सन्तराम कुशवाहा-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या 3299/(1)/60-3-2004/13(54)/2004, दिनांक 27-10-2004 के क्रम में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, 1956 के प्राविधानों को प्रभावी बनाने हेतु प्रदेश के सभी मण्डलों में उद्धार अधिकारियों की तैनाती की गयी है ? क्या सरकार महिलाओं तथा बालिकाओं के देह

व्यापार, शोषण व उत्पीड़न को रोकने हेतु अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरूण कुमारी कोरी-

अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में कुल 09 अधिकारियों के पद स्वीकृत पदों के सापेक्ष 06 मण्डलों के उद्धार अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्त हुये अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है।

अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के प्राविधानों का कठोरता से अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में गतवर्ष हुई हत्यायें एवं इस पर अकुंश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही

63-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में वर्ष 2012 में माह जून से दिसम्बर तक कितनी हत्यायें हुई हैं ? क्या सरकार इन हत्याओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मेरठ में वर्ष 2012 में माह जून से दिसम्बर तक 89 हत्यायें हुई हैं।

हत्या के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु रंजिश के विवादों का पता लगाकर पूर्व से ही प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के थाना कोपागंज में रोहित मद्धेशिया की हत्या की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने की मांग

64-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के थाना-कोपागंज से मात्र 300 मीटर दूर वाराणसी-गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित भातकोल मोड़ पर दिनांक 10 मई, 2012 को रोहित मद्धेशिया मिठाई व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रीय 70 नागरिकों के विरुद्ध मु0अ0सं0-168/ 2012 में धारा 152/143/353/341/504 आई0पी0सी0 व 7 क्रिमिनल अमेण्डमेन्ट ऐक्ट के तहत दर्ज झूठे मुकदमें की सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने विषयक श्री उमेश पाण्डेय, स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 03 जुलाई, 2012 को दी गयी सूचना पर शासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। थाना कोपागंज में मु0अ0सं0-168/2012, धारा-152/143/353/341/504, आई0पी0सी0 व 7 क्रिमिनल अमेण्डमेन्ट एक्ट बनाम जितेन्द्र गोयल आदि 11 नफर 50-60 व्यक्ति नाम पता अज्ञात दिनांक-10-05-2012 को पंजीकृत किया गया। विवेचना में तीन अभियुक्त प्रकाश में आये विवेचना गुण-दोष के आधार पर 14 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-ए-69, दिनांक 06-06-2012 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस विभाग के कर्मचारियों का पौष्टिक आहार भत्ते की राशि बढ़ाये जाने की मांग

65-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में पुलिस विभाग में तैनात कर्मचारियों को रु0 750 प्रतिमाह पौष्टिक आहार भत्ता की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत पौष्टिक आहार की राशि रु0 2000 प्रतिमाह किये जाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पुलिस बल एवं अन्य इकाइयों के अधिकारियों/लिपिक संवर्ग (पीएसी को छोड़कर) के कर्मचारियों को रु0 600/- मुख्य आरक्षी/आरक्षी को 750/- एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रु0 650/- प्रतिमाह पौष्टिक आहार भत्ता वर्तमान में अनुमन्य है।

पौष्टिक आहार की राशि रु0 2000/- प्रतिमाह किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी में राम सेतु तोड़े जाने के विरोध स्वरूप सड़क जाम करने विषयक दर्ज मुकदमे को वापस लिये जाने की मांग

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रश्नकर्ता के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा समुद्र के अन्दर स्थित राम सेतु के तोड़े जाने के निर्णय के विरोध स्वरूप सड़क जाम करने पर थाना चेतगंज, वाराणसी में दर्ज मु0अ0 संख्या-702/08 धारा अन्तर्गत 143, 504, 506, 353, 342 आई0पी0सी0 को वापस लिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-10-2012 तथा 30-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-2012 तथा 30-1-2013 जो प्रश्नगत अभियोग को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में था, जिसे आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु न्याय विभाग को संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

67-श्री सन्तराम कुशवाहा-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र में कतिपय अपराधिक घटनाओं का विवरण एवं इसके रोकथाम के उपाय

68-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में माह सितम्बर, 2012 से जनवरी, 2013 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी, चेन स्नेचिंग, अपहरण, चोरी की थानेवार कितनी घटनायें पंजीकृत की गयी ? क्या उक्त ब्योरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र में माह सितम्बर, 2012 से जनवरी, 2013 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी, चैन स्नैचिंग, अपहरण, चोरी की घटनाओं का थानेवाद विवरण निम्नवत् है :--

थाने का नाम	हत्या	डकैती	बलात्कार	लूट	वाहन चोरी	चैन स्नैचिंग	अपहरण	चोरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राबर्ट्सगंज	02	-	-	02	04	-	01	03
घोरावल	-	-	-	-	01	-	01	01
शाहगंज	-	-	01	-	-	-	-	02
पन्नूगंज	-	-	01	-	-	-	-	01
रामपुर बरकोनिया	-	-	-	-	-	-	-	01
ओबरा	-	-	01	01	02	-	01	02
चौपन	02	01	-	-	01	-	-	01
कोन	01	-	-	-	-	-	-	-
दुद्धी	-	-	-	-	-	-	01	02
म्योरपुर	-	-	-	-	01	-	01	01
विंढमगंज	01	-	-	-	-	-	-	02
बभनी	02	-	01	-	-	-	-	01
बीजपुर	01	-	-	-	-	-	01	04
पिपरी	-	-	-	-	01	-	-	02
अनपरा	-	-	01	-	-	-	01	05
शक्तिनगर	-	-	01	-	01	-	-	01

अन्य 06 थानों में उक्त घटना शीर्षकों के अन्तर्गत कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

तैयार की गयी कार्ययोजना के कुल 10 वर्क संलग्न हैं*।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विद्यानगर के जी0एम0 पालिका स्कूल के रास्ते की टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग

69-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत नगला पदी, विद्यानगर के जी0एम0 पब्लिक स्कूल वाली गली का रास्ता पुलिया के टूट जाने के कारण सदैव जलमग्न रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु इसके कारण जलभराव नहीं होता है।

नगला पदी, विद्यानगर के जी0 एम0 पब्लिक स्कूल वाली गली रास्ते में पुलिया के निर्माण हेतु रु0 0.28 लाख का आगणन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के शास्त्री नगर की सड़क व नालियों के निर्माण की मांग

70-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत शास्त्री नगर, गली नं0-01 में सड़क व नलियां जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क ऊंची कराकर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सड़कें व नालियों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

आगरा नगर में गन्धारी की शास्त्रीनगर गली नं0-1 एवं पुराने पोस्ट ऑफिस वाली गली नं0-2 को ऊंचा किये जाने एवं नाली एवं फर्श निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। उक्त कार्य कराया जाना वित्तीय स्थिति पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-225-235 पर।)

जनपद आगरा के बिचपुरी फाटक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

71-श्री काली चरन सुमन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चौहटना, सदरवन तक सीवर लाइन डालने हेतु सड़क खोदकर छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद आगरा में बिचपुरी फाटक से चौहटना, सदरबन तक सीवर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। राईजिंग मेन का कार्य पूर्ण कराकर काटी गई सड़क का निर्माण कार्य मई, 2013 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के कतिपय वार्डों में पेयजल व्यवस्था कराये जाने की मांग

72-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद मुगलसराय के वार्ड चन्धासी, गिधौली तथा नई बस्ती में पेयजल की व्यवस्था नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल आपूर्ति हेतु मिनी ट्यूबवेल लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के वार्ड चन्धासी, गिधौली तथा नई बस्ती में पेयजल की व्यवस्था निम्नवत् है :--

(अ) वार्ड चन्धासी का क्षेत्र व्यासनगर ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित है।

(ब) वार्ड गिधौली में कैलाशपुरी स्थित नलकूप एवं शिरोपरि जलाशय के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस क्षेत्र में एक मिनी नलकूप भी अधिष्ठापित है।

(स) वार्ड नई बस्ती का क्षेत्र अलीनगर ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित है।

उक्त के अतिरिक्त वार्ड चन्धासी में 15, वार्ड गिधौली में 14 तथा वार्ड नई बस्ती में 16 इण्डिया मार्का-II भी अधिष्ठापित है। अतः इन वार्डों हेतु समुचित पेयजल की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने की मांग

73-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की कितनी तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो गयी है तथा कितनी शेष हैं ? क्या सरकार शेष तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के कतिपय विकास खण्डों में सीवर लाइन डालने की मांग

74-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के खरगापुर, रामआसरे पुरवा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन डाले जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या यहां आज दिनांक 27-9-12 तक सीवर लाइन नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां सीवर लाइन डलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के खरगापुर, रामआसरे पुरवा नगर निगम, लखनऊ में सम्मिलित नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर योजना मात्र नगर निगम क्षेत्र तक ही सीमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

75-श्री जय प्रकाश निषाद-

[3सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में साइवर क्राइम पर अकुंश लगाने हेतु विशेष साइवर अपराध थानों की स्थापना की व्यवस्था

76-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आधुनिक/साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में विशेष साइबर अपराध थाना स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए वर्तमान में जनपद लखनऊ एवं आगरा में साइबर क्राइम यूनिटें स्थापित हैं। प्रदेश के जोनल मुख्यालयों (आगरा, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, मेरठ व कानपुर) में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना के बारे में प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नियमानुसार साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नक्सल प्रभावित जनपदों में श्रेणी वद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की मांग

77-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपदों के सांसद/पूर्व सांसद तथा विधायक/विधान परिषद् सदस्य/पूर्व विधायक/पूर्व विधान परिषद् सदस्यों के जीवन के खतरे को देखते हुये सरकार द्वारा श्रेणीबद्ध एक्स श्रेणी या अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गृह मंत्रालय भारत सरकार के एलो बुक के प्रस्तर-3.1 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार जीवनभय व्याप्त होने पर किसी महानुभाव को ''एक्स'' श्रेणी की सुरक्षा, उनके जीवनभय का आंकलन कराने के उपरान्त राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार प्रदत्त की जा सकती है। प्रदेश के मा0 सांसदगण, मा0 विधायकगण, तथा मा0 विधान परिषद् सदस्यों को शासनादेश संख्या-61/6-पु0-2-13-700(1)/2001, दिनांक 11-01-2013 सहपठित शासनादेश संख्याः 786/छः-पु0-2-2008-700(1)/2001, दिनांक 05-05-2008, शासनादेश संख्याः 1174/6-पु0-2-2007-700(1)/2001, दिनांक 30-07-2007 एवं शासनादेश संख्याः 1773/छः-पु0-2-2001-700(1)/2001, दिनांक 25-04-2001 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत 01 गनर निःशुल्क, औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर निःशुल्क, औचित्य पाये जाने पर तीसरा या उससे अधिक अतिरिक्त, तीसरा अतिरिक्त गनर 25 प्रतिशत, चौथा अतिरिक्त गनर 75 प्रतिशत या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर तथा पांचवा या उससे अधिक अतिरिक्त गनर 100 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदत्त कराये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश के निर्वतमान सांसद/विधायक को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेशों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर अथवा उच्चस्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किए गये व्ययभार के अनुसार अथवा उच्चस्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विशेष जीवनभय होने पर जनपदीय सुरक्षा समिति से आख्या प्राप्त कर उच्चस्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अतिरिक्त गनर/शैडो भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा भवन की धनराशि वसूली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

78-श्री राम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत नगर पंचायत पट्टी में अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2004-05 में गबन की गयी धनराशि की वसूली विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-07-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिनांक 19-07-2012 का पत्र नहीं बल्कि दिनांक 18-07-2012 का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त हो गयी है, जो परीक्षाणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्रामों को मल्टी सेक्टोरियल डेबलपमेण्ट योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

79-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत ग्रामों को मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने

विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 05-12-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

क-हां।

ख-मल्टी सेक्टोरियल योजना में अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम/ब्लाक/तहसील के चयन किये जाने की कार्यवाही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। इसलिए मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु उक्त पत्र दिनांक 11 मार्च, 2013 को जिलाधिकारी, बस्ती को प्रेषित कर दिया गया है।

ग-प्रश्न नहीं उठता।

80-श्री दलवीर सिंह-

[5वें गुरुवार के अता0प्र0सं0-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या एवं उसे भरे जाने की मांग

81-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय सचिवालय उ0प्र0 में समीक्षा अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं ? क्या उक्त पदों पर लोक सेवा आयोग उ0प्र0 के माध्यम से भी भर्ती किये जाने का प्राविधान सम्बन्धित सेवा नियमावली में है ? यदि हां, तो समीक्षा अधिकारी के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछली भर्ती किस वर्ष में हुई थी और उससे कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति उक्त पदों पर की जा चुकी है और कितने रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर पुनः लोक सेवा आयोग से भर्ती करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कुल 1706 पद।

जी हां। कुल स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन कराये जाने का प्राविधान सेवा नियमावली में है।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछली भर्ती चयन वर्ष 2001 की रिक्तियों के सापेक्ष 24 पदों पर करायी गयी। जिसमें से 20 कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 06-05-2012 तक समीक्षा अधिकारी सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत कुल 425 पद रिक्त थे, जिसके सापेक्ष उ0प्र0 सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम-5 के प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती कोटे के 10 प्रतिशत अर्थात् 41 पद रोकते हुए 13+370+1=384 पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। दिनांक 27-5-2012 को अनुभाग अधिकारी के पदों पर 143 समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने के फलस्वरूप लगभग 143 पद और रिक्त हो चुके हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में अपर निजी सचिव के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

82-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में अपर निजी सचिव के कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि अपर निजी सचिव के पद पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से की जाती है ? यदि हां, तो उक्त भर्ती विगत वर्षों में कब की गयी और उससे कितने पद भरे गये ? क्या सरकार शेष रिक्त अपर निजी सचिव के पद पर भर्ती लोक सेवा आयोग उ0प्र0 के माध्यम से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में अपर निजी सचिव के 697 पद सृजित है। चयन वर्ष 2012-13 तक 433 पद रिक्त हो जायेंगे।

जी हां।

अन्तिम बार चयन वर्ष 2001-02 में हुई 11 रिक्तियों पर लोक सेवा आयोग की संस्तुति वर्ष 2004 में प्राप्त होने पर उक्त रिक्तियों को भरा गया।

जी हां। चयन वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक हुई रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती कराएं जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को नियमानुसार 2 प्रतिशत पदों की कटौती करते हुए दिनांक 16-06-2010 को कुल 250 रिक्तियों का तथा दिनांक 09-01-2013 व दिनांक 04-03-2013 को 176 पदों कुल 426 पदों का अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजाजीपुरम् में समुचित सुविधाओं के पूर्ण कराने हेतु तैयार आगणन

83-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गायत्री नगर बिहारीपुर, स्टार पैथोलाजी के बगल वाली गली राजाजीपुरम्, लखनऊ में नाली, सड़क निर्माण तथा पानी हेतु वाटर लाइन डलवाने विषयक श्री ओम प्रकाश, मंत्री भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग का पत्र दिनांक 01-11-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत नाली, सड़क निर्माण कार्य हेतु रु0 9.46 लाख का आगणन तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित कालोनियों में सीवर पाइप डलवाये जाने की मांग

84-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित कालोनियों जैसे गायत्रीनगर नौबस्ता खुर्द, भरत नगर, हरिहर नगर में सीवर पाइप नहीं बिछायी

गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में सीवर पाइप डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत क्षेत्र जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यूआरजी कार्यान्श के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1 में सम्मिलित है। अधिकांश क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जा चुकी है तथा शेष स्थानों पर सीवर लाइन डालने का कार्य कराया जाना शेष है।

जी हां। दिसम्बर, 2013 तक कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के गोमतीनगर के विकास खण्ड से कूड़े के ढेर हटाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

85-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमतीनगर, लखनऊ के विकास खण्ड-5 स्थित भवन संख्या 5/67 के पास कूड़े के ढेर हटाये जाने विषयक संलग्नक सहित श्रीमती कृष्णा पासवान, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 22-10-2012 नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर कूड़े के ढेर का निस्तारण पूर्व में कराया जा चुका है। वर्तमान में स्थल पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद् लोनी के विकास हेतु अवमुक्त धनराशि से कार्यों का विवरण

86-श्री जाकिर अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद लोनी के विकास हेतु वर्ष 2007 से अगस्त, 2012 तक वर्ष वार कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी, कितनी खर्च की गयी एवं कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये ? क्या सरकार योजनावार एवं वर्ष वार कराये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् लोनी के विकास हेतु वर्ष 2007 से अगस्त, 2012 तक अवमुक्त की गयी धनराशि, व्यय की गयी धनराशि एवं कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-236-238 पर।)

कानपुर नगर के 37वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के पास जल भराव की समस्या के निकासी की मांग

87-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-77 तुलसी नगर 37वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के पास गत 30 वर्षों से बड़े पैमाने पर जल भराव रहने से बरसात के समय उक्त क्षेत्र टापूमय हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल निकासी की स्थाई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित सोसाइटी के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के कतिपय एरिया में सीवर लाइन बिछवाये जाने की मांग

88-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-108 की सफेद कालोनी, बगाही, ईदगाह मैदान, बेगमपुरवा तथा नई बस्ती में सीवर लाइन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर सीवर लाइन बिछवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वार्ड-108 की सफेद कालोनी, बगाही ईदगाह मैदान, बेगमपुरवा तथा नई बस्ती में आंशिक सीवर लाइन उपलब्ध है। सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। वार्ड-108 की सफेद कालोनी, बगाही ईदगाह मैदान, बेगमपुरवा तथा नई बस्ती सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-II में सम्मिलित है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों का प्राक्क्लन विरचित किया जाना लक्षित है। यथा प्रक्रिया इसकी स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर प्रश्नगत कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के बाबूपुरवा कालोनी में सीवर, पानी की समस्या का निराकरण

89-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-54 बाबूपुरवा कालोनी ब्लाक नं0 271 से 275 तक के पीछे छोड़ी गली गलीनुमा जगह में सीवर का पानी जमा रहने से आवारा जानवर एवं मच्छरों का व्यापक प्रकोप रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। उक्त क्षेत्र में वर्तमान में सीवर का जल भराव नहीं है।

जब कभी बरसात में जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है, तो जेटिंग मशीन द्वारा सीवर का पानी निकलवा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हर्ष फायरिंग मौतों का विवरण एवं इसे रोके जाने की मांग

90-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हर्ष फायरिंग के दौरान माह मार्च, 2012 से जनवरी, 2013 तक कुल कितने लोगों की मौतें हुई तथा कितने लोग घायल हुये ? क्या सरकार हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाने तथा इसके आरोपी लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में माह मार्च, 2012 से जनवरी, 2013 तक हर्ष फायरिंग के दौरान, कुल 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 43 व्यक्ति घायल हुये हैं। उपरोक्त अवधि में प्रदेश में कुल 61 अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। कुल 39 लाइसेंसियों के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट पुलिस द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की गयी है।

शादी-विवाह, जन्मदिन, विजयी व्रदर्शनों, जुलूसों, लोक जमाव के स्थानों पर खुशी प्रदर्शित करने के दौरान व्यकितगत शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा शस्त्रों के दुरुपयोग एवं फायरिंग की घटनाओं की रोक थाम के लिये शासनादेश संख्या-17 एम0एस0आर0/छः-पु-5-2012, दिनांक 02-05-2012, शासनादेश संख्या-1171आर/छः-पु-5-2012, दिनांक 03-07-2012 एवं शासनादेश संख्या-1172आर/छः-पु-2012, दिनांक 03-07-2012 द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उप महानिरीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिये गये हैं। शस्त्र प्रदर्शन तथा शस्त्र दुरुपयोग के प्रकरणों में न केवल लाइसेंस धारक वरन् आयोजकों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही करने एवं हर्ष फायरिंग के प्रकरणों में आयुध अधिनियम की धारा-17 एवं भारतीय दण्ड संहिता की अन्य संगत विधियों के अनुसार त्वरित प्रभावी कार्यवाही करने के निदेश भी दिये गये हैं जिसमें शस्त्रों का निलम्बन एवं निरस्तीकरण भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

91-श्री रामचन्द्र यादव-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

92-श्री रामचन्द्र यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बलिया के रसड़ा में मुन्सिफ न्यायालय का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

93-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसड़ा जनपद बलिया में आजादी से पूर्व स्थापित मुन्सिफ न्यायालय को कतिपय कारणों से वर्ष 1965-66 में जिला मुख्यालय पर स्थानान्तरित कर दिया

गया था ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी मुन्सिफ बनाये जाने की संस्तुति की गयी तथा 06 अप्रैल, 1998 को मुन्सिफ कोर्ट बनकर तैयार भी हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रसड़ा में मुन्सिफ न्यायालय का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

94-श्री रवि शर्मा-

[4थे मंगलवार के अता0प्र0सं0-91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर में के0 डी0 ए0 कालोनी केसा लेन की गली में सड़क एवं गली का निर्माण कराये जाने की मांग

95-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 के0डी0ए0 कालोनी, केसा लेन की दूसरी गली में सड़क एवं नाली निर्माण हेतु दो बार टेण्डर होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उक्त कार्य मा0 मंत्री, कोयला मंत्रालय की निधि से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्रगति पर है।

माह मार्च के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के कतिपय एरिया के मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

96-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के श्याम नगर क्षेत्र में श्याम नगर से गंगा नगर, रामपुरम्, चाणक्यपुरी, जवाहरपुरम् व मंगला विहार से रामादेवी जाने वाला मार्ग जिस पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के मदरलैण्ड स्कूल वाली कच्ची सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

97-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 में मंगला विहार-2 में ट्रान्सफार्मर से मदरलैण्ड स्कूल वाली कच्ची सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

कानपुर नगर के ओमपुरवा हरियाणा दाल मिल के पीछे पेयजल समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

98-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-44 ओमपुरवा हरियाणा दाल मिल के पीछे जलापूर्ति न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वार्ड-44 ओमपुरवा हरियाणा दाल मिल के पीछे पाइप लाइन नहीं है। नगर को पेयजल से आच्छादित करने का कार्य जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

कानपुर नगर के श्याम नगर में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

99-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत श्याम नगर में म0नं0 57/1 से 57/8 एवं म0नं0 63बी से 67बी के सामने तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बालिका महाविद्यालयों पर छुट्टी के समय पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाये जाने की मांग

100-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छात्राओं के साथ बढ़ती अमानवीय घटनाओं के दृष्टिगत प्रत्येक बालिका महाविद्यालय पर छुट्टी के समय कालेज के आस-पास सादा/पुलिस वर्दी में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश सरकार के गठन के बाद से छात्राओं के विरुद्ध घटित किसी भी अपराध की रोकथाम हेतु शासन अत्यन्त सतर्क एवं सजग है। छात्राओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा इनके विरुद्ध घटित अपराधों में त्वरित कार्यवाही के लिये शासन कटिबद्ध है। छात्राओं के स्कूलों/कालेजों/भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं कोचिंग सेन्टर के आस-पास मोबाइल ड्यूटी लगाई जाती है। छात्राओं के स्कूलों/कालेजों के खुलने एवं बन्द होने के समय सादे कपड़े में महिला एवं पुरुष आरिक्षयों की ड्यूटी लगाये जाने के लिए निर्देश दिये गये है, जिससे छेड़खानी करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इसके फलस्वरूप ऐसे अपराधों में कमी आई है। प्रत्येक जनपद में महिला सहायता प्रकोष्ठ तथा थानों पर गठित विशेष डेस्क में संवेदनशीन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इनके कार्यों की समीक्षा नियमित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाती है। स्कूलों/कालेजों की छात्रओं अथवा अन्य टारगेट ग्रुप को पुलिस एवं विधिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन में व्यवहारिक जानकारी दी जाती है।

इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नम्बर 1090 की शुरुआत की गयी है, जिस पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। छात्राओं के साथ घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु समय-समय पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्तर से प्रदेश के समस्त जनपद प्रभारियों को दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया की स्थापना कराये जाने की मांग

101-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की बैरिया तहसील में बिहार सीमा पर नये पुलिस थाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नये थाने की स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया मुख्यालय को नगर पंचायत बनाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

102-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की बैरिया तहसील मुख्यालय बैरिया को नगर पंचायत बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बैरिया को कब तक नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जनपद बलिया की बैरिया तहसील मुख्यालय को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने की मांग

103-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की बैरिया तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तहसील बैरिया में कब तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। किसी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग

104-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2013 में स्थानीय प्रशासन, कांठ जनपद मुरादाबाद ने अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम रसूलपुर में भूमि आरक्षित कर दी है ? यदि हां, तो सरकार तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय मोहल्ला में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

105-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के मुहल्ला शंकरपुर व इस्लामाबाद में विगत 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त आंतरिक सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। मोहल्ला शंकरपुर एवं इस्लामाबाद की लगभग 70 प्रतिशत सड़कें खड़न्जा, इन्टरलॉक/सी0सी0/पेटेन्ड करायी जा चुकी हैं। अवशेष सड़कों का निर्माण/मरम्मत आगामी वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु प्राप्त पत्रों का निस्तारण कराये जाने की मांग

106-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में 35 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर सरकार द्वारा दस हजार रुपया दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में इस योजना में लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जी हां।

35 वर्ष से कम आयु की विधवाओं जो आयकर दाता न हो, से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपया 11000/- की एकमुश्त धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 क्रमशः 09, 06 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, सत्यापन में सभी आवेदक अपात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के सुजानपुर की कच्ची सड़कों को बनवाये जाने की मांग

107-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत वार्ड-53 देहली सुजानपुर में आदर्श विहार की कच्ची सड़कों की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में खुदाई के उपरांत आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम में यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत कानपुर सीवरेज वर्क्स इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 (पार्ट-III) में कानपुर नगर के वार्ड संख्या-53 देहली सुजानपुर के आदर्श विहार में क्रमशः सीवर लाइन एवं वाटर लाइन बिछाई गई है। सीवर लाइन एवं वाटर लाइन के बिछाने हेतु काटी गई कच्ची सड़कों को सीवर लाइन एवं वाटर लाइन बिछाने के उपरान्त पूर्वानुरूप पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण कराये जाने की मांग

108-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में अलग-अलग श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि सिंचाई, लोक निर्माण व गृह विभाग व अन्य कई विभागों में तैनात समीक्षाधिकारियों/सहायक समीक्षाधिकारियों/कम्प्यूटर

सहायकों का स्थानान्तरण 11-15 वर्षों से नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि एक ही विभाग/अनुभाग में 11-15 वर्ष तक तैनाती के क्या कारण है ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुसार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0 प्र0 सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17-08-2004 द्वारा स्थानान्तरण नीति जारी की गयी है जिसके अनुसार उ0 प्र0 सचिवालय के समूह 'ग' के कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक शाखा अधिष्ठान में अधिकतम 10 वर्ष तक एवं समूह 'ख' के अधिकारी को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक शाखा अधिष्ठान में अधिकतम 07 वर्ष की अवधि तक तैनात रखा जा सकता है।

समूह 'क' के अधिकारियों में से अनु सचिव/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अधिकतम 05 वर्ष एवं संयुक्त सचिव/विशेष सचिव स्तर तक अधिकारी को अधिकतम 03 वर्ष तक उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक शाखा अधिष्ठान में तैनात रखा जा सकता है।

शासकीय कार्य हित में सिंचाई विभाग में 15 समीक्षा अधिकारी, 06 सहायक समीक्षा अधिकारी, गृह विभाग में 33 समीक्षा अधिकारी, 09 सहायक समीक्षा अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग में 04 सहायक समीक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। कम्प्यूटर सहायकों में कोई भी कार्मिक स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 11-15 वर्षों से तैनात नहीं है।

शासकीय हित।

जी हां। स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के श्यामनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

109-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के श्यामनगर डी ब्लाक स्थित भवन सं0 163-डी से 180 डी तक एवं वार्ड-53 रामपुरम् श्यामनगर में बी0डी0 सिंह के दरवाजे से मंगला विहार-2 से 80 फिट रोड तक सड़क न होने से क्षेत्र में आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के ओमपुरवा थाना चकेरी में पयेजल एवं सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने की मांग

110-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के 25000 की आबादी वाले वार्ड-44 ओमपुरवा थाना चकेरी के पास विगत 40-50 वर्षों से न पीने के पानी की व्यवस्था है न ही सीवर लाइन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वार्ड-44, ओमपुरवा थाना चकेरी में ओमपुरवा स्थित जोनल पम्पिंग स्टेशन से जलापूर्ति की जा रही है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार उक्त क्षेत्र को पुनर्गठित करते हुए एक नये जोनल पम्पिंग स्टेशन तथा पाइप लाइन्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विषयगत क्षेत्र में सीवर लाइन की आंशिक व्यवस्था है। सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। विषयगत क्षेत्र सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 में सम्मिलित है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज कार्यों का प्राक्कलन विरचित कर लिया गया है। प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कैटिल कालोनियों का निर्माण कराये जाने की मांग

111-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशुओं को नगर क्षेत्र के बाहर ले जाने हेतु कैटिल कालोनियों के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब से प्रारम्भ की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस में उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी कैटिल कालोनियों का निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

1998 से प्रारम्भ हुई।

लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड पर बालागंज के निकट कामधेनु नगर योजना के नाम से 458 प्लाट विकसित किये गये। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा गोकुल ग्राम योजनान्तर्गत तकरोही, इन्दिरानगर में 69 भू-खण्ड विकसित किये गये। देवपुर पारा, राजाजीपुरम् क्षेत्र में 804 भू-खण्ड विकसित किये गये।

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत नैनी में 106 भू-खण्ड, 07 दुकानें एवं 01 पशु चिकित्सालय तथा फाफामऊ में 61 भू-खण्ड, 06 दुकानें एवं 01 पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया गया।

वाराणसी नगर निगम सीमान्तर्गत स्थल की अनुपलब्धता के कारण किसी भी कैटिल कालोनी का निर्माण नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

112-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

113-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कानपुर नगर की चन्द्र नगर में सीवर व सड़क की व्यवस्था कराये जाने की मांग

114-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर स्थित वार्ड-44 के चन्द्र नगर स्थित सरस्वती स्कूल के सामने सीवर लाइन एवं सड़क न होने एवं ओमपुरवा पोस्ट आफिस वाली गली में पड़ी सीवर लाइन का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अधूरी सीवर लाइन के कार्य को पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के वार्ड-44 अन्तर्गत चन्द्र नगर स्थित सरस्वती स्कूल के सामने श्री बटेश्वर तिवारी के आवास तक सीवर लाइन पूर्व में विधायक निधि से डाली गयी है, जो चालू स्थिति में है तथा ओमपुरवा पोस्ट आफिस वाली गली में सीवर लाइन है। सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार कानपुर नगर को चार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। प्रश्न में वर्णित ''वार्ड-44 के चन्द्र नगर स्थित सरस्वती स्कूल वाली गली, ओमपुरवा पोस्ट आफिस वाली गली'' सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I में सम्मिलित है। एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-I हेतु सीवरेज कार्यों का प्राक्कलन विरचित करते हुए भारत सरकार स्वीकृति हेतु भेजा गया है। प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धनावंटन के पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन बिछायी जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर की नगर पंचायत हरिहरपुर में मार्ग व नालियों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

115-श्री अजय मिश्रा 'टेनी'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला संत कबीर नगर की नगर पंचायत-हरिहरपुर के अम्बेडकरनगर (सवापार) वार्ड में श्री घनश्याम वर्मा (लेखपाल) के घर से राम अचल बेलदार माध्यमिक विद्यालय होते हुए श्री मूरत पाण्डेय के घर तक का मार्ग व नालियां जीर्णशीर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग व नालियों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सम्बन्धित निकाय के बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षणोपरान्त नियमानुसार उक्त मार्ग व नालियों का पुनर्निर्माण कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में अवैध सुअर पालकों के विरुद्ध कार्यवाही

116-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सुअर पालन पर प्रतिषेध है ? यदि हां, तो क्या उदयगंज रोड, ओ0सी0आर0 व आलमबाग सहित लखनऊ नगर में अवैध सुअर पालकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

लखनऊ नगर निगम द्वारा पिग अभियान चलाकर दिनांक 26-12-2012 को आलमबाग क्षेत्र से 07 सुअर तथा दिनांक 28-12-2012 को उदयगंज रोड, ओ0सी0आर0 से 07 सुअरों को पकड़ कर कांजीहाउस में बन्द कराया गया। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उक्त क्षेत्र के सुअर पालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जाती है। दिनांक 04-8-2012 से दिनांक 5-1-2013 नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों से 212 सुअरों को पकड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर के कतिपय मोहल्लों में नाला साफ कराये जाने की मांग

117-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला बहादुरगंज पचराहा के पास तथा मोहल्ला चमकनी में नाले पर दीवार बनाकर नाला चोक किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दीवार तुड़वाकर नाला साफ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नालों के ऊपर भवन स्वामियों एवं दुकानदारों द्वारा स्लैब डालकर उपयोग किया जा रहा है तथापि नालों का जल प्रवाह अवरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनिया की अनेकों ग्राम सभाओं को नगर निगम अधिकार क्षेत्र में शामिल कराये जाने की मांग

118-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी के रोहनिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कंदवा, सुसुवाही, चितईपुर, अवलेशपुर, अमराखैरा, मडुआडीह, शिवदासपुर, कंचनपुर, भिखारीपुर, करौंदी, नाथूपुर, जलाली पट्टी एवं मडौली ग्राम-सभाओं को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन ग्राम-सभाओं को कब तक वाराणसी नगर निगम में शामिल कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्राप्त प्रस्ताव का सम्यक् परीक्षण करने के बाद शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जी0आर0पी0 के आरक्षी स्व0 केदार नाथ मिश्र की मृत्योपरान्त मृतक आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग

119-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 केदारनाथ मिश्र आरक्षी जी0आर0पी0 अनुभाग लखनऊ, थाना सीतापुर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अरविन्द कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/094877/048/12-13, दिनांक 20-06-12 तथा पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/157014/2043/12-13, दिनांक 20 जनवरी, 2013 उन्हें तथा पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/094891/047/12-13, दिनांक 26-06-2012, प्रमुख सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

स्व0 कान्स0 केदारनाथ मिश्र की मृत्यु दिनांक 09-07-1991 को हुई थी। मृतक आश्रित पुत्र श्री अरविन्द कुमार मिश्र द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु दिनांक 18-11-2010 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। मृतक आश्रित नियमावली में कार्मिक की मृत्यु के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन हेतु आवेदन करने की व्यवस्था है। मृतक आश्रित पुत्र श्री अरविन्द कुमार मिश्र द्वारा अपने पिता की मृत्यु की तिथि से लगभग 19 वर्ष बाद सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया। प्रकरण के कालबाधित होने के कारण श्री अरविन्द कुमार मिश्र को सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए समय सीमा में छूट प्रदान करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग (अधिष्ठान) में वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

120-श्री उपेन्द्र तिवारी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के चौथे सोमवार हेतु निर्धारित डा0 धर्मपाल सिंह, मा0 विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-2 के संदर्भ में क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 (अधि0) में प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार कवर उपलब्ध न होने की सूचना के सम्बन्ध में सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 23-01-2013 को स्पीडपोस्ट से भेजे गये श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री आनन्द भूषण गौड, श्री मो0 इस्माइल तथा श्री दिनेश चन्द्र तिवारी का प्रश्नगत सामूहिक प्रत्यावेदन दिनांक 03-06-1993 प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 (अधि0) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 03-06-1993 के पृष्ठ

2-6 पर अंकित प्रस्तर 4 (1)(2)(3)(4)(5)(8) में कौन-कौन से मूलभूत तथ्यात्मक आधारों की जानकारी दी गई है ? क्या मूलभूत तथ्यात्मक आधार सही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4537/बीस-ई-5-50/92 दिनांक 13-07-1993 द्वारा प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची को तैयार किये जाने में उक्त सभी मूलभूत तथ्यात्मक आधारों को कार्मिक विभाग, न्याय विभाग तथा महाधिवक्ता की जानकारी में परामर्श प्राप्त करने हेतु लाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 03-6-1993 के पृष्ठ-2-6 पर अंकित प्रस्तरों में वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में अभिकथन किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के कर्मचारियों के विनियमितीकरण स्थानापन्न पदोन्नति में प्रश्नगत नियमावली के अनुसार लोक सेवा आयोग की सहमति की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी

121-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु ''उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990'' प्रख्यापित करने के पूर्व इस पर लोक सेवा आयोग की अनुमति/परामर्श प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या उ0प्र0 लोक सेवा आयोग ने अपनी सहमति उक्त नियमावली, 1990 को प्रख्यापन किये जाने के पक्ष में दी थी ? क्या उक्त नियमावली, 1990 को प्रख्यापित करने के पूर्व क्या उ0प्र0 पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन, 1954 के नियम-6 (सी) को संशोधित किया गया ? क्या उ0प्र0 पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन 1954 के नियम-6 (सी) को संशोधित किये बिना उक्त नियमावली, 1990 विधिक रूप से मान्य है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उक्त नियमावली को बनाये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश सचिवालय के सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामान्य नियमावली, 1988 के प्राविधानों को उक्त नियमावली की परिधि में लाये जाने के दृष्टिगत आयोग का अभिमत प्राप्त किया गया था जिस पर लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्ट असहमति व्यक्त की गयी थी। लोक सेवा आयोग की असहमति के उपरान्त नियमावली का प्रस्ताव मा0 मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा लोक सेवा आयोग की असहमति को संज्ञान में लेते हुए नियमावली के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। पूर्व में अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार ही उ0 प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग

सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 का प्रख्यापन की प्रक्रिया अपनायी गयी थी। जिसमें लोक सेवा आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं रह गयी थी।

उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

जी नहीं।

मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त प्रख्यापित की गयी नियमावली विधिक रूप से मान्य है।

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग में अवर वर्ग सहायकों को स्थायी किये जाने सम्बन्धी जानकारी

122-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1437/20-ई-5-153/1986 दिनांक 24 मई, 1986 द्वारा वर्ष 1974 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये अवर वर्ग सहायकों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थायी किये जाने हेतु सूचनाएं अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त अनुभागों से मांगी गई थीं ? क्या यह भी सही है कि अपने उक्त आदेश दिनांक 24-05-1986 का अनुपालन न करते हुये सरकार द्वारा उनसे कनिष्ठ तथा अनुवर्ती वर्षों यथा वर्ष 1978, वर्ष 1983 आदि में चयनित अवर वर्ग सहायकों को अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी कर दिया गया ? यदि हां, तो वर्ष 1974 बैच के अवर वर्ग सहायकों को कब तक अवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 के नियम-21 में प्रवर वर्ग सहायक के 33 प्रतिशत पद पोषक संवर्ग के कतिपय अन्य पदों के साथ स्थायी अवर वर्ग सहायकों से भरे जाने का प्राविधान था। उ0 प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 के नियम-4 (1) में स्थानापन्न पदोन्नतियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में यह प्राविधान किया गया कि आयोग द्वारा अवर वर्ग सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो और तत्पश्चात् 01-04-1989 के पूर्व प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न हैसियत में पदोन्नत किया गया हो और इस रूप में निरन्तर कार्यरत हो। इस प्रकार उक्त नियमावली, 1990 में किये गये प्राविधान से प्रवर वर्ग सहायक पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कार्मिकों को उक्त पद पर विनियमित किये जाने हेतु अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी होने की अनिवार्यता नहीं रह गई थी। वर्ष 1974 में लोक सेवा आयोग से अवर वर्ग सहायक के पद पर चयनित कार्मिकों को उक्त नियमावली, 1990 के नियम-4 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर वर्ग सहायक के पद पर दिनांक 23-7-90 को विनियमित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की मांग

123-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रकरण विगत कई वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो समेकित बाल संरक्षण योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने हेतु क्या सरकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

राज्य सरकार बालकों के अधिकार, संरक्षण एवं उनके कल्याण के लिए कटिबद्ध है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मीराबाई मार्ग विधायक निवास-5 के प्रवेश द्वार पर नाली को गहरा करवाये जाने की मांग

124-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक, निवास-5 मीराबाई मार्ग (आफिसर्स हास्टल) के प्रवेश द्वार पर नाली का गन्दा पानी बह कर विधायक निवास में आ जाने से वहां भयंकर संक्रामक रोग फैलने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रवेश द्वार पर स्थित नाली को गहरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्थल पर पूर्व से ही नौ इन्च की गहरी नाली बनी हुई है, जिससे लम्बवत् दो बिजली केबिल पाइप विधायक निवास-5 के अन्दर की ओर गये हैं, जिसमें नाली में यदा-कदा पालीथीन एवं कूड़ा आदि फंस जाने पर जल निकासी अवरुद्ध होने पर पानी नाली के बाहर आ जाता है, जिसकी सफाई करायी जाती रहती है।

पश्चिमी उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित कराये जाने की मांग

125-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ पश्चिमी उ0प्र0 में स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद से रूहेलखण्ड मण्डल की दूरी अधिक होने के दृष्टिगत रूहेलखण्ड मण्डल का न्यायिक क्षेत्राधिकार, लखनऊ बेन्च से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

126-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव

127-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नियमित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को नियमित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली संचालित करने की योजना

128-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए, ड्यूटी अवकाश, नियुक्ति, निष्कासन, पेंशन आदि के लिए कोई सेवा नियमावली सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मदरसा आधुनिकीकरण योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जो पूर्णतया अस्थाई है। योजना के संचालन हेतु दिनांक 29-10-2008 को भारत सरकार द्वारा गाईड लाइन निर्गत की गयी है, जिनके अधीन योजना संचालित की जा रही है।

मदरसों के संचालन हेतु बजट प्राविधान

129-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 2108 मदरसों हेतु वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 का बजट प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो क्या बजट की धनराशि को जनपदों में स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। दिनांक 19-2-2013 को 2097 मदरसों हेतु जनपदों में धनराशि का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा 11 मदरसे संचालित न होने के कारण उनके लिये धनराशि का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

130-श्री जय प्रकाश अंचल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर नगर की अनेकों सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

131-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के 2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों का आगणन तैयार कराया जा चुका है उनका कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 के 2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर में जिन सड़कों का आगणन तैयार किये जाने का उल्लेख किया गया था उन कार्यों की निविदाएं दिनांक 12-03-2013 को आमंत्रित की गयी हैं। निविदाओं की स्वीकृति के उपरान्त कार्यादेश जारी कर कार्य कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में कब्रिस्तानों एवं शमशान स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण

132-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 में शमशानों/अन्त्येष्टि स्थलों तथा कब्रिस्तानों की चहारदीवारी हेतु कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उसके सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त धनराशि से दिनांक 31-01-2013 तक कुल कितने कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण हो गया तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची विकास खण्ड-वार सदन के पटल पर उपलब्ध कराते हुए शेष बचे कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों की भी चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का

निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद सोनभद्र को रु0 54.64 लाख की धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सोनभद्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित किये गये कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है।

उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि से दिनांक 31-01-2013 तक जनपद सोनभद्र में चिन्हित/चयनित किसी भी कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1052/52-2-2012-2 (69)/07 टी0सी0-3, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जनपद की प्रत्येक तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की तहसीलवार एवं नगरीय क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सूची नगर निकायवार बनायी जानी है। उक्त के क्रम में जनपद सोनभद्र में कुल 201 कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हित किया गया है। तद्नुसार जनपद स्तर पर चिन्हित/चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि

133-श्री जाकिर अली-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उसके सापेक्ष कितना विकास कार्य कराया गया तथा कितने कार्य होने शेष हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, इन्दिरा आवास, हैण्डपम्पों की स्थापना, आई0टी0आई0 भवन, विद्यालयों के भवन, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा राजकीय पालिटेक्निक के भवन निर्माण आदि के लिए कुल रु0 19107.380 लाख अवमुक्त किया गया है। अवमुक्त की गयी धनराशि से जनपदों में उक्त निर्माण कार्य जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपदों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की मांग

134-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या और फैसलों में बिलम्ब को देखते हुए क्या प्रदेश के 12 जनपदों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तैनात करने का फैसला सरकार ने किया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से जनपद हैं ? क्या सरकार जनपद गाजियाबाद में भी विशेष न्यायायिक मजिस्ट्रेट तैनात किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तैनात किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होती है। प्रदेश के 12 जनपदों एवं जनपद गाजियाबाद में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट तैनात किये जाने की कोई संस्तुति मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त नहीं है।

जनपद गाजियाबाद का कम्प्यूटरीकरण

135-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कितने थानों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आनलाइन कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार जनपद के शेष थानों को कम्प्यूटरीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद में कुल 14 थानें हैं, इनमें से 13 थानों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है, परन्तु आनलाइन थानों की संख्या शून्य है। 01 थाना कम्प्यूटरीकृत किया जाना शेष है।

जी हां। भारत सरकार की सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना के अन्तर्गत मई, 2014 तक जनपद के समस्त थानों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आनलाइन किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

136-श्री जाकिर अली-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद नगर में गिरते भू-गर्भ जल स्तर के उपाय हेतु यमुना नदी पर वाटर वर्क्स बनाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

137-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में गिरते भू-गर्भ जलस्तर के कारण पीने के पानी की अत्यन्त विकराल समस्या के समाधान हेतु झेला झाल से पानी उपलब्ध कराने तथा यमुना नदी पर वाटर वर्क्स बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-5 076709, दिनांक 31-05-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत फिरोजाबाद शहर की परियोजना 2005-06 में बनायी गयी थी, परन्तु शहर में अक्टूबर, 2008 में 13 ग्राम सभायें सम्मिलित होने के

कारण शहर का रि-आर्गनाइजेशन कराया जाना है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) के अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) कार्यान्श के आगामी चरण के प्रारम्भ होने की संभावना है। यदि उक्त चरण प्रारम्भ होता है और नई परियोजनाओं को लिया जाता है, तो फिरोजाबाद की पेयजल परियोजना विरचित की जायेगी। फिरोजाबाद नगर की पेयजल परियोजना बनाते समय पत्र दिनांक 31-5-2012 में इंगित बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जायेगा तथा संभावित विकल्पों पर विचार करते हुए जो विकल्प तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त पाया जायेगा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के थानों में अपराध पंजीकृत का रिकार्ड एवं न्यायालय के आदेश का विवरण अंकित करने सम्बन्धी जानकारी

138-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में अपराध पंजीकृत होने पर अपराधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें का पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, परन्तु उक्त मुकदमों का न्यायालय द्वारा निस्तारण किये जाने पर न्यायालय के आदेश का विवरण अपराध रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराध रजिस्टर में न्यायालय के आदेशों को दर्ज कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के थानों में अपराध पंजीकृत होने पर अपराधियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें का पूर्ण विवरण अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नम्बर 04) में दर्ज किया जाता है तथा मुकदमों का न्यायालय द्वारा निस्तारण किये जाने पर न्यायालय के आदेश का विवरण थाने के अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नम्बर 04) स्थायी अभिलेख ग्राम अपराध रजिस्टर नम्बर 08 एवं सजायावी रजिस्टर तथा छाप अंगुष्ठ रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने की मांग

139-श्री अनीसुर्रहमान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 7-6-2012 को मा0 उच्च न्यायालय को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 26-7-2012 को प्रेषित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है किसी न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में

मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई अभिमत/संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अनेकों एरिया में सड़कों की मरम्मत एवं पेयजल की समस्या का समाधान कराये जाने की मांग

140-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड 53 में न्यू आजाद नगर में प्रियदर्शनी स्कूल एवं मुक्तेश्वरी स्कूल के सामने की सड़क एवं शिवपुरम् कोयला नगर में सड़कें विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त हैं तथा क्षेत्र में पेयजल की भी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने एवं पेयजल की समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न कराये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं है। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के सुजानपुर में जल भराव की समस्या का निराकरण

141-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड 53 की के0डी0ए0 कालोनी देहली सुजानपुर के राधापुरम् की कच्ची सड़कें एवं केसा लेन की दूसरी गली के चारों ओर की सड़कें बन जाने से उक्त गली का तल नीचा हो गया है जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तल ऊंचा करके उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

मा0 कोयला मंत्री, भारत सरकार की निधि से केसा लेन की दूसरी गली का तल ऊंचा करके सड़क बनवाने का कार्य प्रगति पर है।

अन्य कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

142-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में भू-गर्भ जलस्तर गिरने के कारण उत्पन्न भीषण पेयजल संकट के निवारण हेतु ''झेला-झाल'' से सतही जल (सरफेस वाटर) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक क-55,076823 दिनांक 28-12-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सन्दर्भित पत्र दिनांक 28-12-2012 प्राप्त हुआ है। फिरोजाबाद नगर के बाह्य क्षेत्र में केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड द्वारा किये गये परीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उचित स्राव के भूमिगत स्त्रोतों एवं सतही स्त्रोंतो से जल लेकर नगर में आपूर्ति करने हेतु पेयजल योजना बनायी जा रही है। फिरोजाबाद नगर की वर्ष 2045 की परिकल्पित जनगणना हेतु 155 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) पानी की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति हेतु निचली गंगा नहर प्रणाली से सतही जल लेकर फिरोजाबाद तक लाने, सतही जल का शोधन करने एवं वितरण करने की योजना बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर वित्तीय एवं तकनीकी रूप जो विकल्प उपर्युक्त पाया जायेगा, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के सतिगवा रोड के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

143-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के चिश्ति नगर सनिगवा रोड की सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनमानस की असुविधा को देखते हुये उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

फिरोजाबाद नगर के अनेकों मोहल्लों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने की मांग

144-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर के दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत पेमेश्वर गेट, हुण्डावाला बाग, मुहम्मदगंज, बगिया, राजपूताना, गली बोहरान छोटी/बड़ी छपैरी

एवं कन्हैय्या नगर आदि मोहल्लों में पेयजल की भारी परेशानी को दूर करने के लिये कन्हैय्या नगर स्थित ''शिवाजी पार्क'' में क्या सरकार एक अवर-जलाशय (ओवर हैड टैंक) का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

फिरोजाबाद जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श से आच्छादित है। प्रथम चरण में प्रदेश के लिए आवंटित परिव्यय के सापेक्ष परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण प्रारम्भ होने की स्थिति में तथा परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति व धन की उपलब्धता के पश्चात् ही संदर्भित कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर के अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने की मांग

145-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र शीतल खां, गालिबनगर, हाजीपुरा, हुसैनी मोहल्ला, शीशग्रान मोहल्ला, छतरीवाला कुआं, इमामबाडा आदि मोहल्लों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये सर्कूलर रोड-हुसैनी मोहल्ला में क्या सरकार एक अवर जलाशय (ओवर हेड टैंक) का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

फिरोजाबाद जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श से आच्छादित है। प्रथम चरण मे प्रदेश के लिए आवंटित परिव्यय के सापेक्ष परियोजनायें स्वीकृत करायी जा चुकी हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण प्रारम्भ होने की स्थिति में तथा परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति व धन की उपलब्धता के पश्चात् ही संदर्भित कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के मंगला विहार में पेयजल एवं सीवर का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

146-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 के अन्तर्गत मंगला विहार-2 शिव मंदिर ज्योति टेंट हाउस के निकट की सभी गलियों में वाटर एवं सीवर लाइन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलियों में सीवर, एवं वाटर लाइन के कार्य को करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्श के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में कानपुर नगर के पेयजल कार्यो हेतु परियोजना विरचित करते समय वार्ड 53 के मंगला विहार-2, शिव मंदिर तथा ज्योति टेन्ट हाउस के निकट के क्षेत्र विकसित नहीं होने के कारण परियोजना में सम्मिलित नहीं किये जा सके। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) के अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 के अवशेष सीवरेज कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार सीवरेज कार्यो का प्राक्कलन विरचित कर लिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित कार्यो के प्राक्कलन की स्वीकृति में कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के आनन्द नगर गली में सीवर लाइनों की मरम्मत कराये जाने की मांग

147-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के जगई पुरवा आनंद नगर गली नं0-4 के सीवर लाइन उल्टे ढलान के बने होने से क्षेत्र के नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उल्टी सीवर लाइनों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के वार्ड-44 के अन्तर्गत जगईपुरवा, आनन्द नगर गली नं0-4 में वर्ष 1995-96 में सीवर लाइन डाली गयी थी। समुचित ढलान न होने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण सीवर का दबाव बढ़ जाने से इस क्षेत्र में सीवर की समस्या रहती है, जिसे समय-समय पर सफाई कराकर चालू कराया जाता है। पुरानी सीवर लाइनों के स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम)/राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथारिटी (एन0जी0आर0बी0ए0) के अन्तर्गत प्रस्तावित है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित कार्यो के प्राक्कलन की स्वीकृति व धन की उपलब्धता की स्थिति में कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के न्यू आजाद नगर में बिजली के पोल लगवाये जाने की मांग

148-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 न्यू आजाद नगर में बिजली के खम्भे न होने से बांस के खम्भों द्वारा दूर-दूर से तार खींचकर बिजली दी गयी है, जिससे प्रायः जान माल की क्षति भी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बिजली के पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नगर निगम द्वारा इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जी नहीं। प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के तुलसी नगर के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

149-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 श्याम नगर, तुलसी नगर ई ब्लाक में वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य न होने से क्षेत्र की जनता को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सड़क मरम्मत/निर्माण का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के के0 डी0 कालोनी की सड़क बनवाये जाने की मांग

150-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 देहली सुजानपुर केडीए, कालोनी म0नं0-48 से 89 तक सड़क न होने से उक्त कालोनीवासियों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर निगम के संविदा कर्मचारियों को पुनः वापस लिये जाने की मांग

151-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग में पन्द्रह वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन संविदा कर्मचारियों को पुनः वापस लिये जाने की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गाजियाबाद में कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की मांग

152-श्री जाकिर अली-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में कब्रिस्तानों की चहारदीवारी हेतु कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गई तथा उसके सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितने कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्मित हो गयी है तथा कितनी शेष हैं ? क्या सरकार शेष कब्रिस्तानों की भी चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तनों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के विर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद गाजियाबाद को रु0 334.84 लाख की धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्त आवंटित धनराशि को कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद यूनिट संख्या-31 को चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश सहित हस्तांतरित कर दी गयी है।

जनपद गाजियाबाद में कुल चिन्हित कब्रिस्तानों की संख्या-508 है। प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1052/52-2-2012-2(69)/07टी0सी0-3, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2012-13 में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 13 तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थित 05 कब्रिस्तानों को चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु चयनित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम लक्खारामपुर में अष्टधातु की चोरी गई मूर्ति विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

153-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम लक्खारामपुर में छह माह पूर्व प्राचीन राम जानकी मन्दिर से दुर्लभ अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई थीं ? यदि हां, तो मूर्तियों को शीघ्र बरामद करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/12-13/क- एस0नं0-157322/3034, दिनांक 04-02-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। दिनांक 11-10-2012 को वादी पूजा राम पाठक पुत्र श्री मिश्री लाल पाठक, ग्राम-लक्खापुर, थाना-विशेश्वरगंज, जनपद-बहराइच द्वारा दिये गये तहरीर पर प्राचीन राम जानकी मन्दिर से 03 अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो जाने के उपरान्त मु0अ0सं0-378/2012, धारा-457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत हुए थे। उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0ना0पु0 संजय दुबे द्वारा की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु संदिग्ध/क्रियाशील अपराधियों से पूछ-तांछ तथा चोरी हुई मूर्तियों की बरामदगी का सतत् प्रयास जारी है।

प्रदेश में सूदखोरों के उत्पीड़न को रोकने के उपाय

154-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूदखोरों द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। साहूकारों द्वारा गरीब व असहाय व्यक्तियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु उ0प्र0 रेगुलेशन ऑफ मनी लैन्डिंग एक्ट, 1976 बनाया गया है, जिसे सख्ती से लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी उ0प्र0 एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा परिपत्र प्रेषित कर कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के ब्लाक छप्पन भोग की पीछे वाली गली पर सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

155-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53, ई ब्लाक छप्पन भोग के ठीक पीछे वाली गली में सड़क न होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग

156-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-77, गिरजा नगर में म0नं0-147 ए के पास जल निकासी की समस्या है जिससे

सम्पूर्ण क्षेत्र में जलभराव रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी की सड़कों को बनवाये जाने की मांग

157-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में छावनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड-53 न्यू आजाद नगर, सतबरी रोड पर स्थित यादव चौराहा से सम्पर्क मार्ग तक सड़क न बनाये जाने से क्षेत्रवासियों को अत्यन्त असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के आक्सफोर्ड स्कूल की जर्जर सड़क को बनवाये जाने की मांग

158-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के श्याम नगर स्थित पीएसी रोड में आक्सफोर्ड स्कूल की सड़क अत्यन्त जर्जर होने से यहां पर आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सभाओं को नगर पालिका परिषद् में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

159-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2228/09.02.08-24-सी0एम0/07, दिनांक 20-10-2008 के द्वारा 13 ग्राम सभाओं को नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में सम्मिलित किये जाने से नगर पालिका फिरोजाबाद की 4,80056 की आबादी के अनुसार राज्य वित्त आयोग से अनुदान दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक क 5076731, दिनांक 18-07-2012 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 18-07-2012 के संदर्भ में मा0 सदस्य को पत्र दिनांक 16-08-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया है और आयोग को वांछित सूचनायें/विवरण उपलब्ध करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के चिड़ीमार मोहल्ले में सड़क, सीवर व पेयजल की समस्या का समाधान कराये जाने की मांग

160-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के बाबूपुरवा बगाही में चिड़ीमार मुहल्ले में सड़क, सीवर लाइन एवं पेयजल की समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बाबूपुरवा बगाही में चिड़ीमार मुहल्ले में सीवर लाइन एवं पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। सड़क निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के महादेव मन्दिर की एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

161-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में वार्ड-53 के अंतर्गत न्यू आजाद नगर बाई पास रोड पर चौधरी ढाबा के बगल से सतबरी रोड पर स्थित रामेश्वरम् महादेव मंदिर तक एप्रोच रोड न होने के कारण मुख्य मार्ग तक आने में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के सतबरी रोड का निर्माण कराये जाने की मांग

162-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 के न्यू आजाद नगर बाईपास रोड, राधिका विद्या मंदिर से सतबरी रोड तक रोड निर्माण न होने के कारण क्षेत्र में आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं हैं। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के कुरसन्डा कस्बे को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

163-श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत बिसावर तथा कुरसन्डा कस्बों को जिनकी आबादी लगभग 15000 है, को नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-01-13 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त तिथि का नहीं, अपितु दिनांक 20-02-2013 का पत्र विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत बिसावर एवं कुरसन्डा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है। उक्त दोनों ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, हाथरस से कतिपय बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख मांगे गये हैं।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद की पुलिस चौकी को थाना बनवाये जाने की मांग

164-श्री देवेन्द्र अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत मई तथा बिसावर पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से पत्र दिनांक 11-02-2013 द्वारा आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के विशेश्वर नगर में पानी की निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

165-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखनऊ के थाना-कृष्णा नगर के गुरुनानक वार्ड के विशेश्वर नगर में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जल भराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

जल निकासी की व्यवस्था समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है। मानसून से पूर्व पुनः नालों की सफाई कर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनियां में सीवर लाइन बिछाने एवं सीपेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कराये जाने की मांग

166-श्रीमती अनुप्रिया पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी के रोहनियां विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किन-किन क्षेत्रों को एन0जी0आर0बी0ए0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने तथा सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रोहनियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने नाले वर्तमान में गंगा/वरुणा नदी में गिर रहे हैं ? क्या सरकार इनकी गंगा/वरुणा नदी में गिरने से रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

रोहनियां विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) योजना के अन्तर्गत सीवरेज योजना का कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है।

रोहनियां विधान सभा क्षेत्र का वह भाग जो वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में आता है, उसमें कोई नाला गंगा/वरुणा नदी में नहीं गिर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस स्मृति दिवस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2005 में लिपिक संवर्ग के कान्स्टेबिल के पदोन्नति में होने वाली वाधाओं को दूर कर नियमित किये जाने की जानकारी

167-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्मृति दिवस 2005 के अवसर पर तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 21-10-2005 को पुलिस विभाग के लिपिक संवर्ग के कान्सटेबिल (एम)/वैतनिक शिशिक्षु की पदोन्नति में होने वाली बाधाओं को दूर करते हुए उन्हें ए0एस0आई0 (एम0) के पद पर नियमित करने संबंधी की गई घोषणा के सन्दर्भ में तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना का पत्रांक-18.25.2005 दिनांक 02-01-2006, सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कान्स0(एम) की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-18-25-2005, दिनांक 02-01-2006 द्वारा कान्स0(एम) पदधारकों की नियत वेतन पर नियुक्ति अवधि निर्धारित कर अधिकतम 01 वर्ष कर दिये जाने ताकि कान्स0(एम) के पद पर नियुक्त कर्मी 01 वर्ष के उपरान्त नियमित वेतनमान में ए0एस0आई0(एम) के पद पर नियुक्त हो सके, सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया था।

पुलिस मुख्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक 02-01-2006 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या 2046/6-पु-1-06-650(59)/2006, दिनांक 08-05-2006 द्वारा कान्स0(एम) के पद को समाप्त करते हुए ए0एस0आई0(एम) के 982 अधिसंख्य पद सृजित करते हुए इन्हें नियुक्ति वेतनमान में नियमित प्रदान करने का निर्णय लेते हुए सभी 982 कान्स0(एम) को ए0एस0आई0(एम) का नियमित वेतनमान प्रदान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बालाजी ट्रेडर्स की दुकान से पारागांव की सड़क पर जल भराव की समस्या का निराकरण कर मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग

168-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-लखनऊ के पारा अन्तर्गत शुक्ला विहार कालोनी में बालाजी ट्रेडर्स की दुकान से पारा गांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे नाली न होने से जल भराव के कारण सड़क गड्ढा युक्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाली की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा भू-खण्ड विक्रय कर बसायी गयी अविकसित कालोनी है, जिसका भूविन्यास मानचित्र स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाइजर का है।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा-मोहम्मदी के बस्तियों एवं मजरों में मूलभूत सुविधाओं एवं नगर विस्तार से जोड़े जाने की मांग

169-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा-मोहम्मदी से सटे बस्तियों एवं मजरों के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या इन बस्तियों व मजरों को नगर सीमा विस्तार में जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् मोहम्मदी से सटे ग्रामीण क्षेत्रों को पालिका में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ताकि प्रश्नगत क्षेत्रों मे नगरीय मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के पेयजल समस्या के निदान हेतु डीप बोरिंग कराये जाने की मांग

170-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगरीय क्षेत्र में 100 फिट से नीचे आर्सेनिक युक्त जहरीला पीने का पानी मिलता है, जबकि इसके ऊपर न्यूनतम जलस्तर होने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल समस्या के निदान हेतु डीप बोर की गहरी बोरिंग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 10 नगरीय स्थानीय निकायें यथा-नगर पालिका परिषद्, लखीमपुर, नगर पालिका परिषद्, गोला गोकर्णनाथ, नगर पालिका परिषद्, मोहम्मदी, नगर पालिका परिषद्, पालियाकलां तथा नगर पंचायत, खीरी, नगर पंचायत, ढखवा, नगर पंचायत, सिंगाही, नगर पंचायत, मैलानी, नगर पंचायत, बरवर एवं नगर पंचायत, धौरहरा हैं। उक्त नगरीय स्थानीय निकायों में पीने के पानी की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय मार्गों एवं पुलियों का निर्माण एवं अवमुक्त धनराशि की जानकारी

171-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत मवई-पटरंगा मार्ग से सिपहिया होते हुए दुल्लापुर-उमापुर मार्ग तक शून्य से लेपन स्तर तक तथा सिपहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 05 गुणे 06 मी0 स्पान की पुलिया के निर्माण हेतु अवमुक्त धन से कितना कार्य कराया गया तथा कितना कार्य धनाभाव के कारण अवशेष है ? क्या सरकार धन आवंटित कर उक्त कार्य को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

2300 मी0 लेपन कार्य एवं 5x6 मी0 स्पान की पुलिया का निर्माण बेड ब्लाक स्तर तक पूर्ण कराया गया तथा धनाभाव के कारण 1100 मी0 लेपन एवं पुलिया की छत, पैरापेट एवं अप्रोच का कार्य अवशेष है।

सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग) से आवश्यक धनराशि की मांग की गयी है, जिसके प्राप्त हो जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रश्नगत अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नौशाद नामक युवक की फर्जी इन्काउन्टर में मृत्यु के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

172-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में दिनांक 07-03-2009 को नौशाद नामक युवक का पुलिस द्वारा किये गये फर्जी इन्काउन्टर के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 61/2009 धारा 302 आई0पी0सी0 थाना कोतवाली जनपद बलिया में कायम हुआ था जिसे सी0बी0सी0आई0डी0 ने विवेचना में घटना को सही पाया तथा मानवाधिकार आयोग द्वारा अपने पत्र सं0-51237/24/10/09-09 ई0एफ0डी0बी0-1/एफसी, दिनांक 24-7-2012 के द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के वेतन से 5 लाख रुपये काटकर मृतक के पिता को दिया गया तथा विभागीय कार्यवाही का आदेश राज्यपाल महोदय को दिया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप मृतक के भाई इम्तियाज को मारा पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी जिसका मु0अ0सं0 372/12 मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम बलिया के न्यायालय में विचाराधीन है ? क्या सह सही है कि मृतक के परिजनों को इन पुलिस कर्मियों से जान का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण दूरस्थ जनपदों में करके उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। मा0 आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या-73-आईआर/छः-मा0-1/12-3(274)10, दिनांक 08-10-2012 द्वारा रु0 5 लाख स्वीकृत किया जिसे मृतक के

परिजन को दिनांक 30-12-2012 को (चेक संख्या-सीई-142367 दिनांक 29-10-2012) प्रदान किया गया है। मृतक के परिजन को अदा की गयी धनराशि की कटौती दोषानुरूप मानक निर्धारित कर दोषी पुलिस कर्मियों के वेतन से की जायेगी।

जी हां। मा0 न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बलिया के यहां श्री इम्तियाज अहमद पुत्र श्री गुलाम रसूल सा0 विशुनीपुर, थाना कोतवाली द्वारा दिनांक 15-12-2012 को द0प्र0सं0 की धारा-156 (3) के अन्तर्गत 1-आरक्षी लालता प्रसाद सरोज, 2-आरक्षी रामप्यारे तथा 3-आरक्षी कृष्ण मोहन श्रीवास्तव के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र संख्या-372/12 का संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकारण को परिवाद संख्या-93/13 के रूप में दर्ज किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रश्न नहीं उठता।

आरोपित पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण पूर्व में ही दूरस्थ जनपद-सुल्तानपुर किया जा चुका है। पुलिस कर्मियों के दोष निर्धारण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट की कतिपय मलिन बस्तियों में पानी निकासी हेतु नाला निर्माण की मांग

173-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट आगरा में नगला परसोती एवं नगलाभर्ती मलिन बस्तियों में पानी की निकासी हेतु कोई नाला न होने के कारण वहां भयंकर बीमारियां पनप रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में नाला का निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, भयंकर बीमारियों का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

नगला परसोती से देवरी रोड तक तथा नगलाभर्ती से ग्वालियर रोड तक नाला निर्माण कराये जाने हेतु आगणन तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना जोगिया उदयपुर के निर्माण में अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

174-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में नव-निर्मित पुलिस थाना जोगिया उदयपुर के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पंजीकृत पत्र दिनांक 21-01-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 21-1-2013 मुख्य मंत्री कार्यालय, सांसद/विधायक प्रकोष्ठ में दिनांक 12-3-2013 को प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ब्लाकों में विधवा पेंशन के आवेदकों के आवेदन पत्रों का निस्तारण कराये जाने की मांग

175-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी व पसगवां में 01 जनवरी 2011 से 31-12-2012 तक विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उसमें से स्वीकृत/अवशेष आवेदन-पत्रों का विवरण क्या है ? क्या सरकार अवशेष आवेदनों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक मोहम्मदी व पसगवां में 01 जनवरी, 2011 से 31-12-2012 तक विधवा पेंशन के कुल 2287 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष 1799 आवेदकों को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ दिया जा चुका है तथा 488 आवेदन-पत्र अवशेष हैं।

अवशेष आवेदन पत्रों का निस्तारण शासनादेश में निहित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के थाना सोनहा में श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल को फर्जी फंसाये जाने की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच के आदेश

176-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के थाना सोनहा अन्तर्गत दिनांक 27 जुलाई, 2012 को विवेक सिंह हत्या काण्ड में पुलिस के द्वारा फर्जी ढंग से श्री कृष्णगोपाल जायसवाल को फंसाए जाने की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 को कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-11-12 व दिनांक 16-8-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में सी0बी0सी0आई0डी0 से अग्रिम विवेचना के आदेश दिनांक 29-01-2013 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश विधान सभा की स्थायी समितियों की नियमित बैठकें कराये जाने की मांग

177-श्री मनीष असीजा-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में सरकार द्वारा गठित की गयी विधान सभा की विभागवार स्थायी समितियों की नियमानुसार कार्य संचालन बैठकें न होने से

माननीय सदस्यगण अपनी समस्यायें एवं विचार सरकार के समक्ष नहीं रख पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समितियों की नियमित बैठकें कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में सरकार द्वारा गठित की गयी विधान सभा की विभागवार स्थायी समितियों की नियमानुसार कार्य संचालन बैठकें शासकीय व्यस्तताओं के कारण आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर की कतिपय बस्तियों में समुचित सेवाएं बहाल करने की मांग

178-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 मंगला विहार आंशिक एवं मानस वृद्ध आश्रम के आस-पास घनी आबादी के क्षेत्र में सीवर, सड़क निर्माण, पेयजल एवं विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर, सड़क, पेयजल की सुविधा एवं विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं है। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के बाबा सिद्धेश्वर मन्दिर की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

179-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-77 में स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर के चारों ओर की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के बाबूपुरवा न्यू लेबर कालोनी में गन्दगी की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

180-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-54 के अन्तर्गत बाबू पुरवा न्यू लेवर कालोनी के पीछे स्थित तीन फिट खाली जगह में सीवर का पानी भरा रहता है जिसके कारण वहां पर आवारा जानवरों एवं गंदगी का अंबार लगे रहने से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का

प्रकोप फैला रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर के वार्ड-54 के अन्तर्गत बाबूपुरवा न्यू लेवर कालोनी में सीवर लाइन सुचारु रूप से चल रही है तथा वर्तमान में कहीं भी खाली जगह पर पानी नहीं भरा है। उक्त क्षेत्र में सीवर के पानी भरने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर जेटिंग मशीन भेजकर सीवर सफाई का कार्य करा दिया जाता है। संक्रामक रोग से बचाव हेतु नालियों की सफाई, कीटनाशक दवाओं का साप्ताहिक छिड़काव तथा वार्ड में माह में तीन बार मैलाथियान 90% से फागिंग करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के थाना जैसरा में अज्ञात व्यक्तियों के रूप में पोस्टमार्टम कराने की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

181-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-जैसरा, जनपद-एटा में सर्वेश पुत्र गुरुसहाय को अज्ञात व्यक्ति के रूप में दिनांक 19-12-12 को पोस्टमार्टम कराने की जांच सी0बी0सी0आई0डी से कराये जाने सम्बन्धी माननीय नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पत्र दिनांक 14-02-2013 जो प्रमुख सचिव गृह को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र के संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आख्या मांगी गयी है जो अभी प्रतीक्षित हैं तथापि प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से प्राप्त अद्यतन आख्यानुसार दिनांक 19/20-12-2012 को अभियुक्तगण द्वारा अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री राम बहादुर सिंह पुत्र श्री खुशीलाल यादव निवासी तिगर, भमौरा, थाना जैथरा, एटा द्वारा दिनांक 20-12-2012 को थाना जैथरा जनपद एटा पर मु0अ0सं0-541/12, धारा-302/291 भा0दं0वि0 अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष, जैथरा एटा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के मध्य मृतक की शिनाख्त सर्वेश पुत्र गुरूसहाय निवासी बिजौरी थाना मेरापुर, जनपद फर्रुखाबाद के रूप में हुई एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण 1-अमरपाल पुत्र शिशुपाल, 2-दलबीर पुत्र रामचन्द, 3-दिनेश पुत्र रामचन्द्र, 4-सुखेन्द्र पुत्र शिशुपाल, निवासीगण देवरिया थाना नयागांव जनपद एटा 5-विनोद पुत्र मंगली सिंह निवासी नगल परशुराम थाना जसरथपुर जनपद एटा, 6-नरेश निवासी नगला थाना जैथरा एटा हाल निवासी नथूआपुर थाना नयागांव, एटा के नाम प्रकाश में आये हैं। विवेचक द्वारा अभियुक्त दलवीर को दिनांक 27-12-2102 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है व शेष अभियुक्तों की धारा-82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है। इस अभियोग की विवेचना निष्पक्ष एवं गुण-दोष के आधार पर सम्पादित की जा रही है। अभियोग विवेचनाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

182-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या अल्प संख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवालों का निर्माण कार्य कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अल्पसंख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद चन्दौली को रु0 107.29 लाख की धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चन्दौली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित किये गये कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

183-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कतिपय एरिया को टाउन एरिया घोषित करने की मांग

184-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी में विधान सभा क्षेत्र-धौरहरा में कस्बा, खमरिया, ऐरा मिल व ईसानगर टाउन एरिया के मानक को पूरा करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कस्बों के विकास के लिए इन्हें टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। उक्त कस्बे टाउन एरिया सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा (3)/82, दिनांक 10-09-1986 में निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के ग्राम जंगबहादुरगंज हाई-वे पर अवैध वसूली की जांच पर कार्यवाही की मांग

185-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-पसगवां के ग्राम-जंगबहादुरगंज हाइ-वे पर पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली पुलिस के द्वारा की जा रही है एवं वसूली न देने पर अतिक्रमण के नाम पर धारा-288 के अन्तर्गत उनका चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां के ग्राम-जंगबहादुरगंज हाई-वे पर पटरी दुकानदारों से पुलिस द्वारा अवैध वसूली किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और न ही अतिक्रमण के नाम पर धारा-288 के अन्तर्गत चालान ही किया गया है। फिर भी थाना पसगवां को निर्देशित किया गया है कि पटरी दुकानदारों से अतिक्रमण के नाम पर उनका शोषण न किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गृह विभाग की अभिसूचना इकाई में निरीक्षक के सृजित पद एवं अभिसूचनायें प्राप्त कराने हेतु जीपें उपलब्ध कराये जाने की मांग

186-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह विभाग के अन्तर्गत स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) में निरीक्षक के कितने पद सृजित हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी जनपदों में (एल0आई0यू0) निरीक्षकों के पास चार पहिया वाहन (जीप) के अभाव में जिले की स्थानीय अभिसूचनायें समयानुसार शासन को प्राप्त नहीं हो पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी जनपदों के (एल0आई0यू0) निरीक्षकों को जीपें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) में निरीक्षकों के 110 पद स्वीकृत हैं।

जी नहीं। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अभिसूचना मुख्यालय/शासन को सभी आसूचनायें शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की मलिन बस्ती जगदीशपुरा में गड्ढे पाट कर गन्दगी से निजात दिलाये जाने की मांग

187-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीशपुरा मलिन बस्ती आगरा के मध्य में चार एकड़ क्षेत्रफल में बने 20 फुट गहरे गड्ढ़े में गन्दा पानी एवं सिल्ट पड़ी होने से आये दिन वहां दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गड्ढ़े को पाटकर गंदगी से निजात दिलाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त स्थान पर गड्ढा है जिसमें पानी एकत्र हो जाता है किन्तु किसी दुर्घटना की कोई सूचना नहीं है।

जी नहीं।

यह निजी सम्पत्ति है।

उक्त गड्ढे में पास की बस्तियों का पानी जमा होता है। निजी सम्पत्ति होने के कारण इसे पाटा नहीं जा सकता है। नगर निगम द्वारा पम्पों के माध्यम से इस गड्ढे में जमा होने वाले पानी को समीपवर्ती नाले में डालकर निकाला जाता है जिससे दुर्घटना की सम्भावना नहीं रहती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के शक्तिनगर डिफेन्स कालोनी में जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने की मांग

188-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ताजमहल के पास स्थित शक्ति नगर डिफेंस कालोनी में जलभराव से क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की जलभराव की समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां

शक्ति नगर डिफेन्स कालोनी में जल भराव से क्षेत्र में बीमारी फैलने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ताजगंज जोन में ग्वालियर रोड पर गोपालपुरा मोड़ (शक्तिनगर) से ग्रीन पेट्रोल पम्प तक नाला निर्माण कार्य हेतु रु0 49.03 लाख कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों का विस्तृत सर्वेक्षण कर यथा-प्रक्रिया कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहाराइच के विधान सभा क्षेत्र व ग्राम पयागपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

189-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-पयागपुर के ग्राम-पयागपुर को नोटीफाइड एरिया/टाउन एरिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक अमल में लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

मानकों के अनुरूप नगर पंचायत के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जा सकेगी।

लखनऊ के आशियाना कालोनी के सेक्टर एम0 की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य

190-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अ0ता0 प्रश्न संख्या-110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम,

लखनऊ द्वारा आशियाना कालोनी, सेक्टर एम, कानपुर रोड में वर्ष 2012-13 में किन-किन सड़कों का निर्माण/मरम्मत करायी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि गिरजाघर के पीछे की सड़क जो बिजली पासी महाविद्यालय को जाती है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में आशियाना कालोनी के सेक्टर-एम0 के अन्तर्गत तीन कार्य कराये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

1-एम0-440 से एम0-443 तक इण्टरलाकिंग का कार्य।

2-सेक्टर एम0 में एम0-89 से एम0-138 तक क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार कार्य।

3-सेक्टर एम0 में एम0-1039 पम्प हाउस के सामने एम0-1053 तक क्षतिग्रस्त सड़क सुधार कार्य।

सड़क क्षतिग्रस्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर-एम0 की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

191-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के सेक्टर-एम में कितने अध्यासियों द्वारा सड़कों एवं फुटपाथ का अतिक्रमण करके ऊंचे-ऊंचे रैम्प एवं मोटर गैराज बनाये गये हैं? क्या सरकार उन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाकर मानक के अनुसार सड़क का निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। सेक्टर-एम0 के कुल 39 अध्यासियों द्वारा अपने भवन के सामने फेन्सिंग लगाकर सड़क पटरी घेर कर वाहन खड़े किये जा रहे हैं।

समय-समय पर अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाये जाते हैं। प्रश्नगत सेक्टर में शीघ्र अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

192-श्री जय प्रकाश निषाद-

[4थे मंगलवार के अता0प्र0सं0-76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फिरोजाबाद नगरपालिका परिषद् की पेयजल के निराकरण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

193-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्रांक 1375/ओ0एस0डी0, दिनांक 07-06-2011 द्वारा फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् की पेयजल समस्या

के निराकरण हेतु रुपया 1.25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना के अन्तर्गत 3 ट्यूबवेल, 6 किलोमीटर राइजिंग मेन एवं 1 सी0टी0पी0 150 के0एल0, 12 मीटर स्टेजिंग में से 1 ट्यूबवेल एवं सी0टी0पी0 न बन पाने के कारण परियोजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। शासनादेश संख्या : 2898/नौ-5-2011-178 बजट/2011, दिनांक 02-09-2011 द्वारा रु0 293.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 1.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् पेयजल योजना की अवशेष धनराशि रु0 168.74 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासनादेश संख्या : 1334/नौ-5-2013-178 बजट/2011, दिनांक 11-3-2013 द्वारा रु0 100.00 लाख (रु0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के गंगा नगर की कच्ची सड़कों को बनाये जाने की मांग

194-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-77 गंगा नगर में अधिकांश सड़क मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात में आवागमन पूर्णतः बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कच्चे मार्गों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं है। सोसाइयी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के श्याम नगर में पी0ए0सी0 के समीप कच्ची सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

195-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-53 में यदुवंशी गेस्ट हाउस के पीछे सड़क नाली एवं रामपुरम् श्यामनगर में पी0ए0सी0 के समीप मार्ग 25 पर लगभग 500 फीट सड़क कच्ची छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र निजी क्षेत्र की अविकसित (सोसाइटी) क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें सम्पूर्ण विकास सोसाइटी द्वारा न किये जाने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में मूलभूत व्यवस्थायें नहीं है। सोसाइयी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का सम्पूर्ण दायित्व प्राइवेट कालोनाइजर्स का होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर में मुक्तेश्वर मन्दिर के पास सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

196-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के वार्ड-77 के ई ब्लाक श्याम नगर में मुक्तेश्वर मंदिर से दूसरे शिव मंदिर तक सड़क का सर्वथा अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ की अनेकों कालोनियों के अधूरे सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

197-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित गायत्रीनगर, नौबस्ता खुर्द, हरिहरनगर, भरतनगर, प्रीतीनगर आदि कालोनियों में सड़कों के निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

सीतापुर रोड फैजुल्लागंज वार्ड स्थित गायत्रीनगर, नौबस्ता, खुर्द, हरिहरनगर, भरतनगर, प्रीतीनगर आदि कालोनियां प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से छोटे-छोटे भू-खण्ड काटकर बसायी गयी है, जिनके तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों के विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मायानगर महल वाली रोड पर खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराये जाने की मांग

198-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले की मायानगर महल वाली रोड पर लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प जो खराब है, क्या उन्हें सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले की मायानगर महलवाली रोड पर कुल 4 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगे हैं जो वर्तमान में चालू अवस्था में है। जो हैण्डपम्प खराब होते हैं उन्हें समय-समय पर मरम्मत कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मायानगर महल वाली रोड की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराये जाने की मांग

199-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मायानगर मोहल्ले की मायानगर महल वाली रोड पर लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली रोड पर लगी सभी स्ट्रीटे लाईटें प्रज्जवलित हैं।

जनपद उन्नाव के बीघापुर में जनाना घाट का जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

200-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के बीघापुर में स्थित माता सन्दोही देवी मंदिर तथा गोपा बलेश्वर मंदिर स्थित स्नानघाट/जनाना घाट का जीर्णोद्धार करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त घाटों के जीर्णोद्धार हेतु नगर पंचायत बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव ग्रस्त होने एवं बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

[12.20 बजे] 5वें सोमवार के लिए स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री अनीसुर्रहमान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, बैठिये, अब सवाल नहीं हो सकता।

श्री अनीसुर्रहमान-

मान्यवर, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। आज के एजेण्डे में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-4 लगा हुआ था, वह 5वें सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5वें सोमवार को विधान सभा ही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह जवाब आपको आ जायेगा। अब नियम-301 की सूचनायें।

[12.24 बजे] श्री चन्द्रभान सिंह पटेल द्वारा अपने दारुलशफा, लखनऊ स्थित आवास की दीवार बनवाने तथा अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की मांग

श्री चन्द्र भान सिंह पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी व्यक्तिगत समस्या है। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी व्यक्तिगत समस्या को सदन में रखने का अवसर दिया। इसके साथ ही आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मुझे लखनऊ में दारूलशफा में आवास सी-1 आवंटित किया गया है। मेरे आवास के पीछे बाउण्ड्री वॉल है तथा उसी से सटा हुआ आम रास्ता भी है। अपने आवास में अध्यासन के दौरान दिनांक 25-02-2013 की रात में बाउण्ड्रीवाल तोड़ी गयी थी जिसकी शिकायत के बाद तोड़ी गयी बाउण्ड्रीवॉल की मरम्मत करा दी गयी थी। लेकिन उसके बाद पुनः दिनांक 12-03-2013 की रात उक्त बाउण्ड्रीवॉल अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ी गयी जिसकी शिकायत मेरे द्वारा दिनांक 13-03-2013 को चौकी प्रभारी, विधायक निवास को की गयी। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि दो बार बाउण्ड्रीवाल का रात के समय तोड़ा जाना कोई आम घटना नहीं है। क्योंकि दोनों बार की घटना मेरे लखनऊ अध्यासन के दौरान ही घटित हुई है। इससे किसी बड़ी घटना के घटित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 237-मानिकपुर है जो कि वर्षों से दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है और आज भी मेरे क्षेत्र में कई दस्यु गिरोह सक्रिय हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैं अपने आपको असुरक्षित महसूस करता हूं। मेरी सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक गनर ही उपलब्ध है जो कि पर्याप्त नहीं है। लखनऊ में मेरे अध्यासन के दौरान उक्त घटित घटनाओं एवं मेरे क्षेत्र मानिकपुर की भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुझे अधिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के आदेश देने की कृपा करें ताकि मेरे जानमाल की सुरक्षा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

[12.25 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मढवासक से बिलरिया मार्ग पर छोटे पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर में नौसड़ के शहरी फीडर से नजदीक के गांवों में शहरी विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री रवि शर्मा की नगर निगम झांसी में सम्मिलित किये गये 15 गांवों को विद्युतीकरण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं। चौथी सूचना श्री सुभाष पासी की सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत गांगी नदी पर बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना डा0 रीता बहुगुणा

जोशी की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थिति नहीं थीं) सातवीं सूचना श्री लक्ष्मीकान्त ''पप्पू'' निषाद की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे) आठवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के कई शहरों में 24 घंटे आपूर्ति के नाम पर विद्युत दरें निर्धारित किये जाने से जनपद गाजियाबाद में असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैंट में श्याम नगर चौराहे से बाईपास तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)। बारहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खंड पहाड़ी में क्षतिग्रस्त माधवपुर से बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की महोबा विधान सभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर में दिनांक 14 मार्च, 2013 को एफ0सी0आई0 के निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की क्रान्तिकारी राणा बेनी माधो व वीर बीरा पासी की स्मृति में प्रेरणा स्थल का निर्माण कराये जाने व जनपद रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं। श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री विजय कुमार दुबे, श्री काली चरन सुमन, श्री रोमी साहनी, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सुदेश शर्मा। (कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी अपनी सूचना लिये जाने का अनुरोध करने लगे।) डा0 रीता बहुगुणा जोशी के स्थान पर पंकज मलिक, श्री लक्ष्मीकांत ''पप्पू'' निषाद के स्थान पर श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री उमेश पाण्डेय के स्थान पर श्री रामचन्द्र यादव की सूचना ली जाती है। शमशेर जी आपकी दो सूचनाएं थीं इसीलिये निरस्त कर दी गई। आपकी नहीं ली जायेगी। चौथी श्री राजेश त्रिपाठी के स्थान पर श्री काली चरन सुमन की सूचनाएं ली जाती हैं।

(संलग्न सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मऊबासक से बिलरिया मार्ग पर छोटे पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय,

शाहजहांपुर जनपद के मेरे विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मऊबासक से बिलरिया होते हुए मोहम्मदी रोड जाने वाले मार्ग पर जो छोटा पुल है वह क्षतिग्रस्त है। पुल के टूटने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हजारों लोगों को जो नित्य प्रति इस मार्ग से निकलते

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा 20 कि0मी0 चक्कर लगाकर दूसरे मार्ग से आना-जाना पड़ रहा है। जनहित में ग्राम मऊबासक के पास वाला पुल जिसका वर्णन ऊपर किया गया है की मरम्मत होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पुल के मरम्मत हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोरखपुर में नौसड़ के शहरी फीडर से नजदीक के गांवों में शहरी विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय,

गोरखपुर के महानगर के इर्द-गिर्द अनेकों ऐसे गांव हैं जहां कि दूरी अधिक है जैसे ग्राम-उनवल जिसकी दूरी महानगर से लगभग 20 कि0मी0 है जो शहरी सप्लाई से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो गांव महानगर से सटे हैं ग्राम सभा ककराखोर, सुहास कुवरी (जंगलरानी), महावीर छपरा, कालाबाग, बड़ेरिया, गड़वा, विश्रामपुर, जंगल-अलखलाकुंवर, डेफरा, जोतवही, सिमराकोल जैसे गांव जो महानगर गोरखपुर से सटे हुए गांव हैं जिनकी दूरी महानगर से मात्र 10 कि0मी0 के अन्दर है वहां पर शहरी विद्युत सप्लाई नहीं दी जाती है। जबकि इन गांवों से काफी दूरी पर जो गांव है वहां शहरी सप्लाई दी जा रही है। इन गांवों के आम नागरिकों में शहरी विद्युत सप्लाई नहीं दिये जाने से काफी आक्रोश है। इन गांवों में महानगर के नौसड़ शहरी फीडर से शहरी विद्युत सप्लाई दिये जाने की मांग करता हूं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शहरी फीडर से नजदीक के गांवों में शहरी विद्युत सप्लाई किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नगर निगम झांसी में सम्मिलित किये गये 15 गांवों को विद्युतीकरण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय,

नगर निगम झांसी का गठन 15 गांव सभाओं को सम्मिलित कर किया गया है। सम्मिलित 15 गांवों कोछाभांवर मैरी, बूढ़ा, भगवन्तपुरा, करगुआं, सिमरधा, करारी, पिछोर, सिमिराहा, श्रीनगर, बिजौली, हंसारी, गढ़ियागांव, खोड़न, लगर गिर्द के निवासी विद्युत कनेक्शन बांस बल्लियों के सहारे लेकर चला रहा है। पशुओं एवं नागरिकों के आवागमन से अक्सर बांस-बल्लियों के टूटने से दुर्घटनायें भी होती रहती है। नगर निगम से सम्मिलित होने के बाद भी इन गांवों को पोल एवं तार उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण का लाभ न दिये जाने से क्षेत्र के निवासियों में निराश एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम में सम्मिलित 15 गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने एवं नगर निगम का समस्त लाभ दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत गांगी नदी पर बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत गांगी नदी बहती है। जिसके किनारे पर लगभग 35 से 40 गांव पड़ते है। गर्मी के समय इन सब गांवों में पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, ऐसे स्थिति में गांगी नदी में पहाड़पुर गांव के सामने बन्धा बनवा दिया जाये तो पानी का जल स्तर भी बना रहेगा तथा किसान अपनी सुचारु रूप से खेती भी कर सकते हैं तथा पशुओं को पीने का पानी भी मिल सकता है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उक्त नदी में बंधा बनाने हेतु एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।]

प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ0 प्र0 में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण तिथि संसाधन की पत्रावली शासन में लम्बित है। उस सूची में 2 चिकित्साधिकारियों का मामला न्यायालय में लम्बित है। इनका सूची से नाम निकालकर शेष चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण तिथि को संशोधन जारी करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें। ज्ञात हो कि निदेशक आयुर्वेदिक सेवायें उ0 प्र0 के पत्र सं0-3034/अधि0 दिनांक 8-3-2011 द्वारा शासन में पत्रावली लम्बित है। जिसके कारण चिकित्साधिकारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे चिकित्साधिकारियों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने की मांग करता हूं।]

विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के कई शहरों में 24 घण्टे आपूर्ति के नाम पर विद्युत दरें निर्धारित किये जाने से जनपद गाजियाबाद में असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा-

[महोदय,

मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गाजियाबाद में विद्युत की सप्लाई बाधित/कटौती की जाती है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा 24 घण्टे की आपूर्ति के मानक के आधार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर गाजियाबाद एवं कई अन्य शहरों में विद्युत दरें बढ़ा दी गयी है। गाजियाबाद शहर में लगातार कटौती की जा रही है, किन्तु बढ़ी हुई विद्युत दरों के आधार पर वसूली की जा रही है। इस तरह उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। जनता की मांग है कि गाजियाबाद को कटौती मुक्त पोषित करते हुए वर्तमान संशोधित विद्युत दरें लगाई जायं अन्यथा बढ़ी हुई दरें वापस ली जाय। उक्त के सम्बन्ध में यू0पी0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद् ने भी विरोध किया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैंट में श्याम नगर चौराहे से बाईपास तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैण्ट में श्याम नगर चौराहे से आगे उत्सव गेस्ट हाउस से मोहिनी वाटिका, रामपुरम्, मंगला विहार होते हुए बाईपास तक चौड़ाई लगभग डेढ़ सौ फुट लम्बाई लगभग 01 कि0मी0 मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग पर चलना अत्यन्त कठिन हो गया है। जरा सी बारिश में पूरे मार्ग पर पानी भर जाता है जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस मुख्य मार्ग से जुड़े हुए सैकड़ों मोहल्ले तथा हजारों गलियां हैं। इस मार्ग पर शहर के कई प्रतिष्ठित विद्यालय स्थित हैं जिसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग कानपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर बस अड्डा एवं कानपुर के प्रमुख अस्पतालों का मुख्य मार्ग है।

इस मार्ग के जर्जर होने से स्थानीय निवासियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना इन मार्गों पर घटित होती रहती है। आये दिन स्थानीय नागरिकों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। जिससे शांति व्यवस्था की स्थिति खराब होने का खतरा बना हुआ है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी में क्षतिग्रस्त माधवपुर से बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत माधवपुर रोड से बदौली सम्पर्क मार्ग तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं उक्त मार्ग पर कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। उस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की भी मांग करता हूं।]

महोबा विधान सभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि नवसृजित जिला महोबा में जहां चिकित्सालय जिला स्तरीय संसाधनों, जांच सुविधाओं के अतिरिक्त विशेषज्ञ डाक्टरों का अभाव है, वहीं क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पिपरामाफ, ननौरा, भड़रा, खरका, सिरसीकला, तिंदुही, पश्चपहरां, अटघार, अकबई, बहिंगा, ग्योंडी, छानीकलां तथा खरेला क्षेत्र के ग्राम धवारी, पहरेथा, ऐचाना, काकुन आदि ग्राम मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण क्षेत्रवासियों की काफी समय से इन ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग होती रही है, लेकिन आज भी यह क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं से पूर्णतया वंचित होने के कारण लोगों की सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में दिनांक 14 मार्च, 2013 को एफ0सी0आई0 के निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत अर्जुनाहा में निर्माणाधीन चल रहे एफ0सी0आई0 का गोदाम का छत दिनांक 14-3-2013 को गिरने से वीरेन्द्र यादव पुत्र मुन्शी यादव ग्राम अमवा बाजार कुशीनगर (थासा-रामकोला) की मृत्यु हो गयी है तथा मनोज यादव पुत्र श्री सुरजन यादव ग्राम अमवा बाजार कुशीनगर सहित आधा दर्जन मजदूर घायल हो गये। जिसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। जिनमें कई लोगों की हालत गम्भीर बनी हुई है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है इस प्रकरण की जांच कराकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाना आवश्यक है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त प्रकरण की जांच कराकर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाये जाने के लिए सरकार से मांग करता हूं।]

क्रान्तिकारी राणा बेनी माधो व वीर बीरा पासी की स्मृति में प्रेरणा स्थल का निर्माण कराये जाने व जनपद रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय,

आपको अवगत कराना है कि देश, प्रदेश के गौरव व जनपद रायबरेली की शान, भारत माता के रक्षक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रान्तिकारी, अवध की बेगम हजरत महल के इशारे पर अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले वीर योद्धा राणा बेनी माधो व वीर बीरा पासी का नाम केवल इतिहास के चन्द पन्नों में सीमित रह गया है। इनका गौरवशाली बलिदानी इतिहास हमारे लिए प्रेरणा के साथ विशेष लोक महत्व का है। हमारे लिए चिरस्मरणीय रहे इसीलिए आवश्यक है कि उनकी मूर्तियां लगाकर ''प्रेरणा स्थल'' का अविलम्ब निर्माण कराया जाय। साथ ही साथ जनपद रायबरेली के समस्त सामुदायिक व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में ''राणा बेनी माधो वीर वीरा पासी स्मारक'' का नाम अंकित कराया जाय।

अतः मैं माननीय सदन से मांग करता हूं कि उक्त लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद मेरठ के सुभारती मेडिकल कालेज एवं अन्य स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा पैरा-मेडिकल छात्रों से अवैध धन की वसूली करने पर कठोर कार्यवाही करते हुए पर्याप्त सीटों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना-

[महोदय,

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सुभारती यूनिवर्सिटी अन्तर्गत सुभारती मेडिकल कालेज एवं अन्य स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एवं टेक्नीकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, पैरा-मेडिकल शिक्षा एवं अन्य बी0एड0, बी0टेक0, बी0पी0एड0 के इन कालेजों, संस्थाओं व स्ववित्त पोषित यूनिवर्सिटियों, महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के नाम छात्रों एवं अभिभावकों का खुला शोषण किया जा रहा है। सुभारतीय मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों/अभिभावकों से मोटी-मोटी रकम, 50 लाख रुपये तक की मांग दाखिले के नाम पर मांगी जाती है और ली जाती है। उसका कारण है कि सरकार का इन संस्थाओं पर पर्याप्त अंकुश नहीं है। समय-समय पर जांच भी नहीं की जाती है और न ही उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। प्रमुख कारण यह भी है कि इन कोर्सों हेतु छात्रों की संख्या के अनुरूप सरकारी शिक्षण संस्थाओं व पर्याप्त सीटों की व्यवस्था नहीं की गयी है। इस प्रकार से कालेजों एवं यूनिवर्सिटियों द्वारा की जा रही धन उगाही की जांच करके कठोर कार्यवाही की जाये और सरकारी संस्थाओं में पर्याप्त सीटों की व्यवस्था की जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रशिक्षित बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर,

बी0टी0सी0 2010 बैच 2 अगस्त, 2010 से पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ शुरू हुआ और 2 वर्षीय प्रशिक्षण 18 दिसम्बर, 2012 को पूर्ण हो गया। इस बैच में 9901 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें से लगभग सभी ने टी0ई0टी0 या सी0टी0ई0टी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कुछ प्रशिक्षण 2004 कोर्ट केस से तथा कुछ विशिष्ट बी0टी0सी0 2008 के हैं। कुल मिलाकर लगभग 12000 (बारह हजार) प्रतिक्षित केवल राज्य सरकार की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं और काबिल बेरोजगार युवा ऊर्जावान हैं, उन्हें सरकार ने प्रशिक्षण सेवा देने के लिए दिया था। वे पद रिक्त हैं और पूरी तरह से पात्र प्रशिक्षित उपलब्ध हैं उन्हें नियुक्ति के वादे ही नहीं बल्कि नियुक्ति की जरूरत है उन्हें नियुक्ति पद होते हुए अभी तक नहीं दी गयी। यह मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सैकड़ों प्रशिक्षित सब्र के साथ कई महीनों से सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के क्षतिग्रस्त मार्गों की शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय,

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सभी ग्रामीण मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गये हैं। विगत 10 वर्षों से मरम्मत आदि का कार्य नहीं कराया गया है। जिसके कारण किसानों को, व्यापारियों को व सभी आमजन को आवागमन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता से लेकर अन्य जिम्मेदार अधिकारी, फैजाबाद मुख्यालय पर ही बैठते हैं। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा न तो इन सभी ग्रामीण मार्गों पर दौरा किया गया और न ही किसी तरह की मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्यवाही की गयी। जिसके कारण क्षेत्र के आमजन धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की इस उपेक्षापूर्ण कार्यवाही से क्षेत्र के आमजन में भयंकर आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रुदौली विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों के शीघ्र मरम्मत कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र की बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 की पानी के टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरन सुमन-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 की पानी की टंकियां कई जगहों पर समरसेबुल फुंक गई है कई जगहों पर पाइपलाइन टूटी है। कई जगहों पर पानी की टंकी फूटी हुई है। ऐसी स्थिति में गांवों के अन्तर्गत पेयजल की समस्या है। जैसे कि विकास खण्ड अकोला के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायतें लालऊ, मनकेडा, अकोला, रामनगर पिरयानी, धनौली, जारूआ कटरा, बाईखेड़ा, मलपुरा, बलेहरा, सिरौली, अभयपुरा आदि ग्राम पंचायतें वि0ख0 विचपुरी के अन्तर्गत खलौवा, गडसानी, बरारा, अजीजपुर, बमरौली, अहीर, मिढ़ाकुर, पथौली, सहारा, लड़ामदा, विचपुरी, अंगूठी, सुदरवन, जऊपुरा, मगटई, सुनारी, लखनपुर, अरतौनी, बाईपुर, स्वामी मुस्तिकल, दहतौरा, सुचेता, देवरोठा, टपरा, खासपुर, मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत आदि। वि0 ख0 बरौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाद कुठावली, ककुआ इटौरा, कबूलपुर भाहई, रोहता, सलेमाबाद ककरारी, देवरी, विसैराकला, बेहटा, पचगाई खेड़ा, सैमरी, कौलक्खा, नगलाकली, रजरई, नौवरी, कहरई, चमरौली, बरौली अहीर, गुतिला, बगदा, गंगरौआ, श्यामोदिगनेर, पवावली, लोधई, इस्लामपुर, विसैरीभाड़, कलालखेड़िया, तोरा, करभना, बुढ़ाना कुआखेड़ा, महुआखेड़ा, एत्मादपुर मदरा हिगोटखेड़िया, इकथरा, बमरौली कटारा, कुण्डौल, विझामई, नदौता, बिल्हैना, विसारना, धमौटा तनौरानूरपुर, मेहरानाहरगंज, समोगर, बरौली, गूजर, नैनाना जाट, नैनाना ब्राह्मण, अकबरपुर बुढेरा आदि ग्राम पंचायतों में पानी की टी0टी0एस0पी0 टंकियां कहीं पर समरसेबुल फुंक गई है कहीं पर पाइप लाइन टूट गयी है। कहीं पर टंकियां फूट चुकी हैं। जिससे लोगों को पेयजल की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 की पानी की टंकियों को चालू कर पानी सप्लाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12.27 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत चार सुचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचनी श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने नियम-301 की भांति नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्यों से एक सप्ताह में केवल एक सूचना लेने तथा ग्राह्यता की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है, इन्होंने विधायक के सांसद निर्वाचित होने पर उन्हें भी शिक्षक विधायक की भांति दोहरा वेतन/पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। यह हैं नहीं। तीसरी सूचना श्री नीरज कुशवाहा जी की है प्रदेश में हो रही निर्मम हत्याओं के मामलों में मृतक आश्रित परिवारों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है। यह नियम-300

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में नहीं आती है यह सूचना नहीं सुनी जाएगी। चौथी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव की है इन्होंने विधान सभा सचिवालय कर्मियों को लोक सभा सचिवालय के कर्मियों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। सचिवालय के बारे में विधान सभा में प्रश्न नहीं उठाया जाता है यह नहीं सुनी जाएगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी आप कुछ कहेंगे।

[12.28 बजे] नियम-301 की भांति नियम-51 में एक सप्ताह में केवल एक सूचना लेने एवं ग्राह्यता की संख्या-10 से बढ़ाकर 20 किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-300 की सूचना पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ 14 फरवरी से, तब से आप देख लें नियम-51 की जितनी सूचनायें दी जाती हैं उसमें से मात्र दस सूचनायें चयनित करके उस पर वक्तव्य, केवल वक्तव्य, या शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और उससे दुगुनी, तिगुनी और कभी-कभी चौगुनी सूचनायें आती हैं। मैं 28 तारीख से लगातार नियम-51 में सूचना दे रहा हूं और मेरी एक भी सूचना मान्यवर, 18 तारीख तक नहीं आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एक सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया जाता था। इसको बढ़ाकर आपने दस किया था। लेकिन आप सहमत होंगे,आबादी बढ़ी, समस्यायें बढ़ीं। इस सदन की भी जागरूकता बढ़ी है मान्यवर, पहले मैं देखता था कि इस सदन में मात्र दस परसेन्ट लोग सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे। आज कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले, 20 परसेन्ट, 25 परसेन्ट और 30 परसेन्ट हो गए हैं जो रोज इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं, तो आवश्यकता अविष्कार की जननी है मान्यवर, आपसे कृपापूर्वक संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, आप वर्तमान में दस सूचनायें चयनित करते हैं उसमें एक पक्ष यह भी आता है कि शासन का खर्चा ज्यादा होता है वक्तव्य में, केवल वक्तव्य में, तो मैं विशेष रूप से आपसे इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इन सूचनाओं की संख्या बढ़ाकर आप 20 कर दें 25 कर दें। शासन का ध्यान आकृष्ट कर दें ताकि जो निजी महत्व के हों या जो क्षेत्रीय महत्व के हों तो कम से कम मा0 सदस्य को उसका उत्तर मिल जाएगा उससे समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसमें मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं। जिस प्रकार से नियम-301 में व्यवस्था है अगर इस पर भी विचार कर लें कि एक सदस्य की एक सप्ताह में केवल एक सूचना चयनित होकर उस पर ध्यान आकृष्ट हो जाए, उस पर वक्तव्य आ जाए, उस पर केवल वक्तव्य आ जाए, इस पर भी मान्यवर, विचार करें तो कम से कम बहुत से मा0 सदस्य ऐसे हैं, मान्यवर, मेरी तो तीन हप्ते में एक भी सूचना नहीं आई, 26 या 27 तारीख को एक आई थी उसका वक्तव्य आ गया और 26, 27 के बाद मेरी एक भी सूचना नहीं आई इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं और नियम-300 की सूचना पर बल देना चाहता हूं कि कृपापूर्वक इस पर विचार कर लें। जितनी सूचनायें खारिज होती हैं वह आपके सामने हैं। करीब पचास सदस्य सूचनायें लगाते हैं चालीस खारिज हो गईं, दस चयनित हुईं, और उससे समस्यायें अनिस्तारित रह जाती हैं और समस्यायें अपनी जगह पर खड़ी रहती हैं। सदन में हम इसलिए आते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए इसमें कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहते हैं हम चाहेंगे कि इस पर आप व्यवस्था दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम-300 में नहीं आता है। समय सीमित है, दिन भी सीमित हैं काम ज्यादा बढ़ रहा है यह सही है, आपका अधिकार है, आप विचार कर सकते हैं और विचार तो इस पर हो रहा था कि एक सप्ताह में माननीय एक सदस्य ही अपनी सूचना दे पाएं। तो उसके बरखिलाफ इस तरह काम होगा, तो दूसरे जो काम हैं वह बाधित होंगे। वैसे भी मान्यवर, आप तो सुन लेते हैं, नियमों से परे भी सुन लेते हैं। आप इतने उदार हैं। जहां आप जरूरी समझते हैं सुनते भी हैं और आपके आदेश निर्देश भी होते हैं। यह नियम-300 में लिए जाने योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने खन्ना जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 में नहीं आता है अग्राह्य करता हूं।

[12.31 बजे] लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2009†

*खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश की विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

[12.33 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011††

*परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4, 5 एवं 6 में कुछ नहीं है।

दिनांक 26 फरवरी, 2013 को आगरा में सैंया स्थित श्रेयस बैंक के सहायक मैनेजर एवं कैशियर की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

दिनांक 26-02-2013, सैंया स्थित श्रेयस ग्रामीण बैंक के अज्ञात बदमाशों ने लूट करते समय सहायक मैनेजर संतोष कुमार एवं ..

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†† छापा नहीं गया।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कैशियर अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री सी0के0 अग्रवाल, शाखा प्रबन्धक श्रेयस ग्रामीण बैंक तेहरा थाना सैंया जिला आगरा द्वारा थाने पर दी गई लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-46/13, धारा-393/397/302/307 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त 1-नरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र सोबरन निवासी-बाजपुरा थाना मंसूखपुरा आगरा, 2-रविन्द्र उर्फ राधे उर्फ बैगन निवासी बड़ापुरा, थाना मंसूखपुरा, 3-मनोज कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी- बड़ापूरा, थाना मंसुखपुरा, 4-राजेन्द्र शर्मा पुत्र चम्पाराम निवासी करकौली थाना मंसूखपुरा, 5-हरेन्द्र सिंह, निवासी देवगढ़ थाना पिनाहट, 6-अजमेरा उर्फ अजय पुत्र साहब निवासी-जगतपुरा थाना मंसूखपुरा, 7-गुड्डन निवासी-पडुआपुरा थाना पिनाहट आगरा के नाम प्रकाश में आये। जिनमें से अभियुक्त नरेन्द्र, रविन्द्र, मनोज एवं राजेन्द्र शर्मा को दिनांक 02-03-2013 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा मुकदमा उपरोक्त को दिनांक 06-03-2013 को धारा 396 भा0दं0वि0 में तरमीम किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त घटना की साजिश करकौली निवासी राजेन्द्र शर्मा जो स्थानीय बसपा नेता हैं के द्वारा रची गई थी। घटना में संलिप्त गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया है जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, विवेचना प्रचलित है।]

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना में सैंया स्थित ग्रामीण बैंक के सहायक मैनेजर एवं एक कैशियर की हत्या हुई। उन लोगों ने सरकार के 50 लाख रुपये बचाने का काम किया। सरकार द्वारा अभी तक इनकी कोई आर्थिक मदद नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनको आर्थिक मदद दी जाए। मान्यवर, इन दोनों लोगों ने सरकार का 50 लाख रुपया बचाने का काम किया है और इसी को बचाने में उनकी हत्या हुई। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके आश्रितों को कम से कम 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सरकार का तो सब कुछ है। लेकिन बैंकों का अपना बिजनेस होता है, यह बैंक का पैसा है, इससे सरकार का बहुत सरोकार नहीं है, दूसरे यह सर्विस पेशा हैं, उनकी अपनी बैंक की भी जिम्मेदारी है। तो बैंक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा और कहीं इसमें कमी रहती है तो उसको भी देखेंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(डा0 धर्मपाल सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब सब तो आ गया, प्रश्न लगाकर पूछ लीजिएगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, बैंक द्वारा उनके परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं दी गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आर्थिक मदद का प्रश्न ही आपके उसमें नहीं है, दूसरे यह हत्या का मामला है, क्या कानूनी कार्यवाही हुई, उसका जवाब आ गया। आर्थिक मदद का इसमें कोई जवाब नहीं हैं

[12.35 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-03-2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रथम 2 सूचनाओं को शलाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

नियम-56 में इतनी-इतनी सूचनाएं आने लगी हैं। नियम-301 भी है, नियम-51 भी है और चर्चा तथा संकल्प भी हैं लेकिन सभी लोग इसी में देते हैं और जब स्वीकार नहीं होता है तो शोर होता है। आप लोगों को गंभीरता से पढ़कर और उन विषयों को देखकर करना चाहिए। नियम-56 में ही चर्चा नहीं होती है और भी बहुत से नियम हैं, उसमें आप दे सकते हैं। इसमें पहली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की-प्रदेश में 16 सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गयी परिसमायन की नोटिस को संज्ञान में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। आप इसमें बतायें।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं आपका आभारी हूं, आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का मुझे मौका दिया है और यह बेहतर ही हुआ है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी इस समय सदन में हैं, इसलिए इस विषय में क्या कार्यवाही होगी, सरकार का क्या अभिमत है, उस पर स्थिति सामने आ पायेगी। अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर 25 को-आपरेटिव बैंक को नोटिस मिली है, जिनमें से पिछले वर्ष 9 बैंकों के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी। जैसा मैंने स्वयं सरकार के द्वारा प्रकाशित साहित्य में देखा है, प्रदेश के 25 गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों में से 9 बैंकों को राज्य सरकार के द्वारा 219.15 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराते हुए आर0बी0आई0 के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त कराया गया, शेष बैंकों को लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। यह इस सरकार के द्वारा जो साल भर की उपलब्धियां हैं, उन पर जो साहित्य प्रकाशित किया गया है उनके अन्दर यह उल्लिखित है। अध्यक्ष जी जिन नौ बैंकों को यह सहायता दी गई, वह बैंक हैं, लखनऊ के, फैजाबाद के, उन्नाव के, अलीगढ़ के, फतेहगढ़ के, कानपुर के, रायबरेली के मैं इन जिलों के नाम पढ़

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा हूं सिलसिलेवार और एक मऊ के। जिन 16 जिलों को इस सहायता राशि से किनारे रखा गया वह जिले थे, गोरखपुर के, बस्ती के, बलिया के, आपके सिद्धार्थ नगर के, देवरिया के, आजमगढ़ के, फैजाबाद के, बहराइच के, सुल्तानपुर के, वाराणसी के, जौनपुर के और इलाहाबाद के। अब अध्यक्ष जी, नौ बैंको के लिए सरकार ने तो पिछले साल 219 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दिया, जो रिपोर्ट्स आई हैं प्रताप बख्शी कमेटी की इन बैंकों के बारे में सरकार के रुपये की इस व्यवस्था के नाते यह बैंक पुनर्जीवित हो गये और यहां तक पुनर्जीवित हो गये कि एक साल के अन्दर इनका जो ऋण का व्यवसाय था वह 73 परसेन्ट बढ़ गया, यह नाबार्ड की रिपोर्ट है, इन बैंकों के बारे में जिन्हें सरकार ने पुनर्जीवित किया, 73 परसेन्ट ऋण का व्यवसाय बढ़ा और ऋण लेने वालों में 70 प्रतिशत लोग लघु, सीमांत और छोटे कृषक थे। जिन बैंकों को छोड़ दिया गया, उनकी स्थिति यह हुई कि नाबार्ड ने पुनः एक अध्ययन किया, अध्यक्ष जी और 30 सितम्बर, 2012 को एक अन्तिम तिथि निर्धारित की, इसके अन्तर्गत राज्य सरकार को और केन्द्र सरकार को जो दोनों ने आपस में नाबार्ड की उपस्थिति में एम0ओ0यू0 साइन किया था, उसके अनुरूप कार्यवाही प्रचलित करनी थी। नौ के बारे में कार्यवाही की गई, 16 के बारे में कार्यवाही नहीं की गई, जब 30 सितम्बर तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके बाद नाबार्ड ने आर0बी0आई0 के साथ एक बैठक किया और अध्यक्ष जी, अभी 14-15 दिन पूर्व 12-13 मार्च को किसी एक दिन आर0बी0आई0 ने एक नोटिस जारी कर दी और नोटिस जारी कर के उत्तर प्रदेश के इन 16 बैंकों को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों, कुल 27 जिलों में से 20 जिले इन 16 बैंकों से आच्छादित हैं, कुला मिलाकर के, मैं अगर, गोरखपुर जनपद का जो गोरखपुर सहकारी बैंक है, उसका उदाहरण दूं तो तकरीबन पौने तीन सौ सहकारी साधन समितियां उसमें कार्यरत हैं, ढेर सारी अन्य संस्थायें उनके सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं, नीचे के स्तर पर एक-एक समिति में चौकीदार, सेल्समैन, सचिव के रूप में ढेर सारे कर्मचारी कार्यरत हैं। इन 16 बैंकों में कुल मिलाकर के आठ हजार कर्मचारी/अधिकारी हैं और कुला कर के अध्यक्ष जी, तकरीबन 50 लाख कृषक और अन्य लोगों के एकाउण्ट्स उनमें खुले हुए हैं। अगर इन कृषकों के आंकड़े मा0 अध्यक्ष जी निकालें, तो अधिकांश कृषक वह हैं जो अत्यन्त छोटी जोत वाले हैं, जिन्हें बड़े बैंकों से ऋण नहीं मिलता, जो इन्हीं बैंकों से ऋण लेकर के अपने आप को आर्थिक रूप से जीवित रखने का प्रयास करते हैं।

अब यह जो 16 बैंक हैं, जिनको राज्य सरकार की अपनी भागीदारी से 688 करोड़ रूपये की थी, केन्द्र सरकार की भागीदारी कुल मिलाकर के 922 करोड़ रुपये की थी। राज्य सरकार को अपना हिस्सा, अगर राज्य सरकार इस भागीदारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करती, क्योंकि जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की थी, जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो प्रताप बख्शी की रिपोर्ट आई है, वह सारी रिपोर्ट्स अपनी खराब स्थिति के लिए सीधे-सीध सिर्फ इन जिला सहकारी बैंकों को जिम्मेदार नहीं ठहराती, वह कहती हैं कि इनके खराब होने का एक कारण, यह ठीक है कि इन्होंनें ऐसे लोन्स बहुत दिये हैं जिनकी उन्होंनें वसूली नहीं की, लेकिन उसके अलावा जो सारे कारण उन्होंनें गिनायें हैं, चाहे वह कृषि निवेश के कारण हों, चाहे वह ब्याज माफी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कृषि अनुदान के मामले हों, याद कीजिए इसके सिस्टम को, उनके द्वारा गवर्न किया जा रहा हो, या सरकार ने जो अपनी गारण्टी दी थी, उनका भुगतान न किये हों, इन सारे के नाते भी इन बैंकों की

स्थितियां खराब हुईं। अब इन बैंकों की स्थितियां खराब होने के नाते मा0 अध्यक्ष जी, आप स्वयं सिद्धार्थनगर से आते हैं, सिद्धार्थनगर, देवरिया, जौनपुर, बहराइच और सुल्तानपुर, ये पांच तो अध्यक्ष जी आपकी जानकारी में होना चाहिए, होगा भी, ये पांच तो ऐसे जिला सहकारी बैंक हैं, जिनके बारे में उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दे दिया है कि इनको समाप्त कर दिया जाय और इन्हें आस-पास के किसी जिला बैंक से सम्मिलित कर दिया जाय, उनमें आमेलित कर दिया जाय, जबकि सच्चाई यही है मा0 अध्यक्ष जी, वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार को आर्थिक व्यवस्था करनी है जिस हिसाब से जो उनका टेक्निकल रेशियो है, सी0आर0आर0। वह रेशियो बढ़ करके 7 प्रतिशत हो जाये। एक बार अगर हमने इस रेशियो को 7 प्रतिशत कर लिया तो हम उन बैंकों में वही फायदा पाने वाले हैं अध्यक्ष जी, जिन 9 बैंकों में जहां हमने किया है, उन 9 बैंकों का पुनर्जीवन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने इन दायित्वों का निर्वहन किया होता तो आज ये बैंक बंद होने के कगार पर न होते। मा0 मंत्री जी, यह अच्छी तरह जानते होंगे रिजर्व बैंक ने 15 दिन की नोटिस दी है। 15 दिन की नोटिस अर्थात् यही 28, 29, 30 मार्च। अगर मा0 मंत्री जी ने या सरकार ने समय रहते ये कार्यवाही नहीं की और जो अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना चाहिये था। आज वैसे भी 18 तारीख हो चुकी है। 10-12 दिनों के अन्दर अगर सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की तो इन बैंको के बन्द हो जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, आप उस पृष्ठ भूमि से हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारे सहकारी बैंक बंद होंगे तो सिर्फ ये बैंक बंद नहीं होंगे। जितनी नीचे की साधन सहकारी समितियां हैं वो बंद होगी। जितनी ब्लाक स्तर पर या तहसील स्तर पर इनकी इकाइयां कार्यरत थीं वो बंद होंगी या ढेर सारे अन्य जो बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं।

मैं आपको गोरखपुर सहकारी बैंक का उदाहरण दे सकता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे लोग, ढेर सारी छोटी छोटी शैक्षणिक संस्थायें, ये उनके यहां अपने एकाउन्ट खोल करके अपने सारे कार्यों का संचालन करते हैं। ये सब कुछ खत्म हो जायेगा और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज यह है बैंक के व्यवसाय के बारे में कि एक बार यह हल्ला मच जाये कि ये बैंक बन्द होने जा रहे हैं तो जो बैंक कोलैप्स होने की स्थिति में नहीं होते हैं, वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। यह डर अगर एक बार क्षेत्र में फैल जाये कि अब गोरखपुर सहकारी बैंक, देवरिया सहकारी बैंक या आपका सिद्धार्थनगर सहकारी बैंक बंद हो जायेगा तो जिन भी लोगों ने चाहे 100 रुपया जमा किया हो या 01 लाख रुपया जमा किया हो। वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिये और जो उनके पुनर्जीवन की संभावनायें बची होती हैं। वो संभावनायें भी समाप्त हो जाती हैं। एक भ्रम की स्थिति व्याप्त हुयी है इसलिये चूंकि मा0 मंत्री जी, हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनसे दो आग्रह करूंगा। एक आग्रह तो इस बात का कि सरकार की ओर से एक स्पष्ट स्टैण्ड आना चाहिये कि क्या सरकार समय रहते इन 16 जिला सहकारी बैंकों के बन्द होने को रोकने के लिये सख्त नीतिगत निर्णय करेगी। पूरे प्रदेश को और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को यह आश्वस्त करेगी कि ये बैंक बंद नहीं होने दिये जायेंगे और दूसरा जो 5 बैंकों को आमेलित करने की बात कही गयी है इन 16 में से, उन्हें कि अगर हम सी0आर0आर0 रेशियो बढ़ा करके 7 प्रतिशत करने की स्थिति ला दें तो सिद्धार्थनगर, जौनपुर, देवरिया, बहराइच और सुलतानपुर के इन बैंको को पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्या सरकार उन 11 के साथ इन 5 को भी पुनर्जीवित करने की योजना पर अपनी सहमति देगी।

*लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, पूरी बात बता दी थी और मैंने यह भी बता दिया था कि 2006 में वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी औपचारिकतायें पूरी करके उसका लाभ लेने का प्रयास किया था और उसी के तहत वैद्यनाथन कमेटी का लगभग 2400 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार से मिलना था और चुनाव भी समय से करा दिये थे। सारी औपचारिकतायें पूरी हो गयीं थीं और पहली किस्त लगभग 600, 650 करोड़ रुपये की मिल भी चुकी थी लेकिन पता नहीं, पुरानी सरकार की वजह से क्यों देरी हुयी, उसमें हम जाना नहीं चाहते और अब जो 922 करोड़ रुपया मिलना है, उसके लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री को मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। हमारे द्वारा भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्री जी से भी बात कर चुके हैं। कई बार बात कर चुके हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र प्रदेश की भी बैंकों को वैद्यनाथन कमेटी का जो रूपया मिलना था, वो भी फंसा हुआ है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी को भी हम लोग चिट्ठी लिख चुके हैं, मुख्य मंत्री जी भी लिख चुके हैं, हम भी लिख चुके हैं और प्रयास भी किया जा रहा है कि 922 करोड़ रुपया जल्दी मिल जाये और 922 करोड़ रुपये मिलने के बाद, हम यहां भी बहुत चिंतित हैं, कि यहां का जो भी शेयर है वह मिल जाए। और आपको भी पता है आप भी बहुत चिंतित हैं, सिद्धार्थनगर के बैंक के बारे में आपकी भी बहुत चिंता है।

श्री अध्यक्ष-

जमाकर्ताओं का 46 करोड़ रुपया सिद्धार्थनगर में जमा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह सही है कि हमारी सरकार ने इन 5 बैकों को अभी बचाया है, 5 जो ये बैकें हैं, इनका आमेलन हो चुका होता, लेकिन हम अभी इन्हें बचाये हुए हैं और मैंने आश्वासन भी दिया है कि हम इन 16 बैंकों को भी, जिस तरीके से 9 बैंकों को हमने सरकार की तरफ से जो संसाधन जुटाकर 219 करोड़ रुपया के द्वारा बचाया है, और अब उनको लाइसेंस मिल चुका है, उसी तरीके से अगर केन्द्र सरकार मदद कर दे तो बहुत अच्छा है और हमारा प्रयास भी है और करना भी चाहिए और फिर मैंने आश्वासन भी दिया था कि अगर नहीं भी केन्द्र सरकार मदद करेगी, फिर भी हमारा प्रयास होगा कि इन 16 बैंकों को हम बचाएं, चलायें। यह हमारा प्रयास है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम इन 16 बैंकों को चलाएं, संसाधन जुटाएंगे और चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने डॉ0 साहब को सुना, मंत्री जी को सुना, इसे में नियम-56 में अग्राह्य करता हूं। मा0 हुकुम सिंह जी, आपका और दादा का दोनों का एक ही विषय से संबंधित नियम-56 की सूचना है, तो दोनों का मैंने एक ही में कर दिया है, थोड़ा आप भी बोल लें और थोड़ा दादा भी बोल लें, दोनों एक ही साथ बोल लें। यह विषय यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं में अव्यवस्था से संबंधित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, माध्यमिक परिक्षाएं चल रही हैं मान्यवर, और जब से शुरू हुई तब से यह बराबर शिकायत आ रही है कि वहां पर निरीक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, निरीक्षकों के न पहुंचने के कारण पूरी अव्यवस्था वहां पर है, नकल की भी पूरी छूट है। प्रवेश-पत्र की बहुत परेशानी वहां आ रही है, जो पात्र छात्र हैं, उनको प्रवेश-पत्र नहीं मिल रहे हैं। फर्जी प्रवेश-पत्र तैयार किए जा रहे हैं और कई जगह इस बात की पुष्टि भी हुई है, लखनऊ में भी पुष्टि हुई है कि फर्जी प्रवेश-पत्र के माध्यम से छात्र वहां पर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। मान्यवर, फिर इस परीक्षा का औचित्य क्या रह गया, इसका मतलब क्या रह गया ? मान्यवर, अगर ऐसी बात होगी और उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा मान्यवर। आपकी जानकारी में होगा कि अलीगढ़ में, प्रकरण आया भी था, कि नकल माफियाओं ने एक एन0एस0डी0 का एक सिपाही था, गार्ड था, उसकी भी हत्या कर दी, वहां पर खड़े होकर के। मान्यवर, आज मेरे पास, कई लोगों का मथुरा से फोन आया, दो कालेजों का नाम बताया उन्होंने एक तो सुन्दर सिंह डाबरा इंटर कालेज और दूसरा है जगराम सिंह इंटर कालेज। कई बच्चों के फोन आए और कई अभिभावकों के फोन भी आए कि दोनों जगह खुले आम नकल चल रही है और पैसा वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, इसके तीन हिस्से हैं, जिसमें से नंबर एक- यह बीमारी तो बहुत पहले से थी। कुछ संस्थाओं में फर्जी तरीके से केन्द्र बनावा करके और पैसा तय करके वहां पर खुलेआम नकल करवाई जाती रही थी, उस समस्या का समाधान होना चाहिए था, शिकायत बराबर आती रही। अब समाधान तो उसका हुआ नहीं, दूसरी बात और सामने आ गई, जिनकी ड्यूटी आपने लगायी थी, पहले दिन ही, लगभग 20 से 40 प्रतिशत निरीक्षक अनुपस्थित रहे। चपरासी वहां स्कूल में लगे हुए थे, मान्यवर, उन चपरासियों के माध्यम से वहां पर परीक्षा करायी जा रही थी। अब आप अनुमान लगाइये अगर चपरासी वहां खड़े हुए हैं, परिणाम यह होगा उसका कि पर्चा हिन्दी का खुलना था और खुल गया संस्कृत का। चपरासी को तो पता है नहीं कि संस्कृत में और हिन्दी में अंतर क्या है, क्या नहीं है। संस्कृत का पर्चा बंट गया, परीक्षा थी हिन्दी की, परिणाम क्या होगा ? आज की स्थिति में हमारी जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनका कोई महत्व रह गया है क्या ? मान्यवर, यह इंटरमीडियट माध्यमिक एक स्टेज ऐसी है, जहां से बच्चे का भविष्य आगे तय होता है, उसको बी0टेक0 में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टरी में जाना है, उच्च शिक्षा में जाना है और उस परीक्षा के पास होने का कुछ अर्थ नहीं होगा। उन लोगों ने एक साल बैठकर पूरी तैयारी की बच्चों ने, नकल नहीं करना चाहते, केवल अपने श्रम, मेहनत, ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मान्यवर, दूसरी तरफ वह वर्ग आ रहा है जो फर्जी प्रवेश लेकर दूसरे की जगह बैठा है। उसके वहां जाने के लिए वह पात्र भी नहीं है लेकिन वह गये हैं और परीक्षा दे रहे हैं। मान्यवर, यह खुले आम नकल हो रही है। या नकल करायी जा रही है। दोनों में कितना अन्तर है। मान्यवर, जो छात्र साल भर मेहनत कर रहा है वह खत्म है और दूसरी तरफ जिसने कोई मेहनत नहीं की वह प्रथम श्रेणी में और डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहा है। वह इण्टर के बाद उच्च शिक्षा में जायेगा वहां से वह डाक्टर इंजीनियर और प्रोफेसर बनेगा। तो वह क्या करेगा। मान्यवर, अगर हमारी शिक्षा-पद्धति इसी तरह चौपट होकर रह जायेंगी, तो फिर इस पूरी शिक्षा प्रणाली का क्या महत्व रह जायेगा। मान्यवर, अभी इस सवाल को लेकर बहुत दिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुजर चुके हैं कैसे इस पर नियंत्रण किया जाय। यह प्रश्न सबके सामने उपस्थित है। मान्यवर, यहां बहुत बड़े-बड़े वादे हो जाते हैं, कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और जब करने का समय आता है तो यह विषय टाल दिया जाता है और उनकी प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। मान्यवर, लैपटाप बांट देना बहुत आसान है, गठरी उठाई और जाकर सबको दे आये। हमारा कहना है कि यह सरकार स्वच्छ शिक्ष पद्धति अपनाती और स्वच्छ रूप से परीक्षा करा देती। मान्यवर, बच्चों को शिक्षा के मामले में यह सरकार अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दे इस पर विचार की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस प्रश्न पर सदन पर विस्तृत चर्चा कराने का कष्ट करें ताकि हम सारी वस्तुस्थिति रख दें और नकल के मामले में पूरे प्रमाण प्रस्तुत कर सकें और सरकार को भी अवसर मिल सके। समस्या को समझने और उसका समाधान निकालने का। मेजों की थपथपाहट।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल माननीय हुकुम सिंह जी ने जो मत प्रस्तुत किया है उसे मैं दोहराउंगा नहीं। मान्यवर, नकल यह एक उद्योग का रूप लेती जा रही है। यह बहुत दिनों से चली आ रही है और धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। मान्यवर, इस पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारें आई और गई लेकिन सफल नहीं हो पायी। सफल होने के लिये कुछ करने की जरुरत है। मान्यवर, इस पर कैसे रोक लग सकती है, यह देखने की बात होगी। मान्यवर, बहुत से बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं टापर बनने के लिए, उनको हतोत्साहित न किया जाय। मान्यवर, नकल माफिया करोड़ों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। सीजनल बिजनेस के रूप में वह इसे कराते हैं उन पर कैसे रोक लग सकती है ? मान्यवर, कक्ष निरीक्षक वह नकल कराते हुए पकड़े जा रहे हैं। वह चिट् लिए हुए पकड़े जा रहे हैं। मान्यवर, स्थिति यह है कि भौतिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वह अभी कुछ जगह आउट हो चुका है जैसे रायबरेली, गाजीपुर, और बहराइच। बहराइच में भी हुआ है यह माननीय सदस्या बता रही हैं। मान्यवर, जो यह प्रवृत्ति अपनाई जा रही है उससे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कठिनाई में पड़ रहा है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यवर, इस पर बहुत गम्भीर होकर, सरकार को पूरे संजीदगी के साथ जबाब देना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए। मान्यवर, सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में स्ट्रिक्चर पास हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली है वह बहुत ही बदत्तर है। और इस सारी व्यवस्था को वहां के अधिकारियों ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। इस सख्त लहजे में मा0 उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, क्या सरकार इसका संज्ञान लेगी। मान्यवर, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो नकल माफिया इस तरह से दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं वह हमारी शिक्षा-पद्धति को दीमक की तरह चाट रहे हैं क्या उन पर कोई रोक लगायी जायेगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार बैठी हुई है पूरी संवेदनशीलता के साथ इसका जबाब देने का काम करे। मेजों की थपथपाहट।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो एक वैचारिक प्रश्न रखा है कि इस पर रोक होनी चाहिए, रुकना चाहिए इससे किसे इत्तेफाक नहीं होगा, हमें भी है। बस जरा सा फर्क यह है कि आपने बेटियों को जेल भेजा था हम इसके पक्ष में नहीं हैं। उससे भी सुधार नहीं हुआ लड़कियां थानों में बन्द हुई,

जेलों को गयीं एक नया सवाल खड़ा हो गया, बहुत डर बना आपका लेकिन नकल उस वक्त भी नहीं रुक सकी। अब शैक्षिक संस्थाओं में कितनी सख्ती की जा सकती है और कितने नियम लागू किये जा सकते हैं यह भी एक विचार का सवाल है। हुकुम सिंह जी को लैपटाप पसन्द नहीं है तो वह तो बट गये अब भाजपा नहीं चाहती है कि बच्चों को लैपटाप मिले तो अब मिल गये तो मिल गये और आगे भी मिलेंगे उससे थोड़ी जानकारी बढ़ेगी बच्चों में, दुनिया से जुड़ेंगे, अच्छे रास्ते पर जुड़े। मेरे पास कोई आंकड़ा इस वक्त या कोई जानकारी सरकारी तौर पर नहीं है ऐसी कि कहीं कोई नकल हुई है, सरकारी तौर पर नहीं है। देखिये, आपकी सूचना कम रह गयी, बहन जी ने भी सूचना बढ़ा दी यह शुक्र हुआ कि आगे पीछे से और सूचना आपकी नहीं बढ़ी वर्ना तो अच्छी-खांसी लम्बी लिस्ट हो जाती आपकी और पूरा प्रदेश उस में आ जाता। तो आप अगर दो-चार तरफ और देखते तो शायद वह भी कह देते। वह तो बहन जी बराबर थी उन्होंने साथ दिया आपका तो पड़ोसी का हक तो निभाया उन्होंने।

तो मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

दादा अब हो गया जवाब आ गया उस पर, 1.00 बज गया है, 20 मिनट और उसमें बचा है उस पर और मौर्य जी बहुजन का है और डाक्टर का है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो साफगोई की है कि सूचना नहीं है यह तो अच्छा काम किया उन्होंने कि नहीं थी तो कहा कि नहीं है। और सूचना होती तो उनको जानकारी भी होती कि कहां कहां नकल हो रही है, किस तरह से नकल हो रही है। मान्यवर, आप मीडिया का संज्ञान न लें न लेना चाहे लेकिन हमें विश्वास है कि आप जरूर अखबार भी पढ़ते होंगे जानकारी में आपके आती होगी, सरकार नहीं देती लेकिन कम से कम मीडिया के भाई जरूर देते हैं और उसमें बराबर प्रकाशित हो रहे समाचार कि खुलेआम नकल हो रही है और आपने कहा कि हमने जेल भिजवाये तो सिम्बोलिक अगर कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा हमने नकल रोक करके दिखायी, नकल नहीं होने दी, अच्छी खासी परीक्षाएं कराई पाक साफ कराई, मान्यवर, शिक्षा का महत्व बढ़ाया हमने कम से कम उसका श्रेय देना चाहिए मुझे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, एक तो जो वह आपने फरमाया कि सूचना, यह सूचना नहीं है कि कहीं नकल नहीं हो रही है एक बात दूसरा, मेरे ख्याल से आप मेज बजा लें बहुत खुश हों उस पर, अगर बेटियों को जेल भेजकर नकल रोकी गयी मेरे ख्याल से समाज ने इसे पसन्द नहीं किया या थानों में बन्द करके जेल भी गयी, और तरीके हो सकते थे सख्ती के लेकिन कैसे उनके रिश्ते होंगे, कैसे शादी व्याह होगी कैसे समाज के सामने नजर उठाकर जियेंगी, कैसे नौकरी करेंगी, कैसे अगला दाखिला मिलेगा अगर अपराधिक मुकदमें कायम होकर बेटिया जेल जाती और यह प्रथा बन जाती तो मेरे ख्याल से यह अच्छा नहीं होता। ठीक तो नहीं हुआ, वह ठीक तो नहीं हुआ।

श्री हुकुम सिंह-

कोई डाक्टर है, कोई इंजीनियर है अच्छी जगह पहुंच गयीं, नकल करने वाली नहीं थीं वह।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब देखिये दादा ने तो यह कहा कि नकल करने वाले ही टापर होते हैं तब दादा की सूचना यह है जब टापर होते हैं तो वह डाक्टर भी बनेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है यह मैंने कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक सवाल सिर्फ माननीय मंत्री जी से जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं संवेदनशीलता के लिए और अन्य कारणों से, अभी सुबह और रिकार्ड में है माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो कुछ उनकी जानकारी में आया वह जमीन का लीज औैर पट्टा को औने पौने देने की वह चैनल में चलाई जा रही है उसका संज्ञान माननीय मंत्री जी को है, अखबारों में आपकी कुछ लानत मलामत की है उसकी जानकारी आपको है लेकिन यह जो प्रदेश में जो नकल का धन्धा पनप रहा है, तमाम अखबार लिख रहे हैं, स्टिंग आपरेशन चल रहे हैं चैनल में दिखाई दे रहा है मुझे बहुत अफसोस है माननीय मंत्री जी कि आपने उसको बिल्कुल नकार दिया। यह नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, बैठिये। मैंने चौधरी साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना यह नियम-56 में नहीं आता इसे अग्राह्य करता हूं एक तीसरा है माननीय मौर्य जी का, धर्मपाल सिंह जी का, अमरपाल शर्मा जी का, राजबली जैसल जी का, शमशेर बहादुर जी का, शाह आलम जी का, उमाशंकर सिंह जी का और साथ में प्रमोद तिवारी जी ने उसी पर नोटिस दी है।

प्रमोद जी नहीं हैं, यह सूचना जनपद आगरा में दिनांक 15-03-2013 को दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट में 25 वर्षीय शोध छात्रा कु0 नेहा शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आप बोलेंगे, कौन बोलेगा। बस एक को बुलवा दो।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि आगरा की घटना है, इसलिये पहले धर्मपाल जी बोलेंगे, बाद में मैं इस पर बल दे दूंगा।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 15 मार्च, 2013 को डी0आई0 दयालबाग इंजीनियरिंग कालेज, जो पूरे उत्तर भारत का बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कालेज है वहां नैनो बायो टैक्नालोजी में पी0एच0डी0 कर रही छात्रा अपनी लैब में अपना पी0एच0डी0 का कार्य कर रही थी, 3 से 5 के बीच में, उसकी जो गाइड थी, उसके जाने के बाद उसकी बहुत ही क्रूरतम तरीके से हत्या की गयी। क्रूर और बेखौफ हत्यारे ने हत्या करने से पहले उसकी कापी में उसका स्केच बनाया और उस स्केच में कहां-कहां उसके शरीर को काटना है, वह भी बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, उस बैखौफ हत्यारे ने उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पी0एच0डी0 छात्रा के शरीर को 30 जगह से काटा, उसका हाथ काटा, पेट की आंतें बाहर आ गयीं, ऐसी क्रूर घटना हुयी, उस घटना के विरोध में उस इंस्टीट्यूशन के सभी छात्र-छात्राओं ने जस्टिस की मांग की, न्याय की मांग की और जब सवेरे कालेज खुला तो उस इंजीनियरिंग कालेज के पूरे छात्र-छात्रायें न्याय की मांग के लिये जो उनका थाना था, न्यू आगरा थाने तक पैदल मार्च करते हुये पहुंचे। जब उन्होंने वहां न्याय की मांग की तो आगरा के उन उच्चाधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें दौड़ाया, उन्हें पीटा और उन पर लाठीचार्ज किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा आगरा स्तब्ध है, पूरा आगरा विचलित है, पूरा आगरा जानना चाहता है कि इस पी0एच0डी0 की छात्रा का बेखौफ हत्यारा है कौन। आज तीन दिन घटना हुये बीत गये और अभी तक उस हत्यारे के सुराग तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। माननीय अध्यक्ष जी, यह आगरा के इतिहास की अब तक की सबसे क्रूरतम हत्या है, उस परिवार के लोग, उस इंस्टीट्यूशन के पढ़ने वाले छात्र और पूरे आगरा की जनता बराबर सरकार की तरफ देख रही है, सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर यह बेखौफ हत्यारा, क्रूर हत्यारा कब पकड़ा जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना अभी दो दिन पहले ही हुयी है, बहुत ही अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है और मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा ली जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना जघन्य, दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, इसलिये भी है कि मान्यवर, इसी सदन में अभी पिछले सप्ताह पूरे सदन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान और उनके साथ हो रहे भेदभाव, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार को खत्म करने का संकल्प लिया था। लेकिन यह घटनायें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसी प्रकार की एक घटना में मुरादाबाद गये थे, वहां पर भी समय पर एफ0आई0आर0 न लिखे जाने के कारण उसने तेल छिड़क कर आग लगा लिया था और उसकी मौत हो गयी थी। इसी प्रकार की घटना आगरा में हुयी। मान्यवर, शोधार्थी छात्रा थी, इसके साथ जिस तरीके से 30-30, 40-40 वार करके हत्या की गयी, इससे उसके क्रूरतम चरित्र का पता चलता है। अभी इसी प्रकार कल कानपुर के बजरिया थाने में।

श्री अध्यक्ष-

आप इसी घटना तक सीमित रहिये न। आप अन्य घटनाओं तक न जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हां मैं उसी पर आ रहा हूं। इसी प्रकार की एक घटना में छेड़खानी का विरोध करने पर उसको बुरी तरह मारा, वह आई0सी0यू0 में भर्ती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो भी घटनायें घट रही हैं, यह पूरे सदन के लिये ही चिन्ता का विषय नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है और नारी सम्मान के लिये भी चिन्ता का विषय है। इसलिये इस पर कार्यवाही हो, उसके पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के कृत्य में कोई भी लिप्त पाया जाता है, तो तत्काल कानूनी कार्यवाही हो, जिससे कि इस बढ़ रहे हिंसात्मक अपराध पर तत्काल रोक लगाई जाये और ऐसे हत्यारों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष ने जो मुरादाबाद का वाकया बताया है, उसमें शायद या तो उनकी जानकारी नहीं है या उन्होंने गलतबयानी से काम लिया है। गलतबयानी से काम लिया है तो इससे हालात बनेंगे नहीं बिगड़ेंगे आप वह बात न कहिए जो वाकया नहीं है। इस तरह आप राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चीजों को बिगाड़कर और अपराध को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। जानकारी लीजिए पूरी। ऐसा नहीं हुआ था कि रपट नहीं लिखी गई थी। रपट लिखने के लिए पुलिस ने बराबर दबाव दिया लेकिन पक्षों ने और खास पक्ष ने आपत्ति की और उन्होंने कहा क्योंकि लड़की का मामला है और लोगों ने बीच में पड़कर उसे सुलझाना चाहा पंचायत हुई और बहुत दबाव देकर इस बात के लिए अमादा किया कि इस पर मुकदमा कायम न हो। नेता प्रतिपक्ष की जुबान से एक गलत सूचना मिलना भ्रामक सूचना मिलना और ऐसी सूचना मिलना जो वाकए के बिल्कुल परे हो सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए यह शोभनीय नहीं है और एक वाकए को नियम-56 में इंगित करने के साथ-साथ पूरे साल के वाकयात को जोड़कर सदन के माहौल को गंभीर बनाना गंभीर माहौल है, उत्तेजित करना केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिए एक वाकए के साथ साथ 10-10 वाकयात को जोड़कर उसे पेश करना मेरे ख्याल से यह नियमों के विपरीत है और इस पर भविष्य में रोक होनी चाहिए। यह बहुत ही दर्दनाक हत्या है और इस पर सभी को शर्म आनी चाहिए केवल सरकार को ही नहीं विपक्ष को भी शर्म आनी चाहिए। पहले की सरकारें चलाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। माहौल बनाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। माहौल को यहां तक लाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। हमें तो आ ही रही है क्योंकि हममे शर्म है हम शर्म उन्हें दिलाना चाहते हैं जो जेलों में हैं बलात्कार में, हत्याओं में, लूट में और वारण्ट जिनको पकड़ने के लिए निकले हुए हैं उन्हें भी शर्म दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत गम्भीर बात है मान्यवर, इसमें जो जांच में निकल रहा है उसको हम यहां कहना नहीं चाहते। जाहिर है जिसने स्केच बनाया है वह कोई बहुत करीब है और जो उस वक्त वहां पर मौजूद हुआ इसी पर पुलिस काम कर रही है मैं चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष कोई ऐसा बयान न दें और ऐसा माहौल न बनाएं जिससे पुलिस अपनी कार्यवाही करने में झिझके, डरे या यह समझकर कि नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को इस तरह उठा दिया है तो हमें सही वाकयात पता चलाने में थोड़ी दुश्वारी हो। यह नियम-56 में नहीं आता और यह निवेदन मैं फिर करना चाहूंगा कि नियम-56 में मान्यवर, आप जब नोटिस को सुनने के लिए तैयार हों या सुनें तो उसी वाकए तक रहें पूरे प्रदेश के वाकयात को फिर एक बार एक टूटे हुए रिकार्ड की तरह बार-बार-बार-बार उसी बात को कहना मेरे ख्याल से यह भी नियम विरुद्ध होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी शायद मेरी बात को ठीक से सुने नहीं। मैंने कहा था कि यह सदन के लिए चिन्तनीय विषय है केवल सरकार के लिए चिन्तनीय विषय नहीं कहा था एक चीज। दूसरी चीज मकसद किसी चीज को उलझाने का नहीं था। और राजनीतिक लाभ लेने का नहीं था मतलब इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेने का था। जिस तरीके से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी किसी विषय को हल्का बना देते हैं और राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं हम समझते हैं कि सरकार इस घटिया

मानसिकता से बाज आए। यहां मकसद सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं था। मैंने तो यह दृष्टांत दिया कि एक जगह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खुद गए थे। एक विशेष घटना है आगरा की चूंकि आगरा के बाद कल की घटना बजरिया थाने की है उसको मैंने संदर्भित किया घटना में मैंने उल्लेख विषय वस्तु का ही किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुन लिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे मामलों में हम राजनीति करने के पक्षधर नहीं हैं। अगर कहीं आपको लगा हो कि राजनीति करने के मकसद से मैंने ऐसा किया हो तो वह कतई नहीं है। मकसद केवल इतना था कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसी लिए सदन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चिन्ता जाहिर किया था प्रस्ताव मैं ही लाया था। यहां कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है मकसद इतना है कि ऐसे अपराधों पर तत्काल रोक लगाई जाय और इसमें जो इन्वाल्व हैं जो लोग दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह आपने बता दिया। उन्होंने यह कहा कि ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो पुलिस को सहायता नहीं मिलेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी हम यहां स्वच्छ राजनीति के लिए बैठे हैं हममें कोई ऐसा नहीं है जो कोई धर्मशाला चला रहे हैं या कोई मुसाफिर खाना चला रहे हैं। हम यहां स्वच्छ राजनीति के लिए बैठे हैं और जिन लोगों ने जैसी राजनीति की है। जिन लोगों ने अपराध की राजनीति की है, बलात्कार की, हत्याओं की, डकैती की, लूट की राजनीति की है, उन्हें यह सबक देना चाहते हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह भाषण का समय नहीं है। मान्यवर, अपराधों को छिपाने की बात यह सरकार कर रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय यह सरकार अपराधियों को छिपाने की बात करती है। जहां तक इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बात की है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय अध्यक्ष के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपको तो कुछ कहा नहीं है। आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा चाहे जो बोलिये। उन्होंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसी राजनीति, इसमें आपको तो कुछ कहा नहीं, न तो आपकी पार्टी का नाम लिया तो क्यों इतना उत्तेजित हो गये, आप उनको सुनिये। यदि वह आपका या आपकी पार्टी का उद्धरण देते

तब आपको इतना उत्तेजित होना चाहिए था। उत्तेजित नहीं होना चाहिए अगर आप कहते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए। अब आप शान्त हो जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कान का बहरा नहीं हूं। बार-बार इस बात की पुनरावृत्ति की जाती है। यह विशेष घटना का उल्लेख है, मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी को संरक्षण देता हूं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने न तो आपका नाम लिया और न ही किसी पार्टी का नाम लिया, इतना ही कहा कि जिन लोगों ने इसकी राजनीति की है तो इसमें आपके ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं, अगर आपका या आपकी पार्टी का नाम लेते तब आप उत्तेजित होते, आप क्यों उत्तेजित हो गये, अब कृपया शान्त रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि सरकार ऐसे आपराधिक तत्व जो जिम्मेदार पदों पर रहने के बाद भी आज जेलों में हैं, उन पर भी नजर है और आज जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि सरकार का घटियापन, उस पर मैं कहूंगा कि सरकार का घटियापन हो या न हो लेकिन नेता प्रतिपक्ष का घटियापन जरूर सामने है और मैं यह मशविरा दूंगा कि आप अपने अन्दर का घटियापन कम करें। आप अपने अन्दर का घटियापन खत्म करें, मान्यवर, आपत्तिजनक था यह शब्द, सरकार का घटियापन यदि कहा जा सकता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी कहा जा सकता है। मान्यवर, जो फसल बोई जायेगी वही फसल काटी जायेगी। नेता प्रतिपक्ष जैसा कहेंगे वैसा जवाब मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार का घटियापन कहा है इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष के घटियापन की निन्दा करता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने सदस्यों को बुला लें, आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया अब आप लोग अपने आसन पर जाएं। अब आपकी बात आ गई। जो आप लोग बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा हो हल्ले में।

(वेल में आये हुए माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

कृपया अपने स्थानों पर चलें, मुझे इस पर निर्णय तो देने दीजिए। मा0 नेता विरोधी दल को सुन लिया, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया, अब मुझे निर्णय देने दीजिए, अपने स्थानों पर चलिये।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे।)

यह नहीं लिखा जायेगा। अब नारेबाजी बहुत हो गयी, अपने-अपने स्थान पर चलिये।

(वेल में आये हुए सदस्य कानून विरोधी सरकार के नारे लगाते रहे।)

माननीय नेता विरोधी दल, मेरा आपसे आग्रह है कि मा0 सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने को कहिये। मा0 सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि आप सब अपने-अपने स्थान पर चलिये। नेता विरोधी दल की बात आ गयी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, अब हमको निर्णय देने दीजिए। आपसे आग्रह है कि अपने-अपने स्थान पर चलिये। (वेल में आये हुए सदस्यों द्वारा आग्रह न मानने पर)

मैं 5 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान में कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 01 बजकर 25 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 01 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

मैंने मा0 सदस्य धर्मपाल सिंह जी को, डा0 धर्मपाल सिंह जी को सुना, मा0 मौर्या जी को संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मामला गम्भीर है संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसे गम्भीरता से लिया है। इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 मो0 अयूब साहब, आपकी सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं। बजट चले आगे, आपकी सूचना है संतकबीरनगर में एस0ओ0जी0 टीम के सिपाही द्वारा सिपाही सिकंदर अली की हत्या किये जाने की जांच तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता किये जाने के संबंध में। आप बोलेंगे।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यह हमारे विधान सभा का मामला है और 17 जनवरी, 2013 में शाम को सात बजे एस0ओ0जी0 टीम भ्रमण पर थी और उसे कुछ सुराग मिलने वाले थे और उस सुराग को खत्म करने के लिए, साजिशवश एस0ओ0जी0 टीम के एक सिपाही अश्विनी कुमार ने, अपने दूसरे सिपाही सिकंदर अली की हत्या कर दी शाम को सात बजे, बाजार के अन्दर गोली मारकर हत्या कर दी। अभी कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हो पाया है। उनकी गिरफ्तारी हुई और सरकार की लीपापोती की वजह से,जो दो लोग जेल में गए थे वह छूटकर बाहर हो गए, इसमें बहुत बड़ी साजिश है उस सिपाही की हत्या कर दी गई है और सरकार की तरफ से न कोई सहायता दी गई। उसके परिवार में बीबी है और दो छोटे-छोटे बच्चे हैं उसे जो नौकरी देना चाहिए उसके लिए भी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई। इसमें मेरा सरकार से दो प्रश्न है एक प्रश्न कि सिपाही ही सुरक्षित नहीं है जो जांच में लगे हुए हैं उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई और सरकार का पक्ष इतना कमजोर रहा है कि जो हत्या करने वाले लोग थे वह छूटकर घूम फिर रहे हैं। ताकि साक्ष्य कोई दे नहीं सकता है इससे जांच में व्यवधान पड़ेगा एक तो यह है दूसरी बात उसके पीछे क्या सुराग था, क्या साजिश थी क्यों हत्या की गई ? इसके पीछे कोई छानबीन नहीं हुई। इसके अलावा अभी तक उसे कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए था। पूरे परिवार के पालन

पोषण के लिए दूसरा विकल्प नहीं है, उसकी बीबी को उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। इसमें मैं आपके विचार जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें चालान हुआ और सिपाही जेल गए। उसके बाद फिर सरकार का कोई उस पर अख्तियार नहीं रह जाता, अदालत का अख्तियार हो जाता है, वह जमानत दे, न दे, वह हमारी परिधि में नहीं आता। इसके अलावा जो मामलात पर विचार रखे गये हैं, उस पर विचार होगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। शेष सभी सूचनाएं अग्राह्य करता हूं, समय भी खत्म हो गया है।

[1.38 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) तथा अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मंत्री जी बजट।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 'कैलाश डेरी वाले' बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, बजट चलने दीजिए। माननीय अग्रवाल जी, आपकी नियम-56 में बहुत सूचनाएं स्वीकार हो चुकी हैं, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज आप बैठ जायें।

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 40,98,99,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,45,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,42,41,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण बजट को रखने का जिसमें समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के सामान्य गरीब वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं उन्नयन के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा तमाम कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, मान्यवर, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, उस कल्पना को बहुत हद तक समाज कल्याण विभाग अपनी योजनाओं के द्वारा उसको सम्पादित करता है। श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको मैं आदरणीय सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-80 एवं 83 के अन्तर्गत कुल बजट प्राविधान 64 अरब 84 करोड़ 88 लाख 90 हजार रुपये का प्रस्तावित किया गया है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के सापेक्ष लगभग 1 हजार 32 करोड़ अधिक है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु अधिक धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। जिससे जनता को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। उदाहरणस्वरूप गरीब अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राविधानित रु0 1 हजार 5 सौ 96 करोड़ की धनराशि को बढ़ाकर रु0 2 हजार 3 सौ 18 करोड़ कर दिया गया है जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग रु0 7 सौ 22 करोड़ अधिक है। इस धनराशि में से 1447 करोड़ की धनराशि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए तथा 871 करोड़ की धनराशि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है। इसी प्रकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना में वर्तमान वर्ष के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग 210 करोड़ रुपये की धनराशि बढ़ा दी गई है, इससे अधिक वृद्धजन इन पेन्शन योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक अत्यन्त लाभकारी योजना है, इसमें भी वर्तमान वर्ष के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग 50 करोड़ की धनराशि बढ़ा दी गई है, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल सके। अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए शादी, बीमारी में वर्तमान वर्ष के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग 100 करोड़ की धनराशि बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन की योजना में भी वर्तमान वर्ष के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग 54 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस प्रकार मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक हजार 32 करोड़ रुपये की धनराशि बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेन्शन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष के अन्तर्गत 2012-13 में लगभग 1 हजार 473 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी थी, जिसके अन्तर्गत लगभग 38 लाख वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन पूरे राज्य में दी गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना में लगभग रु0 210 करोड़ की धनराशि बढ़ाते हुए लगभग रु0 1 हजार 683 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि आगामी वर्ष में लाभार्थियों की संख्या में भी लगभग 2 लाख की वृद्धि की जा सकेगी।

(इस समय 01 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

मान्यवर हमारी सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के नाम से एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी नई योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1240 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत लगभग 26 लाख गरीबों को लाभान्वित किया जायेगा। हमें आशा है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के ऐसे गरीब परिवारों को प्राप्त होगा, जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं और जो अन्य योजनाओं से वंचित हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना श्रीमन् यह योजना भी एक अत्यन्त ही संवेदनशील योजना है, जिसमें परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 साल से 64 साल के बीच है एवं जिसके द्वारा रोजमर्रा की कमाई से परिवार का भरण-पोषण होता है, उसके आकस्मिक निधन पर उसके आश्रितों को रु0 20 हजार की सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 300 करोड़ का बजट प्राविधान रखा गया था, जिससे 1 लाख 4 हजार गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 मे रु0 350 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इससे अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। सहायता की धनराशि रु0 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किये जाने का निर्णय भी लिया जा रहा है। (यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत की शेयरिंग के आधार पर संचालित की जा रही है।)

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को और अधिक पारदर्शी, सरल और उपयोगी बनाने की दृष्टि से विस्तृत नियमावली/गाईड लाइन्स निर्गत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए अलग-अलग नियमावली बनायी गयी है। हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित की जा रही है। इस पारदर्शी व्यवस्था के कारण और प्रक्रिया में सुधार के कारण जो अनियमितताओं की शिकायतें पूर्व में आती थी, वह लगभग समाप्त हो जायेंगी।

अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 के छात्र/छात्राओं हेतु नई छात्रवृत्ति योजना, मान्यवर, प्रदेश के अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत लगभग 4 लाख 62 हजार छात्र/छात्राओं को बढ़ी हुई दरों पर छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। पहले इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम रु0 30 हजार वार्षिक आय वाले माता-पिता के बच्चों को ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। अब इस आय सीमा को बढ़ाकर रु0 2 लाख वार्षिक आय कर दिया गया है और दरें भी लगभग ढाई गुना तक बढ़ा दी गयी हैं।

(6) पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 2 लाख वार्षिक आय सीमा तक के एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के 2 लाख वार्षिक आय सीमा के अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपरोक्त श्रेणी के छात्रों हेतु कुल 1 हजार 5 सौ 96 करोड़ 54 लाख की बजट व्यवस्था है जिसके सापेक्ष लगभग 1 करोड़ 50 लाख की

अनुसूचित जाति/सामान्य जाति छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। कक्षा-9 व 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक एकाउन्ट में यह धनराशि सीधे स्थानान्तरित की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत कुल रु0 2 हजार 3 सौ 18 करोड़ 64 लाख का आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है जिससे लगभग एक करोड़ 55 लाख अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग छात्रों को लाभान्वित किया जायेगा।

(7) आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

मान्यवर, समाज के गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिये वर्तमान में 76 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिनमें लगभग 30 हजार 971 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं। 14 नये आश्रम पद्धति विद्यालय इस समय निर्माणाधीन हैं जिन्हें शीघ्र पूरा कराकर संचालित करा दिया जायेगा। इन आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 72 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी जिसके सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग रु0 96 करोड़ का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार नये आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 25 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी जिसके सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु रु0 30 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। आश्रम पद्धति विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को सरकारी तौर से निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री, निःशुल्क भोजन एवं मौसम के अनुसार निःशुल्क बिस्तर तथा कपड़े/ड्रेस, दवा और मनोरंजन की सुविधा प्रदान की जाती है।

(8) छात्रावासों का संचालन

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये 252 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 19 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि बढ़ाकर लगभग रु0 21 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

(9) गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गरीब व्यक्तियों के परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा रु0 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रु0 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। गरीब परिवार के परिजनों के इलाज हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में रु0 5 हजार प्रति लाभार्थी की सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में रु0 137 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी जिसके सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि बढ़ाकर लगभग रु0 2 सौ 37 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

(10) अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता योजना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा पी0सी0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अत्याचार से प्रभावित परिवारों को न्यूनतम रु0 40 हजार से लेकर

अधिकतम रु0 5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 35 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसके सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि बढ़ाकर लगभग रु0 39 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। श्रीमन्, इसमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का बजट है और 50 प्रतिशत स्टेट का है। राजकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण की योजना ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय कम आय वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के प्रतिभावान मेधावी, तथा होनहार बच्चों को उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देने हेतु और उन्हें विभिन्न विषयों में कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रदेश में 7 कोचिंग संस्थान संचालित किये जा रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 1298 प्रशिक्षणार्थियों को कोचिंग प्रदान की गयी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रु0 10 हजार प्रति बोरिंग निर्धारित है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में रु0 12 करोड़ की बजट व्यवस्था है जिसके सापेक्ष 12 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-2014 में रु0 12 करोड़ का वित्तीय एवं 12 हजार कृषकों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार की महत्पूर्ण उपलब्धियां श्रीमन् हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में साफ-साफ लिखा है कि हमारी सरकार जब बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति की जो सुविधाएं हैं, वह सारी सुविधाएं प्रदत्त की जायेंगी। आज इस मा0 सदन में मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो मा0 अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी है, वैसे तो जितनी घोषणाएं थीं, उन घोषणाओं को समाजवादी पार्टी उसी तरह से सम्मान देती है, जिस तरह से गीता और कुरान का हम सम्मान करते हैं, उसी तरह से, जितनी घोषणाएं श्रीमन् थीं, वह करीब-करीब दो साल के अंदर पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है और जिसके लिए मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि विगत 15 फरवरी को भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति के लोगों को जितनी सुविधाएं अनुमन्य हैं, प्रवीलेज हैं, वह सारी सुविधाएं देने की हमारी संस्तुति है, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण काम है श्रीमन्, इसी तरह से सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना तथा अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराया जाना है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन लगभग 1400 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण को पूरा करके उन्हें जनोपयोगी बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 141 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इस धनराशि से सामुदायिक केन्द्र के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा कराकर उसे जनोपयोगी बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा कड़े कदम उठाये गये हैं। 47 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 7 प्रकरणों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। 8 कार्मिकों को जेल भेजा गया है। 2 कार्मिकों को

सेवा से निकाल दिया गया है। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का अंगीकरण श्रीमन् यह अधिनियम भारत सरकार का वर्ष 2007 का है और उत्तर प्रदेश में इस सरकार से पिछली सरकार जो गई उससे अपेक्षा की गयी थी कि इस प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया जाए, लेकिन उस सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया और कुछ काम नहीं किया और हमारी सरकार जैसे ही मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनी तो जो बुजुर्ग माता-पिता और सीनियर नागरिक हैं, उनके सम्मान के लिए यह भारत सरकार की जो योजना थी, उसको अंगीकार किया है और इस दिशा में श्रीमन्, हमारी नियमावली करीब-करीब बन कर तैयार हो गई है, और जैसे ही नियमावली बनकर पूरी तैयार हो जायेगी तो सारी चीज और उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल की है या 60 साल के ऊपर हैं, वे बच्चे जिनके वह मां-बाप हैं, वह बच्चे जिन्हें उनकी परवरिश करनी चाहिए अगर वह परवरिश नहीं करते हैं, तो ऐसा विधान बनाया जा रहा है नियमावली में श्रीमन् कि उनको मजबूर किया जायेगा। यहां तक की 3 महीने की सजा और 10 हजार रुपये तक का उनको बाध्य किया जायेगा। उनको कम्पेल किया जायेगा कि अपने वृद्ध माता-पिता की वह सेवा करें। यह हमारी सरकार की मंशा है।

(4) माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का अंगीकरण

मान्यवर, मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, परन्तु उक्त अधिनियम इस प्रदेश में विगत 5 वर्षों में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सका। मान्यवर, इस सरकार के आते ही इस ओर हमने ध्यान दिया और वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को समुचित भरण पोषण हेतु अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, 2012 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इससे वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का अवसर प्राप्त होगा। अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्रों में बी0पी0एल0 श्रेणी के (ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19 हजार 884 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25 हजार 546 वार्षिक आय सीमा तक) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का व्यवसायिक क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर रु0 78 हजार की धनराशि उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु दुकान निर्मित कराई जाती है, जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। दुकान का क्षेत्रफल 13.32 वर्ग मीटर निर्धारित है। स्थल क्रय हेतु रु0 5 हजार प्रति इकाई की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह फरवरी, 2013 तक 370 दुकानों का निर्माण रु0 4 करोड़ 23 लाख की धनराशि से कराया गया तथा 436 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जो शीघ्र निर्मित हो जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 11 करोड़ 71 लाख की धनराशि से 1 हजार 500 दुकानों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(5) उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं (शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित)

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गठित है जिसके द्वारा गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

स्वतः रोजगार योजना

इस योजना में रु0 7 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में बैंकों के सहयोग से बी0पी0एल0 श्रेणी (ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19 हजार 884 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25 हजार 546 वार्षिक आय सीमा तक) के लोगों को स्वरोजगार के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रति इकाई अधिकतम रु0 10 हजार अनुदान, 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह फरवरी, 2013 तक 55 हजार 388 व्यक्तियों को रु0 55 करोड़ 38 लाख अनुदान, रु0 1 करोड़ 99 लाख मार्जिन मनी ऋण 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एवं रु0 151 करोड़ 61 लाख बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1 लाख 25 हजार व्यक्तियों को रु0 125 करोड़ अनुदान, रु0 20 करोड़ मार्जिन मनी तथा रु0 480 करोड़ बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

लान्ड्री एवं ड्राईक्नीलिंग योजना

इस योजनान्तर्गत धोबी समाज के बी0पी0एल0 श्रेणी के (ग्रामीण क्षेत्र में 19 हजार 884 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25 हजार 546 वार्षिक आय सीमा तक) व्यक्तियों को लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग हेतु रु0 2 लाख 16 हजार की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें रु0 10 हजार अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह फरवरी, 2013 तक 55 लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग दुकानों की स्थापना कर रु0 1 करोड़ 18 लाख की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 4 करोड़ 32 लाख की धनराशि से 200 लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग दुकानों की स्थापना का लक्ष्य है।

मैनुअल स्कैवेन्जरों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार हाउस लिस्टिंग एवं हाउस सेन्सस-2011 के आधार पर प्रदेश में पाये गये 5 लाख 60 हजार इनसेनेटरी लैट्रिन (अस्वच्छ शौचालय) एवं उसमें संलिप्त स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है।

सर्वेक्षणोंपरान्त स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार हेतु निगम द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। अभी तक 61 जिलों से प्राप्त सर्वेक्षण में 29 जिलों में 13 हजार 847 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित चिन्हित किये गये हैं। 32 जिलों में स्वच्छकार नहीं पाये गये हैं।

मैनुअल स्कैवेन्जरों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजनान्तर्गत रु0 5 लाख तक की परियोजनायें बैंकों के सहयोग से वित्त पोषित की जाती हैं, जिसमें न्यूनतम रु0 12 हजार 500 तथा अधिकतम

रु0 20 हजार अनुदान की सुविधा दी जाती है, शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होती है। बैंक ब्याज दर पर ब्याज अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिससे कि लाभार्थी को मात्र 6 प्रतिशत बैंक ऋण पर ब्याज देना होगा।

ऋण लेने हेतु इच्छुक स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से रु0 12 करोड़ 50 लाख की धनराशि प्राप्त कर रु0 4 करोड़ 13 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। माह फरवरी, 2013 तक 174 स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को रु0 21 लाख 75 हजार अनुदान तथा रु0 30 लाख 85 हजार बैंक ऋण स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराकर लाभान्वित कराया गया है।

भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के 613 स्टेट्यूटरी टाउन में स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण पर विशेष बल देते हुए सर्वेक्षण मई, 2013 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना-निगम द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बीपीएल श्रेणी के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये कौशल विकास हेतु विभिन्न 20 ट्रेडों में (यथा कम्प्यूटर, टेलर बेसिक स्विंग आपरेटर, फोटो कापियर्स एण्ड फैक्स मशीन मरम्मत, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, लेदर रैक्सीन गुड्स मेकर, पम्पसेट मरम्मत, प्लम्बरिंग, एयर कण्डीशनर मरम्मत, फैब्रीकेशन वेल्डिंग, वाशिंग मशीन एवं माइक्रोवेव ओवन मरम्मत, डिजिटल फोटोग्राफी, पावर सप्लाई इन्वर्टर एवं यूपीएस मरम्मत, आरमेचर बाइन्डिंग, बेसिक इलेक्ट्रानिक्स, हाउस वायरिंग , टेली एकाउन्टिंग, बैट्री तथा फ्रिज मरम्मत में) एक माह से एक वर्ष तक का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को रु0 600/- प्रति माह वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह फरवरी, 2013 तक 4 हजार 6 सौ 80 प्रशिक्षणार्थियां को प्रशिक्षण दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 30 हजार 6 सौ 30 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में रु0 30 करोड़ की धनराशि से दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रस्तावित योजना, सड़कों पर जूता गांठने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकान उपलब्ध कराये जाने की योजना। श्रीमन्, यह योजना समाज के उन वर्गो के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं और बाजारों में सड़क के किनारे जिनको लोग कहते हैं मोची और वह सड़क के किनारे जूता बनाकर, जूता गांठकर, मरम्मत करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो वहीं एक कभी-कभी एक टूटा छाता लगा लेते हैं उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हलांकि एक ऐसी सरकार आई जो उनके लिए दलितों के लिए, दलितों के सामने आंसू बहाया करती थी घड़ियाली लेकिन इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि मोची लोग जिस स्थान पर थे, जिस चौराहे पर थे आज उनकी वही हालत है, आज उधर बैठे हुए लोग है उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जबकि उनको मौका मिला। आज मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी को कि उनके दर्द को, जो समाज का कमजोर आदमी है जिसको बैठने का स्थान नहीं है, जिसकी पक्की दुकान नहीं है, जिसमें पंखा नहीं है उसके लिए सोचा है। पक्का दुकान बना करके देने की हमारी सरकार की योजना है। और बहुत जल्दी इस दिशा में कारगर कदम उठाकर उनको यह सहूलियत दी जायेगी। इसके लिये वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत सड़कों पर जूता गांठने वाले अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी ग्रामीण

क्षेत्र में रु0 19 हजार 884 तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25 हजार 546 वार्षिक आय सीमा तक कारीगरों हेतु विशेष दुकान निर्माण योजना संचालित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में चयनित लाभार्थियों को 13.32 वर्गमीटर की दुकान के निर्माण हेतु रु0 2 लाख 28 हजार की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी, श्रीमन् 2 लाख 28 हजार रुपये में वह दुकान बनेगी, जिसमें मोची बैठकर अपना काम करेंगे । जिसमें रु0 1 लाख 50 हजार भूमि क्रय हेतु तथा रु0 78 हजार दुकान निर्माण हेतु दी जायेगी। कुल लागत रु0 2 लाख 28 हजार में रु0 1 लाख 60 हजार अनुदान तथा रु0 68 हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी, जिसकी वसूली 120 समान मासिक किश्तों में की जायेगी।

मान्यवर, समाज कल्याण निर्माण निगम, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत यह निगम कार्यरत है। यह निगम राज्य सरकार की निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। इस निगम ने अपने गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य से अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। निगम इस समय लाभ की स्थिति में है।

मान्यवर, मद्य निषेध विभाग में अवगत कराना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मद्य निषेध एवं समाजोत्थान विभाग भी कार्यरत है। मादक पदार्थों के सेवन के फलस्वरूप होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक कार्य-कलापों के माध्यम से समाज में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रचार, शिविरों एवं सम्मेलनों का आयोजन करके समाज में जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। विशेष रूप से छात्रों एवं युवाओं को मादक पदार्थों से दूर रखने हेतु विभिन्न वैकल्पिक मनोरंजन एवं सुख सुविधाओं की ओर प्रेरित किया जाता है। मलिन बस्तियों में मादक पदार्थों के विरुद्ध शिक्षात्मक कार्य विशेष रूप से कराये जाते हैं ।

मान्यवर, सैनिक कल्याण विभाग के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु और उनके पुनर्वासन हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता जी, पहले सैनिक कल्याण विभाग का बजट तो प्रस्तुत करा दें ।

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रस्तुत हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पहले आपने तीन बजट रखे थे, यह छूट गया था, इसलिये प्रस्ताव पहले आप रख दें ।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 41,93,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अब तो आपको आभास हो गया कि हम सुन रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी विद्वता पर कहीं प्रश्नचिन्ह नहीं है। लेकिन जब जोश में आ जाते हैं तो होश खो जाते हैं। आपकी विद्वता, आपका अनुभव, आपकी कर्मठता, अपनी पार्टी के प्रति लगाव, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मेरे जोश में आपका होश खो जाता है या सिर्फ मेरा ही ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह हमारे दोस्त हैं। प्रदेश के पूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु और उनके पुनर्वासन हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश के द्वितीय विश्वयुद्ध के 762 भूतपूर्व सैनिकों एवं दिवंगत पूर्व सैनिकों की पत्नियों को रु0 2 हजार 5 सौ प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। इस धनराशि को हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश जी ने रु0 2 हजार 5 सौ प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 5 हजार प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। वीरचक्र श्रृंखला के 20 लाभार्थियों को लगभग 15 लाख 84 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला में 331 लाभार्थियों को रु0 21 लाख 94 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है। वार-2 सेना मेडल श्रृंखला में 623 लाभार्थियों को रु0 37 लाख 60 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है। सियाचीन युद्ध श्रृंखला के 14 लाभार्थियों को रु0 2 लाख 5 हजार की धनराशि आवंटित की गयी है।

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 पूर्व सैनिकों को 2 लाख 90 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। कारगिल शहीद विधवाओं एवं शहीद माता-पिता को क्रमशः रु0 5 हजार एवं 2000 हजार 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है। इस धनराशि को भी राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये जाने पर विचार किया जा रहा है। प्री कारगिल के पूर्व सैनिकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 4 लाख 50 हजार की सहायता दी गयी है। 11 जनपदों में पूर्व सैनिकों को पुनर्मिलन हेतु समारोहों का आयोजन किया गया है जिसमें रु0 5 लाख का व्यय किया गया है।

मान्यवर, सैनिकों के लिए विभिन्न रोजगारपरक योजनाएं यथा कोचिंग तथा प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पेंशन के प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु पेंशन अदालतों का आयोजन भी विभाग द्वारा कराया जाता है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने नरैना नई दिल्ली में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सैनिकों के लिए एक विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है जिसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 28 लाख की सहायता प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों में जो छात्र पढ़ेंगे उनको निःशुल्क खाना और निःशुल्क कपड़ा निःशुल्क दवाई और सारी सुविधाएं जो उसको परिवार में उपलब्ध होती हैं उससे कहीं बेहतर सुविधा

मिलेगी। छात्रावास का संचालन एवं निर्माण में वर्ष 2013-14 हेतु 2 करोड़ 87 लाख 35 हजार का प्राविधान किया गया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 20112-13 में 1 करोड़ 79 लाख 69 हजार का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ 79 लाख 69 हजार का बजट प्राविधान किया गया है। यूनीफार्म एवं बाइसिकिल में श्रीमन् छात्र एवं छात्राओं को साइकिल एवं स्कूली ड्रेस देने का प्राविधान है वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कुल 56 करोड़ 53 लाख 76 हजार का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर यह हमारी समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं। जिसकी तरफ हमने प्रकाश डाला। मैं सदस्यों का बहुत आभारी रहूंगा चाहे वह इधर के हों या उधर के कि अपने बहुमूल्य सुझावों से हमको लाभान्वित करने का काम करेंगे। जिससे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है उस दिशा में समाज कल्याण विभाग सफलतापूर्वक काम करते हुए और समाज के वह लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं सताए हुए हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आएगी और निश्चित तौर से देश की आजादी का उनको भरपूर फायदा मिलेगा। मैं भी आभारी रहूंगा मैं आलोचना को बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा अपना मानना है कि निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिना पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाय। इस उम्मीद के साथ मैं आपके सुझाव को और आशा करूंगा कि आपका जो रचनात्मक सुझाव होगा हम और आप मिलकर इस प्रदेश के बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी की जो परिकल्पना और संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में हम और आप सहयोगी होंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सुझावों की अपेक्षा करता हूं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सम्मानित समाज कल्याण मंत्री द्वारा समाज कल्याण विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को

गिनाने का काम किया। माननीय मंत्री जी, यह बजट जो आपने प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि आपने यह बजट बड़ी संवेदनहीनता और निराशाजनक रूप से प्रस्तुत किया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा सामान्य जाति के गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा के लिए उनके तमाम कल्याणकारी योजनाओं के तथा उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण देने के लिए आपकी योजना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के आजाद हो जाने के बावजूद भी आज जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको समाज में ऊपर उठाने की जिम्मेदारी आप पर है, इनके आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान की तमाम योजनाएं जो संचालित हैं उनको फायदा पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। आज बहुतायत इस समाज में जो आदिवासी समाज के लोग रहा करते हैं, जो जंगलों में रह करके दो वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, आज उनको और समाज में तमाम ऐसे लोगों को गैर बराबरी की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए इनका शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान बराबरी की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट समाज के अन्य पीछे छूटे लोगों को, जिसके उत्थान के लिए आपने तमाम विशेष योजनाएं संचालित करने का जिक्र किया है। इसके संचालन से समाज के बड़े भाग को बराबरी का दर्जा दिलाया जा सकता है। लेकिन मान्यवर, आज गैर बराबरी का आलम यह है कि इनका सर्वांगीड़ विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक इनका शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक हम इन्हें बराबरी पर नहीं ला पायेंगे। ऐसी स्थिति में जब मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है उसमें आपका यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है वास्तव में यह बजट ऊंट के मुंह में जीरे का काम करता है। मान्यवर, आपके माध्यम से ऐसा इसलिए कह रहा हूं जिसके कल्याण के लिए आपने तमाम योजनाओं को संचालित करने के लिए बजट प्राविधानित किया है। इस बजट को प्राविधानित करने के बाद जब तक हम उचित प्रबन्धन नहीं करते हैं, इसका ठीक से हम सुपरविजन नहीं करते हैं, इसकी मानीटरिंग नहीं करते हैं तो जो गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति है जिनके चेहरे पर झुर्रियां हैं उनको हम सही तरीके से लाभ नहीं दे पायेंगे और यह हमारा बजट निश्चित रूप से एक निराशाजनक और संवेदनहीनता वाला ही बजट रह जायेगा। मान्यवर, आपने बजट प्रस्तुत करते समय तमाम योजनाओं को बताने का काम किया। शादी अनुदान योजना, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शादी अनुदान देने का प्राविधान है बहुत पहले से चला आ रहा है और इसमें जो तमाम दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं। जब तहसील में आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है अगर आप को नरेगा की भी मजदूरी मिलती है तो वह भी तीन हजार रुपये से ऊपर होती है। मान्यवर, इसीलिए हमने कहा कि इसमें आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। 19,900 कुछ रुपया वार्षिक आय रखा गया है। इसमें पहले भी जब बजट पर चर्चा हुई थी तो मैंने अनुरोध किया था कि आपको वास्तव में अगर इस समाज का हित करना है तो आपको इस पर चिंता करनी चाहिए थी। तमाम मंहगाई बढ़ी है, हम लोग दिन-प्रतिदिन चर्चा करते रहते हैं इसकी आय में बढ़ोत्तरी कर देते तो लोगों को फायदा मिलता, नहीं तो 19 हजार रुपये का आय प्रमाण-पत्र कोई भी लेखपाल और तहसीलदार बनाने का काम नहीं करता जिससे ऐसा समाज जो वंचित समाज है, इस लाभ से भी वंचित रह जाता है। मान्यवर, आपने एक आशा ही प्रकट की है कि जो शादी का अनुदान 10 हजार रुपये मिलता है इसको भी हम बढ़ाने का विचार कर रहे

हैं। अभी आप इस पर विचार कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि बजट आने के पहले आपको इसको स्थायी रूप से लागू कर देना चाहिए था, इसको बढ़ा देना चाहिए लेकिन आपका इस पर विचार चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस पर आपका जो विचार हो वह सकारात्मक होना चाहिए। मान्यवर, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन इसी तरह समाज के जो वृद्ध लोग हैं जिनकी जीविका का कोई सहारा नहीं होता उन्हें प्रतिमाह जो पेंशन दी जाती है। आज मंहगाई के दौर में उनको जो पेंशन दी जाती है वह बहुत कम है चूंकि आज आपको भी अच्छी तरह पता होगा क्योंकि सच्चाई कभी झुंठलाई नहीं जा सकती जब आदरणीय बहिन मायावती जी इस सूबे की मुख्य मंत्री थीं इस पेंशन में मिलने वाली धनराशि में सीधे सीधे दोगुना करके जो उनको पेंशन मिलती थी उस राशि को बढ़ाकर 300 रूपये करने का काम किया था। लेकिन आज आवश्यकता थी।

श्री अवधेश प्रसाद-

एक मिनट, 300 रुपया किसने बढ़ाया ? किसमें बढ़ाया।

श्री राजबली जैसल-

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, 200 रुपया भारत सरकार से मिलता है और राज्य सरकार से केवल 100 रुपये। तब यह 300 रुपये होता है। यह बहिन जी को भी मौका मिला था।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे मंत्री जी को हमें जवाब बाद में देना चाहिए था लेकिन आपने तुरन्त जवाब देना उचित समझा। हम जानते हैं कि आपकी सारी योजनाएं हैं वह केन्द्र से संचालित होती हैं। अगर इसमें 150 की जगह पर इसको 300 कर दिया गया था तो आपको भी इस योजना में कुछ बढ़ोत्तरी कर देना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया बहुत चालाकी के साथ आप इसको टरकाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें जो प्राविधान है पिछली बार वर्ष 2012-2013 में आपका जो बजट आया था लगभग 300 करोड़ रुपये कम का प्राविधान था। हमारे 2011-2012 में जो बजट प्राविधान था उससे आपका 2012-2013 का बजट प्राविधान 300 करोड़ रुपया कम था। उसको आपने इस वर्ष कुछ बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, राजकीय आश्रम पद्धति की बात आपने बताई। राजकीय आश्रम पद्धति के बहुत से छात्रावास बनकर के तैयार हैं जिनके संचालन की आवश्यकता थी, उनका संचालन शुरू कर देना चाहिए। विज्ञापन निकाल देने चाहिए लेकिन यह काम भी आपके द्वारा नहीं किया गया। मैं इसमें भी बताना चाहूंगा कि मान्यवर, जो उस छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे रहते थे, जिनके रहन-सहन की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, उनको 550 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था। आदरणीय बहिन जी ने उसको बढ़ाकर 1200 रुपये करने का काम किया था। जो सूती वस्त्र 300 रुपये दिये जाते थे उसको भी बढ़ाकर 850 रुपये करने का काम किया था। जो ऊनी कपड़े दिये जाते थे उसमें भी आदरणीय बहिन जी ने बढ़ोत्तरी करके सीधे 1500 रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था की थी।

इसलिये मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप गरीबों के हितैषी हैं और खास तौर से ऐसे समाज के शुभचिन्तक हैं जो समाज आपसे बहुत बड़ी आशा रखता था लेकिन आपने ऐसे समाज के लिये अपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। मान्यवर, अभी आपने फीस प्रतिपूर्ति की बात कही। हमको लगता है कि इस उत्तर प्रदेश को जितना बड़ा धोखा समाजवादी पार्टी की सरकार और खास तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार में बैठे ऐसे समाज के लोग जो उस समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, मंत्री जी बनकर बैठे हैं, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा अगर धोखा आपने उन बच्चों के साथ किया, मैं समझ रहा हूं कि आप मंत्री हैं, राजबली जैसल विधायक हो सकते हैं जो अपने बच्चों की फीस देकर पढ़ा सकते हैं लेकिन आपने ऐसी नीति लागू कर दी जो गरीब का सहारा, जो दो जून की रोटी खाने के लिए मोहताज हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यालय में दाखिला दिला देते थे डाक्टर बनने के लिए, डाक्टरी में दाखिला हो जाता था, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाता था, ऐसी आपने शासनानीति लागू किया कि वह गरीब बच्चे अब प्रवेश लेने लायक नहीं रह गए हैं। आपने पूर्ण रूप से उनको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। जैसा मैंने कहा कि संवेदनहीनता के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। इतना बड़ा आपने उन लोगों के साथ धोखा किया, इससे लगता है कि आपकी सरकार ही नहीं आप भी पूरी तरह से दलित के विरोधी हैं। अगर ऐसा नहीं तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज फीस जब तक वह स्कूल में फीस न दे दे कौन सा प्रबन्धक उसको कालेज में प्रवेश देगा कौन सा इंजीनियरिंग कालेज उसको प्रवेश देगा, कौन सा मेडिकल कालेज उसको प्रवेश देगा, पहले कम से कम यह व्यवस्था थी कि पहले वह जीरो परसेन्ट पर प्रवेश ले लेता था उसकी फीस की क्षतिपूर्ति आप बाद में भेज देते थे। लेकिन आज एक विकट स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया।

हमारे एक साथी कह रहे थे इधर से भी ज्यादा उधर साथी बैठे हुए हैं लेकिन मैं तो कहूंगा कि उधर जो साथी बैठे हुए हैं, आप जब क्षेत्र में, जिनकी नुमाइन्दगी के लिए भेजे गए हैं, जब वह क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के लोग उनसे सवाल करेंगे कि क्या आपको इसीलिए भेजे थे कि आप जाकर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को आगे पढ़ने से रोकेंगे। आपने ऐसी शासनानीति लागू किया है कि आपको इसमें पुनः पहले जैसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समाज के दबे-कुचले जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वह पढ़ाई करके आगे बढ़ने का काम कर सकें। इसी तरह से तमाम अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति का सवाल है उसमें भी आपको बढ़ोत्तरी करनी चाहिए थी । आपने एक जगह कहा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए, कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ में जो 20 हजार की धनराशि मिलती है उसको बढ़ाकर 30 हजार करने पर विचार कर रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं या कर चुके हैं इस संबंध में कोई स्पष्ट बात नहीं आ सकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप विचार कर रहे हैं तो उस पर आप पूर्णतया विचार कर लीजिएगा। चूंकि आज आप बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो आपको बजट में प्राविधान करके ही बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया तमाम योजनायें जो संचालित हैं उसमें बढ़ाने की आवश्कता थी। एक तरफ आप अपनी सरकार का गुणगान करते हैं, अपने मुख्य मंत्री का गुणगान करते हैं कि शादियों में तीस हजार रुपये देने का काम कर रहे हैं मैं समझता हूं कि जो पहले से योजनायें संचालित हैं जिससे एक बड़ा भाग उससे लाभ लेता है उसमें भी बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता थी। लेकिन मान्यवर, अभी तक ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं

कहना चाहूंगा कि इसमें भी आपको विचार करना चाहिए। मान्यवर, अनुसूचित जाति की मेरिट उच्चीकृत किए जाने की जो व्यवस्था थी, उसमें भी आपको कुछ बढ़ोत्तरी करनी चाहिए थी, चूंकि 2011-12 में अगर 45 लाख की व्यवस्था थी तो आपने वर्ष 2012-13 में भी वही व्यवस्था रखी, आज 2013-14 चल रहा है, उस व्यवस्था में इस वर्ष भी उतना ही प्राविधान किया है। मान्यवर, आपको इसके बजट में भी बढ़ोत्तरी करके प्राविधान लाना चाहिए था। चूंकि तमाम ऐसे बच्चों को जो हम उनकी मेरिट को उच्चीकृत करने के लिए काम करते हैं तो इसके बजट में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी।

मान्यवर, अनुसूचित जनजाति विकास सम्बन्धी भी तमाम योजनाएं हैं, उसमें भी पहले जैसे ही धनराशि का बजटीय प्राविधान किया गया है। मान्यवर, एक बुक्सा आदिम जाति के उत्थान के लिए भी उसी तरीके से जैसे 2011-12 की व्यवस्था थी, 2011-12 की व्यवस्था के अनुसार ही इस मंहगाई को मद्देनजर न रखते हुए ऐसे आदिम जाति के उत्थान के लिए भी आपने संवेदनशीलता दिखाने का काम नहीं किया और इसमें भी आपने 13.20 लाख की ही धनराशि का प्राविधान किया। मान्यवर, जो पूर्व दशम् सामान्य जाति के लिए छात्रवृत्ति की योजना है, इसमें भी आपने कटौती करने का काम किया। आज जब ऐसे सामान्य जाति के भी लोग जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, जो अपने बच्चों का पढ़ा नहीं पाते, उनके विकास की आप बात करते हैं। तो इसमें भी आपको बजट की बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता थी। लेकिन जो 2011-12 में बजट का प्राविधान था, वही बजट आपने 2012-13 में प्राविधानित किए हैं। हमें लगता है कि पूरे आपके बजट में, आपका जो बजट प्रस्तुत किया गया, लगभग 70 परसेण्ट जो पहले प्राविधान था, उसी बजट का प्राविधान इस बार भी कर दिया। मान्यवर, सामान्य जाति के लोगों को शादी और बीमारी के लिए जो समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि दी जाती है, सामान्य जाति में भी तमाम ऐसी गरीब, निरीह लोग हैं जो अपनी पुत्रियों की शादी नहीं कर पाते, चिकित्सा नहीं करा पाते, उनको जो सहयोग राशि थी, उस सहयोग राशि के बजट आवंटन में, बजट के प्राविधान में भी आपने जो बजट पहले प्राविधानित किए थे, 3750 करोड़, मात्र उतनी ही धनराशि आज भी बजट में प्राविधानित करने का काम किए हैं। मान्यवर, रानी लक्ष्मी बाई पेन्शन योजना जिस को आदरणीया बहन जी ने एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लागू करके । ऐसे परिवार के लोग जो न तो बी0पी0एल0 में थे न तो ए0पी0एल0 में थे, न किसी भी योजना से आच्छादित थे, उनको 400 रूपये पेन्शन देने का काम शुरू किया। मान्यवर, आपने उस योजना को बन्द कर देने का काम किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वह नाम नहीं पसन्द रहा होगा, आपने योजना का नाम बदल दिया, लेकिन मान्यवर उस योजना को चालू रखने के लिए आप लोग जो बजट का प्राविधान किया था, वह आज भी जब आप भी गांव में जाते होंगे तो लोग सवाल खड़ा करते होंगें कि जो हमें 400 रुपये मिलता था, वह मिल नहीं रहा है। कहीं-कहीं किसी गांव में जाने का भी काम हो गया है, लेकिन हर जगह वह धनराशि नहीं पहुंच पाई है। मैं समझता हूं कि जहां भी वह कमी रही हो उसको पूरा करते हुए आपको इस वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वर्ष 2013-14 में आपके द्वारा जो अनुदान संख्या-80 और 83 में बजट का प्राविधान किया गया है, उस बजट में भी आपको बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। अगर आप बढ़ोत्तरी करते तो लगता कि आप वास्तव में रानी लक्ष्मी बाई पेन्शन योजना को

ठीक से लागू करने के पक्षधर हैं और नहीं तो बस लग रहा है कि आप नाम बदल कर के सिर्फ ख्याति प्राप्ति करना चाहते हैं।

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुविधायें प्रदान करने के लिए बजट का प्राविधान था, उसमें भी आपको बढ़ोत्तरी कर के बजट का प्राविधान करना चाहिए। प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी जो प्राविधान है जो आवासीय विद्यार्थियों को जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो राजकीय प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यार्थियों को 60 रुपये तथा अनावासीय विद्यार्थियों को 50 रुपये की दर से देने की छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था थी जिसमें भी आपने 2011-2012 की अपेक्षा 2012-13 में लम्बी कटौती की है। मान्यवर, 7.50 लाख की जगह पर आपने 2012-13 में मात्र 10 लाख रुपये की व्यवस्था की है। आपने 2013-14 में भी उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी और वर्ष 2012-13 का ही जो बजट प्राविधान था उसमें भी आपने मात्र 10 लाख रुपये बजट का प्राविधान किया। मान्यवर, आदरणीया बहन जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना महामाया बालिका आर्शीवाद योजना चालू की थी, उस योजना को भी आपने बन्द करने का काम किया, उस योजना से सर्व समाज और ऐसे गरीब लोग जो अपनी पुत्रियों की शादी के प्रति चिन्तित रहते हैं, जिसके कारण पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होती थी, इसकी चिन्ता करते हुए बहन जी ने कि भ्रूण हत्यायें कम हों, जो लिंग का अनुपात घट रहा था, उसी के मद्देनजर बहन जी ने इस योजना को लागू किया था और बच्ची के जन्म होने पर पंजीयन हो जाता था, उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर एक लाख मिलने का प्रावधान था, उस योजना को भी आपने बन्द करके समाज में रहने वाले बहुतायत गरीबों का अधिकार छीनने का भी काम आपने किया। मान्यवर, इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आज इस समाज के लोग आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी बहुत से लोगों ने गरीबी दूर करने का बीड़ा उठाया और एक लम्बे अरसे तक प्रदेश और देश में राजनीति करने का काम भी किया। शासन और सत्ता पर बड़े बड़े समय तक, काफी समय तक कब्जे थे, उसके बाद भी गरीबों का भला नहीं हुआ, गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुयी इसलिये मान्यवर, मैंने आपसे आशा रखी थी कि आप कम से कम उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जो समाज तमाम भरी आशाओं से आपकी ओर देख रहा था इसलिये मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहूंगा और आपको एक सुझाव के रूप में अधिष्ठाता महोदय खासतौर से उस फीस के मामले में जो फीस प्रतिपूर्ति थी, उसमें मैं फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह बहुत चिन्तनीय है कि दलित समाज के बच्चे जो आज भी गरीबी में जूझ रहे हैं, जहां एक तरफ आप डा0 राममनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने का अपने आपको कहते हैं कि हम डा0 राममनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने का काम कर रहे हैं। डा0 राममनोहर लोहिया ने भी चाहा था कि इस देश से गैरबराबरी समाप्त हो लेकिन मान्यवर, इसमें खासतौर से आप ध्यान देने का काम करेंगे। चूंकि सैनिक कल्याण का भी आपने बजट प्रस्तुत कर दिया। हमने कटौती भी रख दी है तो सैनिक कल्याण पर ज्यादा नहीं कहते हुये मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दिवंगत पूर्व सैनिक थे जिनकी पत्नियों को पेंशन नहीं मिल रही थी। राज्य सरकार द्वारा 1990 से शुरूआत की गयी थी लेकिन उस मिलने वाली पेंशन में जो 2005 में 1000 रुपया बढ़कर मिल रही थी। आदरणीया बहन जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उस राशि को बहुत बड़े पैमाने पर यानि 1000 रुपये को 01 अगस्त 2008 में उस राशि को बढ़ा करके 1000 से

2500 करने का काम किया गया था। मैं माननीया बहन जी को इस पर बधाई देना चाहता हूं लेकिन आपने भी इसमें बढ़ाने की बात कही है। हालांकि आपने अभी इसको गोलमोल करके रखा है कि हम इसको बढ़ाने के लिये 5000 करने के लिये विचार कर रहे हैं तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिये कि हमने इस राशि को बढ़ा करके 5 हजार कर दिया है, तो हम निश्चित रूप से आपको बधाई देते, लेकिन मान्यवर, अभी आप इस समझौते पर आए हैं कि इसमें बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है। इस सरकार को पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा पत्नियों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाने की आवश्यकता आज भी है और अगर आप इस राशि को बढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र होंगे। ये जो द्वितीय विश्वयुद्ध के पेंशनरों की संख्या है, चूंकि इसमें तो अब तमाम लोग मरते जा रहे होंगे तो इनकी संख्या घटती जा रही है, तो इसमें भी जो आपका बजट का प्राविधान है, निश्चित रूप से इस बजट के प्राविधान में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए, जिससे उन्हें भी लगता कि हमें सरकार से लाभ मिल रहा है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं। मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने बहुत ही बैलेन्सिग और बहुत-ही अच्छा और उत्तम बजट रखा है। अब विपक्ष को तो कुछ-न-कुछ कहना ही है, मैं बड़ी देर से सुन रहा था और ऐसे ये बोल रहे थे, कि जैसे लगता था कि सारा कुछ बहन जी ने कर डाला। भई जैसल जी, मैं आपको बहुत पंसद करता हूं, अच्छे मित्र आप हमारे हैं और जल्दी ही हमारी और आपकी मित्रता हुई है, पहले नहीं थी। जल्दी ही मान्यवर, संगम पर मैं स्नान करने गया था, वहां हमारी और आपकी मुलाकात हुई, तो पवित्र जगह की मित्रता पवित्र होती है, अच्छी होनी चाहिए। ये बजट मान्यवर, इतना बढ़िया रखा गया है, कि अगर तीनों भागों को देख लिया जाए समाज कल्याण का तो एक खरब, 52 अरब से भी ज्यादा का बजट है। इतना भारी बजट समाज कल्याण पर रखा गया है, तो निश्चित ही समाज के कल्याण के लिए ही रखा गया है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है और मान्यवर, 4 करोड़ की आबादी अनुसूचित जाति की है, जिसमें अनुसूचित जाति की सभी जातियां हैं, त्रिपाठी जी, आपको मैं उसी में मानता हूं, क्योंकि मरघट की रखवाली करने वाला, वह उस में ही आता है, वह चाहे सवर्ण हो या चाहे गैर सवर्ण हो (सदन में हंसी) तो मैं आपको उसी में मानता हूं मान्यवर, 4 करोड़ की आबादी और निश्चित ही बहुत गरीब लोग इसमें हैं । आज भी आप गांव में चले जाएंगे तो इनका घर सुअरबाड़ा की तरह है। कई बार मैं कह चुका हूं एक ही घर में छप्पर के मकान में, बकरी बांधी जाती है, वहीं उनका बिस्तर भी है, वहीं खाना भी बनता है, वहीं बच्चे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह दलित बस्ती का मामला है और भी जो मुस्लिम गरीब जातियां हैं और मान्यवर, यहां तक कि अपर कास्ट में धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। क्योंकि आज यह समाज कल्याण विभाग का बजट है अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों के कल्याण का बजट है। मान्यवर, यह बजट एक खरब बावन अरब से ज्यादा का बजट है, इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, बहन जी, बहन जी यह सुन सुनकर कान पक

जाता है, मान्यवर, आपकी सरकार में एक घोषणा हुई थी कि जितने दलित लोगों ने जीप ली है लोन लेकर, उसमें उसका कर्जा माफ कर रहे हैं। मान्यवर, जिन दलितों ने वह लोन लिया था उनके बीच चौराहे चौपाटी पर बहस होनी शुरू हो गयी। हमारे एक मित्र भी मुझसे कहने लगे कि कितना बढ़ियां काम हुआ है लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। माननीय जैसल जी वादा खिलाफी और बलात्कार दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है। आपने दलितों को छला मान्यवर जब हमारी सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में हमने जीप दी थी। मान्यवर, छः प्रतिशत ब्याज पर, चार प्रतिशत भारत सरकार देती है, हम उसके कस्टोडियन होते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में, दो प्रतिशत वह लेते हैं।

मान्यवर, दलितों को उसमें फोर व्हीलर दी जाती थी। आपकी सरकार ने क्या कहीं दिया। एक तरफ तो आपने उन्हें छला और दूसरी तरफ पूरे पांच साल तक आपने यही चाहा कि दलितों की बस्तियों में सुअर पाले जायें। मान्यवर, इनका मत रहा कि केवल एक स्मारक बनेगा। बाकी के नहीं। मान्यवर, जो हजारों वर्ष तक पीछे रहे, जिनका सपना आज तक रहा कि वह भी समाज में सम्मान के साथ रह सकेंगे आपने उनके सपने को सपना रहने दिया। मान्यवर, 252 छात्रावास हैं एस0सी0 एस0टी0 के और इसमें सैतालिस अभी निर्माणाधीन हैं। मान्यवर, पिछली सरकार में छात्रावासों की बुरी दशा रही। हमारे बस्ती में दो छात्रावास हैं। पिछले पांच साल तक वहां पर कीड़े बज बजाते रहे एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह दलित समाज की कठिनाई है। मान्यवर किसी दलित बस्ती में कोई महल बना दिया जाय, और बाकी लोग झुग्गी में रहे तो वह आदर्श बस्ती नहीं कही जायेगी और यदि सभी लोग समान तरह के स्वच्छ मकान में रहे तो वह आदर्श गांव माना जाता है। आपके समय में तो आदर्श का कोई मतलब नहीं था। पूरे के पूरे छात्रावासों का पैसा कहां गया यह देखने की बात है। मैं अपने माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे दौरा करने का काम करें। मैं विनम्रतापूर्वक अन्य माननीय मंत्रियों और विधायकों से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह दलित छात्रावासों में जायें और वहां के बच्चों से पूछें कि बेटा तुम्हारे यहां क्या कमी है। मान्यवर, कोई जाति किसी की गुलाम नहीं होती है। ज्ञान किसी भी जाति का नहीं होती है। जाति ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी होती है। अपना अपना अलग अलग धर्म होता है। मान्यवर, आज छात्रावासों की व्यवस्था बद्तर है। मैं चाहता हूं कि उनके व्यवस्था को अच्छा किया जाय। मान्यवर, स्वामी प्रसाद मौर्या जी चले गये। जैसल साहब मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मौर्या जी इधर-उधर आयेंगें और जायेंगे यह समय की बात है। मान्यवर, जब कुछ लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहते हैं तो वह मायावती जी को गाली देते हैं और जब वह मायावती जी के साथ रहते हैं तब वह माननीय मुलायम सिंह जी को गाली देते हैं। मान्यवर, जो भी व्यक्ति जिस भी पार्टी में रहे उसे अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए और स्थिति बदलने के बाद उसके खिलाफ उसे नहीं बोलना चाहिए। मेजों की थपथपाहट। आपकी सरकार थी दलित छात्रों में 30 परसेन्ट अन्य जातियों का कोटा आपने बांध दिया। दलित छात्रों के लिए आपने 25 रुपया शुल्क लगा दिया छात्रावासों में। जब मायावती जी का पुतला फूंका जाने लगा पूरे प्रदेश में जब नारा लगाया जाने लगा तब आपने उसको वापस लिया। यह अगर गलत हो तो मैं विधान सभा छोड़कर चला जाऊंगा और अगर सही है तो आप उसे स्वीकार करें। सच तो सच होता है। इसी तरीके से मान्यवर, हमारे यहां 77 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए

बधाई है कि आपने ठीक किया है, हमारी सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है इसके लिए भी बधाई है। और किसी की भी सरकार आयेगी अगर करेगी तो उसके लिए बधाई है क्योंकि गरीब की मदद कोई भी कर सकता है और कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से जो गरीब की मदद करता है वही लोहियावादी है, वही अम्बेडकरवादी है, वहीं गांधीवादी है और वही कहिये तो बुद्धवादी है। गरीब की मदद करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति होता है।

मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं खत्म कर दे रहा हूं क्योंकि इतना हमलावर वह बोले हैं और झूंठ का पुलिन्दा बांध दिया इसलिए मैं बोल रहा था, मैं बस समाप्त कर रहा हूं।

मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं में भी ठीक चल रहा है और इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं अपने मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपसे क्या कहेंगे आपने तो पूरा प्रदेश लूट ही लिया। माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को 25 रुपया मिलता है इसको 60 रुपया कर दीजिए 2 रुपया रोज, निवेदन यह है कि कक्षा 6 से 8 तक 40 रुपया मिलता है जिसका कोई मतलब नहीं है आप इसका दूना कर दीजिए 80 रूपया अच्छा लगेगा, 100 हो जाय बहुत अच्छी बात है। यह तो मैं अपनी इच्छा बता रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि जो संशाधन होते हैं इस बार 80 हो जाय अगली बार 20 बढ़ जाय तो बेहतर होगा। संशाधन की भी जरूरत होती है। मान्यवर, कक्षा 9 से 10 के लड़कों को डेढ़ सौ रुपया है इसको 200 कर दें, 300 कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मंहगाई किस तरह से बढ़ी है। मान्यवर, शादी के मामले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 20 हजार कर दिया जाय चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो यह मेरा सुझाव है और निवेदन है। इसी तरीके से जो हमारी जाति है चमरमंगता, माननीय मंत्री जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सदन को कि एक चमरमंगता जाति है हमारे बस्ती में है, सिद्धार्थनगर में है, सन्तकबीर नगर में है, बलरामपुर में भी है, गोंडा में हो सकता है, देवरिया में हो सकता है मान्यवर, इन्हें न अनुसूचित जाति का प्रमाण मिलता है न जनजाति का प्रमाण मिलता है। चमरमंगता, जो खेती करने लगे वह चमार हुए और जो घूमने लगा, मांगने लगा उसके साथ मंगता जुड़ गया। आज उसके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है। हमारे इलाके में, मैं चाहता हूं कि उनको जोड़ लिया जाय अनुसूचित जाति में जोड़ लिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा क्योकि इससे ज्यादा पुण्य का काम और नहीं होगा। मान्यवर, हमारे यहां गोड़ जातियां हैं उनका भी प्राब्लम हैं खैर वह तो 17 जातियों में लिये जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, इसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। इसी तरीके से धाणिक हैं, अन्य जातियों में जुड़ी हुई हैं, नहीं हैं तो मेरा यह निवेदन है कि उसको भी जोड़ा जाय। इसी तरीके से जो हमारी बहुत बड़ी संख्या है आज अनुसूचित जातियों की जो 4 करोड़ की आबादी है बहुत बड़ी तादाद है जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं इनमें भी बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त है। इसलिए इनके रोजगार के लिए अनुदान और बढ़ाया जाय। यद्यपि कि बजट मे है अनुदान और बढ़ाया जाय। और इनके बारे में एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय आप भी हैं, यहां हमारे और भी मंत्री हैं। 176 सहायक समीक्षा अधिकारी आयोग से आये हैं और वह 6 महीने से यहां अपना प्रार्थना-पत्र दिये हुये हैं, हमारे अधिकारी लोग इधर-उधर लटका रहे हैं। माननीय अखिलेश जी का यह लोग अपमान कर रहे हैं, वह बच्चे रोजाना बददुआ देते हैं, जब आते हैं। 6-7 महीने हो गये, यह लोग हमारी सरकार को बदनाम

करते हैं। इस नाते मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं, अपने मंत्रिमंडल से और आपसे अनुरोध करता हूं कि 6 महीने हो गये, एक दिन भी अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो उसका प्रमोशन रुक जाता है, सीनियरिटी काउन्ट होती है और जो 6 महीने से चक्कर काट रहा है, उसकी क्या हालत होगी । तो उन पर कृपादृष्टि हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता-

आप माननीय मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं । इसलिये आप केवल माननीय मंत्री जी से कहें ।

श्री राम करन आर्य-

इसलिये मैंने मंत्रि-मंडल से भी निवेदन किया और आप सर्वोच्च हैं, आपसे भी निवेदन किया। मान्यवर, मैनें मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर लिया है। मान्यवर, मैं ज्यादा बात न कहकर, जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि अभी हमारे अकेला भाई दहाड़ेंगे, उधर से भी लोग बात रखेंगे, भाई जैसल जी आप भी दलितों के बड़े हिमायती हो और आपसे ज्यादा इधर हिमायती लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो उसकी रोटी खाते हैं और कुछ उसके लिये लड़ते-मरते हैं। मैं ज्यादा बात न कह करके, इस लोकप्रिय, जनप्रिय बजट, जो दलित समाज के हित में है, मैं इस बजट का समर्थन करते हुये, भाई जैसल जी को बधाई देता हूं कि आपने आलोचना कम किया है, सुझाव ज्यादा दिया है, सुझाव के लिये भी आपको धन्यवाद, और प्रतिपक्ष में है तो आलोचना ही नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने विस्तार से अपने बजट को रखा और विपक्ष की तरफ से माननीय जैसल भाई ने कटौती प्रस्ताव विस्तार से रखा। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। चूंकि समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है और इससे जुड़े हुये लोग ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले समाज से आते हैं। चाहे जिस जाति बिरादरी के हों, चाहे जिस धर्म के हों, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उनकी जो पेंशन की व्यवस्था है चाहे विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, अगर निचले स्तर पर गहराई तक जाकर देखा जाये तो देखने को मिलता है कि जो असली इसके पात्र हैं, वह उससे वंचित रहते हैं और जो अपात्र लोग हैं, वह पेंशन पा रहे हैं। हम तो विशेष रूप से बलिया जनपद से आते हैं और इस मामले में काफी हद तक लड़ाई भी लड़ी गयी है, हम कह सकते हैं कि 2008-09 के पहले बलिया जनपद में इसका कोई डाटा ही नहीं था कि कितने लोगों को पेंशन अवमुक्त की गयी । इसलिये आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा नकेल कसने की जरूरत है। जो पात्र लोग हैं, चाहे विधवा पेंशन के हों, चाहे वृद्धा पेंशन के हो, इसमें दलालों की भरमार ज्यादा है। इस दलाली को खत्म करते हुये, यह जो सरकार की योजनायें हैं, यह उन पात्र व्यक्तियों के घरों तक उनके दरवाजे तक पहुंचे, यह हम आपके माध्यम से सुझाव देना चाहते हैं। जाति के नाम पर बीच-बीच में सर्वे होते हैं, जांच होती है। जांच के नाम पर जो कर्मचारी जाता है, जिनको पेंशन मिलता है, उनसे वह कहते हैं कि मैं जांच करने के लिये आया हूं, आप घूस के रूप में कुछ पैसा दीजिये, अगर वह व्यक्ति देने के लिये तैयार नहीं हुआ तो जो पेंशन मिल रही थी, उसको मृतक घोषित कर दिया या कोई अड़ंगा लगा दिया, जिससे मिलती हुयी

पेंशन रुक गयी और उसकी जगह पर किसी दूसरे लोग की पेंशन चालू हो गयी। तो मैं यह भी कहूंगा कि किसी के गलत कदम से अगर किसी की पेंशन रुकी हुयी हो ....

(इस समय 03 बजकर 17 मिनट श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उस पेंशन को भी पात्रता के आधार पर अगर वह सही हो तो उसकी रुकी हुई पेंशन को दिलाने की व्यवस्था की जाय। यह भी मैं सदन से मांग करना चाहता हूं।

जहां तक शादी अनुदान का मामला है शादी अनुदान में जो सरकार का क्राइटेरिया है। प्रभारी मंत्री जी भी हैं जिला योजना की बैठक चल रही थी तमाम माननीय सदस्यगण बैठे हुए थे सर्वसम्मति से यह बात आई और यह सदन में भी विचारणीय प्रश्न है। कि नगरीय क्षेत्र के लिए 25 हजार 546 रुपए का प्राविधान है जिसकी वार्षिक आमदनी इतनी होगी या ग्रामीण इलाके के लिए 19 हजार 884 रुपए आज कल्पना करने की चीज है कि वार्षिक आय अगर लेखपाल भी जाएं आय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए तो उनके लिए भी संकट का दौर हो जाता है कि साल भर के लिए कैसे इतने का बना दें जब वह सर्टीफिकेट बनायेंगे तभी उसकी शादी अनुदान का लाभ मिल सकेगा। इसलिए हम व्यवहारिक तौर पर चाहेंगे कि सदन में इसकी चर्चा हो और इसकी जो धनराशि है क्योंकि नरेगा और मनरेगा का मजदूर भी परडे 120 रुपए पाता है अगर उस आधार पर देखा जाए तो वार्षिक 30 हजार से 35 हजार यह धनराशि होनी चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाए तभी समाज को एक दिशा मिलेगी। इसलिए भी हम इस पर चाहेंगे कि सदन में इस पर चर्चा हो और इस पर एक प्रस्ताव पारित हो कि इसकी धनराशि बढ़ाई जाय। जहां तक छात्रवृत्ति की बात है सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है विभाग भेजता है लेकिन समाज कल्याण अधिकारी के बीच विद्यालय के प्रबन्धक के बीच और इसमें प्रधान भी एक कड़ी है हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि जिस तरह की पारदर्शिता निचले स्तर पर होनी चाहिए या छात्रवृत्ति बंटनी चाहिए उतनी पारदर्शिता के तौर पर यह नहीं बंट रही है मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं किसी सरकार की बात हो यह पारदर्शिता के तौर पर नहीं बंट रही है इसमें भी थोड़ा नकेल कसकर और इसके जो वाजिब हकदार हैं उनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं चाहे केन्द्र 200 रुपए देता हो या स्टेट 100 रुपए देता हो । आज मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है बैंक में अगर हम कोई धन जमा करते हैं तो 6-7 साल में दो गुना हो जाता है लेकिन 10-15 वर्षों से हम देख रहे हैं कि यह 300 का 300 पड़ा हुआ है। अन्य किसी विभागों का बजट भी अगर काटकर अगर विधवा या वृद्धा पेंशन देने के नाम पर इसकी व्यवस्था हो तो इस मंहगाई के जमाने में हम चाहेंगे कि इस विधवा और वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग तीनों विभागों के लिए उनकी पेंशन बढ़ाई जाय। कम से कम दो गुना और अगर संभव हो तो और ज्यादा हो क्योंकि 10 रुपए में एक दिन में क्या होगा। हम चाहते हैं कि यह कम से कम एक हजार रुपए हो इस पर पूरा सदन भी सहमत हो जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी आप आ गए हैं इसलिए आपके माध्यम से मैं इस सदन से मांग करता हूं। महामाया योजना हो या रानी लक्ष्मी बाई योजना हो इसका भी क्रियान्वयन पारदर्शिता के आधार पर निचले स्तर पर नहीं हो रहा है। लक्ष्मी बाई योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। हम चाहेंगे कि इसको भी पारदर्शिता के तौर पर कराया जाय। इधर से हमारे भाई जैसल जी बोल रहे थे और उधर से माननीय मंत्री जी जाति की तरफ इशारा आया और धर्म की तरफ इशारा

आया यह सदन जाति और धर्म से ऊपर है। वैसे भी हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं हम लोगों की मंजिलें एक हैं और रास्ते अलग-अलग हैं। विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं मेरा तो यह स्पष्ट मानना है और मैं कहना चाहता हूं कि समाज के अन्दर जाति और धर्म की आवश्यकता यदि है तो सिर्फ एक जगह पर जो जिस जाति विरादरी का है अगर शादी होगी तो उस धर्म और उस बिरादरी में होगी लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है वहां पर तिलक और दहेज की बात होती है। मेरे जैसे व्यक्ति का यह स्पष्ट मानना है मैं सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता हूं कि न हिन्दू चाहिए न मुसलमान चाहिए इंसान की औलाद हूं इंसान चाहिए। अगर मानव जाति में आदमी पैदा हुआ है तो यही सबसे बड़ी जाति है और यही सबसे बड़ा धर्म है अगर मानव होने के नाते चाहे आपके दो कदम चलने से या हमारे दो कदम चलने से अगर समाज में किसी का हित हो रहा हो अगर दुश्मन का भी हित हो रहा हो तो एक बार जरूर सोचकर पहले उसका उद्धार करना चाहिए उसका हित करना चाहिए उसके बाद दुश्मनी अलग से लड़नी चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि इन सब कटु बातों पर विराम लगे और समाज को कैसे दिशा मिले, इस पर चर्चा हो। इसी के साथ मैं इस सदन को और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

*श्री पूर्णमासी देहाती-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया है और इन्होंने गरीबों के विकास के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विकास के लिए बजट में सारे प्राविधान किये हैं। मान्यवर, अभी जैसल जी बोल रहे थे तो उनको केवल बहन जी दिखाई पड़ रही थीं लेकिन उनके आगे वाला उन्होंने नहीं बताया। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बजट के बारे में माननीय आर्या जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है उनके सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मान्यवर, छात्रावासों की स्थिति पहले से खराब थी लेकिन आपने काफी सुधार किया है लेकिन अभी इसमें सुधार की और आवश्यकता है। यह सही है कि मंहगाई का दौर चल रहा है तो जो गरीबों को आप छात्रवृत्ति दे रहे हैं, लड़कियों की शादी के लिए जो धनराशि दे रहे हैं उसको कुछ न कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। आप कम से कम उसमें इतनी व्यवस्था जरूर करें कि लोगों को इस मंहगाई के दौर में कठिनाई महसूस न हो। आपने बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है। जैसा कि आर्या जी ने कहा कि दौरा करके आपको छात्रावासों को देखना चाहिए। मुझे याद है कि जब इससे पहले आप मंत्री थे तो आपने कई छात्रावासों का निरीक्षण किया था और एकआध जगह आपके साथ मैं भी गया था और उससे काफी सुधार भी हुआ था।

मान्यवर, आपने जो 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजा है वह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि उस 17 जातियों में ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत ही बद्तर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। माननीय आर्या जी ने कहा है और अन्य साथियों ने भी कहा है कि कुछ जातियां जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और वह उसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मिलित होने से छूट गई हैं तो जब भी आपको मौका मिले उस पर आप विचार कर लेंगे। मा0 तिवारी जी ने बहुत सही कहा कि सदन में गरीब तबके के लोगों के बारे में विचार किया जाना चाहिए, इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आय के आधार पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए और सवर्ण जाति की लड़कियों की शादी के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहे ब्राह्मण हों या अन्य सवर्ण हों, वह भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी मदद की जानी चाहिए। मान्यवर, चूंकि आपने विस्तार से पूरी बात बताई है और उसमें कोई बात छूटी नहीं है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय जैसल साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, राज्य आश्रम शिक्षा पद्धति एक विद्यालय चल रहा है, उस विद्यालय में गरीब, अनाथ के बच्चे पढ़ते हैं। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था संचालित हो रही है जिसमें गरीबों के बच्चों को आराम से निःशुल्क शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। इस विद्यालय में दो-तीन खामियां हैं उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जिक्र करूंगा। जो शिक्षक और शिक्षिकायें उस विद्यालय में पढ़ाती हैं उनको पूरे साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। यहां तक की कोई गर्भवती महिला हो और बच्चा पैदा होने वाला हो तथा उस विद्यालय की शिक्षिका है तो उस समय भी उसको एक दिन की छुट्टी नहीं दी जाती जिसके कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां वह आन्दोलन में भी आयी थीं और तमाम बार आपने निर्देश भी दिया है लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण उन लोगों की छुट्टियां नहीं मंजूर हो पायी। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए छुट्टी का प्राविधान बनाया जाए कि कम से कम अगर हफ्ते में न हो सके तो महीने या साल में कुछ दिन के कैजुअल अवकाश की व्यवस्था बनाई जाए। दूसरे, वे लोग चौबीसों घण्टा उस विद्यालय में रहते हैं जिस अनुपात में उनका वेतन होना चाहिए उस अनुपात में उनका वेतन नहीं है, तो उनके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। ग्यारह महीना संविदा की नौकरी करते हैं और जब 12वें महीने में संविदा खत्म होती है और वह समाज कल्याण अधिकारी के पास एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो वह भी उनका शोषण करते हैं और बजाए उन लोगों को रिन्युवल करने के बजाए तमाम तरह की स्थितियां झेलनी पड़ती है। मेरा कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिससे समाज कल्याण विभाग से उनका रिन्युवल अपने आप हर साल हो जाए और उनका वेतन डायरेक्ट खाते में चला जाए। ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा संचालित हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा।

एक एकलव्य आश्रम विद्यालय है उसमें अनुसूचित जनजाति के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और बहराइच, तीनों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जगह बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं इसमें केवल संचालन का काम शुरू होना है, काफी दिनों से यह बना पड़ा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको अविलम्ब चालू कराया जाए जिससे बच्चों का शिक्षण व्यवस्था चालू हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ एडेड विद्यालय हैं, उस एडेड विद्यालयों में तमाम छात्र, छात्रायें फर्जी तरीके से वहां के प्रबन्धकों की सांठ-गांठ से पंजीकृत होते हैं और उनकी छात्रवृत्ति का खुलेआम लूट किया जा रहा है। उनके नाम पर प्रबन्धक और प्रिन्सिपल आधा-आधा बांट लेते हैं तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जांच का विषय है इसकी जांच करायी जाए और जो फर्जी विद्यार्थी हैं उनको तत्काल वहां से हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैं कहना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन 200 रु0 भारत सरकार देती है और 100 रु0 आपके द्वारा दिया जाता है, इस प्रकार 300 रु0 प्रतिमाह दिया जाता है। आज की इस मंहगाई के युग में 300 रु0 का क्या महत्व है ? 6 महीने में 1800 रु0 मिलता है और कई लोग तो उसके लिए दौड़ते रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस धनराशि को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए जिससे कम से कम विधवा और वृद्धा जो लोग हैं वह अपना जीवन-यापन ठीक-ठाक ढंग से कर सकें। विकलांगों को पहले बस में और रेल में पास मिलता था लेकिन यह व्यवस्था पिछले समय से बंद है। जो जिले पर पास बनता था वह आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको पुनः चालू किया जाए।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विकलांग कल्याण अलग विभाग है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

समाज कल्याण द्वारा शिक्षा में छात्रवृत्ति की व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा कि जो इन्जीनियरिंग करने वाले या मेडिकल के छात्र हैं और दूसरे प्रदेशों में अगर उत्तर प्रदेश के छात्र पढ़ते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, खास करके पिछड़ी जाति के लोगों को। एक लड़का जो हमारे यहां का अम्बाला में पढ़ता है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय सदस्य यह भी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं हमारे कुशीनगर जनपद में मुसहरों की संख्या बहुत ज्यादा है और मुसहरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, आपके क्षेत्र में भी मुसहर हैं उनके लिए कोई एक अलग पैकेज बनायी जाए, यह मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। उनको सुदृढ़ किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उनके लिए तमाम योजनाओं का सृजन किया जाए जिससे मुसहर जाति अपने अस्तित्व में आ सके और उनको भी जीवन जीने का संसाधन आपके माध्यम से मिल सके। एक योजना बहिन जी की सरकार में चलती थी एक लाख रुपये जब बच्ची पैदा होती थी तो उसके नाम पर जमा करा दिया जाता था उसका रजिस्ट्रेशन होता था। जब वह 18 साल की होती थी तो उसको वह 1 लाख रुपया मिल जाता था।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

वह हमारी सरकार की देन थी। हमारी सरकार में किया गया था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अच्छा आपकी सरकार में। मैं थोड़ा जानता था इसलिये कहा। क्षमा करियेगा। तो उस योजना का संचालन जो है पुनः चालू कर दिया जाय।

श्री अवधेश प्रसाद-

यह महिला कल्याण में है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अभी जैसल जी बोले थे इसलिये यह बात आई।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी आपका 5 मिनट खत्म हो गया अब बैठिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

ठीक है मान्यवर, बस एक लास्ट बात। आपके माध्यम से एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि यह ट्रायसाइकिल वगैराह तो आपके यहां है।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

वह विकलांग विभाग में है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ट्रायसाइकिल और जो छड़ी है उसकी व्यवस्था भी किया जाय और एक लास्ट बात, कुशीनगर में जो शादी अनुदान है, उसमें भारी कटौती की जाती है। जितना लिस्ट आती है उतने का शादी अनुदान नहीं जारी किया जाता है। और होता क्या है, कुछ चिन्हित बहुत कम लोगों को दिया जाता है। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि कुशीनगर क्षेत्र बाढ़ और आग पीड़ा की विभीषिका को ज्यादा झेलता है इसलिये ज्यादा से ज्यादा बजट वहां बंट जाय। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, लल्लू जी बहुत उत्साही हैं। मेहनत से तैयारी करके आते हैं यह सच है कि आज समाज कल्याण के बजट पर उन्होंने जितनी तैयारी की वह सब गोल आउट चला गया। एक भी गोल पोस्ट में नहीं गया इसलिये कल इनको समाज कल्याण पर बोलने का अवसर दीजियेगा यह उस पर तैयारी करके आयेंगे।

श्री अनीसुर्ररहमान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिये, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए चन्द लफ्जों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी बात रखूंगा और समय का पूरा पालन करूंगा। मान्यवर, अभी मौजूदा सरकार ने जो 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये एक सिफारिशी-पत्र दिल्ली सरकार को भेजा है। सच्चर कमेटी ने जो मुसलमानों की स्थिति पर गौर किया है उसमें दलितों से भी बद्तर स्थिति बताई है मुसलमानों की। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है उसको गौर से देखा जाय और उसका निष्कर्ष निकाला जाय कि कौन-कौन सी जातियां हैं जिन्हें दलितों से भी बद्तर करार दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मुसलमानों की उन जातियों को इकट्ठा करके उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये एक सिफारिशी-पत्र दिल्ली सरकार को लिखा जाय। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं बहुत-बहुत शुक्रिया।

*श्री कालीचरन सुमन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि समाज कल्याण का आज माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, और जैसल जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि-

समृद्ध देश की क्या पहिचान

मानव-मानव एक समान

यह डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। देश में जो गैर बराबरी है, देश में जो असमानता है, देश में जो गरीबी है, देश में जो ऊंच नीच है, देश में जो छुआ छूत है, उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा देश समृद्धि के रास्ते पर नहीं जा सकता, विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। इसीलिये माननीय अध्यक्ष जी जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था जब तक उन गरीब लोगों के उत्थान की बात नहीं होगी, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में, जो कभी डी0एम0, एस0एस0पी, आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 बनने का सपना देखा करते थे उनको आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 कोचिंग सेन्टर लागू करके निःशुल्क कोचिंग सेंटर लागू करके, निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देकर, लोगों की गैर बराबरी को समानता पर लाने का काम किया था। मा0 अध्यक्ष जी जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जो लोग हीनभावना से देखते थे, आर्थिक मदद योजना चलाकर, सावित्रीबाई फूले योजना चला करके, जितनी भी कल्याणकारी योजनायें थीं, वह योजनायें चलाकर देश में, समाज में गैर बराबरी को मिटाने का काम किया।

मा0 अध्यक्ष जी एस0सी0एस0टी0 आरक्षण के मामले में कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी जो आर्य जी हैं वह बड़ा मेज थपथपाकर इस बजट का समर्थन कर रहे थे। मा0 अध्यक्ष जी इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश में इस समाज के उत्थान को जो आगे नहीं देख सकता है। इसलिए मैं ज्यादा न कहकर के हर क्षेत्र में, हर बजट में, हर कार्यक्रम में, हर मद में, यह कार्यक्रम किया है, जो हर एक को नीचा करने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी समाज कल्याण को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलाने वाली जितनी भी योजनायें थीं वह न तो कहीं विचार-गोष्ठी होती हैं, और न कहीं प्रचार-प्रसार होता है ताकि लोगों को लाभ मिल सके। मा0 अध्यक्ष जी लड़कियों के शादी के लिए जो अनुदान मिलता था वह मात्र दस हजार मिलता है उसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। दस हजार से कोई शादी का खर्चा पूरा नहीं हो सकता है इसको बढ़ाकर कम से कम 50 हजार किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बजट लाया गया है, मैं इसके कटौती पर बल देते हुए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से समान कल्याण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण की जितनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की अवहेलना की गई है यह बजट को देखने से पता चलता है। चाहें आपका अनुसूचित जाति विवाह, गम्भीर बीमारी इलाज हेतु अनुदान की बात हो चाहे विभिन्न योजनाओं में सामुदायिक केन्द्रों में कार्यक्रमों की बात हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, जितनी भी योजना समाज कल्याण से सम्बन्धित लागू की जाती है इससे ऐसा लगता है किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए थीं आगे की, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिये जो उसका बजट बनना चाहिए था ऐसा न करके वहीं के वहीं उसको ला करके रख दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार समाज के तबके के गरीब लोगों के उत्थान के लिये कोई कार्य योजना नहीं करना चाहती। गरीब लोगों के जो छात्र छात्रायें पढ़ते हैं उनकी छात्रवृत्ति, मान्यवर, वर्तमान सत्र खत्म हो रहा है, उनको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। ड्रेसें नहीं मिल पाई हैं। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहले छात्रवृत्ति उन छात्रों के खातों में जाती थी। ड्रेस और किताब का वितरण सही ढंग से होता था। (शोर) मैं बताना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत एक आश्रम पद्धति विद्यालय आता है आश्रम पद्धति विद्यालय मैंने स्वंय जाकर देखा था न वहां समय से ड्रेस बंटी थी, न वहां समय से खाना मिलता था न समय से और कोई सुविधा मिलती थी। जब मैंने उनसे जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो गैर बराबरी वाला बजट लाया गया है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं और भाई जैसल साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

खत्म करें, अभी इतने बजट हैं टू द प्वाइंट तो आप कहते नहीं हैं पूरी राजनीति सुनायेंगे।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

दो मिनट का समय दे दें।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इस हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस विभाग का उद्देश्य निर्बल और विपन्न वर्ग के उत्थान का रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मंत्री जी को, जिन्होंने बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास की संकल्पना को मूर्त रूप देने

का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी कटौती का प्रस्ताव हमारे साथी ब0स0पा0 के विधायक जी लाए हैं, वह पूर्णतः बेमानी है। उन्होंने तमाम मदों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पांच साल इनकी सरकार थी तो इन्होंने बढ़ोत्तरी क्यों नहीं करा दिया। अब बढ़ोत्तरी की बातें करते हैं हांलाकि मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने कई मदों में सराहनीय बढ़ोत्तरी की है। आज जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तब तमाम बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी ने वृद्धाश्रम खोले जाने की जो बात कही है, निःसन्देह यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है और माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिगों के भरण-पोषण के लिए जो अधिनियम ला रहे हैं, यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही 'मोची वर्ग' के लिए बजट में जो पक्की दुकान का प्राविधान किया गया है, यह हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी की महान सोच को प्रदर्शित करता है कि समाज के विपन्नतम् वर्ग तक उनकी नजर रहती है, इसके लिए मैं अपने मंत्री जी को और अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा और अध्यक्ष जी, अब एक दो आग्रह मैं माननीय मंत्री जी से और करना चाहूंगा। श्रीमन् इलाहाबाद में डा0 अम्बेडकर दलित छात्रावास चांदपुर सलोरी में है, उसके पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव है, बिना पुस्तकों के पुस्तकालय को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में दिक्कत होगी, अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इलाहाबाद का दलित छात्रावास जो सलोरी में है, उसमें पुस्तकों की व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के जो सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें जो शिक्षक के वेतन भुगतान में विलम्ब होता है, उसको भी दूर करने का आग्रह है और उनका वेतन बढ़ाये जाने के लिए भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं, उनका वेतन बहुत ही कम है। मान्यवर, एक बहुत ही दुःखद विषय यह है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेन्शन नहीं दी जाती है, यह व्यवस्था न जाने कब से है लेकिन हमारे मंत्री जी बहुत ही विशाल हृदय के हैं और शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन और पेन्शन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उन दलित प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, जहां दलित छात्र ज्यादा होते हैं, उनके रिटायरमेण्ट के बाद उनके पेन्शन की व्यवस्था अवश्य की जाए। अन्त में मान्यवर, वहीं पर जो आशा दाइयां होती हैं, उनका मात्र 450 रुपये वेतन है, उसको बढ़ाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उसे बढ़ाकर कम से कम 3600 किया जाए और उन्हें समय से वेतन मिले। इसके साथ ही मैं बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं तथा सदन के सभी मंत्रीगण तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए, मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें दबे-कुचले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अन्य सताये गए समाज के लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बजट को देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं बताना चाहती हूं कि जिन वर्गों के लोगों को आशा था कि हमारे देश आजाद होगा तो हम भी बराबरी का जीवन जी सकेंगे लेकिन 65 साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश तो आजाद हुआ और आजादी के बाद भी 35 प्रतिशत लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े

हुए हैं। मान्यवर, आज उनकी दशा यह है कि मरे जानवरों का चमड़ा छीलकर, मैला ढोकर, दूसरे की गुलामी करके अपने दो जून की रोटी चलाने को मजबूर हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ने के लिए सबसे पहले गरीबों को निशाना बनाया गया और यही नहीं जिनको आशा थी कि हमारा देश आजाद होगा तो हम स्वतंत्र होंगे और जो हम 35 परसेण्ट लोग गुलाम हैं, हम गुलामी से छुटकारा पायेंगे। लेकिन आज वही लोग आजाद हैं, जो पहले आजाद थे, वही आज भी आजाद हैं। मान्यवर, मैं एक सैर के माध्यम से कहना चाहती हूं- 'कि जब-जब गुलशन में खूं की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले गरीबों की गर्दन कटी, जो कहते हैं, अहेले चमन, यह चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं', जब हमारे देश की आजादी की बात आई तो सबसे पहले गरीबों को निशाना बनाया गया और गरीब देश के लिए शहीद हो गए लेकिन आज जब उनके अधिकार की बात आती है तो लोगों की मंशा साफ नहीं होती है। भारत के संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आरक्षण की बदौलत 1950 में जो उन्होंने आरक्षण दिया था, उसकी बदौलत मैं सुरक्षित सीट विधान सभा क्षेत्र बलहा से चुनाव जीत कर आई हूं। मैं बताना चाहती हूं, अभी आरक्षण की बात चल रही थी कि अनुसूचित जाति के लोगों में 17 जातियों को शामिल करने की बात आई थी, मैं तो स्वागत करती हूं, मा0 मुंख्यमंत्री जी का, जो उन्होंनें 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जब 1950 में हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था और बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को दिया था और उस समय समाज में उनका परसेण्टेज कम था, तब उन्होंनें 21 परसेण्ट आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन आज उस 21 परसेण्ट आरक्षण में 17 जातियों को आप और शामिल करने जा रहे हैं, इस तरह से उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है, उनके आगे की रोटी छीनी जा रही है, जहां पर वह रोटी खा रहे थे, मैं तो स्वागत करती हूं कि 17 जातियों के अलावा और भी जातियों को आप अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए, लेकिन उसके साथ-साथ आप आरक्षण का कोटा बढ़ा दीजिए। मैं इसके लिए सदन की तरफ से मा0 नेता सदन से मांग करती हूं कि यहां से आरक्षण का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव कर के संसद भारत सरकार को भेजा जाय, इसके लिए मैं मांग करती हूं।

मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि हमारे बलहा विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग की ओर से आश्रम पद्धति स्कूल खुला हुआ है। मैंनें वहां खुद जाकर जांच भी किया है, पीले ईंटे से वहां पर दीवार खड़ी कराई जा रही है और उसकी जो गहराई है जहां पर 10 मंजिल मकान की दीवार खड़ी हैं, वहां की दशा जाकर के देखिये, मैंने फोटो के माध्यम से मा0 समाज कल्याण मंत्री जी को दिखाया था और यही नहीं दस-एक, आठ-एक का मसाला के साथ में उसकी चुनाई हुई है। मान्यवर, वहां की जो स्थिति है, जब मैं वहां स्वयं जांच करने के लिए गई तो वहां के जो कर्मचारी थे, वह मुझे अन्दर घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मुझे जानकारी दी कि बहन जी आप अन्दर जा कर के विद्यालय की स्थिति को देखिये, तब मैंने देखा जाकर के अपनी आंखों से और मैंनें फोटो खींच कर ला कर के मैंनें दिखाया और सी0डी0ओ0 को तत्काल मैंने फोन कर के बताया कि स्कूल की यह दशा है। सी0डी0ओ0 साहब ने कहा कि ठीक है, मैं जांच कराऊंगा, लेकिन वही इन्जीनियर जो घोटाला की नीयत में फंसे हैं, वही लोग जांच कर के कहते हैं कि सब ठीक हो रहा है।

मा0 मंत्री जी को भी गुमराह कर के उनको भी बताया गया होगा कि सब ठीक हो रहा है। यही नहीं मझांव में आश्रम पद्धति स्कूल 1968 में खोला गया था, केवल दीवार खड़ी है, छत की व्यवस्था नहीं है, टीन की व्यवस्था नहीं है, बच्चे नहीं हैं, मास्टर वहां फ्री तनख्वाह ले रहे हैं। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग से मझाव कालोनी में आवास की व्यवस्था कराई जानी थी, लेकिन वहां आवास की व्यवस्था नही है। 1992 में वहां पर समाज कल्याण विभाग से 792 एकड़ भूमि गरीबों के लिए आवंटित की गई थी, आज उस जमीन पर दूसरे जिले के लोग आकर के कब्जा कर लिये हैं, उन गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। रमपुरवा मदेही में यही हाल है कि वहां पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का पापुलेशन सबसे ज्यादा है, जंगली क्षेत्र है, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग में जो व्यवस्था दी गई है, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, तमाम व्यवस्थायें हैं, लेकिन विधवा पेन्शन के लिए।

श्री अवधेश प्रसाद-

विधवा पेन्शन इसमें नहीं है, यह महिला कल्याण विभाग की योजना है।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना जो दर-दर की ठोंकरें खाती हैं, ये जब फार्म भराने के लिए जाती हैं तो तहसील के लेखपाल, कानून-गो, सेक्रेट्री बगैर पैसे लिए प्रमाणित नहीं करते हैं। थाने से लोग जाते हैं ब्लाक में सेक्रेट्री बगैर पैसे के प्रमाणित नहीं करता है, तहसील में जाते हैं, लेखपाल बगैर पैसे लिये प्रमाणित नहीं करता है, कानून-गो बगैर पैसे के प्रमाणित नहीं करता है। दर-दर की ठोंकरें खाती हैं, उनको पेन्शन का लाभ नहीं मिल पाता है, पारिवारिक लाभ योजना जो महिलाओं के लिए किया गया है, वह दर-दर की ठोकरें खाती हैं, जिनकी दलालों से सांठ-गांठ हैं, उनको तो लाभ मिल जाता है जिनकी दलालों से सांठ-गांठ नहीं है उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में मैं मा0 मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि समाज कल्याण विभाग में सरकार की तरफ से जो सुविधा मुहैया करायी गयी है, वो सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों तक पहुंच सके जिसके लिये तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर सर्वे होने चाहिये, जांच होनी चाहिये उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। मान्यवर, जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के मौके पर मुख्य मंत्री जी गये थे, मंत्री लोग गये थे, बड़ी-बड़ी घोषणायें करते थे।

श्री अध्यक्ष-

सावित्री जी, ये सदन है चौराहे का भाषण थोड़े है, ये चौराहे का भाषण नहीं है। फिर पानी पी रही हो, यहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं है कि पानी पी पी के भाषण दो।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

जब चुनाव हो रहा था तो मुख्य मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों से वादा करते थे कि ऐ प्रदेश की जनता आप मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार दे दीजिये। हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, विधवा पेंशन देंगे, वृद्धावस्था पेंशन देंगे, पारिवारिक

लाभ योजना देंगे, आपको न्याय देंगे, पुलिस से मुक्ति दिलायेंगे लेकिन आज क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

सावित्री जी, समाप्त करिये। अब लिखा नहीं जायेगा, अब बंद करो, हम नहीं लिखा जायेगा, चाहे जितना बोलो, बैठ जाओ। ये लड़ाई का स्थान नहीं है जिस तरह से बोल रही हो, बैठ जाओ, बैठो, बैठो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, जो नये सदस्य हैं, अगर वो अच्छे विचार रख रहे हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, कई बजट हैं। सावित्री जी, बैठिये, आपकी पूरी बात आ गयी।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अरे, इधर तो देखिये व्यवस्था का प्रश्न है, सुन तो लीजिये। सावित्री जी, तब तक तुम आराम कर लो, पानी-वानी पी लो।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, जब कोई सदस्य बोलने लगता है तो ये सुनते नहीं हैं। क्यों बोलते हैं आप लोग क्यों बोलते हैं, ये मजाक है, हम लोग जनता से चुन करके आये हैं। अपनी बात कहने के लिये आये हैं और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बैठो, बैठो, बैठो। इस तरह, क्या जानवर हैं क्या ? ये सदन नहीं चल रहा है क्या ? ये सदन नहीं है क्या ? सदन का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता से चुनकर आया है, विधायक आया है।

श्री अध्यक्ष-

साध्वी, आपकी पूरी बात आ गयी है।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

अरे, बात कह लेने दीजिये, जब बात कहने की बात आती है। मा0 अध्यक्ष जी, आप पीठ हैं, आपका सम्मान करते हैं लेकिन चाहे इस पक्ष के, चाहे उस पक्ष के, जो हाथ उठा करके जानवरों के जैसे, बैठो, बैठो, बैठो कहते हैं। ये क्या तमाशा है, ये सदन का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सावित्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा बोलीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पहली बार मुझे अपने जीवन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है।

(सदन में जोर की हंसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

पहली बार मान्यवर, मुझे ऐसा लग रहा है। सदन में उनका मुकाबला करने वाला कोई था नहीं और हम लोग अब इसको खिलापिला के मजबूत करेंगे। जब कभी मौर्य जी अपनी जुबान की ताकत से, गले की ताकत से करेंगे तो अब बच के रहना तुम्हारा मुकाबला अब होगा सावित्री से। अब जब कभी उठें, यही जवाब दे देना, अध्यक्ष जी को जरूरत न पड़े।

श्री सावित्री बाई फूले-

ई बइठिहैं, उनहुक सामने हमहुं कहबै कि गरीबों की दशा क्या है।

श्री अध्यक्ष-

सावित्री जी, बैठो। साध्वी, बैठ जाओ न।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, सावित्री बाई फूले के इस अच्छे विचार से जितनी प्रसन्नता मुझको होगी, शायद किसी और को नहीं होगी क्योंकि बसपा की ट्रेनिंग है, जो आज यहां अच्छा बोली हैं। मा0 अध्यक्ष जी, डरने वाले लोगों में से प्रमोद तिवारी जी होंगे क्योंकि वहां प्रदीप जी ने कैंची चला दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो ऐसी प्रतिभा होती हैं। उनको बढ़ाने के पक्षधर होते हैं और ऐसी प्रतिभा का मैं हमेशा स्वागत करता हूं और किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से खतरा नहीं होता है, इसलिए हम इस प्रकार के सभी विचारों का स्वागत करते हैं और ऐसी प्रतिभाओं का भी हम स्वागत करते हैं और मैं सावित्रीबाई फूले को बहुत-बहुत, धन्यवाद देता हूं, अच्छे विचार के लिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें। मान्यवर, कुछ इस नाम में असर है, स से स्वामी प्रसाद और स से सावित्री, हम यह नहीं कह रहे हैं, प्रतिभा की बात नहीं हो रही है, वह अपने को प्रतिभावान कह रहे हैं, हम भी मान लेते हैं, सुन तो लें, मान लेते हैं, लेकिन यहां पर बात गले की ताकत पर हो रही है। आप अध्यक्ष पीठ पर हैं, सौगन्ध लेकर बैठे हैं की सही बोलेंगे, आप आज मान्यवर, सही-सही बोल दीजिए कि इनकी आवाज की टक्कर आज इस सदन को मिल गई है कि नहीं मिल गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने बजट रखते समय कई बिन्दुओं पर अपने विचार रखे थे। अभी मा0 सदस्य हमारे उस तरफ से कह रहे थे कि 5 साल जब आप सरकार में थे, तब आपने कुछ किया नहीं। शायद मा0 सदस्य को नहीं पता होगा, बहुत बड़ी पुस्तिका है, आप पढ़ लीजिएगा, जो 5 साल में बढ़ोत्तरी हुई है, उसी पर आप चल रहे हैं। मान्यवर, धोबी समाज के लिए लाउन्ड्री एवं ड्राई क्लीन योजना के तहत 2011-12 में 120 धोबी समाज के लोगों को लाभ दिया गया था और आपकी सरकार में 2012-13 में मात्र 36 लोगों को उसका फायदा दिया गया है। एकीकृत

जनजाति विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु, जिसकी स्थापना जनपद सोनभद्र में की गई है, इसमें वर्ष 2011-12 में 101.43, वर्ष 2012-13 में मात्र 50.22 लाख, और वर्ष 2013-14 में भी मात्र 50.92 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जबकि 2011-12 में जब 101.43 लाख बजट का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष 40.90 लाख व्यय किया जा चुका था, लेकिन वर्ष 2012-13 में व्यय बिल्कुल शून्य रहा। मान्यवर, अभी स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत जो बताया गया, वर्ष 2011-12 में कुल 8460.80 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसमें 306.4 लाख मार्जिन मनी का ऋण था, लेकिन आपकी सरकार में मात्र 183 लाख का मार्जिन मनी का ऋण वितरित किया गया है। इसीलिए मान्यवर, हमने कहा था कि यह जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखायी गई है। मान्यवर, अब हम कुछ सुझाव अपने स्तर से देना चाहेंगे मा0 मंत्री जी को आपके माध्यम से कि शादी अनुदान जो 10 हजार रुपये मिला करता है और बुंदेलखण्ड में 20 हजार रुपये है, तो उस शादी अनुदान को कम से कम 20 हजार सामान्य जगहों पर और बुंदेलखण्ड में इसको 30 हजार, अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। फीस प्रतिपूर्ति के लिए हम चाहेंगे कि जो पूर्व की भांति, जो पहले व्यवस्था थी, जीरो प्रतिशत पर उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा या चिकित्सकीय शिक्षा में प्रवेश लेने की, उसे बरकरार रखा जाए। कोल जाति जो एक अलग तरीके से अपना जीवन-यापन करती है, जंगलों में और पहाड़ों में रह करके आपने उन तमाम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में भेजने का प्रस्ताव भेजे हैं तो....

मान्यवर, हमारी तरफ से यह गुजारिश है और अनुरोध है कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए आप अपनी तरफ से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। मान्यवर, शादी अनुदान के लिए लोगों कों बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। मान्यवर, देहात में 19,900 और शहरी क्षेत्र में 25,000 रुपये वार्षिक आय तक ही यह प्रमाण-पत्र मिलता है। उसको मैं चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर 40,000 रुपये की वार्षिक आय तथा शहरी क्षेत्र में 50,000 रुपये की वार्षिक आय कर दी जाय और उसका प्रमाण-पत्र दिया जाय। मान्यवर, शादी अनुदान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था आप करने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उसमें माननीय मंत्री जी अमल करेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य बी0एस0पी0 श्री जैसल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री राम करन आर्या जी, सदस्य समाजवादी पार्टी श्री पूर्णमासी देहाती जी सदस्य कांग्रेस पार्टी श्री लल्लू जी, श्री काली चरण सोनकर जी, माननीय सदस्य भा0ज0पा0 श्री उपेन्द्र तिवारी जी, माननीय विधायक सौरांव श्री सत्यवीर मुन्ना जी, माननीय सदस्या, भा0ज0पा0 माननीया सवित्री जी, पटेल साहब और जिन और माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनका मैं आभारी हूं। श्रीमन् मैं आशा करता था कि बहुत अच्छे सुझाव आयेंगे जिससे हममें कोई कमी होगी, विभाग में कोई कमी होगी उस कमी को हम उसको सुधारने का काम करेंगे। लेकिन माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी श्री जैसल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बजट में बहुत बड़ी कटौती कर दी गयी है। श्रीमन् लगता है कि जो बजट है जो हमारा परफार्मेन्स बजट है उसको उन्होंने देखा नहीं है। शायद बहन जी

से राय लेने चले गये थे। मान्यवर, यह एक हजार बत्तीस करोड़ रुपये का बजट बढ़ाया गया है। किन-किन मदों में बढ़ाया गया है श्रीमन् उसको मैंने बताने का मैंने काम किया है। इनको तो हमारी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। मान्यवर, एक तरफ तो इन्होंने कहा कि बजट में कटौती कर दी गयी है और दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, इनको कहां से सिखाया गया है और यह कौन सा गणित है जो यह फिर मांग कर रहे हैं बजट की कटौती करके एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, यह विरोधाभाषी बात है इनकी मानसिकता है इनको यह पढ़ाया सिखाया गया हैं। इन्होंने कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया है। हां अन्त में पांच-छः सुझाव दिये हैं। मान्यवर, इन्होंने शादी अनुदान में आय-सीमा को बढ़ाने और उसमें बढ़ोत्तरी करने फीस प्रतिपूर्ति की बात कही। मान्यवर, पांच साल तक इनकी बहन जी की सरकार थी हम लोग इस आदरणीय सदन में उस ओर बैठते थे, तब यह लोग इधर बैठते थे और बहन जी के लिए कितने अच्छे-अच्छे अलंकृत शब्दों का उपयोग किया जाता था उनके समय में इसे नहीं बढ़ाया गया था उसके पीछे कारण भी था और वह यह था कि वे पैसा पत्थरों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। मान्यवर, इन्होंने फीस प्रतिपूर्ति की बात कही। मान्यवर, पहले यह पैसा संस्थाओं पर जाता था आज जो हमारी नई व्यवस्था है उसमें यह पैसा छात्र-छात्राओं के खातों में जायेगा। यह पूरी तरह से एक पारदर्शी व्यवस्था है। श्रीमन्, ऐसा अनुभव किया गया कि पिछली सरकार में बहुत बड़े-बड़े घोटाले और फीस तमाम ऐसे विद्यालय पाये गये जहां पर अनुसूचित जाति के बच्चे थे ही नहीं, और उनके नाम पर फर्जी पैसा निकाला गया जब इसकी जानकारी हुई तो चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार ने, भ्रष्टाचार रहित सरकार और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जिम्मा और संकल्प लिया है इसलिए जहां-जहां जांच की गयी जांच में एफआईआर की गयी, तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गयी हमेशा-हमेशा के लिए। हमने पहले भी बताया और यहां तक कि बैंक के अधिकारियों को भी जिनकी संलिप्तता थी उनको भी कानून ने नहीं बख्शा आज वह जेलों के सीखचों के पीछे पड़े हुए हैं। यह सरकार वह सरकार की देन है जो सरकार अभी एक साल पहले रही है इसलिए उससे अनुभव ले करके हमने नयी व्यवस्था किया है। हम बहुत ही आभारी होंगे माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है से इस बात को बताने का, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि एक माह दो माह या सत्र खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में जिन अनुसूचित जाति के छात्रों को फीस न देने के लिए उनका अगर एडमीशन कहीं रोका गया हो, किसी संस्था ने अगर एडमीशन रोका हो तो उस संस्था के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे लेकिन श्रीमन्, जो भ्रष्टाचार हुआ है, अनुसूचित जाति का जो हक है जो उसका हिस्सा है उसके हक और हिस्से को अब खाने नहीं देंगे उसको खाने वाला कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी होगा उसका स्थान जेलों के अन्दर होगा और यह सुझाव देंगे तो हम बहुत आभारी भी होंगे और हम इन्तजार भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि इस बात के लिए किसी भी संस्था ने अगर एडमीशन रोक दिया कि तुम्हारी फीस नहीं मिल रही है तुम्हारे खाते में जाय हम एडमीशन नहीं लेंगे इस दिशा में श्रीमन्, प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि कोई संस्था अनुसूचित जाति के बच्चों को एडमीशन लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय, एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये जायें इसलिए कि एडमीशन किया जाय तो एडमीशन लेंगे तो सरकार की तरफ से उसका पैसा उसके

खाते में छात्र के खाते में जा रहा है और छात्र हर हालत में संस्था को देने का काम करेगा। इसलिए यह जो सुझाव है यह बड़ा ही हमारे लिये तो खट्टा अनुभव है, बहुत ही खराब है। क्योंकि जांच कराया और जांच में तमाम लोगों के ऊपर मुकदमें दर्ज किये तो भ्रष्टाचार न होने पाये, लूट न होने पाये, अनुसूचित जाति का छात्र है तो उसको पैसा मिले इसलिए यह व्यवस्था की गयी है। उसके खाते में सीधे-सीधे पैसा जाय और दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप देख सकते हो कि पैसा जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार की कहीं भी गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन अगर सत्र में हमने पाया कि इस साल अनुसूचित जाति के बच्चों का एडमीशन इस तरह से रोका गया तो मैं आपके सुझाव का भी स्वागत करूंगा। आप सभी माननीय सदस्यों से और माननीय नेताओं से भी बैठ करके और अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है, श्रीमन्, हम उसको भी करने का काम करेंगे। दूसरा शादी अनुदान तो शादी अनुदान ग्रामीण अंचलों में यह बात सही है कि जो आय की सीमा रखी गयी है बहुत कम है, कठिनाई हो रही है इस दिशा में बहुत ही गम्भीरतापूर्वक चाहे शादी अनुदान हो चाहे रानीलक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता हो या पेंशन हो, बहुत ही गम्भीरतापूर्वक हम इस पर विचार कर रहे हैं। आय को श्रीमन्, इनकम को बढ़ाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं जिससे कि जो स्कीम चलाई गयी है उस स्कीम का भरपूर फायदा मिल जाय उसको कहीं तहसीलों में लेखपाल के पास भटकना पड़ रहा है, हमारी सरकार की नीति और नीयत में कोई अन्तर नहीं है।

दूसरे माननीय सदस्य, जो राज्य मंत्री जी हमारी सरकार में हैं। उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, हास्टल का। तो हास्टल के बारे में हम चाहेंगे कि इस सदन में जो सदस्य बैठे हैं चाहे इधर के हों या उधर के, इनके क्षेत्रों में यदि कही भी आश्रम पद्वति विद्यालय है या हास्टल है तो हम चाहेंगें कि रात को आप पहुंच जाये, खाना बनते समय देख लें और हो सके तो रात रुक जायें और उस समय आपका जो अनुभव होगा, आपके देखने से जो परेशानियां समझ आयेंगी, उस पर अक्षरशः पालन करने का हम काम करेंगे। हमने अपने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, प्रदेश में 76 हैं तो कम से कम समाज कल्याण अधिकारी महीने में दो बार रात को रुकेगा और वहीं खाना खायेगा, जो खाना बच्चों को मिलता है और वही सुबह चाय और नाशता करेगा, जो बच्चों को दिया जाता है और रजिस्टर में दर्ज भी करेगा। हमने यहां तक कहा है, अपने अधिकारियों को, डिप्टी डाइरेक्टर को कि महीने में कम से कम एक दिन आश्रम पद्वति विद्यालयों में जायेंगे, रात को ठहरेंगे, या कभी-कभी दोपहर को जब बच्चों को खाना मिलता है, उस समय जायें और रजिस्टर में इंट्री करें और अगर इस तरह का कहीं नहीं है तो चाहे समाज कल्याण अधिकारी हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम करेंगे। श्रीमन् माननीय राज्य मंत्री जी ने सुझाव दिया, अपने यहां हास्टल के बारे में, उसे हम दिखवा लेगें, हास्टल की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको भी सुधारने का काम करेंगे। जहां तक चमरमंगता जाति के लोगों की बात है तो उसके बारे में कहा कि वह बीच में पड़े हैं, न उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिल रहा है और न जनजाति का मिल रहा है, वह अधर में है। इस मामले को हम बहुत जल्दी दिखवा लेंगे और अगर यह केन्द्र का विषय होगा तो उसको केन्द्र को भेज देंगे क्योंकि कोई जाति अनुसूचित जाति की है, या किस जाति की है, यह संविधान के अनुच्छेद-341 सब क्लाज 1 और 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस जाति को अनुसूचित जाति में रखा जाये या किसको किसमें रखा जाये, यह पूरा पूरा केन्द्र का

विषय है और उसमें भी पहले हम यह देख लेंगे कि अगर चमरमंगता जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिलने में कोई स्थानीय कठिनाई है तो हम उसका निराकरण करेंगे लेकिन अगर हमारे परव्यू के बाहर है तो हम भारत सरकार को भी भेजने का काम करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्या सावित्री जी ने जो भाषण किया है, यह ठीक है, कि अभी शुरूआत है, उन्हें सीखना चाहिये। एक तरफ इन्होंने कहा कि इनके यहां कोई आश्रम पद्वति विद्यालय बन रहा है, उन्होंने इसमें गुणवत्ता की शिकायत की है तो श्रीमन् हम एक सप्ताह के अंदर यहां से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजेंगे और जिले के अधिकारियों से भी पूछ लेंगे जो टेक्निकल हैन्डस के होंगे, उनसे जांच करा लेंगे और किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी होगी तो जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और माननीय सदस्या जी को भी हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे अधिकारी जो जायेंगे वह इनको सूचना देकर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह हैं ही नहीं।

श्री अवधेश प्रसाद-

चलिये सुन रही होंगी हमारी बात।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मंत्री जी कितना समय लेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

बस 5 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय लल्लू प्रसाद जी कांग्रेस के सदस्य इन्होंने आश्रम पद्वति विद्यालय के बारे में सुझाव दिया है, इनका बहुत अच्छा सुझाव है। इस सुझाव को हम देख लेंगे, अधिकारियों से बात कर लेंगे और जितनी सुविधा की गुजाइंश होगी वह हम देंगे। माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने अपने यहां के छात्रावास की स्थिति को सुधारने के लिये ध्यान आकर्षित किया, श्रीमन् उस परिक्षेत्र के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, हम कल ही उनको निर्देशित करेंगे कि वह छात्रावास में जायेंगे और देखेंगे और सीमित संसाधनों को देखते हुये जो भी गुंजाइश होगी, वह हम करेंगे। एकलव्य विद्यालय उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों में एक सोनभद्र में एक बहराइच में और एक खीरी में है। यह आश्रम पद्धति विद्यालय एकलव्य के नाम पर है यह संविधान के 775 की धारा के तहत बनाया गया है उसमें बच्चों को मुफ्त खाना, मुफ्त कपड़ा और दवाई और तमाम फैसल्टिीज जो स्टूडेंट को होनी चाहिए वह मिल रही हैं एक तो बहराइच में निर्माणाधीन है इसमें और भी सुझाव आप लिखकर दे देंगे तो उसको करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी यह बनकर तैयार हो जाएं माननीय सदस्य ने इस बात की भी चिन्ता जाहिर की है कि कुछ आश्रम पद्धति विद्यालय बनकर तैयार हैं लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ है तो उद्घाटन तो सही समय पर जब तैयार होता है तब होता है अब समय आ गया है उसका हम उद्घाटन कराएंगे माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे अगर समय नहीं मिलेगा तो हम करेंगे। और इसको बहुत जल्दी हम संचालित करेंगे। श्रीमन् यह जो तमाम सुझाव आए हैं।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

इलाहाबाद में ईश्वर शरण विद्यार्थी जो आश्रम है उसमें राजेन्द्र छात्रावास है जो आपके विभाग द्वारा संचालित है और कई वर्षों से बन्द है उसको भी संज्ञान में ले लें और आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, इलाहाबाद में ईश्वर शरण विद्यार्थी छात्रावास है वह बहुत ऐतिहासिक है वहां से तमाम स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट के आज सरकारी नौकरियों और प्रशासन में हैं कोई ए0डी0एम0 है कोई एडीशनल डिस्ट्रिक जज है हमारी व्यक्तिगत जानकारी है कि 1989 में जब यह विभाग मेरे पास था तो हमको वहां जाने का मौका मिला था मैं छात्रों के साथ भोजन भी किया था उसकी कोई भी दुर्दशा होगी तो उसको सुधारने के लिए एक सप्ताह के अन्दर जितना भी पैसा लगेगा उसको भेजकर सुधारने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस बजट पर दो घंटे 35 मिनट हो गए हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह हमारे पुराने साथी हैं श्रीमन् आप जानते हैं 1977 और उसके पहले के साथी हैं अब चले गए हैं कोई बात नहीं है लेकिन अब भी दोस्ती है। यह जो चाह रहे हैं उसमें हम पूरा सुधार करेंगे जिससे उसी तरह से प्रतिभावान बच्चे फिर निकलें जिस तरह से पहले निकला करते थे। हमारा व्यक्तिगत लगाव है। श्रीमन यह जो तमाम सुझाव दिए गए हैं हमारे लिए वरदान होंगे और समाज कल्याण विभाग की जो परिकल्पना है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं एक मामला माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आपकी आज्ञा से लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आपकी बात सुनकर मेरे मन में आशा जागी है आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और विपक्ष के सदस्यों ने जो बातें कही हैं उनको भी सुझाव के रूप में आपने लेने का काम किया। मेरे यहां पिछली सरकार में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था पिछली सरकार में समाज कल्याण में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जब अधिकारी ने 2007 में समाज कल्याण अधिकारी ने उस घोटाले का पर्दाफाश किया तो उसे गोली मार दी गई आज तक वह मामला ज्यों का त्यों पड़ा है। पिछले पांच साल में इन्होंने कहा लेकिन वह नहीं हो पाया मैं व्यक्गित लिखकर आपको पूरी जानकारी दे दूंगा उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हजारों लाखों बच्चों के हिस्से का पैसा वह आदमी खा गया। उसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हुई।

श्री अवधेश प्रसाद-

यह मामला हमारे संज्ञान में है जैसे ही सरकार आई और शिकायत मिली तो पहले जो अधिकारी जांच कर रहे थे उस जांच को बदलवाकर उस जांच को वहां के आयुक्त को जांच सौंपी और एक निश्चित तिथि तक रिपोर्ट शासन में मांगने के लिए निर्देशित किया गया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है दर्जनों लोगों को जेल के अन्दर भेजा गया है हो सकता है आज भी जेलों में हों यहां तक कि बैंक के आधे दर्जन अधिकारी आज भी मुजफ्फरनगर की जेलों में होंगे हमारे दो एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं एफ0 आई0 आर0 दर्ज है और तमाम मामले न्यायालय में लंबित हैं जो मामले न्यायालय में नहीं होंगे फिर मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं उसको भी हम दिखवा लेंगे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

और भी बजट हैं इसलिए इसे पास होने दें।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में खमरिया के अन्दर बी0बी0एल0सी0 इण्टर कालेज है ओम प्रकाश मिश्र वहां के प्रधानाचार्य थे कार्यवाहक छात्रवृत्ति का ही आरोप लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया है मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसकी जांच कराकर जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करें। बिना मतलब किसी को फंसाया न जाए।

श्री अध्यक्ष -

माननीय सदस्य, आप लिख करके दे दीजिए, माननीय मंत्री जी जांच करा लेंगे।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

मान्यवर, हमारे यहां महराजगंज के नौतनवां विधान सभा में थारू जनजाति पद्धति का एक स्कूल खोला गया था। माननीय मुलायम सिंह जी जा करके उसका शिलान्यास किये थे लेकिन बीच में उस स्कूल को उसी तरह से रोक दिया गया था। इस साल 108 बच्चे उस स्कूल में आये हैं लेकिन उसकी दीवारें, जंगले सब इधर-उधर हो गये हैं बीच की सरकारों में, मैं चाहूंगा कि उसको नये सिरे से नया आयाम दिया जाए।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य चर्चा नहीं कर पाये हैं और उनके क्षेत्र की कोई समस्या है तो उनसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वह लिख करके दे दें, उसे हम दिखवा लेंगे और कोशिश करेंगे कि संसाधनों को देखते हुए उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी जो मंशा है, समाज कल्याण विभाग की जो मंशा है वह है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत।।

मान्यवर, यह हमारी मंशा है कि सभी प्रदेश में सुखी रहें, निरोग रहें और पूरी तरह से अमन और चैन रहे तभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश जी का जो सपना है वह पूरा होगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। मुझे यकीन और विश्वास है कि समाज कल्याण विभाग की इसमें अहम भूमिका रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य से चाहता हूं कि सारी बातें तो हो गई है, अब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैसल जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा कि यदि कहीं ऐसी घटना प्रकाश में आई हो, प्रवेश न हुआ हो तो बतायें। मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो शासनादेश जारी किया है वह प्रवेश के बाद किया है। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि जो मेरे द्वारा सुझाव दिया गया था उस पर कोई सकारात्मक रुख माननीय मंत्री जी का नहीं है इसलिए हम अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 40,98,99,35,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,45,77,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,42,41,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,93,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[4.26 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,35,73,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,35,73,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,13,61,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय मंत्री जी को कुछ बोलना हो तो बोल लें उसके बाद कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जायेगा।

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक सुरक्षा विभाग जब 1962, 1965 और 1971 के युद्ध व विदेशी हमले हुए थे तो यह विभाग बनाया गया था। इसमें वालिंटयर लिये जाते थे प्रदेश पर जब कोई ऐसी विपत्ति हो तो प्रदेश के लोग नागरिकों की सहायता करें, शहरों में नागरिकों की सहायता करें चाहे वह फर्स्ट एड से संबंधित हो या लड़ाई के समय या किसी समय अन्य कोई विपत्ति शहर में आये तो उसमें मद्द करें।

नागरिक सुरक्षा विभाग का वित्तीय वर्ष 2012-2013 का वार्षिक बजट रु0 15 करोड़ 86 लाख पचपन हजार था। वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक बजट रु0 18 करोड़ 28 लाख बयासी हजार है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 18.2882 करोड़ में से रु0 12.1583 करोड़ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, कार्यालय व्यय व अन्य मदों के प्रयोजन से है एवं रु0 6.1299 करोड़ केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध रुपये 1 करोड़ के बजट से गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली एवं बुलन्दशहर में प्रति 14 लाख की दर से मल्टीपरपज हाल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में 16 नगरों में नागरिक सुरक्षा की 16 इकाइयां स्थापित हैं जिसमें नरौरा (बुलन्दशहर) बरेली, बक्शी का तालाब, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, हिण्डन-गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, सरसावां (सहारनपुर) एवं मुगलसराय (चन्दौली) नगर हैं भारत सरकार द्वारा 16 मल्टी हेजार्ड जिले चिन्हित किये गये हैं जो कि बुलन्दशहर, बरेली, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, कानपुर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर हैं। इन 16 में से 14 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यरत हैं। इन जिलों में मल्टीपरपज हाल का निर्माण, वाहनों का क्रय, अभ्यास, प्रशिक्षण, बैठकें आयोजित किये जायेंगे।

नागरिक सुरक्षा की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी नागरिक सुरक्षा नगरों में नागरिक सुरक्षा सप्ताह माह दिसम्बर, 2012 मनाया गया और नागरिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर रैलियां, प्रभात-फेरियां, बैठकें, गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभ्यास/प्रदर्शन आयोजित करके जनसामान्य को नागरिक सुरक्षा क्रिया-कलापों से भिज्ञ कराकर जनमानस में जन जागरूकता पैदा की गयी। प्रदेश के निम्नलिखित 15 जनपदों में नागरिक सुरक्षा के संगठन विस्तार किया जाना है। यह जनपद हैं अलीगढ़, बहराइच, बिजनौर, आजमगढ़, गौतमबुद्ध नगर, गोन्डा, अमरोहा, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। मान्यवर, होमगार्ड मंत्री यहां पर नहीं हैं। होमगार्ड का भी जो एक संगठन है, वो भी इसके अधीन आता है। और होमगार्ड की जो व्यवस्था है, यह एक स्वंय सेवी संगठन है जो 1 लाख 78 हजार 348 स्वयंसेवियों का है। मान्यवर, यह स्वयंसेवी कानून व्यवस्था में ड्यूटी में 50,335 होमगार्ड्स प्रतिस्थापित हैं। कारागारों की सुरक्षा में 3 हजार से ज्यादा होमगार्ड्स तथा विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों

में 5 हजार होमगार्ड्स प्रतिस्थापित हैं। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्तों का भुगतान हेतु वर्ष 2012-2013 के अन्तर्गत आय व्यय में 3 अरब 39 करोड़ 69 लाख 76 हजार का बजट प्राविधान किया गया था। मान्यवर, वर्ष 2013-2014 में इस मद के अन्तर्गत रुपये 3 अरब 80 करोड़ 53 लाख 91 हजार रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता रुपये 160 प्रति पिछले वर्ष था इस वर्ष उनको 200 रुपये भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है और ड्यूटी हेतु 230 रुपये प्रतिदिन दिया जाना है। भारत सरकार द्वारा होमगार्ड संगठन के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी मदों में आंशिक प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अन्तर्गत वित्त वर्ष 2013-2014 में 99 करोड़ 15 लाख 68 हजार की बजट व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, होमगार्ड कल्याण कोष्ठ के अन्तर्गत दो करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ किये जाने का दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 3 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। होमगाड्र्स स्वयं सेवकों की बीमा हेतु 89 लाख 90 हजार की व्यवस्था की गई है जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है। जनपद मेरठ में शहीद धनसिंह कोतवाल मंडलीय प्रशिक्षण गृह के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण, उपकरण एवं होमगार्ड् मुख्यालय स्थित अधिकारी मेस एव विस्तार एवं परिसर तथा बाउन्ड्री की मरम्मत कराने हेतु 9 करोड़ 63 लाख 4 हजार का बजट प्राविधान किया गया है। मान्यवर, यह सरकार की व्यवस्था है कि होमगार्ड और यह सिविल डिफेंस की जो संस्थाएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब कोई भी आपदा हो, या कोई भी दिक्कत हो या पल्स पोलियो का अभियान हो यह सभी उसमें सहयोग करते हैं। होमगार्ड ट्रैफिक में सहयोग करते हैं, कारागार में सहयोग करते हैं। अन्य प्रतिस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से वह अपना सहयोग करते हैं। और ऐसे ही यह जो स्वंय सेवक हैं सिविल डिफेंस के इनके जो हेजार्ड वाले जिले केन्द्र सरकार द्वारा चयनित किये गये हैं उनको उपकरण खरीद कर ट्रेनिंग देने के बाद ऐसी स्थिति में यह जो हेजार्ड वाले जिले तय किये गये हैं उनमें कोई ऐसी आपत्ति आती है तो उनको पूरी ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, उनको चाहे कोई फायर हो, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो या इस तरह की घटना हो पूरी मदद करने में उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण देने की सरकार की व्यवस्था है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन के सभी सदस्य इस बजट को पास करने की कृपा करें।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से,आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक सुरक्षा प्रदेश के 17 नगरों में संचालित है जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य उद्देश्य हवाई आक्रमण के दौरान हानि को कम करना, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को बनाए रखना, जनता का मनोबल बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और

बचाव कार्य में सहयोग करना, शान्ति बनाए रखना, कार्मिक अधिकारियों एवं स्वंय सेवकों को नागरिक सुरक्षा के उपाय से प्रशिक्षित करना। माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक के पद पर भी कार्य करते हैं। इनकी ड्यूटी स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं जिलाधिकारी के माध्यम से, जहां भी उपयुक्त समझते हैं वहीं लगा देने का काम करते हैं। यह भी सही है कि जहां पर इनको लगाया जाता है अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग अपना योगदान,चाहे वह सफाई अभियान हो, चाहे पल्स पोलियो के अभियान का मामला हो, चाहे प्रदूषण मुक्ति का अभियान हो, वातावरण सुरक्षा का प्रचार करना, आगजनी में सहायता प्रदान करना,रक्तदान शिविर में सहयोग प्रदान करना, गम्भीर दुर्घटनाओं एवं घटनाओं के समय आपदा जैसे बाढ़ हो या चक्रवात हो वहां अपना सहयोग प्रदान करना। अन्य स्थानीय मामले में स्थानीय स्तर पर वहां इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। मान्यवर जो इकाईया हैं जो स्वंय सेवी संगठन जैसे विभिन्न कालेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्काउट गाइड, एन0एस0एस0 के सदस्यों को तैयार करके नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान दिया जाना। इसी प्रकार से एन0सी0सी0 के कैडटों को तथा होमगार्डों को भी नागरिक सुरक्षा की विधाओं में प्रशिक्षित किया जाना है। मान्यवर, इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वंय सेवकों की बैठकें करना, समन्वय स्थापित करना, स्वयं सेवकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, प्रदर्शन का आयोजन कराना,उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए समय-समय पर इनके कार्यों को अच्छा देखते हुए कभी-कभी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें गृह रक्षा के नागरिक पदक से सम्मानित भी किया जाता है। मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण समिति का भी गठन आज तक नहीं किया गया, कई बार यहां पर बात भी उठी लेकिन आज तक राष्ट्रीय एकीकरण समिति का गठन नहीं हो पाया। उसको करना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से जनपद स्तर पर शान्ति कमेटी का जो गठन किया जाता है, उसमें भी मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को रखा जाना चाहिए। चूंकि जो कमेटी बनती है, उसमें भी ऐसे लोंगों को रखते हैं जो खुद शान्ति भंग करने का काम करते हैं। तो वहां पर जरूर ध्यान दिया जाए कि जनपद स्तर पर जो शान्ति कमेटी का गठन होता है उसमें अच्छे लोगों को रखा जाए। अब अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,13,61,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[4.40 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,03,98,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास एक ऐसा विभाग है जो सीधे गांव और गरीब किसान से जुड़ा हुआ विभाग है। हमारी कोशिश है, पिछले एक साल में हम लोगों ने तमाम ऐसे काम किए, जिसको आज हम बिन्दुवार बताना चाहेंगे। जो मुख्य हमारे कार्य हैं-लोहिया ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं बायो गैस कार्यक्रम। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग की इन योजनाओं व कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में लगभग 12866 करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें भारत सरकार से रु0 9372 करोड़ की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 3494 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी लोहिया ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए ऐसे आवासविहीन परिवारों, जिनकी अधिकतम आय रु0 36000/- की सीमा तक है तथा जिनका नाम बीपीएल सर्वे 2002 के आधार पर बनी स्थाई पात्रता सूची में न होने के कारण वे इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं, को लाभान्वित किया जाना लक्षित है। योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा रु0 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रति लाभार्थी आवास हेतु नेडा के माध्यम से रु0 15000/- की सीमा तक ''सोलर लाइट'' की अनुमन्यता भी की गयी है। साथ ही आवास के साथ स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था ''निर्मल भारत अभियान'' के अंतर्गत कराई जायेगी। वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत रु0 520 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में भी इतनी ही धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(इस समय 04 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पुनः पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष जी, यह वह आवास योजना है, जो हमारे साथी गांव के लोग बी0पी0एल0 या पात्रता सूची से छूट जाते थे और आवास के लिए दर-दर भटकते थे। हम मा0 मुख्य मंत्री जी के आभारी हैं कि हम लोग जब विचार ही कर रहे थे योजना चलाने के लिए, उस विचार से दस कदम आगे बढ़ कर मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि ऐसी योजना बने कि यदि गांव के गरीब को आवास दिया जाय तो हर आदमी उसको देखे, हम व्यक्तिगत रूप से मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रति इसके लिए आभारी हैं। ग्रामीण अवस्थापना के विकास हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भी संचालित है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव

के आधार पर नवम्बर-दिसम्बर, 2012 में रुपये 3147 करोड़ 72 लाख की सड़कों की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जो एक कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अब तक किसी एक वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली यह अधिकतम स्वीकृति है। विगत तीन वर्षों में कुल स्वीकृतियां रुपये 692 करोड़ 50 लाख की हैं इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत रुपये 573 करोड़ 70 लाख की धनराशि 757 बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु 1223 किमी0 लम्बाई के नव सम्पर्कता मार्ग तथा रूपये 2574 करोड़ व्यय कर 7007 किमी0 लम्बाई के अन्तर्गत उच्चीकरण किया जाना है। इन परियोजनाओं की पूर्ति के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था समयबद्ध रूप से निविदायें प्राप्त कर ली गई हैं। मा0 अध्यक्ष जी, विभाग सम्भालने के बाद हमें खुशी है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जो स्वीकृतियां हमने प्राप्त कीं, अभी तक की किसी भी सरकार की ग्राम्य विकास की यह सबसे बड़ी स्वीकृति प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार सृजित कार्यों हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संचालित की जा रही है। मांग आधारित योजना है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पूरे वर्ष में अधिकतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रु0 2376.90 करोड़ व्यय किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत 60 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है। इस हेतु रु0 400.00 करोड़ राज्यांश का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। राज्य स्तर से मनरेगा योजनान्तर्गत प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य गुणवत्ता नियंत्रक, राज्य रोजगार गारण्टी परिषद एवं सोशल आडिट निदेशालय का गठन किया गया है। प्रश्नगत योजना में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जी0आई0एस0 आधारित मैपिंग प्रणाली को प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को वर्ष 2012-13 से भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित करते हुये इसके स्थापन पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 6 से 7 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के स्वयं सहायता समूह गठित कर, चयनित विकास खण्डों में सघन रूप से, स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर स्थायी रूप से उनकी आय में वृद्धि करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी का गठन करके समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रथम चरण में प्रदेश के 22 जनपदों के 88 विकास खण्डों में चलाया जायेगा। प्रदेश के शेष जनपद भी आगामी 3-5 वर्षों में योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जायेगें। अन्तरिम अवधि में योजना से अनाच्छादित जनपदों व विकास खण्डों को 'नान इन्टेन्सिव' कार्य योजना के अधीन लिया जायेगा।

वर्ष 2013-14 में लगभग 4.00 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किये जाने का अनुमान है। इस हेतु रु0 235.00 करोड़ राज्यांश का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है तथा भारत सरकार से रु0 721 करोड़ प्राप्त होने अनुमानित हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची के अनुसार आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 से मैदानी क्षेत्रों में आवास की लागत में वृद्धि कर रु0 45000/- को

बढ़ाकर रु0 70000/- तथा नक्सलवाद प्रभावित जनपदों में रु0 48500/- को बढ़ाकर रु0 75000/- कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत लगभग 4.00 लाख आवास का निर्माण कराए जाने का अनुमान है। इस हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में रु0 500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 1046 निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में से 600 से अधिक योजनायें इसी वर्ष पूर्ण की जायेंगी जो एक कीर्तिमान होगा। प्रदेश में 8,000 से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों के लिये पाइप पेयजल योजनायें आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत करके उन पर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। प्रदेश में लगभग 4000 गुणता प्रभावित बस्तियों को जो वर्तमान में पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं, इन सभी गुणता प्रभावित बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से अगले 04 वर्षों में आच्छादित कर दिया जायेगा। मस्तिष्क ज्वर, जे0ई0/ए0ई0एस0 बीमारी से प्रभावित सभी क्षेत्रों में 18822 डीप बोर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा रहा है तथा 3357 मिनीपाइप पेयजल योजना कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के सभी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की जी0पी0एस0 आधारित मैपिंग तथा जलगुणता की जांच का कार्य प्रथम चरण में लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ मण्डलों से प्रारम्भ किया जा रहा है। भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से आगामी 6 वर्षों में लगभग रु0 1700 करोड़ की अनुमानित लागत से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलगुणता तथा भूगर्भ जल की समस्या से प्रभावित 10 जनपदों में पेयजल एवं स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष योजना स्वीकृत करायी जा रही है। वर्ष 2013-14 में रु0 1000 करोड़ राज्यांश के रूप में परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। विधायक निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय अनुभूत स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु वर्ष 2013-14 में रु0 756-756 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्ष 2012-13 से पूर्व प्रत्येक मा0 सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिये रु0 1.25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा रही थी। वर्तमान सरकार द्वारा इस धनराशि को बढ़ाकर रु0 1.50 करोड़ किया गया है। इस धनराशि में से रु0 25 लाख प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदा व अग्निकांड व असाध्य रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार हेतु सहायता प्रदान की गयी है। वर्ष 2013-14 में भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु रु0 1.50 करोड़ की दर से कुल रु0 756 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम मुख्य मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके क्षेत्र में मरीज आता हो, वो अपनी जेब से उसका इलाज न करता हो, मदद न करता हो या मा0 मुख्यमंत्री जी की सहायता से उसकी मदद न करता हो लेकिन कई मा0 सदस्यों को समय-समय पर यह विचार रहा, मा0 मंत्री अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं, सबका ये विचार रहा कि विधायकों की कलम में भी इतनी ताकत होनी चाहिये कि अपने क्षेत्र के मरीजों की मदद करे। हम मा0 मुख्य मंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने बिना कोई देर लगाये कि विधायक कम से कम 25 लाख रुपये विधायक निधि से अपनी कलम से मरीजों की मदद के लिये देगा। ये बहुत बड़ी सहायता है और इसकी घोषणा के बाद जब जी0ओ0 जारी हुआ तो सैकड़ों विधायकों ने इस काम के लिये

मा0 मुख्य मंत्री जी को बधायी दी ये आपसे बताना चाहता हूं। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011, तत्कालीन सरकार के समय प्रारंभ न कराये जा सकने के कारण 01 वर्ष विलम्ब से जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। 01 जून, 2012 से प्रारंभ कराया गया। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश 2011 में जनगणना कार्य प्रारंभ कराने वाले राज्यों के बराबरी पर आ गया तथा उत्तर प्रदेश में भी जनगणना कार्य अन्य राज्यों के साथ होगा। मान्यवर, चुनाव के चक्कर में जातीय जनगणना का यहां लेट हुआ लेकिन हम अपने सहयोगियों के आभारी हैं कि इतनी तेजी से काम किया है एक साल के अन्दर कि जो अन्य राज्य हैं हम उनकी बराबरी पर हैं और उनके साथ शुरू करेंगे। मैं मा0 सदस्यों से यही अपील करूंगा कि ग्राम्य विकास एक ऐसा विभाग है जिसमें हर सदस्य की रुचि भी है और हर सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी कहना चाहता है लेकिन हमें खुशी इस बात की भी है अभी 2 दिन बाद चौबीस तारीख को जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है, डा0 राममनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो सीधे गांव के गरीब को फायदा पहुंचायेगी, राहत पहुंचायेगी। इस योजना का शुभारंभ 24 तारीख को प्रदेश के नौजवान मुख्य मंत्री के हाथों से उन्नाव के एक गांव से शुरू करने जा रहे हैं। ये किसी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि गांव की चीज हम गांव से शुरू करने जा रहे हैं। हम कोई लंबी बातचीत नहीं करेंगे। मा0 सदस्यों से बस इतना ही कहेंगे। वह मेरे लिए हितकर होगा, लेकिन मैं सदस्यों से एक और चीज कहना चाहूंगा कि जहां गांव, गरीब, किसान से जुड़ा हुआ मामला हो, उस बजट को ऐसे ही पास करा देना चाहिए। मैं अंत में यह उम्मीद करता हूं कि मेरे वरिष्ठ सदस्य भी यहां बैठे हैं और साथी भी सदस्य बैठे हैं, इनके जो बहुमूल्य सुझाव होंगे, उसको हम बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे और इसको आगे लागू करेंगे। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी ने जिस जोश के साथ, उम्मीद दिखायी है, इस बजट के बारे में जो व्याख्यान किया है। इनका चेहरा देख कर मुझे एक बात याद आई है, मैं कहना चाहता हूं कि-

''खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, कि अपने सिवा कुछ और दिखाई न दे,
खतावार समझेगी दुनिया तुझे, तू इतनी भी ज्यादा सफाई न दे।''

मान्यवर, बजट पर ही आ रहा हूं, कई वर्षों से मान्यवर, बजट आता है, मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, चूंकि मैं खुद एक गांव से आता हूं। हम सब लोग कहीं न कहीं गांव से तालुक रखते हैं। मान्यवर, कई वर्षों से बार-बार हजारों करोड़ रुपये का बजट आता है, ग्रामीण विकास के लिए, आप ईमानदारी से हर एक सदस्य, चाहे वह सत्तापक्ष का सदस्य हो, चाहे विपक्ष का सदस्य हो, अपने आप ही आप लोग कल्पना कीजिए कि जितना बजट आता है, क्या इतना काम हुआ है गांव में। इतना विकास हुआ है गांव में। आज भी जब हम रात को क्षेत्र में जाते हैं, देर तक घूमते हैं तो शाम के वक्त या, सुबह के वक्त, जब हम गांव में, बस्ती जहां से शुरू होती है, वहां से निकलते हैं, तो हमारी मां-बहनें खुले में शौच करने का काम करती हैं। मान्यवर, दुख की बात है, इतना करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया लगता है, शौचालय की अलग स्कीम है, फलां की अलग स्कीम है,

मान्यवर, फिर भी आज ऐसी स्थिति है। मा0 मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आप बड़ा मन करके इस पूरे सदन के सामने संकल्प लीजिए, मैं कटौती भी वापस लूंगा, सारे काम होंगे, आपकी तारीफ भी होगी, यहीं खड़े होकर आपकी तारीफ करूंगा, पर आप आज वायदा कीजिए और संकल्प लीजिए कि वास्तव में जो मा0 गांधी ने सपना देखा था, गांधी जी भी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में वास करती है, गांव में रहती है, जो हमारे महापुरुषों ने, चाहे वह लोहिया जी रहे हो, चाहे गांधी जी रहे हो, इन महापुरुषों ने जो सपना देखा था कि गांव की तरक्की होगी, गांव की उन्नति होगी, आज आप यह संकल्प लेकर उठिएगा कि गांव में विकास होगा। गांव में शिक्षण संस्थाएं अच्छी होंगी। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी।

मान्यवर, करोड़ों-अरबों खर्च करने के बाद भी हम आज भी जब बारिश के दिनों में गांव में जाते हैं, तो सारी सड़कें कीचड़ से सनी होती हैं। हमारी मां-बहनें बारिश के मौसम में जब विद्यालय जाने का काम करती हैं, बाजार जाने का काम करती हैं, जरा-सी बीमारी हो जायें तो शहरों पर निर्भर रहती हैं। उन्हें यातायात के साधन ढूढने पड़ते हैं। वास्तविकता पर आप आइये, आप वास्तविकता देखिए। बहुत बड़ी रकम आप लाए हैं, बहुत-अच्छी योजना आप लाना चाहते हैं, आप देखिएगा बुंदेलखण्ड की तरफ देखिए, भारत सरकार बार-बार बड़ा पैकेज देती है, इतना बड़ा पैकेज आता है, मान्यवर, आप जाकर के वहां देखिएगा कि क्या पीने का पानी आज भी वहां सही है ? शुद्ध पानी आज वहां नहीं मिल पा रहा है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। मान्यवर, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे दुनिया याद रखे, जब हमारे से आगे आने वाली पीढ़ी आए, तो वह कहे कि मा0 अखिलेश जी की सरकार में श्री गोप जी, मंत्री थे और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। इतना बड़ा काम किया था। मान्यवर, आप, मैं सबसे पहले अगर कुछ हैं, तो इस देश के नागरिक हैं। इस प्रदेश के नागरिक है, मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले रोजगार हुआ करते थे। हमारे गांव में जैसे बढ़ई का काम होता था, लोहार का काम होता था, कुम्हार का काम होता था, धोबी का काम होता था। हमारी सरकारों ने इनकी अनदेखी की, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण यह लोग शहरों में पलायन कर गए। आज जरा-सी चीज के लिए हमें शहरों की तरफ जाना पड़ता है। मान्यवर, मलिन बस्ती की बात आती है, पूरे बजट में कहीं मलिन बस्ती का जिक्र नहीं है, मलिन बस्ती सिर्फ शहरों के लिए है। वास्तविकता यह है कि अगर कहीं मलिन बस्ती है, कहीं गंदगी है तो वह गांवों में है। आप जाकर के देखिए, चाहे दलित समाज के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की, बुन्देलखण्ड की पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मान्यवर। इनकी गम्भीरता यह है कि यह गांवों के बारे में बात नहीं सुनना चाहते हैं। यह कहते हैं कि वहां मलिन बस्ती कहां है। मान्यवर, क्या गांव में मलिन बस्तियां नहीं हैं। वहां भी हैं। मान्यवर, मैं गांव के विकास की बात कर रहा हूं और माननीय मंत्री जी जब मैं वहां का दर्द बयां कर रहा हूं तो आप जोर से हंसिये। मान्यवर, मुझे एक बात याद आती है ''हंसो आज इतना कि इस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई न दे'' मान्यवर, इन्होंने गांवों की तरफ नहीं देखने का काम किया था और उसी का नतीजा है कि जनता ने इनको नकारने का काम किया। मान्यवर, आज जो हमारे मुख्य मंत्री जी हैं वह युवा हैं और हमारे दर्द और पीड़ा को सुन सकते हैं। मान्यवर, मैं गांव के बारे में कह रहा हूं और यह गांव से जुड़ा हुआ मामला है बिजली का। मान्यवर, वहां पर खम्भे हैं तो तार नहीं हैं और अगर तार हैं तो उनमें रोशनी नहीं

आती है। मान्यवर, मैं गांव का आदमी हूं और आज भी हमारा परिवार गांवों में रहता है। मान्यवर, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

यह जिस विभाग का बजट है उस पर आप चर्चा कीजिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं सरकार से चाहता हूं कि हमारी बातों को सुनें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो अपनी बात रख रहे हैं बिल्कुल उनका अधिकार है इस सदन में कि अपनी बात रख सकते हैं लेकिन सदन में सदस्य को अपनी सीमा में रहकर बात कहने का पूरा अधिकार है। इस विषय पर अपनी बात रखेंगे तो सर्वोत्तम होगा। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, अब मैं योजनाओं पर आ रहा हूं। मान्यवर, इस बुकलेट में योजनायें छपी हैं और उसमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का जिक्र है। मान्यवर, इसमें 75 प्रतिशत राशि का योगदान भारत सरकार का है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान होता है। मान्यवर, आज हमारे नौजवान जो गांवों में रहते हैं वह शहरों की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि वहां पर कोई करने को काम नहीं है। मान्यवर, मैं मीराबाई मार्ग लखनऊ में रहता हूं और जब नरही की तरफ से आता हूं तो वहां बहुत से मजदूर खड़े रहते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं तो वह बताते हैं कि हम गांव से आते हैं और वहां हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। मान्यवर, वह यहां आकर मजदूरी करते हैं। मान्यवर, मैं योजनाओं के बारे में बात करूंगा। मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना है मनरेगा है। मान्यवर, यह योजना गांवों के लोगों के हित के बारे में सोचकर बनाई गयी है। अच्छी योजना है। मान्यवर, इसके कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा। मान्यवर, इस एक साल के इतिहास में इस सरकार के कार्य-कलापों के बारे में बताना चाहूंगा। मान्यवर, मनरेगा में मजदूरी 100 प्रतिशत भारत सरकार देती है और मटेरियल में 75 प्रतिशत भारत सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे ज्यादा उम्मीद होती है क्योंकि यह उन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गयी है।

मान्यवर, जो मनरेगा योजना है एक तो यह योजना इस राज्य सरकार को पसन्द नहीं आई है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 में काम करने का जो औसत था वह 26 मानव दिवस था और उससे पहले जो रहा है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, इस सरकार का रिकार्ड टूट गया जो अपने को गरीब हितैषी सरकार कहती है। मान्यवर, सिर्फ 22 मानव दिवस पिछले वर्ष सृजित कर पायी है। इस सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं। दूसरा इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपये से अधिक धन उपलब्ध कराया गया जिसके सापेक्ष लगभग 2300 करोड़ रुपये ही खर्च किया गया। और यह कहते हैं कि इनको भारत सरकार ने धन नहीं दिया। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा

कि धन की कमीं पूरे वित्तीय वर्ष में नहीं रही फिर भी इतना कम काम हुआ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में लगभग 48 लाख जाब कार्डधारकों को नरेगा के अन्तर्गत कार्य मिला किन्तु इसमें से मात्र 29 हजार जाब कार्डधारकों को ही 100 दिन का कार्य मिला अर्थात .6 परसेन्ट। क्या हो गया है मान्यवर, गरीब की योजना है, गरीब को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। इन्होंने जितना काम किया था उससे कम काम का रिकार्ड आप बनाना चाहते हैं। गलती आपकी नहीं है गलती उस मशीनरी की है जो मेरे सामने बैठे हैं, गलती उनकी हैं। उन्हीं अधिकारियों ने पिछली बार इस प्रदेश को खत्म करने का काम किया, धरती में मिलाने का काम किया आज फिर वहीं अधिकारी आपकी सरकार में बैठे हैं अधिकारी वही हैं। काम उन्हीं को करना है आपको ध्यान देना होगा। मेरा काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अधिकारी आपकी नाक के नीचे क्या काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस अधिनियम के अनुसार 33 प्रतिशत महिलाओं को नरेगा में काम मिलना चाहिए था और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिशत है, महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में मात्र 19 प्रतिशत। क्या हो गया है मान्यवर, बार-बार आप महिलाओं के कल्याण की बात करते हो, यही कल्याण हो रहा है। गरीब महिला जब मैं देखता हूं बगल में अपने बच्चे को लटका करके भीख मांगती है, मजदूरी करती है तो मेरा दिल रोता है मैं दुखी होता हूं क्योंकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं। इनके लिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ मेरी बातों को आलोचना न मान करके इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, भारत सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुए अधिनियम में संशोधन करके केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उन जाब कार्डधारकों को देने का काम किया जिन्होंने पिछले वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया। मान्यवर, दुर्भाग्यवश इस श्रेणी में पूरे प्रदेश में मात्र 28 हजार जाब कार्ड धारकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया जो कि लगभग 5 प्रतिशत है। मान्यवर, अगर ज्यादा लोग इसका काम करते तो ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता, गरीबों का भला होता, उत्थान होता। मान्यवर, महात्मा गांधी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है होली का त्योहार हमारे सिर पर है आने वाला है। हम गरीबी खत्म करना चाहते हैं हमारे सबके मन में है कि गरीबी खत्म हो, गरीबी खत्म हो लेकिन गरीबी की स्थिति ज्यों की त्यों है। हमारे प्रदेश में 55 हजार से अधिक संविदाकर्मी हैं जो इस योजना में काम कर रहे हैं। इस समय बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्हें उनका वेतनमान नहीं मिला और अधिनियम के तहत 3 से लेकर, अधिनियम के तहत मान्यवर, अधिनियम है कि 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय में सर्वप्रथम इनका भुगतान किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीने से 9 महिने तक का इनका भुगतान नहीं किया गया है। क्या हो रहा है मान्यवर, मनरेगा तो पूरे देश की योजना है, गरीब की योजना है, हर जाति हर धर्म के जो गरीब लोग हैं उनकी योजना है, हम गरीब का कल्याण करना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं दूसरी योजना पर आता हूं सच्चाई कहता हूं तो इन लोगों को बुरी लगती है और विभागों में बांटने का काम करते हैं। ग्रामीण विकास को कोर्डीनेट करना चाहिए माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास का काम सिर्फ बजट पेश करना नहीं है, कोर्डीनेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि गांव में किस आधार पर किस बिन्दु पर काम किया जा सकता है। जहां-जहां जिस बिन्दु पर काम करने की आवश्यकता हो, ग्रामीण विकास विभाग कोर्डीनेशन करने का काम करे और देखे कि गांव के लोगों को

क्या आवश्यकता है। गांव के लोगों को लाइब्रेरी की आवश्यकता है तो लाइब्रेरी दे, शिक्षा की आवश्यकता हो तो शिक्षा दी जाय हर बिन्दु पर सोचने का काम है कोई मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं सही दिशा में जाने का प्रयास कर रहा हूं कि गरीब का उत्थान जब होगा, जब हम सही दिशा में जाने का काम करेंगे, बजट तो बहुत आते हैं, बहुत चले गये। मान्यवर, ग्रामीण विकास से जुड़ी दो योजनायें हैं एक इस विभाग में आती है माननीय लोहिया जी के नाम पर जो योजना है ग्राम विकास योजना और माननीय जनेश्वर मिश्र योजना। मान्यवर, जितने लोग यहां बैठे हैं, ज्यादातर लोग गांव से चुनकर आते हैं, गांव से इन लोगों के संबंध रहे हैं, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन योजनाओं में अधिकारी सर्वे करते हैं एक बड़ा खराब काम यह अधिकारी कर रहे हैं, योजना में गांव का चयन हो गया, जब रास्तों के चयन की बात आती है तो रास्तों के चयन में जो इंजीनियर हैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं ये अधिकारी अपने चेलों, जो ठेकेदार हैं, उनसे कमीशन खाकर सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं एक सही बात कहना चाहता हूं, सदन में बैठे सभी सदस्यों के सुझाव पर इन गांवों में काम कराये जाने चाहिये, मैं मानता हूं कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो सक्षम हैं सभी लोग सक्षम हैं। लेकिन मान्यवर, सदस्य के हित में और गांव के हित में यह निर्णय जरूर लिया जाना चाहिये क्योंकि हम सब लोग गांव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गांव से लोग आते हैं, अपनी समस्यायें बताते हैं, हमसे ज्यादा शायद ही कोई जानता हो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हममें और उन अधिकारियों में यह फर्क है कि वह फाइलों को पढ़कर के, फाइलों को लिखकर के गांव को जानते हैं और हम उनके बीच में जाकर, उन्हें देखकर उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यह अंतर हममें और उनमें है। मान्यवर, एक विभाग है डी0आर0डी0ए0, मैनें पढ़ा है डी0आर0डी0ए0 के बारे में। क्या है डी0आर0डी0ए0 ? डी0आर0डी0ए0 सिर्फ पैसे खाने का सामान है, पैसे खाने की मशीन है और इतना अच्छा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वह लीकआउट भी नहीं होता कि पैसा कहां खाते हैं और कहां रखते हैं, कहां जाता है।

मान्यवर, किसी भी डी0आर0डी0ए0 से संबंधित अधिकारी की जांच करा लीजियेगा, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं विधायक निधि की बात। विधायक निधि का काम होता है, हम लोग गांव के हित में काम करना चाहते हैं सभी सदस्यों की सोच है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का काम हो, मेरी क्षेत्रीय विकास निधि से विकास हो, गांव का विकास हो, मान्यवर, उस निधि में से जब 16 प्रतिशत कट जाता है तो उसके बाद कोई विकास का काम किया जाता है। हो सकता है दलीय बंधनों के कारण आप मेरा समर्थन न करें, पर यह सत्यता है। हर एक सदस्य जानता है कि यह सत्यता है। मान्यवर, मैं दूसरी बार विधायक हूं और चार बार मेरे पिताजी इस सदन के सदस्य रहे हैं दुख होता है, मान्यवर, हर सदस्य यह चाहता है कि काम हो। मैं जानता हूं कि सभी ईमानदार लोग यहां बैठे हैं, ऊंगली हम पर उठती है लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हो पाती। आप कहेंगे तो मैं लिखकर दूंगा, मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी सदन में उठाया था कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, यह उस औरत का पैसा है जो अपने बच्चे को बगल में लटका कर भीख मांगती फिरती है, मजदूरी करती है। यह उस मजदूर का पैसा है जो सुबह 5 बजे उठकर शहर में आता है और शहर में आकर मजदूरी करता है और जब गांव में आता है तो उसे सुविधा नहीं मिल पाती, यह उस मजदूर का पैसा है वह रोता है। मान्यवर, आपने इन्दिरा आवास की बात की। इन्दिरा आवास में 75 प्रतिशत

पैसा केन्द्र का और 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का है। मैं स्वागत करता हूं आपका कि आप एक लोहिया ग्रामीण आवास योजना लाये, लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है। इन्दिरा आवास के नाम पर बहुत पैसा खाया जाता है, पहले तो पात्र व्यक्ति को चुनने के लिये पैसा खाया जाता है और फिर जब भुगतान होता है तब उन्हें सताया जाता है। मान्यवर, यह दोनों योजनायें गरीब से जुड़ी योजना हैं। आप सीधा इन पर ध्यान रखें, सीधा फोकस रखें और लोहिया ग्राम आवास योजना जो आपकी है, इसे ऐसे ढंग से लागू कीजिये कि वास्तव में गरीब का भला हो। अभी मेरे पास कल मेरे क्षेत्र से फोन आया, इन योजनाओं के लिये कार्य चल रहा होगा, मान्यवर, वहां अधिकारी जो जांच करा रहे हैं वह पात्र अपात्र की बात ही नहीं कर रहे हैं। वह यह पूछ रहे हैं कि यह क्या है, क्या है, कौन है, इस तरह की बात कर रहे हैं। मान्यवर, इसकी आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरी साफ मंशा है कि गरीब का भला हो, मैं इसलिये आपको बताना चाहता हूं।

मान्यवर, राष्ट्रीय गामीण जल सम्पूर्ति योजना की बात मैं करूंगा, यह जो योजना है, बहुत अच्छी योजना है, इसमें तरह-तरह के आपने काम दिखाये हैं कि यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, केवल इतना बताना चाहूंगा इसमें अलग-अलग मदों में 50 प्रतिशत से अधिक धन केन्द्र सरकार का है। एक योजना थी पिछली बार स्वजल धारा योजना अब शायद वह बंद हो गयी है। उस योजना में मैंने बार-बार अधिकारियों से कहा कि जो पैसा लगा था वह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा था उस योजना में कुछ टंकियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से खड़ी हो चुकी हैं उनका ढाचा तैयार है बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं पता नहीं क्या टेक्निकल कारण रहा होगा या अधिकारियों की लापरवाही है अनदेखी है बहुत बड़ी तादात में वह ज्यों की त्यों खड़ी हैं। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। सबसे दिक्कत हम लोगों को आती है मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत सम्पन्न क्षेत्र माना जाता है लेकिन वहां भी पानी की बहुत खराब स्थिति है मैं बुन्देलखण्ड से पहले पश्चिम की बात कर रहा हूं क्योंकि बुन्देलखण्ड की दिक्कतों का सबको पता है और बुन्देलखण्ड की भी अनदेखी हो रही है मान्यवर, अब जो बजट जिस काम के लिए किया गया है वह वहां लगना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है आपके विभाग की है आपकी सरकार की है। हैण्डपम्प की स्थिति बहुत खराब है वहां हैण्ड पम्प लगा दिए जाते हैं लेकिन एक ही महीने बाद देखा जाता है कि उनमें पानी नहीं आ रहा है पानी आता है तो जहरीला पानी आता है मेरे क्षेत्र में आस-पास के जिलों में पानी की इतनी बुरी स्थिति है कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से कहा कि हैण्ड पम्पों से जहरीला पानी आता है। इस बार बहुत अच्छा पैसा आपको मिला है उम्मीद करता हूं कि हैण्ड पम्पों के सम्बंध में आप जरूर कोई न कोई ठोस कदम उठाने का काम करेंगे। आप पीने के पानी के लिए पाइपलाइन टंकी बनाने का काम कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश, प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो आज चाहे सिंचाई का पानी हो या पीने का पानी हर जगह हर गली में हर क्षेत्र में दिक्कत ही दिक्कत है। पानी के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी लंगड़ी लूली और बीमार पैदा होगी बीमारी से ग्रसित पैदा होगी। बहुत बड़ी दिक्कत है। आप बुन्देलखण्ड की बात करते हैं कई बार अखबारों में आता है बिल्कुल सूखा फोटो सूखे शरीर का फोटो ऐसा लगता है कि हड्डियां ही हड्डियां ऐसा ढाचा खड़ा कर दिया गया हो देखकर आंखों में पानी आ जाता है आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि इतने सालों से बजट आ रहा है कुछ न कुछ हुआ

होगा मान्यवर, इसमें आप जरूर कुछ न कुछ करने का काम कीजिए चाहे बुन्देलखण्ड हो या प्रदेश का कोई कोना हो पानी की उपलब्धता आपकी जिम्मेदारी है पानी की उपलब्धता आपको करनी है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो गांव के हर कोने में पानी आना चाहिए। एक बड़ी दिक्कत है जब योजनाएं आती हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जरा संक्षेप करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

जब योजनाएं आती हैं तो अधिकारी योजनाएं आने से पहले फाइलों का पेट भरने में लग जाते हैं। पूरी मशीनरी यही काम करती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए अजीब स्थिति तब पैदा होती है सरकार नौकरी देती है लेकिन जिन अधिकारियों की पोस्टिंग गांव में होती है वह भागने को तैयार हो जाता है। करीब के शहर में रहकर वह वहीं से नौकरी चलाने का काम करता है। चाहे पटवारी हो यह राजस्व से जुड़ा मामला है लेकिन गांव उसका सर्किल होता है गांव उसका क्षेत्र होता है वह गांव में जाना पसन्द नहीं करते हैं। वह शहर में रहकर काम करना पसन्द करते हैं इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है गांव के विकास को प्राथमिकता देकर गांव को विकास की धुरी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े-बड़े चिकित्सालय बनने चाहिए ग्रामीण लोगों को जन्म से लेकर चिकित्सा शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मान्यवर, हमारे समाज में कहावत है कि जिस घर में एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उसका प्रभाव कई घरों पर पड़ता है इसी तरह से जब गांव विकसित होगा तो पूरा देश विकसित होगा। मैं सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहता मैं यही कहना चाहता हूं। मान्यवर प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है और अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद यह पैसा आया है। जब यह सड़कें बनती हैं तब अधिकारियों द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जाता और मानकों के अनुरूप यह सड़कें नहीं बन पाती हैं इस वजह से सड़कें टूट जाती हैं उनकी रिपेयर नहीं की जाती। इसे मैंने कई बार सदन में उठाया और पिछली बार जब मुझे सदन में आने का मौका मिला तब भी में लड़ता रहा लेकिन इस सरकार से बहुत उम्मीदे हैं। नई सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा आया, सरकार के जो अधिकारी हैं वह इसे गम्भीरता से नहीं लेते। कितनी भी सड़कें हों, कहीं जा करके देख लीजिएगा, इसमें शायद पांच साल का समय होता है लेकिन एक बार यदि सड़क बना दी तो उसके बाद कभी वह रिपेयर नहीं हो पाती। आवश्यकता है इन सारी बातों की मानीटरिंग करने की, इनको देखने की, यदि कोई योजना आती है तो उसका लाभ जनता को मिल सके, गांव-गांव तक जा सकें। मैं अपनी बात कह रहा था आपने रोक दिया, इस बात से आपकी तारीफ नहीं होगी, मैं जो बात कह रहा हूं, जो बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो गांव के गरीब का दुःख आपको बताना चाह रहा हूं यदि उसका दुःख दूर होगा तो आपकी तारीफ होगी। आपने अच्छी योजना चलाई, गांव का विकास होगा, हमने आपकी तारीफ भी की है, आपने लोहिया जी के नाम पर आवास योजना चलाई, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी योजना है इसे सुचारु रूप से चलाया जाना चाहिए। आपने गांव के विकास की बात की, मान्यवर, पिछली बार एक योजना अम्बेडकर जी के नाम से थी, उसमें जो कुछ भी हुआ उसे मैं बताना नहीं चाहता लेकिन अच्छी योजना थी और उससे गांवों का विकास हुआ। कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा

हुआ लेकिन विकास हुआ। मान्यवर, एक मेरा सुझाव है कि इन योजनाओं में पैसा बढ़ाया जाए चाहे वह आने वाले दिनों में बढ़ाया जाए क्योंकि सम्पूर्ण विकास तभी होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षेप करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता जी, ग्रामीण विकास का बजट है। मैं इससे अलग बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, इन योजनाओं में बजट बढ़ना चाहिए हो सकता है कि आपके पास सीमित साधन हों। मान्यवर, लोहिया ग्राम विकास योजना और जनेश्वर मिश्र योजना की बात कर रहा हूं कि इसमें बजट बढ़ा करके पूरे गांव को विकसित किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, मान्यवर, मैं बार-बार कहूंगा कि अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। बातें और भी हैं, लेकिन आप जिस सीट पर बैठे हैं मैं उसका सम्मान करता हूं और आपने समाप्त करने के लिए कहा है इसलिए मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्राम्य विकास विभाग का बजट माननीय अरविन्द सिंह गोप जी द्वारा रखा गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब से मैं इस सदन में चुनता चला आ रहा हूं हर बार बजट सत्र में सभी विभागों के बजट रखे जाते हैं, इस बार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ग्राम्य विकास विभाग का जो बजट माननीय अरविन्द सिंह गोप जी द्वारा रखा गया है अपने आप में अद्वितीय है और प्रथम बार ऐसा बजट ग्राम्य विकास विभाग का इस सदन में रखा गया है। अभी माननीय सदस्य को जो पीड़ा हो रही थी और बार-बार वह गांव की बात कर रहे थे कि मैं गांव से चुनकर आता हूं, मैं गांव की बात जानता हूं, मैं गांव में रहता हूं, गांव से मैं ही अकेले आता हूं, आपके अलावा गांव से आने वाला कोई दूसरा इस सदन में है ही नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी कोई दूसरे सदस्य भी बोल पड़े तो उनसे भी कह दिया कि आप क्यों बोलते हो आप तो शहर से चुनकर आते हो। अकेले मैं ही इस विधान सभा से गांव से चुन करके आता हूं लेकिन इनको गांव का दर्द नहीं पता है। जैसी बात वह सुना रहे थे तो मैं इनके बारे में, इनके दल के बारे में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि- मैं तमाम उम्र बस एक ही काम करता रहा,

धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

आपका गांव का दर्द भाषण में तो दिखाई दिया लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई दिया। अभी मा0 अरविन्द सिंह गोप जी ने यह कहा था कि विधायक निधि में गरीबों के इलाज का प्राविधान किया गया है। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला बजट है कि विधायक अपनी कलम से अपने क्षेत्र की जनता के किसी व्यक्ति को जिसे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, दिक्कत हो, कहीं आपदा आयी हो तो उसमें 25 लाख रुपये तक देने का प्राविधान किया गया है। यह क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ी

उपलब्धि है और सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहता हूं कि बार-बार गांव की बात करने वाले मा0 सदस्य को कहना चाहता हूं कि न इनको बाढ़ दिखायी देती है, न आग दिखायी देती है। गर्मी आ गयी है अभी अप्रैल, मई व जून में आग धधकेगी। पूरे प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आग से प्रभावित होंगे, फसलें पूरी जलकर राख हो जायेंगी। पहली बार विधायक निधि में यह प्राविधान किया गया है कि एक-एक अग्नि शमन वाहन खरीदकर विधायक अपने क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। यह पहली बार किया गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह गांव, गरीब और किसान की सरकार है और इसको गांव, गरीब और किसान के दर्द का अहसास है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने कटौती का प्रस्ताव वापस जरूर ले लें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक योजना के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में पिछली सरकार के समय में एक योजना लागू हुई टी0टी0एस0पी0। पेयजल से संबंधित यह भारत सरकार की योजना थी और इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन दिया गया। यह पीड़ा हुई हमारे राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री जयन्त चौधरी जी को हुई जब उन्होंने रिकार्ड देखा पूरे भारत वर्ष का, तो उन्होंने एक सर्वे कराया। वह सर्वे पूरे प्रदेश का कराया। एक इस योजना का उदाहरण मैं अपने जनपद अलीगढ़ का आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस योजना के लिए 27-07-2011 में धन निर्गत हुआ और यह धन अलीगढ़ जनपद में 404 लाख 36 हजार रु0 आया। 404 लाख 36 हजार रु0 स्वीकृत और योजना का काम चालू हुआ। जब हमने सर्वे कराया तो मात्र तीन या चार गांवों में इस पर कार्य हुआ। पिछली बार मा0 मंत्री जी से निवेदन किया तो शायद आपने इसकी जांच करायी और जांच अधिकारी हमारे यहां अलीगढ़ में पहुंचे। पूरी की पूरी योजना ठप्प है, पूरा पैसा खा लिया गया, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में इस योजना को गम्भीरता से दिखवाया जाए, इसकी जांच करायी जाए। अभी काफी धन इसका शेष है और बहुत पेयजल का काम इससे होगा। जिन अधिकारियों ने पिछली सरकार में इस योजना का पूरा पैसा हड़पा है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों में मुकदमा कायम करे, उनकी तनख्वाह से रिकवरी करे और विभागीय कार्यवाही करे। योजना चालू हो जायेगी तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। यह इस योजना के सम्बन्ध में मैंने आपको जानकारी दी है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और सीधा-सीधा गांव से जुड़ा हुआ है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

मेरे जनपद अलीगढ़ में 17 ब्लाक हैं और वहां पर मात्र 5 बी0डी0ओ0 हैं। पूरे प्रदेश में बी0डी0ओ0 की कमी है जिसकी वजह से वहां ब्लाकों का कोई काम सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। स्टाफ बहुत कम है, मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक-एक बी0डी0ओ0 पर 3-3 ब्लाक का चार्ज है। बी0डी0ओ0 भी सिर्फ मनरेगा और अन्य पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई काम नहीं करते। किसको किस योजना में कितना पैसा देना है, बस इसी में लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हर विकास खंड में बी0डी0ओ0 होना चाहिए। यदि किसी वजह से बी0डी0ओ0 की कमी है तो एक एक बी0डी0ओ0 को 3-3 ब्लाक का चार्ज न देकर ए0ई0 या अन्य विभागीय लोगों को प्रभारी

के रूप में चार्ज दे दिया जाय जब तक एक-एक आदमी एक-एक ब्लाक में नहीं होगा काम सुचारु रूप से नहीं चलेगा। पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिये हमारे साथी कह रहे थे। जहां-जहां पी0एम0जी0एस0वाई0 में सड़कें पिछली सरकार में बनी हैं, मैं अपने जनपद की कई सड़कों का उदाहरण दे सकता हूं। मेरे जनपद अलीगढ़ में एक सड़क बनी है जी0टी0 रोड से दयौरऊ चन्डौस पिसावा जटटारी रोड पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। आर0ई0एस0 विभाग ने बनाई थी और आर0ई0एस0 विभाग ने पूरा गोल माल कर दिया, एक साल भी सड़क नहीं चली। मैंने अपने डी0एम0 से कहा कि यह पांच साल का कान्टेक्ट होता है इसकी रिपेयरिंग करने का तो ठेकेदार ने अपने हाथ उठा दिये। बेशक मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म कर दो लेकिन मेरे बस का यह काम करना नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि पी0एम0जी0एस0वाई0 की प्रदेश में जितनी भी सड़के बनी हैं उन्हें ठेकेदारों पर दवाब बनाया जाय, उनको नोटिस दिया जाय, उनसे रिकवरी की जाय और उनसे उनकी शर्तों के मुताबिक जो 5 साल की शर्तें हैं सड़कों का काम कराया जाय। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं और सब लोग अपनी-अपनी बातें कहें लेकिन मेरी दो ही बातें हैं जिस पर बल है मेरा, एक तो पेयजल योजना पर और दूसरा पी0एम0जी0एस0वाई0 पर इसी पर ध्यान दिया जाय।

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास विभाग का जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी ने रखा, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले कांग्रेस के हमारे साथी भाई पंकज मलिक जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा। वह अच्छा बोल रहे थे, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि उन्होंने ग्राम्य विकास के साथ-साथ कई विभागों के बारे में अपने भाषण में अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और अपने ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद गोप जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। सरकार बनने के बाद ग्राम्य विकास का इतना अच्छा बजट और इतने ऐतिहासिक काम इस विभाग द्वारा कभी नहीं किये गये थे जो इस साल और इस सत्र में किये गये हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 25 लाख रुपया इस सदन में जितने विधायक बैठे हैं, यह सुविधा सबको मिली है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं गरीब, किसान मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित समाज का हर तबके का आदमी हमारे पास हमारे कार्यालय में आते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बड़ी गम्भीर बीमारी है, किसी को कैंसर है, अनेक तरह की महंगी-महंगी बीमारी जिसका इलाज बहुत महंगा है और इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस भावना को, इस आत्मीयता को अगर किसी ने इस धरातल पर महसूस किया है तो वह समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने महसूस किया है और इस समस्या को खत्म करते हुए इस सदन में जितने विधायक बैठे हैं सबको इस बात का अधिकार दिया कि 25 लाख रुपये अपने क्षेत्र के लोगों को, उनकी बीमारी के लिये, उनकी समस्या के लिये, उनके दुःख में उसके निवारण के लिये दे सकते हैं। इस बात का प्राविधान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया, इस बात के लिये हम उनको वह ग्राम्य विकास मंत्री अरविन्द गोप जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं।

दूसरी बात, आज ग्राम्य विकास का जो बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है उसमें उन्होंने राम मनोहर लोहिया आवास की बात की। राम मनोहर लोहिया आवास योजना ऐतिहासिक योजना है, इसके लिये उन्होंने 1 लाख 15 हजार रुपये देने का प्राविधान किया है। हम बताना चाहते हैं पिछले वर्षों में जितनी भी योजनाएं थीं जो गरीबों को मकान दिया जाता था, उनकी झोपड़ियों के स्थान पर जो मकान बनाये जाते थे उनकी जो स्थिति होती थी वह किसी से छुपी नहीं है। साल डेढ़ साल के अंदर यह मकान गिर जाया करते थे। लेकिन आज गरीब की झोपड़ी को पक्का करने का काम, गरीब की झोपड़ी को अच्छा करने का काम, गरीब की झोपड़ी को पक्का मकान देने का सपना अगर किसी ने देखा है तो समाजवादी पार्टी ने देखा और आज समाजवादी पार्टी गरीब के मकान को पक्का करने का काम कर रही है। (मेजें थपथपाई गईं) इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाली 24 तारीख को उन्नाव जिले में इसकी शुरुआत माननीय मुख्य मंत्री जी एक गरीब परिवार के किसान को पक्के मकान देने की शुरूआत करके राम मनोहर लोहिया आवास योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिये हम माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी दोनों को इस सदन के माध्यम से बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और शुभकामना देना चाहता हूं हम आपसे कहना चाहता हैं अभी हमारे भाई पंकज मलिक कह रहे थे, हर योजना में भारत सरकार का पैसा है, अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग भारत सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का जो हमारा टैक्स है वह भारत सरकार को नहीं जाता है भारत सरकार को कर नहीं देते हैं और जब हम भारत सरकार को कर देते हैं तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को विकास के लिए पैसा देकर कोई एहसान नहीं करती है। आपने इतने ढेर सारे इल्जाम लगा दिए लेकिन हम अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आजादी के 64 वर्षों के बाद, आजादी के इतने वर्षों के बाद, क्या कांग्रेस ने कोई सपना गांव किसान का देखा है। कांग्रेस ने क्या कभी गरीब किसान, दलित, शोषित मजलूम और पीड़ित समाज का कोई सपना देखा है। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि-

सच बात मान लीजिए चेहरे पर धूल है,
इल्जाम आइनों पर लगाना फिजूल है।

इतनी लम्बी-लम्बी बातें कर रहे हैं, इनके नेता हैं राहुल गांधी जी, वह दलित के यहां जाकर खाना खाते हैं, दलित के यहां जाकर लेट जाते हैं, दलित के घर को देखकर मिट्टी की टोकरी अपने सिर पर रख लेते हैं इतना सारा काम करने के बाद भी दलित की पीड़ा का एहसास इनके दिल में नहीं है। (शोर) इस नौटंकी को करने से, इस काम को करने से, दलित किसान की पीड़ा कहीं दूर नहीं होती है। हमने आपको सुना था आप भी हमें सुन लीजिए। इतना नाटक करने के बाद भी दलित की पीड़ा उनके दिल से कम नहीं होती है। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। यह कलावती के घर गए उसे आश्वासन दिया तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हारे घर का विकास करेंगे उस गरीब का निवाला भी खा गए, उस गरीब का खाना भी खा गए लेकिन उसी गरीब का आज तक भला नहीं हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा ढोंग की राजनीति की है, दिखावे की राजनीति की है, किसान, दलित, मजदूर, शोषित, पीड़ित समाज की अगर किसी ने राजनीति की है तो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव है, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, और समाजवादी पार्टी है। मैं एक बात और कहना

चाहता हूं कि गांव में गरीबों में पानी देने के लिए समाजवादी पार्टी और मा0 मंत्री जी ने और मा0 मुख्य मंत्री जी ने मन बनाया है अगर दस हजार से ज्यादा आबादी है तो पानी की टंकियां, अच्छी टंकियां और स्वच्छ जल देने की व्यवस्था की जा रही है। आज इन्दिरा आवास की आपने बात की, आज इन्दिरा आवास की आपने बात की, आज इन्दिरा आवास ग्राम्य विकास के माध्यम से...

श्री अधिष्ठाता-

संक्षिप्त करें।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

उसका विज्ञापन लगाकर, टैक्स लगाकर और शपथ दिलाकर, मा0 अधिष्ठाता जी बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं इन सारी योजनाओं के तहत मकान देने का काम किया जा रहा है। आपने शौचालय की बात कही, हम बताना चाहते हैं, आज जिला पंचायत के माध्यम से शौचालय गांव-गांव में बनाए जा रहे हैं। हमारे पंचायती मंत्री जी ने बजट में इसका प्राविधान किया है प्रस्तुत भी किया है। गांव में हमारी महिलाओं को शौच की दिक्कत न हो इसलिए गांव में जगह-जगह शौचालय बनाने का काम भी किया जा रहा है। आपने डी0आर0डी0ए0 की बात की, डी0आर0डी0ए0 की शुरुआत कांग्रेस के समय से की गई थी, हम बताना चाहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। आपने कई अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए, आपने कहा अधिकारी काम नहीं करते हैं, अधिकारी यहां काम कर रहे हैं, अधिकारी वहां काम कर रहे हैं पंकज भाई आपको आश्वासन देना चाहता हूं जिन अधिकारियों ने गलत काम किया हो, आपकी जानकारी में हो, आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए, हमारे मंत्री जी हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे। (मेजें थपथपाई गईं।)

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

समाजवादी पार्टी का सदस्य होने के नाते आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना कहना चाहता हूं।

(श्री रोशन लाल वर्मा का नाम पुकारा गया)

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने यह बताया कि कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश में पैसा दिया, कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वह किया, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है कि आजादी के 64 साल बाद केवल कांग्रेस ने किसान की झोपड़ी किसान मजदूर को लूटने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

मान्यवर, मैं दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा-

कोठियों के हर दिए में, झोपड़ी का खून है,
इसलिए हम क्रान्ति की आंधी बुलाना चाहते हैं।
देश का बचपन न सोये, भूख से रोकर कहीं,
इसलिए हर खेत में खंजर उगाना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

अभी हमारे मा0 सदस्य ग्राम्य विकास के बजट पर सत्तापक्ष के साथी कह रहे थे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के खजाने का मुंह गांव की तरफ मुंह कर दिया गया हो। लेकिन मुझे इस बजट पुस्तिका में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसमें गांव, देहात, ग्रामीण क्षेत्र की बात विकास की बात गई हो। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र की 78 परसेण्ट गांव की आबादी है और लोहिया जी के नाम से जो इसमें गांव चयनित किए गए हैं, मान्यवर, सभी लोग, चाहे वह सत्तापक्ष के हों, चाहे हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, मात्र 18 से 20 लाख रुपये का ही प्राविधान किया गया है, जब कि हमारी पूर्व की सरकार ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत पूरे-पूरे गांव संतृप्त करने हेतु चाहे 1 रुपया से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़ तक देना पड़ा हो, पूरे प्रदेश के साथ-साथ मेरी विधान सभा की एक-एक ग्राम सभा में 4-4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जो वर्तमान की सरकार में लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत मात्र 18-20 लाख रुपये का ही प्राविधान किया गया है, मान्यवर, इसमें कुछ भी विकास होने वाला नहीं है और अभी गांव की बात हो रही थी, हमारी मा0 बहन कु0 मायावती जी और पूर्व सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में सफाई कर्मियों की व्यवस्था की गयी थी जो गन्दगी गांव में पड़ी रहती थी, उससे बीमारी फैलती थी और अभी मान्यवर, एक आदेश पारित किया गया है कि जो तहबाजारी है, उसको समाप्त कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े गांव हैं, हमारे गांव की आबादी 30 हजार की है। उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों की संख्या में गांव होंगे, जिनकी बड़ी आबादी होगी, उन गांवों की सफाई कैसे होगी ? हमारी ग्राम पंचायत निगोही की जो तहबाजारी होती थी, उससे 15 प्राइवेट कर्मचारी उस गांव की साफ-सफाई में लगे हुए थे। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप गांव की बात कर रहे हैं। हमारे जनपद शाहजहांपुर में करीब 55 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से 30 हजार तक की है, उस एक गांव में उस एक सफाई कर्मचारी से सफाई किसी ढंग से नहीं हो सकती है और ऐसे में उन समस्त ग्रामों में गन्दगी रहेगी, गंदगी फैलेगी तो जो आप ग्राम विकास की बात कर रहे हैं, यह तो ग्राम विनाश की बात हो गयी है, उस गन्दगी से बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग फैल सकते हैं और उससे उन गांवों के लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी शुरू करें।

(श्री रोशन लाल वर्मा बोलते रहे और श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोलना प्रारम्भ कर दिया। श्री रोशन लाल वर्मा का स्पीकर आफ कर दिए जाने के कारण उनकी आवाज सुनाई नहीं दी।)

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर श्री पंकज कुमार मलिक जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ग्राम्य विकास विभाग का बजट बड़ी देर से बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। बहुत सारी बातें हो गयी हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं सबसे पहले जो पेयजल का संकट है, उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मेरा जनपद कौशाम्बी है, उसमें दो विकास खण्ड हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिराथू और कड़ा, दोनों विकास खण्ड डार्क जोन हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में पेयजल के संकट को दूर करने के लिए, कई बार मैंने सदन में प्रश्न भी उठाया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि जितनी बार प्रश्न लगाया, जितनी बार सम्बन्धित अधिकारियों से मिला, अभी बजट पुस्तिका में सुझाव का स्वागत है, लेकिन सुझाव तो लेंगे, मगर उन पर अमल नहीं करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार विभागीय अधिकारियों का रहता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी आंकड़े देख रहा था और उन आंकड़ों के अनुसार जो पेयजल की समस्या प्रदेश के अन्दर व्याप्त है, जो लक्ष्य निर्धारण किए गए, उस लक्ष्य निर्धारण के बावजूद कि इतने हैण्डपम्प लगेंगे, कितने रि-बोर होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने पाइप लाइन योजना के अन्तर्गत 2011-12 में 600 पानी की टंकियां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन अभी तक केवल 208 पानी की टंकियां बन करके तैयार हो पाई हैं। सरकार ने अपने बजट में कहा है कि 2022 तक भारत सरकार के सहयोग से हम हर गांव को पाइप लाइन से जोड़ देंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक वर्ष का जो बजट है उसमें जब आप 30-35 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो पीने का पानी शुद्ध रूप से हमें कब उपलब्ध होगा।

इस बजट के अन्दर जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में रि-बोर की व्यवस्था की गई और नए हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसमें हैण्डपम्पों के रिपेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। रिपेयर की बात इस बजट में लिखी गई है कि ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार उनको रिपेयर के लिए 500 रुपये का प्राविधान किया गया है। बोरिंग करने वाला मिस्त्री भी अपने दो लेबर के साथ आयेगा और वहां पर काम करेगा, क्या 500 रुपये में उसका रिपेयर हो जायेगा, यह केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और जो गांवों के अन्दर हैण्डपम्प हमारे लगे हुए हैं, जो रिपेयर के लायक हैं, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं यह नए हैण्डपम्प लगाने और रि-बोर कराने के बीच की जो रिपेयर की व्यवस्था है, वह भी इस बजट में प्राविधानित किया जाय और उसका प्राविधान करके ऐसी व्यवस्था करें, केवल ग्राम पंचायतों के भरोसे मत छोड़ दीजिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 75 प्रतिशत हैण्डपम्प रि-बोर और रिपेयर के लायक हैं, मैं कई बार इस सदन में प्रश्न उठाता हूं और लम्बा-चौड़ा उत्तर मा0 मंत्री जी का आ जाता है, मेरे जनपद के अन्दर 23 पानी की टंकियां बनाने के सन्दर्भ में भी उन्होंनें उत्तर में मुझे कहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से उस पर कोई काम नहीं

हो रहा है। जिस प्रकार से 600 और 208 का फर्क है, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी फर्क है। मान्यवर, पेयजल के संकट से मेरा क्षेत्र जूझ रहा है, मैं समझता हूं कि सभी के क्षेत्रों में यह समस्या होगी जो मा0 सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं हैण्डपम्पों को ले करके जो समस्या है, वह समस्या केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की नहीं है मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह शायद पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यगण जो हैं उनके हर व्यक्ति के क्षेत्र की है। कोई समर्थन और विरोध में बोलता है, मैं कटौती के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, समर्थन में बोलिये, लेकिन जो सच है वह कहिये भी और सुनिये भी और उसका पालन करना भी सीखिये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी शौचालय की बात आई, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार का हूं, ग्रामीण क्षेत्र की सच्चाई यह है कि 25-30 परसेण्ट 40 प्रतिशत तक मैं कह सकता हूं कि शौचालय ऐसे हैं, जो केवल वह सुअर बाड़ा, मुर्गी बाड़ा और बकरी बाड़ा बनकर के रह गये हैं। इसका कोई प्रबन्ध किया गया है क्या, नहीं किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब हम कोई बजट निर्धारित करते हैं, गांव का कोई व्यक्ति होता है, बाहर जाकर पट्टिका लगा दिया गया, शौचालय का लाभ जिस परिवार को दिया गया, उसका नाम लिख दिया गया, वह नाम लिख देने से वास्तविकरूप से शौचालय वहां नहीं बन जायेंगे। गरीब के पास अपने पास पैसा नहीं होता, जो भी बनाना है, उसके लिए एक कार्यदायी संस्था का निर्धारण करके जो शौचालय बनने हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से गांव के अन्दर बनाया जाय। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी यहां विधायक निधि की बड़ी तारीफ हमारे मा0 सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे, मैं एक बात के लिए तो निश्चित तौर पर स्वागत करूंगा कि विकास निधि में जो सेन्टेज लिया जा रहा था, उसे आपने वापस लिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा, लेकिन दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि 25 लाख रुपये आपने विधायकों को अधिकार दिया है, यह अधिकार नहीं दिया है, आपने तो अपने बजट में घोषणा की है, जिन बीमारियों के लिए विधायकों की निधि से जो विकास की निधि है जो विकास के लिए क्षेत्र में लगनी चाहिए, उसको तो आपने कहा कि जो कैंसर से पीड़ित होगा, या तमाम जो ऐसे असाध्य रोग हैं जो बड़ी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से पीड़ित होगा तो उसके इलाज के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्राकृतिक आपदा होती है, मैंनें एक प्रश्न के माध्यम से.....

श्री अधिष्ठाता-

जरा संक्षेप करिये केशव प्रसाद जी ।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बस दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, मेरी बहुत लम्बी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं, यह विधायक निधि से जो व्यवस्था किये हैं, जो विधायक निधि में व्यवस्था की है, 25 लाख रुपया मा0 विधायकों को खर्च करने के लिए, जो सरकार के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को विधायकों के ऊपर डाल कर 25 लाख की बढ़ोत्तरी की बात की गई। क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तमाम प्रकार की समस्यायें हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

*डा0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ग्राम्य विकास विभाग के अतिमहत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने मा0 मंत्री, श्री अरविन्द सिंह गोप जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, जो डा0 राममनोहर लोहिया का सपना था। चौधरी चरण सिंह साहब कहते थे, मा0 पंकज मलिक जी जानते होंगे। चौधरी साहब कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता, खेतों और खलिहानों से गुजरता है। हमारे नेता, देश के महान समाजवादी नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि अगर इस देश का किसान खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। जब मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी हैं, जो जन आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। जब उनके दिशा-निर्देशन में ग्राम्य विकास का यह बजट मा0 मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो बापू ने हिन्द स्वराज में लिखा था कि जब देश आजाद होगा तो देश की सूरत कैसी होगी। गांव की सूरत कैसी होगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान कैसी आयेगी तो कहीं न कहीं उसकी एक झलक मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट भाषण में दिखी। मा0 पंकज मलिक जी, आप कांग्रेस के सदस्य हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि-

''तुमने समझा होता तो हालात बदल सकते थे
तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे
तुम तो ठहरे उस झील के पानी की तरह
दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।''

मा0 सदस्य दुहाई दे रहे थे। आप बार-बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि हम गांव से आते हैं, गरीबों से आते हैं, हम किसानों से आते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं ग्राम्य विकास मंत्री जी को कि जिन्होंने कहा कि विधायक निधि से एक विधायक जिसको आज कहीं न कहीं लोग राजनीति में शंका की दृष्टि से देखते हैं। जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसको मीडिया से लेकर, समाज के जितने वर्ग हैं, जब चाहें तब चौराहे पर खड़ा कर देते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी, विधायक निधि में 25 लाख का प्रावधान कर रहे थे। जब गांव की कोई लाचार महिला, गांव का कोई बीमार बूढ़ा, गांव के अन्दर जब जाइये, झोपड़ियों में जब आग लगती है। जब गांव के किसान की फसलों में जब आग लगती है तो किसान के चेहरे पर, वो मायूसी होती है, वो दर्द होता है। एक बार वह विधायक की तरफ देखता है, एक बार अपनी तरफ देखता है। विधायक भी एक बार किसान की तरफ देखता है, दूसरी तरफ किसान के खेत की तरफ देखता है। तीसरी बार वह उसके छोटे-छोटे बच्चों की तरफ देखता है, तब वह सोचता है और उसके मन के अंदर कितने भाव पैदा होते हैं कि मैं इसकी कहां से और क्या-क्या मदद कर दूं। हम बधाई देते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, ग्राम्य विकास मंत्री जी को कि अब उसको कहीं किसी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेना है बल्कि जो जनता के द्वारा दिया गया अधिकार है, उसका प्रयोग करके उस किसान को एक लाख, दो लाख जैसी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है तो उसकी मदद का जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रावधान किया है, उसको ले करके मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप कहते हो कि गांव का बजट नहीं है। 500 की संख्या वाले ऐसे गांव जो आज तलक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये। हमारे इस ग्राम्य विकास के बजट में मा0 मंत्री जी ने कहा कि ऐसे गांवों को जिनकी बसावट 500 से कम है। ऐसे गांवों को हम पक्की सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे, ये उनकी प्रतिबद्धता है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोग जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम होना चाहिये था। जो वास्तविक तौर से गरीब हैं। जो कहीं न कहीं प्रशासनिक गलतियों के कारण उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाया। हमारे मंत्री जी ने कहा कि ऐसे गरीबों की तरफ भी हमारी सरकार की दृष्टि है। जो गांव के अन्दर रहते हैं, जो किसान हैं जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है। ऐसे गरीबों को भी लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत उनको भी सम्मिलित करने का काम करते हैं इसके लिये हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। आज खराब पानी की वजह से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं। अभी मा0 लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, मा0 शिव पाल सिंह यादव जी बैठे हैं मैं जसराना के उन गांवों को जानता हूं, जहां खारे पानी की वजह से हम जब चुनाव प्रचार में गए थे, मा0 अधिष्ठाता महोदय, लोगों ने कहा कि हमारे गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, क्योंकि यहां पानी इतना खारा है। हम मा0 सिंचाई मंत्री जी को भी आपके माध्यम से बधाई देते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले एक ऐसी योजना का शिलान्यास किया है, ऐसी योजना को संचालित करने का काम किया है कि जहां पर आज खारा पानी है, वहां पर मीठा पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने योजना बनाई है। 5000 आबादी के ऐसे गांवों को, जहां पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में ऐसे गांव के अंदर पाइप लाइन परियोजना से जोड़कर पानी पहुंचाने का जो प्रयास करने के लिए जो अपने बजट में व्यवस्था की है, हम उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें, मा0 संग्राम जी, अभी बहुत से लोगों को बोलना है।

डा0 संग्राम यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। ये बार-बार ये क्या बात आती है, कि ये देश का पैसा है, ये प्रदेश का पैसा है। क्या इतनी छोटी मानसिकता को ले करके इस ऐतिहासिक मण्डप में, यह संघीय ढांचा है, भारत का संविधान संघीय ढांचा के अन्तर्गत चलता है, केन्द्र-राज्य संबंध के आधार पर इस देश के संविधान निर्माताओं ने देश के संचालन करने की जिम्मेदारी दिया था। बार-बार हमारे मंत्री जी जब खड़े हुए तो कहा गया आपका 25 परसेन्ट लक्ष्य, हमारा 75 परसेन्ट, तो हम भी तो आप ही के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि-

" तेरा-मेरा कहना छोड़ो अपना कहना सीखो
हर मंजिल मिल जायेगी, बस मेहनत करना सीखो।"

ये देश हमारा है, यह प्रदेश हमारा है, इन्हीं भावनाओं से ओत-प्रोत होकर मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने मा0 अखिलेश यादव जी का, मा0 मुलायम सिंह यादव जी के सपनों का उत्तर प्रदेश, जहां गांव खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, किसान के चेहरे पर तरक्की और मुस्कान लाने का जो ऐतिहासिक बजट, इस ऐतिहासिक मण्डप के अंदर प्रस्तुत किया है, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा

करते हुए उस बजट की सराहना करते हुए, मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके प्रति धन्यवाद, ज्ञापित कर अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

(विपक्ष की तरफ से आवाजें आईं, मान्यवर, इधर से बुलवायें)

श्री नारद राय-

उधर से ही बुलवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

इनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए इनको बुलवा रहा हूं। सबको बुलवाऊंगा। आप सब बैठे रहें, सबको बुलवाएंगे, जितने नाम आए हैं, सबको बुलवाएंगे।

*श्री नारद राय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं और बधाई देना चाहता हूं, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी को और अपने सभी साथियों की बातों से अपने को जोड़कर बात कहना चाहता हूं।

(विपक्ष के मा0 सदस्यों के बीच में टोकने पर)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

5 लोगों के बाद आपने एक सत्तापक्ष के मा0 सदस्य को बोलने का अवसर दिया है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

हम सबको बुलवाएंगे, जिनका नाम है, उन सबको बुलवाएंगे। जो बोल ले रहे हैं, वह निकल कर चले जा रहे हैं, कम से कम आप लोग उन्हें रोकिए तो।

श्री नारद राय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट के हर बिन्दु का समर्थन करते हुए, मैं सिर्फ दो-तीन बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी को, मा0 मुख्य मंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को कि जो सबसे सराहनीय काम किया, जिसकी प्रशंसा कटौती प्रस्ताव रखने वाले हमारे साथी ने भी की, लेकिन दबे मन से की। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो विधायक की कलम से मरीज का इलाज, आग लगने वाले का इलाज, बाढ़ से बर्बाद होने वाले की मद्द की बात कही गई है। यह इंतजाम कितना जरूरी है, शायद उन लोगों को यह समझ में नहीं आयेगा जिन लोगों ने यह बात सोची नहीं होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को दवा के अभाव में मरने नहीं देंगे और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के खजाने से, मुख्य मंत्री कोष से जितने लोगों ने दरख्वास्त देने का काम किया, चाहे सत्तापक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी लोगों को इलाज के लिए पैसा देने का काम किया था। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उस प्रक्रिया में बड़ा विलंब होता था। हम दरख्वास्त लेकर जाते थे, मा0 मुख्य मंत्री जी को देते थे, कार्यवाही होती थी, जांच होती थी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, महीनों लग जाते थे और कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारी दरख्वास्तें और रिपोर्ट आदि कार्यवाही हेतु रखी रह जाती थीं और जिसके इलाज के लिए हम मदद देना चाहते थे वह दुनिया छोड़कर चला जाता था। मान्यवर, इन लोगों ने तंय कर लिया था कि बी0एस0पी0 विधायकों के पत्रों पर ही कार्यवाही होगी। अन्य पार्टियों के विधायकों के प्रार्थना-पत्रों पर नहीं।

मान्यवर, आप कांग्रेस वाले, भा0ज0पा0 वाले बता दें कि उनके प्रार्थना-पत्रों पर मुख्य मंत्री कोष से कोई धन मिला था किसी के इलाज के लिए, नहीं मिला होगा। हमारे समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रार्थना-पत्रों को फाड़कर फेंकने का काम किया जाता था। मान्यवर, पिछले पांच साल में विपक्षी विधायकों के प्रार्थना-पत्रों पर मुख्य मंत्री जी के कोष से ईलाज के मद में किसी को पैसा नहीं मिला। मान्यवर, अब हमारी सरकार ने इस निधि में व्यवस्था की है। अब चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, या विपक्ष का विधायक हो आप इलाज के लिए पैसा दे सकते हैं। अब इलाज कराने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मान्यवर, मौर्या जी ने हैण्डपम्पों की बात कही। मान्यवर, पीने का पानी का इंतजाम करते-करते सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक थक गये थे। लेकिन पीने के पानी का समुचित इंतजाम पिछले पांच सालों में नहीं करा पाये। मान्यवर, किसी विधायक ने अपने यहां हैण्डपम्प लगवा लिया। फिर दूसरे विधायक या सांसद की कहीं और के लिए संस्तुति आ गयी। मान्यवर, हैण्डपम्प लगते रहे और बिगड़ते रहे। बी0एस0पी0 के विधायकों ने तो अपने घरों के आंगन में ही लगा दिया और घर के पीछे भी लगवा दिया। लेकिन फिर भी पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो पायी। मान्यवर, आप बजट देखें इसमें राज्य वित्त से पैसे लेने का प्राविधान है। लेकिन कोई भी ग्राम प्रधान उसकी मरम्मत कराने का काम नहीं करता है। यदि वह खराब है तो जबकि उसको वह अधिकार है। वह ग्राम प्रधान आपकी बात पर कहीं नया तो लगवा देगा लेकिन मरम्मत के लिए उसे जल-निगम से कराने के लिए कहेगा। मान्यवर, उसमें होता क्या है कि जल निगम तीन की मरम्मत करवा देगा और तीस छोड़ देगा, यह कहकर कि यह री-बोर के काम में नहीं है। इसलिए इसे हम नहीं करायेंगें। मान्यवर, हमारे सरकार की कोशिश हो कि पांच साल के भीतर गांव-गांव में पाइप लाइन के द्वारा पेय-जल की व्यवस्था हो जाय। उससे एक फायदा होगा कि जो हैण्डपम्प लगाने के नाम पर बंदर बांट होती है वह खत्म हो जायेगी और गांवों के विकास में पेयजल के विकास में यह पाइप लाइन का महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो जायेगा। मान्यवर, इससे यह भी फायदा होगा कि इस पाइप लाइन के स्थापना में हैण्डपम्पों की स्थापना के मुकाबले कम खर्च आयेगा। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण योजना है लेकिन पिछले पांच साल में सड़कों के मरम्मत के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ और फर्जी भुगतान निकालने का काम किया गया। मान्यवर, आज माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम लोग गड्ढे में चल रहे हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हुई पिछली सरकार में कि इस योजना में जो सड़कें बनी थीं उनकी मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। सड़कें बनवाई नहीं गयीं तो मरम्मत का काम क्या होता, सही बात तो यही है। मान्यवर, जिन गांवों में इस योजना की खराब सड़कें हैं और जिन पर मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान हुआ है और कोई रख-रखाव का कार्य नहीं हुआ है, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का काम किया जाय, और उनकों आने वाले दिनों में काम न दिया जाय ऐसे लोगों के कामों की जांच करायी जाय और उन्हें जेलों में भिजवाने का काम किया जाय।

मान्यवर, शौचालयों का इन्तजाम पिछली सरकार में नहीं किया गया। मान्यवर, गांव की आबादी पांच सौ है और वहां की योजना है लेकिन पिछली सरकार में अम्बेडकर जी के नाम पर जो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत शौचालयों के इंतजाम की बात कही गयी थी उसमें आबादी का आंकड़ा गलत दिखाया गया। शौचालयों का इंतजाम सही नहीं किया गया। जिसके चलते हमारी सरकार आते ही आठ-दस ग्राम प्रधानों को जेल में भिजवाने का काम किया है। मान्यवर, गांव में शौचालयों की व्यवस्था होना जरूरी है। गांव में इसके लिए जागृति पैदा करनी होगी। अभी एक माननीय विधायक उधर से कह रहे थे कि हमारे बाजारों की सफाई कैसे होगी क्योंकि पंचायती राज मंत्री जी ने तहबाजारी की व्यवस्था खत्म कर दी है। आप चेहरे की बात कर रहे हैं चेहरा साफ हो गया है इनका भी साफ हो जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, तहबाजारी वसूली करने से गांव की सफाई और बाजार की सफाई नहीं हो सकती अगर यह पैमाना होता तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब शहरों की तहबाजारी माफ करने का काम किया था तो आज शहर बजबजाता नजर आता। सफाई करने की मानसिकता होनी चाहिए। सब लोग पहले अपने-अपने दरवाजे साफ करते थे ओर आपने सफाई करने का जो इंतजाम किया एक लाख रुपये का चेन पहन करके 5 लाख रुपये का पूरा जेवर पहन करके जो इंटरव्यू में आपने जिसको भेजा था और जिनको सफाईकर्मी बनाया था उससे सफाई की उम्मीद करते हैं ? वह सफाई कर सकता है जो मोटरसाइकिल पर इंटरव्यू के दिन झाडू लेकर घूम रहा था, चमचमाती हुई गाड़ियों में लोग झाडू ले करके घूम रहे थे उन्हीं को आपने सफाईकर्मी बनाने का काम किया था इसीलिए गांव बजबजा रहा है, गांव सड़ रहा है क्योंकि सफाई का काम जिसको दिया आपने वह सफाई वाला नहीं था उन सफाई वालों को रखकर आप रोते हैं। आप बताते हैं कि दलितों के हिमायती हैं आपने उस समाज को, भंगी को जो सफाई का काम करता था उसका हक छीनकर आपने उन लोगों को देने का काम किया जिन लोगों से आपकी गाढ़ी कमाई हो सकी। 5 लाख, 7 लाख रुपया ले करके सफाईकर्मी रखा है तो आप सोचिये कैसे काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, एक सूचना है। श्यामली में गन्ना पेमेन्ट को लेकर किसान अनशन पर है और वह अनशन पर ऐसी स्थिति में हैं, वह कह रहे हैं कि डीएम यहां पर आयें, हमारा ज्ञापन लें, हमारी बात सुनें डीएम वहां पहुंचे नहीं, एसडीएम वहां चले गये उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, उनमें वहां आक्रोश है और वहां झगड़े की स्थिति है। इसलिए मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां डी0एम0 साहब को भेजें।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास के ऊपर मुझे कुछ सुझाव देना है। मान्यवर, एक झगड़ा यह खत्म होना चाहिए लोहिया जी के सपनों को साकार करना है, गांधी जी के सपनों को साकार करना है। कहीं न कहीं हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज अगर केन्द्र में सरकार चल रही है तो कहीं आपका समर्थन है, आज सरकार पूर्ण बहुमत की है अगर न रहती तो मेरा भी समर्थन यहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता था। हमारे आपस के झगड़े समाप्त होने चाहिए लेकिन मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में जो भी बजट आया है केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को धन मुहैया कराये और उत्तर प्रदेश सरकार आज सरकार में बैठी है तो इसका दायित्व बनता है कि हमारे ग्राम को कितना सुचारु रूप से समुचित ढंग से गांव का विकास करे और इसके लिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक शिकायत की थी ग्राम्य विकास मंत्री जी से हमारे यहां महाव नाले में खुदाई हुई थी क्षेत्र पंचायत के द्वारा और जब उस खुदाई के मामले में नियम 51 के तहत इस सदन में मैंने मामला उठाया तो जब लखनऊ से जांच टीम गयी तो बीडीओ, ब्लाक प्रमुख और सारे लोगों पर आपके द्वारा एफआईआर लिखाया गया 39 लाख का गबन पकड़ा गया और उसी महाव नाले पर जहां प्रधानों ने काम करवा लिया है उस प्रधानों के पैसे पर भी क्षेत्र पंचायत के द्वारा करोड़ों रुपये निकाला गया है। यह लूट हो रही है क्योंकि आदत खराब हो चुकी है। 5 साल में ऐसी आदत खराब हो चुकी है कि हालात यह बन चुके हैं कि आज हमारे गांव का जो प्रधान है वह चोर कहलाता है और जो सेक्रेट्री है तनख्वाह पाता है, सरकार के यहां नौकरी करता है वह चोर नहीं कहलाता है, 9 प्रधान के बराबर एक सेक्रेट्री कमाने का काम करता है। मैं ग्राम्य विकास मंत्री से चाहूंगा कि अभी प्रधानों ने विधान सभा के सामने धरना दिया था मैं चाहूंगा कि कुछ उनका मानदेय करें ताकि आने वाले 2014 के चुनाव में कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि प्रधान को यह लगे कि हम भी गांव की सेवा कर रहे हैं तो हमारे लिये भी कुछ आ रहा है और दूसरा यह कहूंगा कि लोहिया ग्राम के अन्दर जो सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। उस सड़क पर तीन कोट गिट्टी डाली जा रही है, अगर हम उस तीन कोट गिट्टी के स्थान पर दो कोट ही डालते हैं तो उतने ही पैसे में उस सड़क की दूरी अपने आप ही बढ़ जायेगी, अगर कोई सड़क 500 मीटर बननी है तो वह अपने आप 800 मीटर बन जायेगी, इसका ख्याल करें और दूसरी चीज ये कहूंगा कि गांव के अंदर गरीब के बेटे का मकान बन रहा है, गरीब के बेटे का मकान बने, यह होड़ समाप्त होनी चाहिये कि गांव का प्रधान कहता है या गांव का सेक्रेट्री कहता है कि हमको दस हजार रुपया दो, हम तुम्हारा मकान देंगे, मकान तो बनना ही है लेकिन पैसा देकर लोग सरकारी कर्मचारियों का या कहीं न कहीं व्यवस्था को जीर्ण-शीर्ण कर दे रहे हैं और इस जीर्ण-शीर्ण व्यवस्था पर आप अंकुश लगावें और अपने पद का सदुपयोग करते हुये बयान दें कि अगर किसी गांवसभा के अंदर पात्र व्यक्ति को छोड़कर अगर अपात्र व्यक्ति को मकान मिल गया तो उस विकास खंड के बी0डी0ओ0 की और उस जिले के सी0डी0ओ0 की खैर नही होनी चाहिये क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था लागू होगी तो गांव में रहने वाला जो गरीब का बेटा है, वह उस पैसे को पायेगा। अभी कुछ दिन पहले सेक्रेट्री ने एक बयानहलफी दी कि हमारे विकास खंडो में बी0पी0एल0 सूची में किसी का मकान बचा हुआ नहीं है, फिर आज किन परिस्थितियों में उन बी0पी0एल0 धारकों का फिर से मकान का चयन किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है चूंकि मैं जान रहा हूं, मैं भी वहीं से आया हूं जहां से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। वहां डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ मकान बन रहे हैं और यह लिखकर दे दिया कि हर पात्र व्यक्ति पा चुका है तो फिर आज ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, यह सुझाव मैं आपको दे रहा हूं कि अगर ग्रामसभा की चोरी रुक जाये और गांव के अंदर की चोरी रुक जाये तो निश्चित तौर पर गांव का चौमुखी विकास होगा और इस विकास के लिये हम आपको बधाई और धन्यवाद देंगे, बोलने के लिये आपने अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

*श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने ग्राम विकास विभाग के बजट पर पंकज मलिक द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता जी, यह ग्राम्य विकास विभाग का बजट है, गांव में गरीबों, किसानों, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या प्रदेश में है और यह सभी संख्या गांव में निवास करती है। माननीय मंत्री जी का बजट इन सब चीजों से मेल नही खाता। महात्मा गांधी जी के दरिद्रनारायण की कल्पना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना, जवाहर लाल नेहरू के समग्र विकास की योजना, जय प्रकाश नारायण के समग्र क्रान्ति की योजना, आदरणीय लोहिया जी के समाजवाद की योजना इसमें कहीं माननीय मंत्री जी प्रदर्शित नहीं होती। मान्यवर, आजादी के बाद कल्पना की गयी थी कि हमारा एक सपना था कि कोई भूखा नहीं होगा, कोई नंगा नही होगा, कोई बे-मकान नहीं होगा, कोई शोषित और उपेक्षित नहीं रहेगा। मान्यवर, हम आजाद हो गये, 66 साल की आजादी के बाद हम क्या कर सके, हमारे पास क्या उनके लिये, जिन सबकी मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या कोई मजबूत योजना हमने बनाई है। मान्यवर, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, जब तक सरकार के पास कोई मजबूत योजना नहीं होगी, क्या हम लैपटॉप बांटकर, क्या हम बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देकर, क्या हम दो साड़ियां और कम्बल बांटकर इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे ? मान्यवर, इससे काम नहीं होने वाला, जब तक हम कोई योजना नहीं बनायेंगे, जब तक हम कोई क्रियान्वयन रूप में नहीं लायेंगे, लाखों लोगों का हमने बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, बहुत बड़े अधिकारी हैं हमारे पास, लाखों कर्मचारी हैं, अरबों का विदेशी कर्जा भी हम पर है। हमने बजट भी पास कर लिया लेकिन क्या आज हम तस्वीर बदल पाये हैं ? क्या हम गरीब जनता की तकदीर बदल पाये हैं ? आज गांव की वही तस्वीर है गांव के लोगों की वही तकदीर है। वह भूखों क्यों सोता है। क्या हम गांव की बुनियादी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते हैं। इस बजट में मैंने यह कहा कि यह बजट आपका मेल नहीं खाता है। आपने यहां पर जीरो बजट की व्यवस्था की है। गांव के समग्र विकास के लिए समग्र विकास के लिए विशेष कार्यक्रम माननीय मंत्री जी गांव के समग्र विकास के लिए हम कोई विशेष कार्यक्रम चला दें लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसमें एक रुपया भी आवंटित नहीं किया हमने जीरो बजट दिया है। हम विकास के लिए गांव के लिए हम बजट क्या लाए हैं। हमने गांव के लिए योजना क्या बनाई है। अधिष्ठाता जी हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि हम गांव की बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। आज प्रदेश में लगभग 5 करोड़ हाथ काम पाना चाहते हैं जहां आपने बेरोजगारी की बात की है 5 करोड़ हाथ ऐसे हैं जो काम पाना चाहते हैं क्या हम उनको काम दे पाए हैं। क्या हमने कोई ऐसी योजना बनाई है जो उनको काम दे सके।

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हम कुछ ऐसी समेकित सुनियोजित योजना बना दें जो नौजवानों को काम मिल सके। हम दो बातें कहना चाहते हैं गांव के किसानों को पानी देने का काम करें और गांव के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें तो निश्चित रूप से तरक्की होगी और प्रदेश ऊंचाइयों पर बढ़ने का काम करेगा। मान्यवर, आज मैं इस बजट के सम्बंध में कहना चाहता हूं कि शासन में जिस बजट में काम की चर्चा हो रही है तो इस सम्बन्ध में हम कोई ठोस योजना प्रस्तुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कर पाए। हमें ठोस योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। हम मात्र 25 प्रतिशत लोगों के लिए योजना लाए 75 प्रतिशत लोगों की हमने चिन्ता नहीं की है तो हमारी चिन्ता होनी चाहिए कि सरकार की नीयत कैसी है सरकार का नियोजन क्या है। सरकार की दृष्टि कैसी है इन सारी चीजों पर हम ध्यान दें तो सरकार का चरित्र कैसा है उसका सोच कैसा है उसका नियोजन कैसा है सरकार का निश्चय क्या है सरकार का निश्चय जब ठीक हो जाएगा तो गांव के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को इनकी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा इस समय मैं इतनी बातें कहते हुए कुछ सुझाव भी आपको देना चाहता हूं। मान्यवर, अभी फ्री बोरिंग योजना है इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। उसकी आप चिन्ता कर लीजिए। इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प रि-बोर को हैं खराब भी हैं उनकी प्राथमिकता नहीं है। विधायकों को 200-200 इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प देते थे। मंत्री जी जब आप बोलें तो जरूर इस पर अपने विचार रखें। सरकार की प्राथमिकता गांव के विकास की होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षिप्त करें।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी अभी समाप्त कर रहा हूं। गांव के चलने वाले लोगों को सड़कें उपलब्ध करा दें। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर दें स्वास्थ्य का उत्तम प्रबंध कर दें तो वह सरकार उत्तम मानी जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बी0डी0ओ0 की कमी है मझिगवां ब्लाक रामनगर ब्लाक में बी0डी0ओ0 हैं नहीं योजनाएं बी0डी0ओ0 के अभाव में लागू नहीं हो पा रही हैं। जहां बी0डी0ओ0 हैं वहां मिलते नहीं हैं। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड 2002 से नहीं बने हैं। माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि 2002 के बाद बी0पी0एल0 कार्ड बने नहीं हैं। और जिनके पास बी0पी0एल0कार्ड हैं उनके पास यह कार्ड नहीं होना चाहिए। गरीबों के पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं हैं जो गरीब नहीं है उनके पास बी0पी0एल0 कार्ड हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। ग्राम्य विकास का जो बजट है यह दलितों का है, पिछड़ों का है, उपेक्षितों का है, उनके हित साधना का है और सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो आई है वह है उन परित्यक्तों के लिए, उन मजलूमों के लिए जो बी0पी0एल0 की सूची में नहीं हैं। आज गांव में एक अजीब उत्साह, एक अजीब उमंग, एक अजीब हर्षोल्लासिता व्याप्त है। क्योंकि उन लोगों के लिए एक नूतन चीज हुई है आज डा0 राम मनोहर लोहिया आवासीय ग्राम योजना में उन लोगों को घर दिया जा रहा है जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं। मैं गांव का रहने वाला ही नहीं हूं बल्कि इस समय भी गांव में ही रहता हूं। बहुत ज्यादा अच्छा बजट है और कई माध्यमों से ग्राम विकास का कार्य शुरू है चाहे मनरेगा हो, चाहे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, चाहे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्दिरा आवास हो, चाहे डॉ0 राम मनोहर लोहिया आवास योजना हो, इन सबके माध्यम से ग्रामों का विकास किया जा रहा है और यह यथार्थ की धरती पर उतरा है इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं उस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां दो महान नदियां हैं आदि गंगा गोमती और सई। चार विकास खण्ड हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं लेकिन इतना अभागा हूं कि उसमें से तीन ब्लॉक डार्क ब्लॉक घोषित कर दिये गये हैं। इसलिए पानी की किल्लत का होना स्वाभाविक है। मैं अपने माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि सर्वेक्षण कराकर डार्क घोषित ब्लाकों में अधिकाधिक जल की व्यवस्था करायें, हैण्डपम्प की व्यवस्था करायें, इससे बजट में चार चांद लग जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा एक सिरकोनी विकास खण्ड है जो वर्ष 1994 से चल रहा है लेकिन आज तक उसके लिए कोई सरकारी भवन नहीं है, किराये पर चलता है, ऐसी सूरत में भवन का निर्माण कराया जाए और उसे किराये से हटाया जाए, ऐसा करके सिरकोनी विकास खण्ड में सारी व्यवस्था की जाए ताकि बजट भाषण में चार चांद लग जाएं। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय पंकज मलिक जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे देश की 78 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। किसानों, गरीबों, मजदूरों के रूप में वहां पर बहुत बेसहारा लोग रहते हैं, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके रहने की, उनके पहनने की व्यवस्था करना हम सरकारों का काम होता है। 65 वर्ष से ज्यादा इस देश को आजाद हुए हो गया, यहां बैठा शायद ही कोई दल ऐसा बचा हो जो सरकार में न आया हो। किसी न किसी रूप में सरकार में रहकर काम करने का मौका मिला लेकिन गरीबों और गांवों की दुर्दशा है। आज गांवों में उतनी प्रगति नहीं हो पायी है जितनी अच्छे तरीके से शहर और बाकी समाज आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस दुर्दशा को देखते हुए जो ग्राम्य विकास का बजट रखा गया है जिसमें 41 अरब, 03 करोड़ अट्ठानवें लाख, सत्ताइस हजार की राशि है, मैं चाहता हूं कि गांव में रहने वाले लोगों को घर मुहैया करा पावें, उनको शौच के लिए खुले में न जाना पड़े जैसा कि मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी कि सड़क पर जाते हुए देखा था। उनको कपड़े मिले, उनको रहने का सही ढंग मिले और पीने का साफ पानी मिले तो मैं समझता हूं कि हम लोग अपने काम में सफल हो रहे हैं। मान्यवर, मैं दो चीजें कहता हूं, एक तो पेयजल की दृष्टि से हमारी विधान सभा क्षेत्र में 3 विकास खंड हैं ये तीनों फ्लोराइड और आर्सेनिकयुक्त हैं जो रिपोर्ट आयी है, काफी जहरीला पानी है माननीय मंत्री जी के पास वह रिपोर्ट होगी। उस रिपोर्ट में 300 फिट से ज्यादा बोरिंग होने पर ही शुद्ध पेयजल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे एग्रो हो, चाहे जल निगम हो कोई भी 300 फीट बोरिंग नहीं करता है। वह वहीं पर रुका पड़ा है पिछली बार सदन में बात हुई थी कि हैंड पम्प दिये जायेंगे लेकिन 150 फीट वाले हैण्डपम्प दिये गये। वहां पर वह प्रभावी नहीं हुए इसलिए वहां पर नहीं लग पाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब खत्म करें।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। गांव का आदमी हूं अभी देखा हूं कि सब लोग बोले हैं। बहुत लम्बी-चौड़ी भाषण नहीं दूंगा। दो बातें हैं मेरी जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में टंकियां निर्मित हो चुकी हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र चालू कराया जाये। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे साथी फतेहपुर के बता रहे थे कि ग्राम पंचायत से भी काम हो रहे हैं लेकिन अगर हम लिखकर दें कि ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत से अमुक कार्य करायें तो वह इसकी मंजूरी नहीं देते हैं इस पर भी ध्यान रखा जाए। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि ब्लाक में जो ग्राम्य विकास अधिकारी के ब्लाक में खाली पद हैं इनको भरा जाए और आग लगने पर और कटान से जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको लोहिया ग्रामीण आवास दिये जाए। निःशुल्क बोरिंग योजना को बढ़ाया जाए, बी0पी0एल0 कार्ड को दुरुस्त किया जाए। इसी के साथ आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं पंकज मलिक जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(प्रतिपक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का समय दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें, अभी एक बजट और है उस पर आप लोग बोल लीजिएगा। अब मैं पंकज मलिक जी को बुला रहा हूं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता जी, सत्तापक्ष और विपक्ष सभी साथियों की सारी बातें मैंने सुनी। मैंने जो बातें कही थी यह सोच करके नहीं कही थी कि मेरे सत्तापक्ष के साथियों को उन्हें सुन करके नाराजगी होगी। मैंने एक बात कही थी कि ज्यादातर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं भी आता हूं। एक दिक्कत कही थी कि योजनायें आती हैं, योजनायें जाती हैं लेकिन जो योजनायें आयी हैं चूंकि आपकी सरकार के पास चार वर्ष का समय है इसीलिए मैंने कहा था कि जो गलतियां पहले हुई हैं वह गलतियां अब न हो और हमारे जो प्रदेश के लाखों गांव हैं उनमें रहने वाला आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सके। उसे दिखाई दे कि विकास हो रहा है। मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूं हमारे साथी ललितेशपति त्रिपाठी जी हैं ऐसे और भी साथी होंगे, इनकी विधान सभा क्षेत्र में काफी गांव हैं, इनके यहां एक भी समग्र विकास के गांव का चयन नहीं हो पाया। बहुत से साथी ऐसे हैं तो इसमें एक सुधार होना चाहिए। यहां बैठे हुए सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों की संस्तुति पर चुने जाएं और उन पर काम हो। मान्यवर, एक योजना ऐसी है। एक मड़िहान तहसील है मड़िहान में 10 हजार आबादी वाला एक भी गांव नहीं है। वहां पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, वहां पर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए चाहे हैंड पम्प के द्वारा हो। ऐसी और भी तहसीलें होंगी जहां बड़े गांव नहीं हैं वहां 4 गांवों को जोड़कर एक टंकी बना दी जाय और उससे उन 4 गांवों में पानी की सप्लाई की जा सके। मान्यवर, यह सारी बातें मैंने कहीं थीं और मैंने मनरेगा के बारे में जो कहा वह वास्तव में एक पीड़ा है, उन मजदूरों की पीड़ा है जिन्हें काम मिलता है, उनकी उम्मीद जागती है कि उन्हें

काम मिलेगा। खास तौर से मैं बल दूंगा माननीय मंत्री जी कि मनरेगा के जो 55 हजार संविदाकर्मी हैं उनका जो भुगतान है, वह जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और होली से पहले किया जाना चाहिए। मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क की बात मैंने कही, हमारे साथी भी कह रहे थे, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बताया कि पिछले समय इतनी दिक्कतें आईं। मैंने इसलिये वो बातें कहीं कि मैं चाहता हूं कि विकास हो। अगर विकास होगा तो मैं नहीं सब लोग तारीफ करेंगे। मेरा उद्देश्य गांव को विकास की ओर ले जाना है और यह राय मैंने आपको दी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सारे सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बात कहीं और सबसे खुशी की बात रही कि इस महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा में नौजवान सदस्यों ने बढ़कर हिस्सा लिया। शायद ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई सदस्य होगा जिसने बजट की तारीफ न की हो किसी न किसी बहाने। चाहे लोहिया आवास की तारीफ की हो चाहे 25 लाख की तारीफ की हो और नौजवानों से उम्मीद की जा सकती है कि जो सही हो उसको सही कहो। हमारे नेता जी कहते हैं कि जो सत्य है उसको सत्य कहो। मुझे अच्छा लगा कि तमाम उधर के सदस्यों ने बजट की तारीफ की है। मुझे अफसोस हुआ, मैं पंकज मलिक जी का सम्मान करता हूं, नौजवान साथी हैं। मैं चाह रहा था कि कुछ अच्छी बात कहेंगे कटौती पेश कर रहे हैं। शेर शायरी से उन्होंने शुरू किया। हम लोग छात्र जीवन से निकलकर आये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ का अध्यक्ष होने का मुझे अवसर मिला, महामंत्री होने का अवसर मिला। उस समय जब हम लोग जवान थे शेर शायरी करने में आनन्द भी आता था लेकिन जब कोई गम्भीर विभाग की चर्चा हो, गम्भीर विभाग की बात हो तो सदस्य को बड़ा गम्भीर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात झीन बाबू ने कही कि बाढ़, आग तमाम आपदाओं से कोई पाला नहीं पड़ा होगा। यह समाजवादियों का वह चरित्र है जो कहते हैं वह करते हैं। हम लोग विपक्ष में थे अधिष्ठाता महोदय, 2012 भीषण बाढ़ आई योगेश भाई का क्षेत्र और हमारा क्षेत्र अगल बगल है। हमारे नेता आज जो सिंचाई मंत्री हैं नेता प्रतिपक्ष थे ऐसे-ऐसे मौके पर जाकर खड़े हुए थे और लोगों को राहत देने का काम किया था। मैं तो सिंचाई मंत्री जी को बधाई दूंगा कि सरकार बनने के तुरन्त बाद अकेले नहीं पूरे विभाग के अमले के साथ वहां खड़े हुए और जो बंधा टूटा था टेलीफोन से वहीं से स्वीकृतियां जारी करके लोगों की मदद करने का काम किया। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। (मेजें थपथपाई गईं) जो आपके सुझाव हैं वह मेरे लिये बहुत जरूरी हैं। किसान और गरीब की बात अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो लगता है कहीं न कहीं धोखे की बात हो रही है। किसान गरीब की बात वह कर सकता है जो 45, 46, 48 डिग्री टैम्परेचर में गांव में खेत के खलिहान में खड़ा होता है। किसान की बात वह नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय जो 16, 17 डिग्री टैम्परेचर में रहता हो। वहां से किसान की रणनीति बनाता हो। कहना अलग चीज है अध्यक्ष महोदय और करना अलग चीज है और जनता बड़ी समझदार हो गई है, वह देख रही है हम क्या कर रहे हैं, हमारा जन प्रतिनिधि क्या कर रहा है, हमारा नेता क्या कर रहा है। अगर हम गरीब की बात न करते, किसान की बात न करते, नौजवान की बात न करते तो इतने बड़े बहुमत के साथ आज यहां न बैठे होते। यह बहुमत इस बात का गवाह है कि समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, नौजवान की पार्टी है। तमाम बातें आई साथी ने कहा मनरेगा की बात की कि मजदूर सड़क पर खड़ा है, अच्छी बात कही। नारद राय जी, संग्राम भाई और पवन जी ने कहा कि भारत सरकार का पैसा है क्या हमारा पैसा नहीं है ? मनरेगा

में निरंतर मांग हमारे प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा, मुख्य मंत्री जी ने बात कही, हमने पत्र लिखा इसके बाद पूरा पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन हम तब भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा में 2 हजार पांच सौ करोड़ कम हमको मिला है इन्होंने महिलाओं की भागीदारी की बात कही है, 2011-12 में 17 परसेन्ट था और 2012-13 में हमने इसको 19 परसेन्ट करने का काम किया है। इनके केन्द्र के मंत्री जयराम जी आए थे, हम लोगों ने बड़े मन से बात की, खुले मन से बात की, उन्होंने स्वीकारा कि उत्तर प्रदेश का जो ग्राम्य विकास काम कर रहा है वह तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने महिलाओं की चिन्ता जाहिर की मैने एक हफ्ते के अन्दर एक लाख महिलाओं से पांच लाख वृक्षारोपण कराकर रिकार्ड कायम करने का काम किया है। (मेजें थपथपाईं) इन्दिरा आवास की बात कही गई, हमारे अधिकारी बैठे हैं हमने पहली बैठक में कहा था कि हम पांच साल की बात नहीं करने आए हैं पांच साल की चर्चा और बात करके, हम बहुमत की सरकार में आए हैं। एक चीज याद रखना गरीब की दुआ और बद्दुआ दोनों तेजी से लगती है। ऐसा हमने कोशिश किया, मेहनत की, प्रयास किया कि गांव में कैम्प लगाए जाएं, अखबारों में विज्ञापन दिया जाए, दिवालों पर लिखा जाए और वॉल हैंगिंग की जाए, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, आवास बांटते समय, यही नहीं हमने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखने का भी काम किया है। अगर इसके बाद भी कोई कमी है तो हमको बताओ। हमने सुधारने का काम किया है आवास में। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि पंकज जी अगर शिकायत मिलेगी आवास की, तो हम समाजवादी पार्टी के सिपाही 48 घंटे के अन्दर कार्यवाही करके आपको बता देंगे। स्वजल योजना की बात चली हमने उसमें काम बहुत तेजी से किया है। अभी नेता लोकदल कह रहे थे मैं दलवीर जी आपको भरोसा देता हूं। पिछले पांच साल की चर्चा हम कहां तक करें, पिछले दिनों इस पर बहस हो रही थी प्रश्नकाल के दौरान, जो टंकियां बनी थीं उसका तो ऊपरवाला ही मालिक है लेकिन अब जो टंकी बनेगी, जो हैण्डपाइप लगेगा, जो पाइप लाइन की व्यवस्था होगी, वह जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है, उसमें अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसमें कड़ी कार्यवाही करने का काम हम करेंगे। (मेजें थपथपाईं)

अलीगढ़ में जो बात आपने कहीं है उसकी जांच भी करायेंगे। बुन्देलखंड की बात हमारे एक साथी ने उठाई है। बुन्देलखण्ड में 258 करोड़ की विशेष योजना स्वीकृत की गई है। यह मत कहिए कि बुन्देलखण्ड में कुछ हुआ ही नहीं है। वहां की योजना स्वीकृत कर दी गई है। हमारे साथी ने बी0डी0ओ0 की कमी की बात कही है, जो कमी है उसको हम खुले मन से स्वीकार करते है। 144 लोगों की कमी थी, हमने कोशिश की मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया सबके प्रयास करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 127 पद खण्ड विकास अधिकारियों की भर्ती के भेजे गए हैं जिसमें से 15 अधिकारी हमको मिल गए हैं। हम उनको जल्दी ज्वाइन कराने जा रहे हैं। 56 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। इन 56 पदों पर खण्ड विकास अधिकारी को हमने चार्ज दिया है उनसे काम ले रहे हैं। काम हमारी प्रथम प्राथमिकता है काम नहीं रुकना चाहिए। इसकी चिन्ता आप मत करें, इसमें हम जल्दी काम करेंगे। हमारे साथी संग्राम भाई ने बताया कि हैण्डपम्प रि-बोर और मरम्मत की बात कर रहे थे वह पंचायती विभाग पूरी तरह से करा रहा है उनके पास पैसा है। उसमें ज्यादा चिन्तित नहीं होना चाहिए। ग्राम्य विकास में अलीगढ़ का मामला हमने बता ही दिया और जितने मामले थे हमने बता दिए। धर्मपाल जी ने जो सुझाव दिया उसका स्वागत है। अपने से बड़ों का सुझाव मानना और अगर कहीं कमी है तो उसको स्वीकार कर लेना इससे आदमी छोटा नहीं होता है। हम

लोग समाजवादी पाठशाला से निकले लोग हैं। जहां कमी होगी उसको सुधारेंगे। तमाम सदस्यों ने अपनी बात कही, मलिक साहब बार-बार अधिकारियों की गा रहे थे, अधिकारी ये, अधिकारी वो, ऐसा नहीं है, हम और हमारे अधिकारी मिल कर काम कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास ऐसे अधिकारी हैं, जिस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो क्योंकि अच्छा को अच्छा कहना बुरी बात नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई ऐसे अधिकारी हैं, जिनसे मलिक साहब को कष्ट रहा हो या कोई शिकायत रही हो।

मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहूंगा, वह नाम हमको दे दीजिएगा, वह सूची दे दीजिएगा, जहां पर गलत काम हुआ है, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। हमारे सदस्य शमशेर बहादुर ने भी कहा, पेयजल, शुद्ध पानी के बारे में, हमने पिछले दिनों भी कहा और फिर कह रहे हैं, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो लोग हैं, उनको शुद्ध पानी पिलाने की, हम उसमें व्यवस्था कर रहे हैं, निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। किसी काम की अगर अच्छी चर्चा हो और सदन के अन्दर अगर उस बात को कोई कह दे तो समझो वह काम हो रहा है। हमारे वरिष्ठ सदस्य, शचीन्द्र त्रिपाठी जी हैं, जो बात हर सदस्य ने कही कि गरीबों की जो आवास योजना सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनाई है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। शचीन्द्र त्रिपाठी जी ने कहा कि गांवों में उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है, उत्सव और जश्न तभी होता है, जब कुछ मिलने की उम्मीद होती है। गांव के लोग यह जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनी है, वह लोग जो बी0पी0एल0 से छूट गए हैं, पात्रता सूची से छूट गए हैं, उनको आवास देने का काम कर रहे हैं। एक लाख रुपये सीधे, 15 हजार रुपये का सोलर पम्प, अधिष्ठाता महोदय, एक रिकार्ड है और समाजवादी पार्टी निरन्तर नए रिकार्ड लिखते जा रही है और लिखते जायेगी। माननीय मौर्या जी ने भी शुद्ध पेयजल की बात कही, शायद चले गए हैं। मुन्ना भाई ने भी कहा। मान्यवर, जितने भी हमारे सदस्यों ने सुझाव दिया है, जो अच्छे सुझाव हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और आदमी यहीं से सीखता है, अपनों से सीखता है, बड़ों से सीखता है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसी सरकार है, जिस पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का भरोसा जागा है। पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं न कहीं सरकार की तारीफ करता है, यह बड़ी चीज है। मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि गांव से जुड़ा विभाग और गरीब किसान से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, आप नौजवान हो, नौजवानों को सही बात कहनी चाहिए। किसी के दबाव में या किसी के कहने पर गलत बात कभी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि सही, सही होता है, एक सत्य को सौ झूठ घण्टों के लिए दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं दबा सकते हैं, आप नौजवान हो, इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लो और इस बजट को सर्वसम्मति से पास कराओ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पैसा न मेरा है और न आपका है, यह पैसा तो जनता की गाढ़ी कमाई का है। केन्द्रांश भी मिलता है और राज्यांश भी मिलता है, यह मैं भलीभांति जानता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इसका सही उपयोग हो। जब इसका सही उपयोग होगा, लोगों को पानी मिलेगा, अधिष्ठाता जी, जिस दिन यह सारे काम होंगे, हमारा गांव जगमग होगा, हमारे गांव में रौनक आयेगी, हमारे गांव के लोगों में खुशहाली आयेगी, उस दिन मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा, आज मैं अपनी कटौती पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,03,98,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[6.45 बजे] वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,55,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, भारत वर्ष में वस्त्र बुनने की प्राचीन परम्परा रही है, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को दैवीय बुनकर की उपाधि से विभूषित किया गया था। भगवान इतने कुशल बुनकर थे कि सूर्य की रश्मियों को बुनकर अपने लिए वस्त्र बनाते थे। मान्यवर, हमारे जो शास्त्र हैं, ऋग्वेद और अर्थवेद में भी हथकरघों का वर्णन मिलता है। सिन्धु घाटी की खुदाई में रंगीन वस्त्र व कपड़े बुनने की बाबिन प्राप्त होने से पता चलता है कि उस काल के बुनकर भी कितने निपुण थे। मुगल काल में भी बुनकर काफी सम्पन्न थे, यहां तक कि मुगल काल में बादशाह की बेगमें, बादशाह के परिवार के लोग ढाके की बुनी हुई मलमल के वस्त्र पहनते थे। मुगल बादशाह के समय में यह कला इतनी उच्च शिखर पर थी कि मुगल बादशाह समरकद व पर्सिया से बुनकर कश्मीर घाटी में लाये थे। यहां तक कि शास्त्रों में हमारे इतिहास में पता चलता है कि नेपोलियन की पत्नी जास्मिन के पास भी अद्भुद कश्मीरी शाल थी, हमारी यह जो बुनकर कला है, कालान्तर में 64 साल के अन्दर इस बुनकर कला को मारने का लगातार षडयंत्र होता रहा है, इस बुनकर कला को हमेशा इस दृष्टि से देखा गया है कि यह बुनकर कला, यह वस्त्र बुनने की कला महज एक वर्ग से सम्बन्धित है, इसलिए कालान्तर में लगातार इस कला को मारने का षड़यंत्र किया गया है, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है या जब-जब मा0 मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस कला को जिन्दा रखने का हमेशा प्रयास किया है। आज भी जब से यह सरकार बनी है, इस कला को कैसे जिन्दा रखा जाय, इस कला को कैसे पुनर्जीवित किया जाय, लगातार हमारा पूरा मंत्रि-मण्डल, लगातार मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव, लगातार हमारे नेता

मा0 मुलायम सिंह यादव जी का इस तरफ प्रयास है, उसी की कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, प्रदूषण रहित कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परागत, कलात्मकता एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्योग के द्वारा अपने देश की वस्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है, क्योंकि हथकरघा वस्त्रों का चलन अब विदेशों में भी बढ़ रहा है जिसके कारण इस उद्योग का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही अपनी कलात्मक बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, जिसमें वाराणसी की सिल्क साड़ियां, सीतापुर की दरियां, गाजीपुर का कटवर्क, परदा, अमरोहा का पाइलवर्क, गोरखपुर के बेडकवर, गाजियाबाद के टेरीटावल प्रमुख हैं। विगत दशकों में हथकरघा बुनकरों द्वारा बुनाई छोड़कर अन्य कार्य अपनाने लगे जिससे प्रदेश में इनकी संख्या घट कर 4.50 लाख से मात्र 2.50 लाख रह गई है, जिसका मुख्य कारण वर्तमान वैश्विक बाजार में मूल्य की प्रतिस्पर्धा होने के कारण हथकरघा उत्पादों को उचित मूल्य न मिल पाना एवं बुनकरों के पास कार्यशील पूंजी का अभाव होना पाया गया। हथकरघा उद्योग की कलात्मकता के कारण इस उद्योग में विकास की सम्भावनायें अत्यधिक हैं। वर्तमान सरकार में बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से कई सार्थक योजनायें चलाई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप बुनकर अपने परम्परागत उद्योगों को आगे परिवेश में ला सकेंगे और उनका सामाजिक तथा आर्थिक स्तर बढ़ सकेगा। उसके परिणाम स्वरूप जनमानस की वस्त्र आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ समाज के कमजोर और निर्बल अल्पसंख्यक बुनकरों को रोजगार के साधन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे जिसके कारण बुनकर अपने भविष्य के प्रति आशान्वित होंगे। बुनकरों की आर्थिक, सामाजिक दशा सुधारने तथा उनके उत्पादक मूल्य घटाने के उद्देश्य से एकीकृत हथकरघा विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में 50 क्लस्टरों से विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे बेसलाइन सर्वे, कच्चा माल आपूर्ति, डिजाइन विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विज्ञापन एवं विपणन, प्रोजेक्ट प्रबन्धन, व्यय, बेसिक इनपुट स्किल अपग्रेडेशन, आवास, कार्यशाला, निर्माण आदि उपलब्ध करायी जायेंगी। उनके उत्पादित माल के विपणन हेतु मेले आदि का आयोजन करके सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। बुनकर सहकारी समितियों के विपणन, प्रोत्साहन का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 336 ग्रुप एप्रोच मद में बेसिक इनपुट स्क्लि अपग्रेडेशन, आवास, कार्यशाला आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

बुनकरों के सामाजिक कल्याण हेतु महात्मा गांधी बुनकर योजना पावर लूम बीमा योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जायेगी एवं आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित होगी जिसमें बुनकर का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और 2 लाख बुनकरों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा पावर लूम उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में इस हेतु रुपया 100 लाख का प्रावधान किया गया है। बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उपरोक्त योजनायें संचालित करते हुये उनके उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त योजना हेतु रुपया 71 करोड़ 70 लाख 56 हजार व्यय किया जाना प्रस्तावित है जिसमें एकीकृत हथकरघा विकास योजना में

रुपये 63 करोड़, 80 लाख, 49 हजार, स्वास्थ्य बीमा योजना में रुपये 01 करोड़, 78 लाख, 92 हजार तथा पावरलूम बुनकरों के लिये पावरलूम क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास योजना में रुपया 01 करोड़, जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना हेतु रुपये 09 लाख पचास हजार, हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता हेतु रुपये 01 लाख 64 हजार एवं मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु रुपये 05 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद हेतु रुपये 01 अरब, 04 करोड़, 50 लाख, 20 हजार का बजट प्रावधान किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग का कुल बजट रुपये 90 करोड़, 55 लाख, 55 हजार प्रावधानित किया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, चूंकि यह बुनकरों से सम्बन्धित विभाग है। हमारी सरकार लगातार इसके प्रति संवेदनशील बनी हुयी है। लगातार इस पर काम हो रहा है तो मैं सभी मा0 सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से पास करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 फेरन लाल जी, सर्वसम्मति से बजट पास हो जाने देंगे या कटौती पर बोलेंगे।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, कटौती पर बोलेंगे।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिये खड़ा होता हूं।

*श्री फेरन लाल-

मान्यवर, कटौती प्रस्ताव रखेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अरे, मैं कहां कहता हूं कि मत रखिये, बैठो तो। मा0 अधिष्ठाता जी, अभी मेरे पास एक संदेश आया। जैसे आपने पुकारा कटौती के लिये कोई खड़ा नहीं हो रहा था तो एक संदेश मेरे पास आया कि मा0 हथकरघा मंत्री जी, अगर सभी सदस्यों को नहीं तो कम से कम जितने सदस्य इस समय सदन में मौजूद हैं, उन सबके वस्त्र का प्रबन्ध अगर कर दें और उसकी घोषणा कर दें तो बिना कटौती के सर्वसम्मति से पारित हो सकता है। अब तो मा0 सदस्य का दोष नहीं है। मा0 मंत्री जी उठ करके घोषणा कर दें तो बिना कटौती के तो पारित हो ही रहा था। अब उसकी घोषणा का है मान्यवर, करें कि न करें, उनसे पूछ लीजिये इस बारे में।

श्री शिव कुमार बेरिया-

जो-जो मौजूदा सदस्य हमको यह लिखकर देंगे कि उनके पास कपड़े का अभाव है। मैं उनके पास एक जोड़ी कपड़ा भेज दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ये सही है, ये उन्होंने ठीक कहा। मा0 अधिष्ठाता जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने अपने बारे में मुझे पहले ही लिख के दे दिया था और हम समझते थे कि बाकी के बारे में उनकी राय दूसरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

तो सर्वसम्मति से पारित किया जाये इसे।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अधिष्ठाता जी, मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में स्वयं स्वीकार किया है कि यह बुनकर एक कला है और बुनकर अभी की नहीं एक प्राचीन कला है, राजा महाराजाओं के टाइम में राजा-महाराजा, इनके द्वारा निर्मित वस्त्रों को उपयोग करते थे और आज भी अगर हम किसी राजमहल को देखने जाएं, तो कई राजे-महराजों के महलों में, इन बुनकरों के द्वारा निर्मित वस्त्र याद के रूप में उनमें रखे पाये जाते हैं। मान्यवर, लेकिन आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह कला जिसमें भारतीय संस्कृति प्रदर्शित होती है, वह लुप्त होती जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, जो बुनकर की यूनिटें हैं जिनसे न तो वायु प्रदूषण होता है, न जल प्रदूषण होता है। अगर अन्य यूनिटें स्थापित करनी होती हैं, तो हमें उन्हें एक औद्योगिक स्थान देना पड़ता है, जबकि बुनकर की जो यूनिटें हैं, वह आबादी में कहीं भी, अपने घर में लगाई जा सकती है, लेकिन मान्यवर, ये जो कला लुप्त होती जा रही है। ये हथकरघा विभाग, जो अन्य विभागों की अपेक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग सिद्ध हो सकता है लेकिन यदि सरकार का रवैया इसके प्रति उदासीन न हो। मान्यवर, हम उन लाखों चेहरों पर, मुस्कुराहट ला सकते हैं, जो नौकरी के अभाव में, पूंजी और अनुभव के अभाव में अपने आपको हताश और निराश महसूस करते हैं। आज समय की आवश्यकता के अनुसार उन बुनकरों को चूंकि जो वह प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन्हें एक मार्केट से कम्प्टीशन करना पड़ता है, सरकार के द्वारा उन्हें कच्चा माल कंट्रोल रेट पर दिलाने की न कोई नीति है और न ही उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कोई ठोस नीति है और न ही जो तैयार मॉल करते हैं, उसको मार्केट में बेचने की सरकार की कोई नीति है।

मान्यवर, अगर सरकार कोई प्रयास करती भी है, तो वह अपर्याप्त है, जैसे सरकार के द्वारा हथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में इन उद्यमियों को फ्री में दुकान, बिजली, पानी तो उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इन मेलों में बिकने वाले हथकरघा के वस्त्रों पर कोई आकर्षक छूट नहीं होती है और जब ग्राहक उस मेले में जाता है, तो हथकरघा के वस्त्रों की क्वालिटी और रेट मार्केट के अन्य कपड़ों से, अन्य प्रोडक्टों से तुलना करता है, तो काफी महंगे प्रतीत होते है और वह उस मेले में घूमता तो है, उन उत्पादों को देखता है, लेकिन मान्यवर, खरीदता नहीं है, वापस चला जाता है। सरकार को जो बुनकरों द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं, उनमें एक अच्छी छूट की स्कीम लाकर और घटे हुए रेटों पर बिकवाना चाहिए ताकि कम से कम ग्राहक पहली बार, उस कपड़े को खरीदे और इस लालच से खरीदे कि यह सस्ता है और जब वह उसको पहनेगा, उपयोग करेगा तो निश्चित ही रुचि उस ग्राहक की उसकी तरफ जाएगी। मान्यवर, लेकिन ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है। दूसरा विभाग के द्वारा हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के लिए एक सहायता राशि दी जाती है, जो महज एक उपहास या मजाक के अलावा कुछ नहीं है। मान्यवर, हैण्डलूम डिप्लोमा

टैक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स बुनकरों को कराया जाता है, जिसमें पिछले प्रथम वर्ष में 200 रुपये प्रतिमाह 10 माह तक देने का प्राविधान सरकार ने किया है दूसरे वर्ष में 225 रुपये प्रतिमाह 10 माह तक प्रशिक्षण देने का प्राविधान किया गया है। तीसरे वर्ष में 250 रु0/माह दस माह तक देने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इन कलाकारों को यह जो प्राचीन कलाकार हैं, उनके लिए 200 रु0/माह लगातार दस माह तक प्रशिक्षण देना और 2000 रुपया देना क्या इस रकम में वह अपने बच्चों को रोटी खिला सकता है और क्या उस कला को जीवित रखने के लिए अपने प्रयास जीवित रख सकता है। मान्यवर, मेरा तो सुझाव यह है कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपया प्रति माह कर दिया जाय ताकि प्रशिक्षण के दौरान वह लोग अपने परिवार को कम से कम रोटी तो खिला सकें और इन्हें अपना काम करने के लिए प्रोत्साहन तो मिल सके।

मान्यवर, जो सरकार की नीति है कच्चा माल/धागा बुनकरों को दस प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर इस दस प्रतिशत छूट का कोई मतलब ही नहीं होता है। यह अनुदान की राशि बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत कर दी जाय, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। मान्यवर, इसी तरह से बुनकरों से तैयार माल खरीदने की सरकार की कोई नीति नहीं है। जिसके वजह से बुनकर माल तैयार करके रख लेते हैं और माल नहीं बिकने की वजह से पूंजी जाम हो जाती है और उनका आगे का काम बन्द हो जाता है। मान्यवर इसलिए सरकार जिस तरह से गन्ने और गेहूं का रेट घोषित करती है उसी तरीके से रेट घोषित करके बुनकरों द्वारा तैयार माल सरकार को खरीदना चाहिए ताकि बुनकरों को प्रोत्साहन मिले और उनकी पूंजी जाम न हो। मान्यवर, अगर उनका तैयार माल 25 प्रतिशत भी सरकार तुरन्त खरीद ले तो उनको अपनी लगी पूंजी का रिटर्न तुरन्त मिल जायेगा और वह अपने आगे का काम उससे शुरू कर सकेंगे। मान्यवर, क्योंकि सरकार ने न तो ग्राहक के आकर्षण हेतु कोई ठोस नीति बनाई है और न ही बुनकरों को प्रशिक्षण हेतु कोई ठोस नीति है और न ही कच्चे माल (धागा) सस्ते कन्ट्रोल रेटों पर उपलब्ध कराने की कोई ठोस नीति है और न ही तैयार माल पर सब्सिडी देकर सरकार के द्वारा माल खरीदने की कोई नीति है इससे मान्यवर साफ और स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार इस विभाग के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, यह हमारी सरकार बुनकर उद्यमियों के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन जो यह लोग अभी उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उन्होंने उनके चेहरों से मुस्कान छीन ली थी। उनकी मुस्कान पिछले पांच साल गायब रही। मान्यवर, उस सरकार में गरीबों के भलाई का पैसा उस हाथी ने खाने का काम किया और वह पैसा उस हाथी के पेट में चला गया। मान्यवर, इनके मुंह से बुनकरों की भलाई का शब्द सुनना मजाक जैसा लग रहा है। आप बताइये कि आपने पिछले पांच साल में बुनकरों की भलाई के लिए क्या क्या किया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मंत्री जी खुद ही हाथी जैसा भारी भरकम शरीर लिए हुए हैं, इन्हे तो अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है कि हम राजनीति में जहां पैदा हुए हैं वहां पलते-पलते इस तरह के हो गये हैं। मान्यवर यह तो पल गलत जगह रहे हैं। पैदा हमारे खानदान में ही हुए हैं। अगर यह आज यहां होते तो हाथी हो गये होते, वहां पर है तो दुबले हो गये हैं। मान्यवर, यह पैदा सही जगह हुए लेकिन पल कहीं और रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसीलिए मैंने कहा कि इनका शरीर भारी भरकम हाथी जैसा हो गया है इस पर ध्यान दें।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, हमारी जो संचालित योजनाएं हैं, जो हथकरघा के क्षेत्र में हैं और केन्द्र पुरोनिधानित हैं, इसमें मान्यवर, 50-50 हजार रुपये प्रति बुनकर इस सरकार ने माफ किया है। एकीकृत हथकरघा विकास योजना, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, बुनकरों का माल जो लाया जाता है उसके लिए हम मेले लगाते हैं, राज्य स्तर पर भी लगाते हैं, प्रदेश स्तर पर भी लगाते हैं। मेला प्रदर्शनी के माध्यम से हम उनके माल को बेचते हैं। जनेश्वर मिश्रा राज्य हथकरघा पुरस्कार हम देते हैं जो बुनकर अच्छा काम करते हैं हम उनको पुरस्कार देते हैं यह जो हमारी योजनाएं चल रही है उन सारी योजनाओं को विस्तार से मैंने आपके सामने रखा। इसलिए बुनकरों से संबंधित कोई लम्बा चौड़ा भाषण मैं इस पर करना नहीं चाहता क्योंकि बुनकरों से संबंधित विभाग है और बुनकरों के लिए यह सरकार संकल्पबद्ध है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि जो आप बुनकरों के लिए और कुछ करना चाहते हैं वह लिखकर मुझे दें वह मैं शामिल कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ओर इसको पास करें।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री फेरन लाल-

मान्यवर, वापस तो हम लेंगे ही लेकिन जब तक धरातल पर नहीं दिखाई देगा, माननीय मंत्री जी ने वही बात पुनः रिपीट कर दी है वही घिसीपिटी बातें कि हम 50 हजार रुपया माफ कर रहे हैं। मैंने तो जो कहा कि क्या 2000 रुपये में 10 महिने तक बुनकर प्रशिक्षण ले सकता है 10 माह तक वह क्या खायेगा और अपने बच्चों को क्या खिलायेगा। अगर यह उसके लिए 5 हजार रुपये प्रतिमाह कर देते हैं जब हमें पता चल जायेगा कि सरकार ने इसको कर दिया तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। अभी नहीं वापस ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं मद संख्या 9(8) का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,55,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 18-3-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री दिलनवाज खां की प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अधिकारी/सहायक पर्यटन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर समाजवादी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्रीमती मधुबाला पासी की जनपद संतरविदास नगर (भदोही) के औराई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दि काशी सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की कमीं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की जनपद मेरठ के मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल का पुनः संचालन करवाए जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री रवि शर्मा की नगर निगम झांसी में प्राइवेट एजेंसी द्वारा धन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद मंदाकिनी प्रदूषण रोकने हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्या की जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील में चक मार्गों पर अवैध कब्जा हटाने एवं तालाओं और सन्तकबीर आश्रम के पट्टे के अनुसार कब्जा दिलाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद की जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत मेंहदावल से गोरखपुर मार्ग बढ़या ठाठर घाट राप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल के रुके हुए कार्य को तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद शहर में पुराने म्यूनिसिल बोर्ड के कार्यालय चौराहे के जर्जर सड़क तथा नाले की सफाई, टूटे स्लैप का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में सुल्तानगंज पुलिया पर लगी मीडियम मास्क जो पूरी तरह बन्द है, को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरी सूचना थी सहकारी चीनी मिल है, बन्द पड़ी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने उस पर ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था, वक्तव्य हेतु कहा था, सहकारी चीनी मिल है।

श्री अधिष्ठाता-

बाद में कर लेते हैं। जिनकी अस्वीकृत हुई है उसकी सूचना दे दें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय अध्यक्ष जी का विनिश्चय है, उसके बारे में पुनर्विचार कैसे हो सकता है ?

श्री संजय कपूर-

नहीं, उन्होंने वक्तव्य के लिये कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आपके नाम पर ध्यानाकर्षण के लिये कहा है, हम ध्यानाकर्षण के लिये ले लिये है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

श्रीमती पूजा पाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राज नारायण बुधौलिया, साध्वी सावित्रीबाई फूले, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री बृजेश कुमार, श्री कालीचरन सुमन, श्री दलजीत सिंह, श्री ठाकुर दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री विजय कुमार दुबे, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री गेंदा लाल चौधरी, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री राधेश्याम, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनीसुर्रहमान, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री रामचन्द्र यादव, डा0 मुहम्मद अय्यूब, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री प्रमोद तिवारी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अजय मिश्र 'टेनी', श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री संत प्रसाद, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अमरपाल शर्मा, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री शमशेर बहादुर, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्री राजेश यादव, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री कुंवर भारतेन्दु सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, डा0 मो0 मुस्लिम, श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री अलगू चौहान, श्री रोमी साहनी।

जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में अवमुक्त धनराशि से विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिये यह व्यपगत हुआ ।

जनपद कौशाम्बी के क्षेत्र चायल के अन्तर्गत विकास खण्ड मूरतगंज में इमामगंज से हर्रायपुर वाया नर्वरपट्टी होते हुए बदनपुर घाट तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

इस संबंध में स्थिति यह है कि जनपद कौशाम्बी के चायल विधान सभा ....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजत्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[क्षेत्र मूरतगंज में इमामगंज से हर्रायपुर वाया नर्वरपट्टी होते हुए बदनपुर घाट तक मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 6.15 कि0मी0 है। यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2013-14 की नवीनीकरण की कार्य योजना में सम्मिलित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	मार्ग का नाम		लम्बाई (कि0मी0 में)
1	इमामगंज से हर्रायपुर मार्ग		2.60 कि0मी0
2	हर्रायपुर से पट्टी नर्वर मार्ग		1.50 कि0मी0
3	मूरतगंज से पशुमेला बदनपुर घाट मार्ग		2.05 कि0मी0
		कुल लम्बाई	**6.15 कि0मी0**

उपर्युक्त मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद गोरखपुर के क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों एवं पेयजल की पाइप लाइनों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री राजेश सिंह उर्फ बृजेश सिंह माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में घाघरा नदी से हो रही भू-कटान की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री उमेश पाण्डेय माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड को तत्काल भंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, इसलिये यह व्यपगत हुआ।

जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम्, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 12-3-2013 को विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कि जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम्, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा सड़क की बजरी ऊपर आ गयी है। जिसके कारण अक्सर दो पहिया वाहन वाले व्यक्ति सड़क पर स्लिप होकर बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। सम्प्रति हुई बरसात के कारण यह सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में बदल चुकी है। उक्त सड़क की मरम्मत एवं सड़क के किनारे टूटी हुई इन्टरलॉकिंग टाईल्स को ठीक कराने हेतु लोक निर्माण विभाग एवं नगर विकास विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश भी दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त सड़क पर दो पहिया एवं चौपहिया वाहनों का यातायात अधिभार रहने के कारण सड़क पर आवागमन बाधित रहता है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या दिनांक 15-3-2013 के क्रम में अवगत कराया जाना है कि जानकीपुरम्, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जानकीपुरम् आवासीय योजना के सेक्टर-एच में स्थित है। प्रश्नगत सड़क 18.00 मीटर चौड़ी जोनल सड़क है जिसकी लम्बाई 950.00 मीटर है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि वर्ष 2012-2013 में स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। कार्य की निविदायें आमंत्रित की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्रश्नगत सड़क का मरम्मत कार्य कराया जायेगा।]

जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के ग्राम बरेठी में विद्युत व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है ''जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के ग्राम बरेठी ....''

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

''[में विद्युत व्यवस्था बहाल कराने की तरफ ले जाना चाहता हूं। जहां वर्ष 2009 में आंधी-तूफान के कारण विद्युत व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी जो आज तक बन्द है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2009 से विद्युत सप्लाई न आने के पश्चात् भी विभाग द्वारा विद्युत बिल निरन्तर भेजा जा रहा है। विद्युत सप्लाई न होने से गांव के विकास व बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है।''

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम बरेठी की आबादी रोड के दोनों तरफ बसी हुयी है। रोड के एक तरफ ग्राम बरेठी है और दूसरी तरफ बरेठी का कुशवाहा पुरवा है। वर्ष 2009 में आयी आंधी तूफान के कारण ग्राम में विद्युत के पोल एवं तार क्षतिग्रस्त हो गये थे। क्षतिग्रस्त पोलों एवं तारों को मुख्य ग्राम बरेठी की तरफ ठीक करा दिया गया है। कुशवाहा पुरवा के अन्दर ग्रामीणों द्वारा विद्युत लाइन के नीचे एवं पोलों के स्थान पर मकान बना लिये गये हैं। जिसके कारण क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास करने के उपरान्त भी ग्रामीणों के अवरोध के कारण लाइन नहीं बनायी जा सकी है।

वर्तमान में ग्राम बरेठी में 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित है जिससे 15 नग बत्ती, पंखा, 1 नग निजी नलकूप एवं 1 नग औद्योगिक संयोजन है, जिनको विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से मिल रही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इसके अतिरिक्त कुशवाहा पुरवा के 4 नग बत्ती, पंखा संयोजन धारक उपरोक्त परिवर्तक के एल0टी0 लाइन से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, विद्युत बिल भुगतान किया जा रहा है। कुशवाहा पुरवा के अन्य भाग में ग्रामीणों की सहमति के उपरान्त ही क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों का कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत बिजली आपूर्ति किये जाने एवं नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष रावत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा की उक्त सूचना में किया गया उल्लेख निम्नवत् है- ''विधान सभा क्षेत्र सिधौली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सिधौली ....''

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

''[के तमाम गांवों में बिजली के पोल, तार व ट्रान्सफार्मर खराब हो गये हैं जिससे बिजली क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जिन गांवों के बिजली तार एवं अन्य उपकरण खराब हैं उनमें से कुछ मुख्य हैं, जमुनी विकास खण्ड सिधौली, दखिनावा, गनेरा, छावन, सरौरा, खेरवा, कम्हरिया, मजरा एवं जयरामपुर विकास खण्ड कसमण्डा के अन्तर्गत सरवा, उमारिया, कुर्सी पिपरा मजरा, मधवापुर विकास खण्ड पहला विकास खण्ड आदि में बिजली की आपूर्ति कई वर्षों से नहीं हो रही है जिससे किसानों की फसलें बरबाद हो जाती है क्योंकि बिजली न मिलने के कारण आये दिन इन लोगों की आर्थिक हानि होती है।''

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के0वी0 महमूदाबाद फीडर जिसका निर्माण 2006-07 में मै0 पावर ग्रिड पावर कारपोरेशन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत किया गया था। इस फीडर का 32 कि0मी0 विद्युत तार चोरी हो जाने के कारण ब्लाक सिधौली के जमुनी, दखिनावा, कनेरा, छावन, सरौरा, खेरवा, खम्हरिया एवं मजरा व कसमण्डा ब्लाक के सखा, उमरिया एवं कुर्सी पिपरा तथा पहला ब्लाक के मधवापुर ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बन्द है।

विद्युत तार चोरी होने की एफ0आई0आर0 की सूचना दिनांक 21-5-2010 को थाना अटरिया जनपद सीतापुर में तहरीर दी गयी थी। विद्युत आपूर्ति चालू करने हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। लगभग तीन माह में इन गांवों की विद्युत आपूर्ति आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त पोल, तार इत्यादि बदलकर चालू कर दी जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों को पंचम वेतन का एरियर भुगतान तथा छठे वेतनमान के अन्तर्गत ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य की उपर्युक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः- ....

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[(1) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में पंचम वेतनमान के अन्तर्गत समयमान वेतनमान की सुविधा वर्ष 1988 से पूर्व की सेवाओं को शून्य मानकर दी जा रही है। जबकि निगम के तकनीकी कर्मचारियों को यह सुविधा उनकी योगदान तिथि से सेवाकाल की गणना के आधार पर दी जा रही है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कर्मियों को समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति शासनादेश संख्या-2768/23-8-2008-12सी0बी0/2003, दिनांक 18-2-2009 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश में तकनीकी अथवा गैर तकनीकी कार्मिकों को अलग-अलग चिन्हित नहीं किया गया है, वरन् निगम के समस्त कार्मिक चाहे वह तकनीकी संवर्ग के हो या गैर तकनीकी संवर्ग के जिनके पद का वेतनमान रु0 13,500 (पंचम वेतनमान) से कम हो, को उक्त शासनादेश के आधार पर ही समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था है कि जिन कार्मिकों को एक पद पर 08 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा दिनांक 01-01-96 को या उसके बाद की तिथि पूर्ण करते हैं तो उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी। इसी प्रकार इस शासनादेश में यह व्यवस्था है कि जिन कार्मिकों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार सेवावधि के आधार पर उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है उनके लिए पुनरीक्षित वेतनमान में प्रस्तावित समयमान वेतनमान की व्यवस्था में 08 वर्ष तथा 14 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य लाभ देय नहीं होगा। ऐसे कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर कुल 19 वर्ष की सेवा पर ही सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तदुपरान्त 05 वर्ष की सेवा सहित कुल 24 वर्ष की सेवा पर द्वितीय प्रोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में तकनीकी संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी की सेवा शर्तों का निर्धारण उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सेवा नियमावली (इंजीनियर्स एण्ड आर्कीटेक्ट) 1980 द्वारा किया जाता है। जबकि गैर तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सेवा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियमावली (सामान्य सेवायें) 1980 द्वारा किया जाता है। चूंकि दोनों संवर्गों के सेवा का निर्धारण अलग-अलग नियमावलियों से किया जाता है। अतः उक्त दोनों संवर्गों की पारस्परिक तुलना नहीं की जा सकती है।

(2) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-735/23-8-2006-281सी0बी0/97, दिनांक 28-12-06 द्वारा दिनांक 1-4-06 से केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से अनुमन्य कराये गये हैं साथ ही वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-259/23-8-07-281सी0बी0/97, दिनांक 21-2-07 निर्गत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के जो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 01-04-06 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं या दिवगंत हो चुके हैं उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। दिनांक 01-04-06 को अथवा उसके उपरान्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण दिनांक 01-01-96 से काल्पनिक आधार पर किया जायेगा, किन्तु दिनांक 01-01-96 से 31-3-06 तक कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कार्मिकों को पंचम वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में दिनांक 01-01-96 से 31-3-06 तक की अवधि के एरियर का भुगतान किये जाने हेतु निगम के पत्र संख्या-3330/एसी/13/5015/रानिनि/10, दिनांक 20-6-11 द्वारा जो प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, उसके परीक्षणोपरान्त प्रकरण में सार्वजनिक उद्यम/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने की दशा में शासन के पत्र संख्या-1369/23-8-11-281सी0बी0/97टी0सी0, दिनांक 29-9-11 द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के संदर्भ में गठित वेतन समिति वर्ष 1998 की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-733/23-8-06-281सी0बी0/97, दिनांक 28-12-06 एवं 259/23-8-07-281 सी0बी0/97, दिनांक 21-2-07 में अंकित व्यवस्था तत्समय निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार है एवं तत्समय निगम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम नहीं था। वर्तमान प्रस्ताव से रु0 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा जिससे वित्तीय वर्ष 2005-06 में दर्शायी गयी लाभ की स्थिति (रु0 22.74 करोड़) से वहन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या-6111 (एस0एस0)/12, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम कर्मचारी संघर्ष मोर्चा बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 4-12-12 के समादर में प्रश्नगत प्रकरण में पुनर्विचार किया गया, जिसमें पाया गया कि वर्तमान समय में निगम की आर्थिक स्थिति (फ्लैश रिजल्ट्स वर्ष 2011-12 के अनुसार) निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क	**उपलब्ध संसाधन**	265.85	413.35	450.01	494.06
	1-चुकता अंशपूंजी	1.00	1.00	1.00	1.00
	2-फ्रीरिजवर्स	264.85	412.35	449.01	493.06

क्र0सं0	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ख	**संसाधनों का उपयोग**	264.85	413.35	450.01	494.06
	1-शुद्ध परिसम्पत्तियां	41.10	37.34	31.93	25.95
	2-कार्यशील पूंजी	224.75	376.01	418.38	468.11
ग	**कार्यचालन परिणाम**				
	1-कुल आय	2964.98	3696.03	3512.65	3418.70
	2-कुल व्यय	2769.39	3470.90	3451.72	3346.05
	3-कर पूर्व लाभ	195.59	225.23	60.93	72.65
	4-कर प्राविधान	68.25	77.54	24.07	28.40
	5-शुद्ध लाभ	127.34	147.69	36.86	44.25

निगम के वर्तमान प्रस्तावानुसार उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के वार्षिक लेखे 2009-10 तक अंकेक्षित है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 में हुई कुल आय रु0 2964.98 करोड़ के सापेक्ष शुद्ध लाभ रु0 127.34 करोड़ हुआ था, जोकि घटकर वर्ष 2011-12 में हुई कुल आय रु0 3418.70 करोड़ के सापेक्ष शुद्ध आय रु0 44.25 करोड़ ही है। अतः वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2011-12 में शुद्ध लाभ में लगभग 65 प्रतिशत कमी हुई है। साथ ही निगम निक्षेप कार्यों एवं वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में निगम की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कार्मिकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में दिनांक 01-01-1996 से 31-3-2006 तक की अवधि के एरियर का भुगतान किये जाने का औचित्य नहीं पाये जाने के कारण शासन के पत्र संख्या-3395/23-8-12-281 सी0बी0/97टी0सी0, दिनांक 07-03-2013 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को अवगत करा दिया गया है।

(3) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मियों को वर्ष 2006 से देय छठा वेतनमान और ए0सी0पी0 व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निगम में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में गठित वेतन समिति 2008 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते तथा सुविधाओं की स्वीकृति शासनादेश संख्या-2608/23-8-09-85 सी0बी0/2008, दिनांक 12-1-2010 द्वारा दिनांक 01-01-2006 से परिकल्पित आधार पर आगणित करते हुए उसका वास्तविक भुगतान दिनांक 12-1-2010 से किया जा रहा है, जबकि निगम कर्मियों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के पत्र दिनांक 17-7-2012 तथा 18-6-2012 द्वारा जो प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था उसका परीक्षण करते हुए प्रकरण वित्त विभाग को सन्दर्भित किया गया है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के सहायक लेखाधिकारी के स्तर-II के कर्मियों को स्तर-I का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निगम में लेखा संवर्ग के कर्मियों को

जनशक्ति नियोजन में दी गयी व्यवस्थानुसार सहायक लेखाधिकारी स्तर-II के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा सहायक लेखाधिकारी स्तर-II के पद पर कार्यरत अधिकारी को सहायक लेखाधिकारी स्तर-I के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में शासनादेश संख्या-1647/23-8-10-30सी0बी0/07, दिनांक 14-7-10 द्वारा प्रभावी जनशक्ति नियोजन को निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त निगम के कार्यालय आदेश संख्या-2806/प्रब0 (का0)/एमपीपी/रानिनि/10, दिनांक 21-9-10 के द्वारा निगम में लागू किया गया है।

(5) निगम में गैर तकनीकी संवर्ग के अनेक स्वीकृत पदों के वर्षों से रिक्त रहने के कारण निर्माण निगम की कार्य प्रणाली पंगु होती जा रही है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम में पुर्न जनशक्ति नियोजन के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के पदों का पुनर्गठन वित्त, सार्वजनिक उद्यम एवं कार्मिक विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या-1647/ 23-8-10-30 सी0बी0/07, दिनांक 14-7-10 द्वारा किया गया है जिसके अनुसार निगम में सीधी भर्ती के पदों पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति के माध्यम से एवं प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से सुसंगत सेवानियमावलियों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भरे जायेंगे तथा इन पदों के सापेक्ष कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 19-03-2013 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 मार्च, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-68 का उत्तर पीछे पृष्ठ-57-58 पर)

लूट/डकैती की रोकथाम हेतु कार्य योजना

अपराधिक तत्वों द्वारा पूर्व से लक्ष्य बनाकर अथवा आकस्मिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा आदि से लैस होकर लूटपाट/डकैती की घटनायें कारित की जाती हैं। कभी-कभी इस घटनाओं को अंजाम देते समय अपराधियों द्वारा बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य अपराध भी कारित कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी रोकथाम किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने एवं शत-प्रतिशत घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु निम्नानुसार कार्य योजना तैयार की गयी है। आप निम्न बिन्दुओं पर अपने जनपद में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करावें :-

1-विगत दस वर्षों में लूट/डकैती के अपराधों में नामजद/प्रकाश में आये अपराधियों की सूची तैयार की जाय, तत्पश्चात् उसका सत्यापन कराया जाय।

2-विगत दस वर्षों में नामजद/प्रकाश में आये अपराधियों की सक्रियता की जानकारी की जाय तथा आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

3-ऐसे अपराधियों की जो जेल से बाहर हैं और सक्रिय हैं, उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

4-ऐसे अपराधी जो अब तक लूट/डकैती के अपराधों में प्रकाश में नहीं आये हैं परन्तु सक्रिय हैं उनका चौकीदार/बीट आरक्षियों के माध्यम से चिन्हांकन कराया जाय तथा उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाय एवं सतर्क दृष्टि रखी जाय।

5-गश्त कार्य हेतु ग्राम सुरक्षा समितियों/चौकीदारों को प्रोत्साहित किया जाय।

6-ऐसे लूटेरों/डकैतों की सूची तैयार की जाय, जो जिस थाना क्षेत्र में घटना किये हों उससे अलग दूसरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हों। तत्पश्चात् यह सूची पूर्ण विवरण सहित सम्बन्धित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाय।

7-क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी समय-समय पर की जाय तथा लापता हिस्ट्रीशीटरों का हर सम्भव प्रयास कर खोजबीन की जाय एवं जिस थाना क्षेत्र में रह रहे हो, सम्बन्धित थाना प्रभारी को सूचना दी जाय।

8-सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहे, जेल से रिहा अभियुक्तों की सूची तैयार कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय एवं सक्रियता के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

9-न्यायालयों पर विचाराधीन उपरोक्त प्रकार के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा दिलवाने का प्रयास किया जाय।

10-क्षेत्र के ऐसे रास्तों/मार्गों का चिन्हांकन किया जाना चाहिए जिस पर पूर्व से लूट/राहजनी की घटनायें घटित हुई हों। ऐसे मार्गों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11-बैंक लूट/डकैती के सम्बन्ध में बैंक से जुड़े हुए मार्गों का चिन्हांकन किया जाना चाहिए और उस पर सघन गश्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

12-व्यापारियों द्वारा बैंक में धनराशि जमा करने अथवा बैंक द्वारा किसी कार्यालय का पैसा निकाले जाने के समय विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में संगोष्ठियों/समाचार-पत्रों के माध्यम से सुरक्षा के सम्बन्ध में लोगों को सतर्क किया जाना चाहिए।

13-नगरीय/कस्बों की नई बस्तियों में प्रायः लूट/डकैती की घटनायें आवासीय भवनों/दुकानों/प्रतिष्ठानों में घटती हैं। इस सम्बन्ध में ऐसे स्थानों पर सुबह गश्त/पिकेट व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अंधेरी रात में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

14-घुमन्तू जाति/अपराधिक गिरोहों द्वारा दूर-दूर तक जाकर लूट, डकैती की घटनायें कारित की जाती हैं जो डी0सी0एम0, मार्शल, टाटा सूमो आदि वाहनों से यात्रा करते हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर वाहनों/ढाबों की चेकिंग की जाय तथा संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली जाय एवं सघन पूछताछ की जाय तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही की जाय।

15-लूट/डकैती की घटनाओं में जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं उनकी सघन पूंछताछ टीम बनाकर की जाय और फोटो चित्र प्राप्त कर डोजियर तैयार करके अभिलेखीकरण किया जाय। इनके (मोडस अपरेण्डयी) अपराध करने के तरीके का विशेषकर अभिलिखित किया जाय।

16-जेलों में निरुद्ध उपरोक्त प्रकार के अपराधियों से मिलने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय और आवश्यकतानुसार उनसे लाभप्रद सूचना संकलित की जाय।

17-क्षेत्र के ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाय जो आबादी से थोड़ा हटकर दूर तथा सम्पन्न हो ऐसे व्यक्तियों को स्वयं की तथा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु उनका मार्गदर्शन किया जाय एवं उन्हें शस्त्र आदि दिलाये जाने की कार्यवाही की जाय।

18-क्षेत्र के ऐसे ग्रामों, स्थानों को चिन्हित कर लिया जाय जहां पर उल्लिखित प्रकार की घटनायें दो या अधिक बार घटित हुई हो। ऐसे स्थानों पर प्रभावी गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

19-क्षेत्र के शस्त्र लाइसेन्सदारों की गोष्ठी कर उन्हें सतर्क किया जाय तथा उन्हें ऐसे अपराधों के रोकथाम हेतु ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ गश्त हेतु सहायता लिया जाय।

20-क्षेत्र के सम्भ्रान्त एवं पुलिस के सहयोगी व्यक्तियों को थाना प्रभारीगण अपने मोबाइल नम्बर/थाने का नम्बर उपलब्ध करायें तथा उनका दूरभाष नम्बर प्राप्त कर थाने पर/अपने पास रखे जायं ताकि ऐसी घटनाओं की सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान हो सके।

हत्या एवं बलवा की रोकथाम हेतु कार्य योजना

हत्या

1-थानों पर पंजीकृत एन0सी0आर0 की तत्परता से जांच करके प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय। साथ ही दोषी व्यक्तियों को धारा-116 (3) सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत समय से पाबन्द कराया जाय। जिन पक्षकारों को धारा-116 (3) सी0आर0पी0सी0 के तहत पाबन्द कराया गया है, पाबन्द होने के पश्चात भी यदि पक्षकारों द्वारा शान्ति भंग की जाती है तो उनके विरुद्ध धारा-122 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2-भूमि विवाद, प्रेम प्रपंच, आशनाई, राजनीतिक/साम्प्रदायिक मामलों, जातिगत गुटबन्दी तथा अन्य विवादों में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

3-पेशेवर हत्यारों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कराकर उनकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाय व आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

4-विभिन्न विवादों से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाय एवं जांचोपरान्त प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रभावी निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की जाय।

5-बीट प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाय एवं बीट सूचनाओं की जांच कर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6-हत्या व शरीर सम्बन्धी अपराधों में नामित एवं प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध तत्परता से प्रभावी ढंग से गिरफ्तारी/कुर्की की कार्यवाही की जाय।

7-न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर हत्या अभियुक्तों की जमानत का विरोध किया जाय तथा न्यायालय में हत्या के परीक्षणाधीन मामलों में प्रभावी पैरवी करके सजायाबी सुनिश्चित करायी जाय।

8-हत्या-बलवा रोकथाम रजिस्टर अद्यावधिक रखा जाय।

9-जघन्य एवं महत्वपूर्ण हत्या के अपराधों से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0 गैंगेस्टर ऐक्ट आदि के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

10-हत्या के विगत वर्षों के अभियोगों में जिनमें वर्तमान में भी रंजिश विद्यमान है, उन मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

11-हत्या के महत्वपूर्ण व सनसनीखेज अपराधों में जो अभियुक्त बाहर घूम रहे हैं उनके जमानत निरस्तीकरण की प्रभावी कार्यवाही की जाय।

12-जिन व्यक्तियों का प्रतिभूति के बिना स्वछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है उन्हें 110 सी0आर0पी0सी0 के तहत सदाचार हेतु पाबन्द कराया जाय।

नकबजनी की रोकथाम हेतु कार्य योजना

1-पिछले 10 वर्षों में पंजीकृत नकबजनी के अपराधों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की सूची तैयार कर ली जाय एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी की जाय। उनमें से सक्रिय/संदिग्ध को एक्टिव लिस्ट पर लाकर प्रभावी ढंग से निगरानी की जाय।

2-जो नकबजन बार-बार नकबजनी के अपराधों में संलिप्त पाये गये हों उनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाय।

3-अगर नकबजन/चोरों का कोई गैंग सक्रिय हो तो उनकी गैंग शीट तैयार की जाय एवं अद्यावधिक की जाय।

4-थाने पर नकबजनी चार्ट तैयार कर जिस क्षेत्र में नकबजनी की घटनायें घटित हुई हैं उस क्षेत्र में गश्त/पिकेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इनकी प्रभावी ढंग से चेकिंग सुनिश्चित की जाय।

5-नकबजनी के मुकदमों में सामान्यतया अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार न की जाय तथा विवेचकों पर रुचि लेकर मामले को वर्कआउट करने पर दबाव बनाया जाय। मामले को वर्कआउट करके चोरी गयी सम्पत्ति के बरामदगी करने के प्रयासों की गहन समीक्षा की जाय, यदि विवेचकों द्वारा वर्कआउट करने में शिथिलता व लापरवाही का परिचय दिया गया हो तो उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

6-नकबजनी के अभियोगों में जो अभियुक्त जेल में हों, उनके जमानत विरोध के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी की जाय ताकि अभियुक्त जमानत पर न छूट पायें तथा नकबजनी के विचाराधीन मुकदमों में प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सजा दिलायी जाय।

7-जेल से जो नकबजन जमानत पर छूटे हों, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाय।

8-धारा-109 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

9-अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध धारा-110 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की जाय।

10-नकबजनी के अपराधों में जो नकबजन तीन या तीन से अधिक अभियोगों में नामजद/प्रकाश में आये हों उनके विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की कार्यवाही की जाय।

11-अगर क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास कर रहा है या क्षेत्र में अक्सर आवागमन होता है तो उसके सम्बन्ध में जांच पर्ची किता कराकर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की जाय।

12-घुमन्तू अपराधिक जनजातियों के लोग जो क्षेत्र में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हों, उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। इनकी नियमित रूप से चेकिंग की जाय एवं जांच पर्ची किता कराकर सत्यापन कराया जाय।

13-पड़ोसी (सरहदी) जनपदों से चोरी/नकबजनों की सूची प्राप्त कर ली जाय एवं इनके अपने जनपद में आवागमन व गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जाय।

14-जिन क्षेत्रों में नकबजनी के अपराध घटित हो रहे हैं, उन ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय कर उनका सहयोग लिया जाय।

15-चोरी का सामान खरीदने व बेचने वालों की सूची तैयार की जाय और इन पर निगरानी रखते हुए प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

16-कबाड़ी, फेरी वाले तथा अपराधी जनजातियों के सदस्य जो गांवों व मोहल्लों में घूमकर अपराध करने हेतु मकान/स्थान चिन्हित करते हैं, पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

दो पहिया व चार पहिया वाहन चोरी के रोकथाम हेतु कार्य योजना

परिक्षेत्र के जनपदों में वाहन चोरी की रोकथाम तथा वाहन चोरी पर प्रभावी अंकुश रखने के लिए टीम भावना से समस्त थानों द्वारा कार्य किये जाने की आवश्यकता है। बहुधा यह देखा गया है कि वाहन चोर जिस थाना क्षेत्र से वाहन चुराते हैं उस थानों की सीमा के यथाशीघ्र निकल कर अन्य थाना या जनपद में पहुंच कर चोरी के वाहन को ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अन्दर जनपद तथा वाह्य जनपद सक्रिय पुलिस सहयोग के द्वारा ही वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है इसलिए आवश्यक है कि समीपवर्ती जनपद के सीमावर्ती थाने एक दूसरे के संचार एवं व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाये रखे तथा सूचना प्राप्त होने के क्षणिक अन्तराल के उपरान्त बैरियर डाउन करके चेकिंग करना शुरू कर दें।

2-सभी थानों अपने थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिनेमा हाल, बैंक, स्कूल, सरकारी कार्यालय तथा ऐसे स्थान जहां वाहन काफी बड़ी संख्या में खड़े किये जाते हैं उन्हें चिन्हित कर लें तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठान के प्रबन्धक/अधिकारी से निवेदन करके वाहनों की सुरक्षा हेतु वहां स्टैण्ड/कीपर की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध कर लें। बहुधा यह भी देखा जाता है कि बिना किसी देखभाल के लावारिस आड़े तिरछे खड़े वाहनों की चोरी सुगमता से होती है। वस्तुतः उन वाहनों की जिसके ऊपर चौकीदार/प्रहरी सजग निगरानी कर रहा होता है वहां वाहन चोरी की घटना शून्य होती है। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इस सम्बन्ध में भ्रमण करके वाहन स्टैण्ड की समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/प्रबन्धक से अनुरोध कर ले जिससे कि अपेक्षित/बिना देख-रेख के खड़े वाहनों की चोरी रोकी जा सके।

3-थानाध्यक्ष को अपने शहर/कस्बे से बाहर जाने वाले उपमार्गों की जानकारी होनी चाहिए तथा इन उपमार्गों से भी जो गांव से होते हुए सीमावर्ती जनपद में जाकर मिल जाते हैं ऐसे संवेदनशील मार्गों की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार के वाहन चोर कम यातायात/नीरस स्थान होने के कारण बिना किसी रोक-टोक के वाहन को एक जनपद से दूसरे जनपद में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे संवेदनशील मार्गों को चिन्हित कर लिया जाय तथा यदि आसूचना के अनुसार इन्हीं मार्गों पर वाहन चोरों का गतिमान होना संज्ञान में आता है तो समीपवर्ती थानों को सूचित करते हुए पकड़ने का प्रयास किया जाय या घेराबन्दी शुरू कर दी जाय।

4-प्रत्येक शहर/कस्बे में यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाहन चेकिंग के संवेदनशील बिन्दु चिन्हित कर लिये जायं तथा आकस्मिक चेकिंग का आदेश मिलने पर तत्काल इन बिन्दुओं पर सीमावर्ती पुलिस बल पहुंच जाय और चोरी गये/लूटे गये वाहनों की चेकिंग शुरू कर दें। एक कस्बे में अधिकतम 4 या 5 इस प्रकार के संवेदनशील बिन्दु चिन्हित करके उन पर कार्यवाही की जा सकती है।

5-विगत 5 वर्षों में हुई दोपहिया/चार पहिया वाहनों की चोरी में प्रकाश में आये व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनकी सक्रियता की समीक्षा की जाय तथा वर्तमान में अपराधी कहां हैं उनका सम्पर्क किन-किन व्यक्तियों से खास तौर पर है पूरे पता, निवास स्थान यदि वह बाहर किसी अन्य जनपद में रह रहे हों तो कब-कब आते हैं तथा क्या कर रहे हैं उसकी भी जानकारी करके पूरा विवरण तैयार किया जाय।

6-वाहन की चोरी की घटना होने पर सर्वप्रथम गांव/कस्बा में जानकारी की जाय कि घटना स्थल के अगल-बगल कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं रह रहा था उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी की जाय।

7-कस्बा/गांव में वाहन बनाने वाले दोपहिया/चार पहिया मैकेनिकों एवं मजदूरों की सूची तैयार करके उनकी गतिविधियों के बारे में व उनका कहां-कहां अड्डा है कहां रहते हैं उनकी जानकारी करके समीक्षा की जाय।

8-प्रतिदिन वाहनों की चेकिंग करायी जाय। यह चेकिंग अकस्मात रूप से एक साथ करायी जाय। चेकिंग करते समय खासतौर पर नवयुवकों तथा तीन सवारी बैठे लोगों की चेकिंग की जाय। चेकिंग के दौरान जामातलाशी सभ्यता के तौर पर की जाय। ऐसी अकस्मात चेकिंग से अवैध अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने वाले अराजकतत्व भी पकड़े जा सकते हैं।

9-चेकिंग बैरियर लगाकर की जाय तथा खासतौर पर चौराहों पर की जाय जहां से कई रूट का मिलान होता है। चेकिंग के दौरान पर्याप्त बल रहना आवश्यक है जो आवश्यकता पड़ने पर उनका पीछा करके पकड़ा भी जा सके। ''बीटा मोबाइल'', ''चेतक मोबाइल'' को पहले से ही इस कार्य हेतु ब्रीफ कर मौके पर बुला लिया जाय।

10-वाहन चोरी की घटना होने पर प्रकाश में आये अभियुक्तों की जमानत कौन-कौन व्यक्ति लिये हैं तथा उनसे किस प्रकार का सम्पर्क है उनकी सूची तैयार कर समीक्षा की जाय तथा पूरा पता, पेशा इत्यादि की जानकारी की जाय।

11-बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ढाबा पर भी अकस्मात निर्धारित बिन्दु पर भी चेकिंग की जाय।

12-चोरी की घटना होने पर तत्काल बार्डर की सीमाएं सील कर चेकिंग करायी जाय। रिस्पान्स टाइम का ध्यान दिया जाय।

13-बैंक, न्यायालय में आने-जाने वाले व्यक्तियों की सतर्क दृष्टि से निगरानी की जाय। संदेह होने पर तलाशी की भी कार्यवाही अमल में लायी जाय।

14-बार्डर के जनपदों हुई चोरी की घटना जो हुई है उनमें कौन-कौन अभियुक्त प्रकाश में आये हैं उनकी भी जानकारी पूरा पता व जमानतदारों की सूची तैयार कर गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय, उसके लिए उपरोक्तानुसार सीमावर्ती जनपद में थानाध्यक्षों का आपसी तालमेल व सहयोग उच्च कोटि का अपेक्षित है।

15-शातिर किस्म के वाहन चोरों तथा उनको पनाह देने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर पूरा विवरण रख कर समीक्षा की जाय।

16-वाहन चोरी रोकने हेतु प्रतिदिन समय से हल्का आरक्षीगण को क्षेत्र/गांव में पूर्ण रूप से ब्रीफिंग करके भेजा जाय तथा उन्हें निर्देशित करें कि जिन-जिन गांव में गश्त हेतु जा रहे हैं वहां के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को अपने विश्वास में लेकर ऐसे लोगों की जानकारी करे कि कोई वाहन चोरी करने वाला व्यक्ति तो गांव में नहीं रह रहा है यदि हां, तो उनकी गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी करे। थानाध्यक्ष को बताकर तद्नुसार ऐसे व्यक्तियों की धरपकड़ की जाय। उक्त बातें अतिगोपनीय रखी जाय।

17-थाना क्षेत्र के दोपहिया/चार पहिया वाहनों के मरम्मत करने वाले मैकेनिक/मिस्त्रियों की सूची बना ली जाय तथा उनकी दुकानों पर एकाएक छापे की कार्यवाही करके उनके यहां मरम्मत हेतु आये हुए वाहनों की छानबीन की जाय तथा उनके कागजात भी देखे जायं। इसी प्रकार की कार्यवाही कबाड़ियों के यहां भी एकाएक छापे मारकर की जाय।

18-यदि वाहन चोरी/लूट की घटना थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में होती है तो यह माना जाना चाहिए कि यह प्रथम दृष्टिया यह कार्यवाही स्थानीय अपराधियों की हो सकती है ऐसी परिस्थिति में आस-पास के गांव के वाहन चोर/अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की जानकारी करके उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।

19-थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारीगण नियमित रूप से वाहन चेकिंग करते रहे तथा समय बदलकर चेकिंग करने से वाहन चोरों का मनोबल गिरा रहेगा और चेकिंग न होने से वाहन चोर निर्द्धवंदभाव से ऐसे किसी अपराध करने में संकोच भी नहीं करेंगे। अतः निरन्तर वाहन चेकिंग किया जाना आवश्यक ही नहीं अपितु वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अपरिहार्य भी है।

20-जैसे ही किसी थाना क्षेत्र से वाहन चोरी की सूचना प्राप्त होती है। सम्बन्धित थाना सर्वप्रथम अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए जनपद नियंत्रण कक्ष को यह सूचना वायरलेस से नोट कराकर अपराधियों के भागे जाने वाले रास्ते का उल्लेख करेगा जिससे जनपद नियंत्रण कक्ष तत्काल इस संदेश को फ्लैश करते हुए समीपवर्ती जनपद व सीमावर्ती थाना में भी बैरियर गिराकर आवश्यक चेकिंग कराना प्रारम्भ कर दें। यह कार्यवाही जितनी तत्परता व शीघ्रता से की जायेगी उतनी ही जल्दी वाहन चोरों के पकड़ने की संभावना होगी।

साथ ही धारा-366-क भारतीय दण्ड विधान में अप्राप्तवय लड़की का उपयन कराने का दण्ड अंकित है तथा इस धारा के अनुसार ''जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुप्त किया जायेगा सम्भाव्य जानते हुए ऐसे लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

इसी के साथ ही अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना धारा-368 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस धारा में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ''जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति अपहृत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपायेगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया जो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है।''

धारा-372 भारतीय दण्ड विधान में वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना दण्डनीय अपराध बनाया गया है तथा इसमें यह अंकित है कि ''जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु से भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए या विधि विरुद्ध और दुराचारी परियोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाय या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम

में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

स्पष्टीकरण-1 जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वैश्या गृह चलाता हो या उसका प्रबन्ध करता हो, बेची जाय, भाड़े पर दी जाय या अन्यथा व्ययनित की जाय, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायेगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लायी जायेगी।

स्पष्टीकरण-2 अयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह के संयुक्त नहीं है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है। जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की जिसके वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायी के हैं, तो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीय विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश्य सम्बन्ध अभिज्ञात किया जाता हो।

भारतीय दण्ड विधान की धारा-373 में वेश्वावृत्ति के प्रयोजन के लिये अप्राप्तवय को खरीदना आदि दण्डनीय अपराध माना गया है तथा इसमें अंकित है कि जो कोई अट्ठारह वर्ष के कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिये या किसी विधि विरुद्ध दूराचारिक प्रयोजन के लिये काम में लाया या उपयोग किया जाय या यह सम्भाव्य जानते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजनय के लिये काम में लाया जायेगा या उपयोग किया जायेगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा व दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-1 18 वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी नारी का कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जायेगी।

इस प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता में किसी लड़की या स्त्री के अपहरण को चाहे वह वेश्यावृत्ति व बलात्कार व अन्य किसी अपराध के लिये हो दण्डनीय मानते हुए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

<u>आमतौर पर देखा गया है कि स्त्री व लड़कियों का अपहरण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से किया जाता है</u> :-

1-बलात्कार करने के नियत से।

2-बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु।

3-मां-बाप की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने हेतु।

4-जबरन वेश्यावृत्ति कराने हेतु।

5-अपने विपक्षी की सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने हेतु।

6-भिक्षावृत्ति कराने के उद्देश्य से।

अपहरण करने हेतु सामान्यतया तीन प्रकार के तरीकों का प्रयोग अपराधियों द्वारा किया जाता है :-

1-जबरन उठाकर ले जाना।

2-बहला-फुसलाकर व लालच दिखाकर ले जाना।

3-धोखा देकर ले जाना।

लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के रोकथाम हेतु निम्नलिखित तीन स्तरों पर कार्यवाही कर इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिये लाभकारी होगा :-

1-अपहरण से पूर्व अपहरण रोकने हेतु कदम।

2-अपहरण होने पर उठाये जाने वाले तात्कालिक कदम।

3-अपहरण होने के उपरान्त अपहृता को बरामद करने तथा अपराधियों को दण्ड दिलाये जाने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

(1) अपहरण से पूर्व अपहरण रोकने हेतु कदम :-

क-लड़कियों/महिलाओं के स्कूल/कालेज के आस-पास अक्सर घूमने वाले व्यक्तियों पर निगरानी तथा उनके सम्बन्ध में छानबीन,

ख-लड़कियों/महिला छात्रावास के इर्दगिर्द घूमने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं उनके सम्बन्ध में छानबीन।

ग-सार्वजनिक जलाशय, कुंओं, हैण्डपम्प, सार्वजनिक शौचालयों के पास विचरण करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं कार्यवाही।

घ-ईंट-भट्ठों निर्माण कार्य स्थल व महिला खेतिहर मजदूरों के कार्यस्थल/रहने के स्थान पर विचरण करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं कार्यवाही।

च-पूर्व में अपहरण के मामलों में लिप्त रहे अपराधियों की वर्तमान स्थिति/गतिविधि ज्ञात कर निगरानी व तद्नुसार कार्यवाही।

छ-अपहरण के अपराध में लिप्त महिला/पुरुषों के गैंग को चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक/विधि सम्मत कार्यवाही।

ज-महिला संरक्षण गृह, नारी निकेतन आदि में रह रही स्त्रियों से गहन पूछतांछ तथा उनकी दशा के लिये जिम्मेदार के विरुद्ध कार्यवाही।

झ-गाड़ी में लिफ्ट देने का आफर देने वालों पर नजर एवं निगरानी।

ट-मोहल्ले अवारागर्द व्यक्तियों पर नजर।

ठ-सार्वजनिक पार्क में घूमने वाले अविवाहित से दिखने वाले लड़के व लड़कियों की निगरानी व छानबीन शालीनतापूर्वक तरीके से।

ड-छेड़खानी के मामलों में गहन छानबीन तथा त्वरित कार्यवाही।

ढ-समस्त ब्यूटीपार्लर की गतिविधियों पर गोपनीय निगरानी तथा संदिग्ध गतिविधियों के सम्बन्ध में गहन छानबीन।

त-कोचिंग सेन्टरों के संस्थापकों तथा कोचिंग प्राप्त करने वाले नवयुवक व नवयुवतियों के सम्बन्ध में गहन गोपनीय निगरानी व छानबीन।

थ-मोबाइल व टेलीफोन पर अश्लील बाते करने वाले तथा ब्लैक काल देने वाले व्यक्तियों के टेलीफोन नम्बरों/मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में गहन छानबीन।

(2) अपहरण होने पर उठाये जाने वाले तत्कालिक कदम :-

जैसे ही अपहरण की सूचना प्राप्त होती है यह अति आवश्यक है कि बजाय अपहृता के घर के लोगों से यह कहा जाय कि आप स्वयं छानबीन करें कि आपकी लड़की या स्त्री घर से चली गयी है तत्काल निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। इस कार्य में अपहृता के घर वालों की सहायता अवश्य ली जा सकती है। क्योंकि वे ही अपहृता को भली-भांति जानते व पहचानते हैं :-

क-रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर चेकिंग।

ख-मन्दिर, मठ व धर्मशालाओं की चेकिंग।

ग-होटलों की चेकिंग।

घ-वेश्यावृत्ति के अड्डों की चेकिंग।

च-शहर से जाने वाले रास्तों की चेकिंग।

छ-जनपद के आस-पास के जनपदों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, होटल, धर्मशाला, मन्दिर मठ इत्यादि की चेकिंग।

ज-रिस्तेदारों के घरों की चेकिंग/पूछताछ।

झ-मित्रों व सहयोगियों से पूछताछ व उनकी निगरानी।

ट-मोबाइल फोन व टेलीफोन की निगरानी।

(3) अपहरण होने के उपरान्त अपहृता को बरामद करने तथा अपराधियों को दण्ड दिलाये जाने हेतु उठाये जाने वाले कदम :-

क-अपहृता का फोटो अखबार में छपवाना ताकि उसकी बरामदगी में आम जनता से वांछित सहयोग मिल सके तथा बरामदगी आसानी से हो सके।

ख-अपहृता का फोटो टी0वी0 चैनलों पर प्रसारित कराना ताकि बरामदगी में सहयोग आसानी से प्राप्त हो सके।

ग-पेट्रोल पम्पों पर भी फोटो का विवरण ताकि बरामदगी में सहयोग आसानी से प्राप्त हो सके।

घ-अपहृता का फोटो आस-पास के जनपदों के विवाह पंजीकरण अधिकारी को भेजता ताकि बरगला कर विवाह करने व जबरदस्ती विवाह करने की स्थिति से बचा जा सके।

च-सभी होटलों, धर्मशालाओं, मन्दिरों, मठों व ऐसे ही अन्य स्थानों पर अपहृता का फोटो तथा अपहरणकर्ता का फोटो चिपकवाया जाय ताकि यदि वह इन स्थानों पर आते हैं तब आसानी से गिरफ्तारी/बरामदगी हो सके।

छ-वेश्यावृत्ति के अड्डों पर निगरानी तथा सम्पर्क सूत्रों से किसी नयी लड़की की आगमन की सूचना ज्ञात कर बरामदगी कार्यवाही करना।

ज-अपहृत के गायब होने पर आखिरी स्थान पर देखे जाने के उपरान्त समस्त मूवमेन्ट/घटनाक्रम की सिलसिलेवार छानबीन।

झ-उपरोक्त सभी उपायों के अतिरिक्त अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ ही अपहृता की बरामदगी तथा अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी होने पर उनके विरुद्ध गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कराना।

ट-अपहरण में लिप्त अभियुक्तों की जमानतों का प्रभावी ढंग से विरोध किया जाय।

ठ-प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलायी जाय।

यह उल्लेखनीय है कि अपहरण के मामलों न केवल पुरुष अपितु स्त्री वर्ग की सक्रिय/अन्य भागीदारी रहती है। अतः समस्त अपराध में स्त्री वर्ग के अपराधियों पर भी निगरानी व कार्यवाही पर भी समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

अपहरण जैसे अपराध की रोकथाम व उससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि स्त्रियों व लड़कियों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न की जाय ताकि वे किसी दूषित व विक्रत मानसिकता वाले अपराधी का शिकार न बन सके। इस आशय से रोकथाम सम्बन्धी बिन्दुओं को हैण्डबिल, अखबार इत्यादि के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या-86 का उत्तर पीछे पृष्ठ-64 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के तृतीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री जाकिर अली, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-86 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	कराये गये कार्य
1-(यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत पेयजल परियोजना)				
1	2007-08	--	--	41 नलकूप
2	2008-09	2491.82	900.00	41 पम्प हाउस
3	2009-10	--	1591.91	12 अवर जलाशय
4	2010-11	2481.81	1708.09	19.5 कि0मी0 राइजिंगमेन
5	2011-12	--	573.00	भूमिगत जलाशय 05
6	माह अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक	--	90.00	634 कि0मी0 वितरण प्रणाली
	योग :	**4973.63**	**4863.00**	
2-(यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत सीवरेज परियोजना)				
1	2007-08	--	--	ट्रंक सीवर 7.96 कि0मी0
2	2008-09	3670.63	2650.03	ब्रांच सीवर 22.96 कि0मी0
3	2009-10	--	1020.60	एम0पी0एस0 01
4	2010-11	3603.29	2845.00	राइजिंग मेन 1.50 कि0मी0
5	2011-12	--	709.37	एस0टी0पी0 01
6	माह अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक	--	---	फाईनल चैनल 7.50 कि0मी0
	योग :	**7273.92**	**7225.00**	
3-(यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना)				
1	2007-08	--	--	रिक्शा ट्राली-130
2	2008-09	531.57	--	कूड़ेदान-292
3	2009-10	--	--	डम्पर-02
4	2010-11	59.06	114.44	--
5	2011-12	--	6.75	--
6	माह अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक	--	--	--
	योग :	**590.63**	**121.19**	

क्र0सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	कराये गये कार्य
4-12वें एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण				
1	2007-08	46.89	31.26	2/3, वार्ड-23 में सुनिता विहार में 100 फुटा रोड से श्री सुशील शर्मा के मकान से श्री मोहर सिंह के मकान तक नाली व खड़न्जा निर्माण कार्य। 3/3, वार्ड-31, चौधरी भूले के मकान से श्री अमजद अली के मकान तक कच्ची गली में नाली खड़न्जा कार्य। 1/3, वार्ड-116, परमहंस विहार की गली नं0-3 में श्री मोकम सिंह जाटव के मकान से इकबाल जाटव तक गली-4 में नरेश जाटव के मकान से श्री जय प्रकाश पाठक, गली नं0-5 में सुरेश खटीक से राम भरोसे जाटव गली नं0-6 डा0 बंगाली के मकान से श्री किशन जाटव के मकान तक कच्ची गलियों में नाली व खड़ंन्जा निर्माण कार्य।
2	2008-09	31.37	15.64	वार्ड-43, आजाद इन्कलेव पूजा कालोनी में राजीव के मकान से जैन के मकान तक नाली व खड़न्जा निर्माण कार्य। वार्ड-18, जवाहरनगर पूर्वी से आर0के0 जूनियर हाई स्कूल वाली गली व श्री शिव कुमार से जैन तक नाली व खड़न्जा निर्माण कार्य।
3	2009-10	33.16	31.28	वार्ड-29, गढ़ी कटेईया में श्री बाबू के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली व खड़न्जा निर्माण कार्य। वार्ड-31, रामपार्क एक्स0 में नन्दा कालोनी में सोजनबीर सिंह बिष्ट के मकान के सामने से सुधीर तोमर तक नाली खड़न्जा निर्माण कार्य।
4	2010-11	83.53	53.69	वार्ड-31, नन्दा कालोनी रामपार्क एक्स0 में वैष्णों होटल से महेन्द्र, विनोद तक नाली खड़न्जा निर्माण कार्य। वार्ड-38, राम बिहार कालोनी में सरस्वती मन्दिर से बालाजी रमेश तक नाली खड़न्जा निर्माण कार्य।

क्र0सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय की गई धनराशि	कराये गये कार्य
				वार्ड-05, न्यू विकास नगर माता वैष्णों मोहल्ले में गली नं0-2 में नाली खड़न्जा निर्माण कार्य। वार्ड-18, पूर्वी जवाहर नगर एफ ब्लाक में नहर के पास कच्ची गलियों में नाली खड़न्जा निर्माण कार्य।
5	2011-12	54.18	112.07	वार्ड-29 नव निर्मित नगर पालिका परिषद् कार्यालय में गढ़ी कटैईया मुख्य मार्ग तक नाले का निर्माण कार्य।
6	माह अप्रैल, 2012 से अगस्त, 2012 तक	86.47	--	--
	योग :	**335.60**	**243.93**	

पी0एस0यू0पी0-एल0 66 विधान सभा (138)-23-08-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।